खण्ड-212, अंक-10
गुरूवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1882
(28 अप्रैल, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धूलाल, श्री
बुद्धूसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

बूजरानी मिश्र, श्रीमती
बंचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
बृह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती

रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वाराणसी नगरमहापालिका द्वारा बजट स्वीकृति के लिये भेजना

**१---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या वाराणसी नगरमहालिका ने महापालिका द्वारा १९६०-६१ का स्वीकृत आय-व्ययक सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा था ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां ।

**२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगे कि वाराणसी की महापालिका का बजट क्या सरकार ने अपनी सम्मति देकर वापस कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने अपनी सम्मति की क्या बातें लिखीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---नगरमहापालिका को यह लिखा गया है कि जब तक वह ऋणी न घोषित कर दी जाय, उसके आय-व्ययक पर शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन रखा गया है ऋणी होने के लिये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसकी कोई खास मर्यादा नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि, जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया कि ऋणी वह नहीं है, कितना धन ऋणी होने के लिये रखा गया है, क्या कोई संख्या निर्धारित की गई है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो दिया जा चुका है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, माननीय मोहिले जी अपनी बात स्पष्ट नहीं पूछ सके, उनका प्रश्न यह है कि वह कितनी कर्जदार हो जाय तब वह म्युनिसिपैल्टी ऋणी मानी जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इसका उत्तर तो दिया जा चुका है । कोई तादाद तो है नहीं । वह तो और चीजें हैं जिनको देखना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---उन्हीं सब चीजों को तो वे जानना चाहते हैं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार यह देखती है कि उसके ऊपर जो आब्लीगेशन हैं उनको वह पूरा कर सकेगी या नहीं । अगर वह नहीं कर सकती है और गलती करती है तो सरकार इन्टरफियर करेगी । वरना उसको आजादी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय स्वायत्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसके लिये कोई मर्यादा मुकर्रर कर दी जाय, जैसा कि अब तक अमर्यादित है वह न रहे, कि इतना कर्जा होने पर यह लागू होगा ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब वे दे चुके हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---धन के अलावा वह और कोई मर्यादा मुकर्रर करेगी या वह उसकी इच्छा पर ही निर्भर होगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि महापालिकाओं द्वारा सरकार की स्वीकृति हेतु बजट को भेजने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---गलतफहमी ।

सरसौल में विस्फोट

****३---श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर), **श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) **तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मौजा सरसौल, जिला कानपुर में भयानक विस्फोट हो जाने के फलस्वरूप गत तारीख ६-४-६० को कई मृत्युएं हो गई हैं ? यदि हां, तो इस विस्फोट का कारण क्या है ?

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उक्त विस्फोट की घटना तारीख ६-४-६० को नहीं बल्कि ५-४-६० को १२ बजे दिन में हुई । चूंकि दूकान में उपस्थित सभी व्यक्ति मर गये इसलिये विस्फोट का सही कारण अभी तक पता नहीं चल सका है ।

****४---श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री ऊदल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार उक्त घटना के फलस्वरूप पीड़ित कुटुम्बियों को कोई सहायता देने पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, मृतकों के परिवार में बचे हुये एक व्यक्ति को ६० रु० की अंशदेय सहायता (Gratuitous relief) प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त मकान बनवाने के लिये सहायता एवं आतिशबाजी की सामग्री बनाने के लाइसेंस दिये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतायेगी कि इस घटना के फलस्वरूप कितनी मृत्युएं और कितनी हानि हुई है जहां पर यह ६० रुपया सहायता की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---६ मृत्युएं हुई हैं, ६००० रुपये का अल्लाह बख्श का नुकसान हुआ है, ३०० रुपये का पड़ोसी नाई का छप्पड़ जलने से, और २५० रुपये का अंतरिम जिला परिषद के स्कूल की हानि हुई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ६ मृत्युएं होने पर जो ६० रुपया दिया गया है यह उनके कफन के लिये ही दिया गया है या सहायता के रूप में ?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो स्थानीय अधिकारियों के पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है, उसमें से तत्काल सहायता दे देते हैं, चाहे वह किसी काम में ले आयें । थोड़ी बहुत सहायता दे दी गई है । उनको मकान बनाने के लिये सहायता और फिर से रोजगार चल सके, इसके लिये लाइसेंस देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार यह जो ६ मृत्युएं हुई हैं और ६,००० रुपये का नुकसान हुआ है इसको देखते हुये जो शेष परिवार के लोग रह गये हैं उनके लिये तथा उनके रोजगार करने के लिये समुचित रूप से सहायता देने का विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह चाहते हैं मकान बनाने के लिये कुछ सहायता; तकावी वगैरह लेना नहीं चाहते । सहायता देने पर विचार हो रहा है । आतिशबाजी उनका रोजगार है ही, तो उसके लिये फिर से उनको लाइसेंस देने की कोशिश की जा रही है; इस पर विचार किया जा रहा है ।

रसड़ा जनाना अस्पताल में डाक्टरनी का न होना

५---श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---क्या न्याय मन्त्री को विदित है कि पिछले लगभग ८ माह से जनाना अस्पताल, रसड़ा, जिला बलिया में कोई लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां' तो क्यों ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां। महिला चिकित्सालय, रसड़ा में ५ जुलाई, १९५९ से कोई लेडी डाक्टर नहीं है। वहां जो डाक्टरनी कार्य कर रही थीं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था जो कि स्वीकृत कर लिया गया है। कुछ समय पहले एक दूसरी डाक्टरनी को वहां भेजा गया पर अभी तक उन्होंने भी वहां चार्ज नहीं लिया जिस कारण यह जगह अभी तक खाली है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि पिछले ८ मास से इस जनाना अस्पताल में कोई लेडी डाक्टर नहीं है, तो कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र वहां कोई लेडी डाक्टर जा सके ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जवाब में बताया गया है कि तैनाती कर दी गयी है, अभी वहां कोई नहीं गया है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---दूसरी लेडी डाक्टर की कब तैनाती हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डेट नहीं याद है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया में एक लेडी डाक्टर भेजी गयीं, वह नहीं पहुंचीं ; दूसरी भेजी गयीं, वह नहीं पहुंचीं, तो क्या कारण है ? ऐसा क्यों घबराती हैं ? कोई रास्ता निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बलिया के लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह से बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, जैसे कि रसड़ा का और बरहज है, वहां लेडी डाक्टर जाती नहीं हैं, तो कोई सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे कि वहां पर जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोशिश कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं।

कानपुर जिले में जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत दी गई नोटिसों में अनियमितता

६---श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश देहाती क्षेत्र, कानपुर के पास १९-३-६० को २६ नोटिसें जमींदारी विनाश अधिनियम के नियम ११५-डी के अन्तर्गत बिना न्यायाधीश के दस्तखत के दी गयी थीं और नोटिसों में बरती जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व उपमन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---जी हां। जिलाधीश ने मामले की आवश्यक जांच करवायी।

**७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि इस प्रकार की अवैधानिक एवं अनियमित नोटिसों पर की जाने वाली अनुचित कार्यवाही के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश देहाती क्षेत्र द्वारा कोई कार्यवाही करने में असमर्थता प्रकट करने पर कुछ लोग १-४-६० को न्याय मन्त्री से लखनऊ में मिले थे ? यदि हां, तो न्याय मन्त्री से उन्होंने क्या शिकायतें की थीं और उनके सम्बन्ध में न्याय मन्त्री ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, एक व्यक्ति मुझसे इस सम्बन्ध में मिले थे। इस पर मैंने कानपुर के जिलाधीश को फोन द्वारा मामले की जांच करवाने के लिए कहा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश ने जो जांच की उससे क्या तथ्य निकले ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--जिलाधीश की जांच के परिणाम से यह मालूम हुआ कि २६ नोटिसें जिनको कि जाली और फर्जी कहा जाता है वह न फर्जी थीं और न जाली थीं बल्कि कार्य की अधिकता के कारण असावधानी से अधिकारी के न दस्तखत हुये थे और न ही मोहर लगी थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि उन ११५-डी की नोटिसों में प्रतिलिपि विभाग (कापीयिंग डिपार्टमेंट) की मोहर लगी हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसका पता मुझे नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि यह जो नोटिसें दी गयीं इनकी जब सुनवाई हुई तो वह सुनवाई नायब-तहसीलदार (कलेक्शन) ने क्यों की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--नायब-तहसीलदार (कलेक्शन) का इस कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जो नोटिसें जारी हुईं उन पर जब दस्तखत नहीं थे और न्यायालय की मोहर नहीं थी तो वह नोटिस गैरकानूनी हुईं इसलिए उस गैरकानूनी नोटिस के अंतर्गत जिन व्यक्तियों पर कार्यवाही की गयी उसके दण्ड का भुगतान कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष--मन्त्री जी तो उसको जाली मानते ही नहीं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं स्वतः नोटिस लेकर माननीय मन्त्री जी के पास गया था और उनको दिखलाया।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर के एक नागरिक आये थे नोटिस लेकर, उस पर दस्तखत नहीं थे और हमारे सामने मन्त्री जी को फोन किया गया था, तो क्या सरकार बतायेगी कि इल्लीगल आर्डर को न मानना कोई जुर्म (आफेन्स) नहीं है, ऐसी ब्रीलिंग सुप्रीम कोर्ट की है--"Disobedience of an illegal order is not an offence" तो वह नोटिस इल्लीगल क्यों नहीं है ? इसके लिए सरकार के पास क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--यह कानूनी बात है, इसका फैसला कानून से ही हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस बात को देखते हुये कि वहां के अधिकारियों ने असावधानी की, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कलेक्टर से कह दिया गया है कि उसका तदारुक किया जाय।

उत्तराखण्ड को खाद्यान्न देने की नीति

**८--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड के लिए खाद्यान्न देने की क्या नीति सरकार की है ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--नीति अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, अतः उसे बताना संम्भव नहीं है ।

**९--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सीमान्त जिलों में किस दाम पर गल्ला देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह भी सूचना देना अभी सम्भव नहीं है।

पडरौना, पथरहट तथा टोला घुरहु छपरा का अग्निकाण्ड

**१०--श्री उग्रसेन--क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायत पहुंची है कि देवरिया जनपद में दिनांक २ तथा ३ अप्रैल, के पडरौना नगरपालिका, बाबूछापर (रामकोला क्षेत्र) तथा पथरहट ग्राम (गौरी बाजार) क्षेत्र में भीषण आग लगी, ४०० से अधिक घर जले तथा ३ लाख की सम्पत्ति नष्ट हुई ? यदि हां, तो सरकार ने तत्काल कौन-सी सहायता की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, किन्तु आग बाबूछापर में नहीं, बल्कि टोला धुरहु छपरा में लगी। पडरौना नगरपालिका व पथरहट ग्राम में भी आग लगी। कुल २१५ घर जले तथा लगभग ४९,१५० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। अब तक ७२५ रुपया अहेतुक सहायता के रूप में बांटा जा चुका है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से दमकल देर से पहुंचे जिससे २५० घर जल गये ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री उग्रसेन--क्या आग बुझाने के लिये पानी की व्यवस्था न होने के कारण क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पथरहट (गौरीबाजार) में किसी व्यक्ति ने दुश्मनी के कारण आग लगायी थी और वह गिरफ्तार है या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सरकार के पास आकस्मिक आग लगने की ही सूचना है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---आग से क्षति में सरकार ने क्या सहायता की, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जवाब में बताया है कि अहेतुक सहायता दी गयी।

गोरखपुर के एक मजिस्ट्रेट के घर चोरी के सिलसिले में खानसामा की पुत्र बधू की पुलिस के हाथों मृत्यु की शिकायत

**११--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर नगर में २८/२९ मार्च, १९६० की रात को किसी मैजिस्ट्रेट के घर चोरी हुई तथा उस चोरी में मैजिस्ट्रेट के निवास स्थान के अहाते में रहने वाले खानसामा के पुत्र तथा एक रिश्तेदार की गिरफ्तारी हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के नौकर व उसके पुत्र तथा एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

**१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त खानसामा की पुत्रवधू की मृत्यु १० अप्रैल, १९६० को पुलिस की मार के फलस्वरूप हुई है? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री उक्त घटना की पूर्ण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--१० अप्रैल, १९६० को उपर्युक्त नौकर की पुत्रबधू की मृत्यु हुई। मृत्यु का सही कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट की थी?

श्री रामस्वरूप यादव--रिपोर्ट की नकल नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि पुलिस ने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जल में भेजा और उनकी पुत्र-बधू को मारा उस सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट की कोई रिपोर्ट नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सिटी मैजिस्ट्रेट की ओर से रिपोर्ट चोरी की हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि पुत्र-बधू की मृत्यु के सम्बन्ध में, किसी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने से पहले, जिलाधीश ने कोई सार्वजनिक बयान दिया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी सूचना नहीं है। मेरे पास यह सूचना है कि शिकायत उसक पति ने की कि मेरी पत्नी मरी है इसलिए कि उसे पुलिस वालों ने मारा। कलेक्टर ने उस की इन्क्वायरी ए० डी० एम० के सुपुर्द कर दी है, तहकीकात हो रही है। इस जांच की रिपोर्ट आने पर सारी बातें मालूम हो सकेंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सरकार के पास है? यदि हां, तो उसमें मृत्यु का क्या कारण लिखा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसका अभियोग यह नहीं था कि उसे किसी ने मारा जिससे वह मरी। वह मरी और उसका क्रिया-कर्म करने के लिए उसके पति को जेल से छोड़ा गया, जो उन्होंने किया।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--जिस स्त्री के मरने की बात कही जाती है क्या उसका आठ, नौ तारीख को जिला अस्पताल में दवाई के लिए निरीक्षण हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सारे मामले की जांच हो रही है।

श्री उग्रसेन--क्या पुलिस ने पंचनामा करके लाश को फूंकने के लिए दिया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर दिया जा चुका है कि कोई रिपोर्ट उसकी नहीं है कि उसे पीटा गया। जिस दिन की घटना है उसके एक हफ्ते या १० दिन बाद मरी है। मरने के बाद, क्रियाकर्म के बाद, उसके पति ने रिपोर्ट की कि उसकी पत्नी इसलिए मरी कि उसे पुलिस वालों ने मारा। मामले की जांच ए० डी० एम० कर रहे हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--रिपोर्ट नामजद हुई या केवल चोरी की हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर दिया जा चुका है कि चोरी की रिपोर्ट पर २ आदमी गिरफ्तार हुये।

श्री राजनारायण--उसके पति ने रिपोर्ट कब दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ए० डी० एम० की रिपोर्ट आने पर सब बातों का पता चलेगा ।

खालिसपुर ग्राम में काली जी के मन्दिर में कटी लाश मिलना

**१३--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जिला के थाना फूलपुर के अन्तर्गत खालिसपुर नामक ग्राम में तारीख ४-५ अप्रैल, १९६० को काली जी के मन्दिर में एक व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बलि दे दिया और दूसरे दिन रामनवमी के मेले के अवसर पर मन्दिर में सर और धड़ अलग-अलग पाये गये ? यदि हां, तो सरकार की जांच के बाद अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--दिनांक ४ अप्रैल, १९६० को उक्त ग्राम में दुर्गादेवी के मंदिर में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना थाने में प्राप्त हुई। मृतक का गला कटा पाया गया। पुलिस ने लाश पोस्ट मार्टम परीक्षा के लिए भेज दी। अभी मामले की जांच हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव--वह व्यक्ति कहां का था और कैसे मृत्यु हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुरुषोत्तम अहीर, और मृत्यु के कारण उनकी स्पाइनल कार्ड पर चोट लगन स उत्पन्न शाक, मुर्छा तथा हेमरज ह।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या अभी तक पुलिस की तफतीश में हत्या के कारण पर कोई प्रकाश पड़ा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह बुड्ढा था और उस गांव का रहने वाला था। यह भी सन्देह होता है कि किसी ने बलि चढ़ायी हो या स्वयं उन्होंने अपना गला काट लिया हो। जांच हो रही है।

श्री ऊदल--क्या मृत व्यक्ति ने कुछ दिन पहिले फूलपुर थाने में रिपोर्ट दी थी कि कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं और पानी नहीं देना चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी रिपोर्ट की सूचना मेरे पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--अभी उप मन्त्री जी ने कहा कि स्पाइनल कार्ड में चोट लग जाने के कारण मृत्यु हुई, यह पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में है और मन्त्री जी ने बताया कि गर्दन कटने से मृत्यु हुई, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि स्पाइनल कार्ड पर चोट लगने से मृत्यु होने के बाद गर्दन कटी या गर्दन कटने के बाद स्पाइनल कार्ड पर चोट लगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजनारायण--जिस व्यक्ति का सिर और धड़ अलग-अलग पाया गया, इसकी रिपोर्ट किस व्यक्ति ने थाने में की और रिपोर्ट के कितने समय बाद लोग वहां पहुंचे ?

श्री रामस्वरूप यादव--परशुराम मिश्र तथा अन्य व्यक्तियों ने थाने में रिपोर्ट की ९ बजकर ५ मिनट पर, चार तारीख को।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–२––श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले––[१८ मार्च, १९६० के प्रश्न १–२ नियम ३०(४) के अन्तर्गत उत्तर सदन में दिये जा चुके हैं।]

प्रतापगढ़ जिले में रबी की फसल को क्षति

*३––श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में मार्च, १९६० में किन किन गांवों में पानी बरसने के कारण और किन-किन गांवों में ओला–बारी होने के कारण रबी की फसल को क्षति पहुंची ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––जिले में अधिकांश रबी की फसल कट चुकी थी। खड़ी फसल को किसी भी ग्राम में क्षति रुपये में ८ आने की या ८ आने से अधिक की––जिसे क्षति कहा जाता है, नहीं हुई।

*४–५––श्री झारखन्डेराय (जिला आजमगढ़)––[१२ मई, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

[२८ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२––श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)––[११ मई, १९६० के लिये प्रश्न ५–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३–५––श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)––[११ मई, १९६० के लिए प्रश्न ७–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६–७––श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)––[११ मई, १९६० के लिये प्रश्न १०–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८–१०––श्री मदन पांडेय––[१८ मई, १९६० के लिये प्रश्न १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११–१३––श्री रामसुन्दर पांडेय––[११ मई, १९६० के लिए प्रश्न १२–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१४–१६––श्री प्रतापसिंह––[११ मई, १९६० के लिये प्रश्न १५–१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१७––श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)––[११ मई, १९६० के लिए प्रश्न १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

भिक्षुक गृह तथा बाल अपराध रोकने के लिये कथित केन्द्रीय सहायता

*१८––श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अशासकीय भिक्षुक गृहों को १–१–५९ से ३१–१२–५९ की अवधि में जो सरकारी सहायता दी गई थी वह किस-किस को कितनी-कितनी दी गई ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---वांछित सूचना निम्न प्रकार है---

		रु०
(अ) पंचपुरी, सेवा सदन कनखल, हरिद्वार, सहारनपुर	..	६,७७७
(ब) नवीन सेवा आश्रम, इलाहाबाद ..	..	६,५००
(स) समाज सेवक समिति, कर्नलगंज, इलाहाबाद	..	२,०००
(द) भिक्षावृत्ति उन्मूलन समिति, कानपुर ..	..	१५,०००
(घ) नगर महापालिका लखनऊ द्वारा संचालित सेवा-सदन	..	२,०००

*१९---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे १-१-६० को राज्य में कितने और कहां-कहां अशासकीय भिक्षुक-गृह स्थापित हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने भिक्षुक उक्त समय थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वांछित सूचना निम्नलिखित है---

जिला	भिक्षुक-गृह का नाम	भिक्षुओं की संख्या
१---सहारनपुर	पंचपुरी सेवा सदन, कनखल, हरिद्वार ..	२५
२---इलाहाबाद	नवीन सेवा आश्रम, इलाहाबाद ..	१९०
३---इलाहाबाद	समाज सेवक समिति, कर्नलगंज, इलाहाबाद ..	१४
४---कानपुर	भिक्षावृत्ति उन्मूलन समिति, कानपुर ..	३४
५---हरदोई	(एक भिक्षुक गृह)	८
६---मुजफ्फरनगर	लेपर होम	५७
७---बाराबंकी	पुअरहाउस	..
८---लखनऊ	नगर महापालिका लखनऊ द्वारा संचालित सेवा सदन	६८

*२०---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बाल अपराध को रोकने और बालक अधिनियमों को लागू करने के सिलसिले में इस प्रदेश को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आर्थिक सहायता गत तीन वर्षों में मिली और संक्षेप में किस प्रकार व्यय हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। अतः उसे व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक्टर के बिना चिकित्सालय

*२१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिनमें केवल कम्पाउन्डर ही दवा देते हैं और वहां डाक्टर का प्रबन्ध नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रदेश में २०५ पुरुषों के और १३ स्त्रियों के सरकारी चिकित्सालय ऐस हैं जिनमें इस समय डाक्टर नहीं हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस अस्पताल में डाक्टर रखे जाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, लेकिन डाक्टरों की कमी है, इसलिये वह योजना पूरी नहीं हो पा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन कंपाउन्डरों में बहुत से कंपाउन्डर ऐसे हैं जो ट्रेन्ड नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिरला ही कोई हो, ज्यादातर ट्रेन्ड ही होते हैं ।

इलाहाबाद में आंख के अस्पताल की इमारत

*२२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के सरकारी आंख के अस्पताल की इमारत तुड़वाकर दूसरी इमारत बनाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उस अस्पताल में कितने मरीजों के रहने का स्थान बनेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं

दहेज बन्द करने के लिये प्रार्थना

*२३---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५९ तक जनता की तरफ से कोई ऐसे सुझाव सरकार के पास आये हैं कि शादियों में दहेज लेना या देना कानूनन रोक दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सुझाव सरकार के पास आये हैं कि शादियों में दहेज लेने और देने की प्रथा को कानूनन रोक दिया जाय, इस विषय में सरकार ने अब तक क्या-क्या किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के सामने एक बिल विचाराधीन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार यह बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार के पास जो बिल इस समय विचाराधीन है, उस विषय में प्रान्तीय सरकार ने दहेज लेने या न लेने के पक्ष में अपनी राय दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम तो इसी के पक्ष में है कि डाउरी बंद हो जाय ।

*२४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२५-२६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

भूतपूर्व बागों पर लगान निर्धारण से आय

*२७---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि-अभिलेखों में अशुद्धियों का पता लगाने की सरकारी नवीन योजना के फलस्वरूप भू-राजस्व की मांग में कितने धन की अनावर्तक शुद्ध आय इस चालू वित्तीय वर्ष में जिलेवार हो जाने का अनुमान है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---इस योजना के अन्तर्गत राज्य की मालगुजारी में १५ फरवरी, १९६० तक ४६,१८,५४४ रुपया की वार्षिक मांग (आवर्त्तक) तथा २,५३,०१,८६१ रुपया की बकाया (अनावर्त्तक) में वृद्धि हुई (जिलेवार विवरण नत्थी "क" पर है)। ३१ मार्च, १९६० (पिछले वित्तीय वर्ष) तक क्रमशः ५० लाख रुपया की वार्षिक मांग में और २ करोड़ ७५ लाख रुपया की बकाया में वृद्धि होने की संभावना थी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२१-११२२ पर)

*२८---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त आय में बागों में लगान लगने के फलस्वरूप उसमें कितने धन की आय जिलेवार इसी वर्ष हो जाने का अनुमान है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---भूतपूर्व बागों पर लगान निर्धारित होने के फलस्वरूप राज्य की मालगुजारी में १५ फरवरी, १९६० तक ५,५३,४१० रुपया की वार्षिक मांग (आवर्त्तक) तथा ३०,८१,५०६ पया की बकाया (अनावर्त्तक) में वृद्धि हुई। जिलेवार विवरण नत्थी 'ख' पर है। ३१ मार्च, १९६० (पिछले वित्तीय वर्ष) तक क्रमशः लगभग ६ लाख रुपया की की वार्षिक मांग में तथा लगभग ३४ लाख रुपया की बकाया में वृद्धि होने की संभावना थी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२३-११२४ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस मालगुजारी की वृद्धि के फलस्वरूप जो बागों की मालगुजारी में ३० लाख की वृद्धि हुई, इस सम्बन्ध में इन बागों के मालिकों को कोई अपील करने का अवसर दिया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिनके नाम नोटिस जाती है, उनको राइट है कि वे आबजेक्शन करें, अपील करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन बागों पर लगान लगाया गया है और उन बागों पर जिन लोगों ने फिर अपने बाग लगा लिये हैं, सरकार उनकी जांच करायेगी और उनका लगान माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे तो इत्तला नहीं है कि जो बाग कटे हैं वहां फिर बाग लगा दिये गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बहुत से किसानों के जिनके कुछ ही पेड़ थे, उन पर लगान लगा दिया गया है, वे उसको जोते नहीं थे। उन्होंने फिर उन पर बाग लगा दिया है, तो सरकार उन पर लगान माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी मुझे इत्तला नहीं है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार द्वारा जिलाधीशों को इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है कि सी० एल० आर० डी० के मातहत जो लगान में इजाफा हुआ है वह सीरदारों से एक मुश्त वसूल न किया जाय बल्कि किस्तों में वसूल किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी उन जिलों की सूची सदन में पेश करने की कृपा करेंगे जिन जिलों के जिलाधीशों ने सरकार द्वारा इस प्रकार के आदेश हो जाने के बाद भी बढ़ोत्तरी लगान को एक मुश्त वसूल किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त तो हमारे पास सूची है नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या ऐसी सूचना माननीय मंत्री जी के पास है कि जब से इन बागों पर लगान कायम हुआ है, तब से बागों का कटना बहुत जोरशोर से शुरू हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बाग खाली हो गये हैं पेड़ कटने की वजह से, अगर वहां दोबारा बाग लगा दिया जाय तो वे लगान मुक्त हो सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो कानूनी बात है, वे फिर दरख्वास्त देंगे तो देखा जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बागों की मालगुजारी के सम्बन्ध में जो नोटिस जारी हुए हैं वे किस नियमावली के अन्तर्गत जारी हुए हैं और कहां-कहां जारी हुए हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, भूतपूर्व बाग, जिन पर पेड़ नहीं रह गये हैं, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम २०० (२) के अन्तर्गत, उन पर लगान निर्धारित होते हैं और सरकार ने अब एक आदेश दिया है कि जिन काश्तकारों पर लगान एसेस हो उनको इसकी इत्तला दे दी जाय ताकि वे १५ दिन के अन्दर एस० डी० ओ० के पास आपत्ति कर सकें और उसकी सुनवाई एस० डी० ओ० मौका देखकर कर सकेगा ।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में तकावी का वितरण

*२९---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर तथा देवरिया जिलों के अलग-अलग तहसील में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितनी तकावी बीज, खाद तथा बैल के लिये बांटी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११२५ पर)

*३०---**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)---[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

मक्खीमार मशीन का आविष्कार

*३१---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में किसी व्यक्ति ने मक्खीमार मशीन (Fly and Moth Killing Machine) का आविष्कार किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां ।

*३२---**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि हां, तो यह मशीन किस प्रकार की है ? और क्या सरकार इसके अधिक से अधिक प्रचार की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह कल लकड़ी के बक्से के आकार में बनी हुई है जिसमें रोशनी का प्रबन्ध है । इसकी छत अलग की जा सकती है । इसके एक ओर एक छेद होता है जिसे बन्द किया जा सकता है और खोला भी जा सकता है । छेद से मिला हुआ एक जालीदार तार का पिंजरा होता है । बक्से के नीचे वाले भाग में मक्खियों के आकर्षण के लिये मिठाई या गुड़ भरा होता है, जब बहुत सी मक्खियां उस स्थान पर बैठ जाती हैं तो बक्से के छेद को बन्द कर दिया जाता है और रोशनी बुझा दी जाती है । रोशनी बुझते ही मक्खियां जालीदार पिंजड़े में आ जाती है और वह पिंजड़ा अलग करके मक्खियों को नष्ट कर दिया जा सकता है ।

इस मशीन का राज्य में उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि यह मशीन प्रयोगात्मक अवस्था (Experimental Stage) में है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मशीन का मूल्य कितना है और इसके आविष्कारकर्त्ता को सरकार ने क्या सहायता दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमने तो कोई सहायता नहीं दी है, हम तो उसका मूल्य भी नहीं जानते कि उन्होंने कितना रखा है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह मशीन कब बनाई गई है और सरकार का ध्यान इस मशीन की ओर कब गया है और उसका सफल परीक्षण कब तक होने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख बताना तो मुश्किल है, लेकिन हमारा ध्यान तो जब यह सवाल हुआ तभी गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा---)क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सरकार मक्खी मारने का काम किस तरह से किया करती थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अपने दोस्तों की सहायता से। (हंसी)

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मक्खीमार मशीन का माननीय मंत्री जी ने अपने बंगले पर भी उपयोग किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं किया, क्योंकि मेरी मक्खी मारने की आदत नहीं है। (हंसी)

सीतापुर जिले में लेखपालों को यात्रिक भत्ता देने की सिफारिश

*३३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में कितने लेखपाल अपने-अपने हल्कों में ३१-१२-५९ ई० तक सकुटुम्ब आबाद हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं आबाद हुये हैं ? आबाद न होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सीतापुर जिले में केवल १२५ लेखपाल २१-१२-५९ तक सकुटुम्ब आबाद हो चुके हैं और सकुटुम्ब गैर आबाद लेखपालों की संख्या २८१ है। आबाद न होने के कारण कुछ तो उनकी अपनी ढिलाई और कुछ मकानों का न मिलना है।

*३४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिले में जो लेखपाल दिनांक ३१-१२-५९ ई० तक अपने हल्कों पर सकुटुम्ब नहीं आबाद हैं उनको यात्रिक भत्ता नहीं दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां, ऐसी सूचना मिली है कि ऐसे लेखपालों को यात्रिक भत्ता नहीं दिया गया। अभी हाल ही में शासन ने यह निश्चय किया है यात्रिक भत्ता केवल उन्हीं लेखपालों को दिया जाय जो अपने हल्के में सपरिवार आबाद हैं, किन्तु इस निश्चय के अनुसार जब तक लेखपाल सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन न हो जाय , ऐसी कार्यवाही करना नियमानुकूल नहीं है। और इसलिये इस संबंध में परिषद को आवश्यक आदेश भेज दिये गये हैं।

*३५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्कों पर सकुटुम्ब आबाद होने में पैदा हो रही दिक्कतों के संबंध में और सीतापुर जिले के लेखपालों ने क्या कोई रिप्रेजेन्टेशन भेजा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--लेखपालों के हल्के में सकुटुम्ब आबाद होने से उत्पन्न इस स्थिति से क्या सरकार अवगत है कि स्थानीय पार्टीबन्दी बढ़ने के साथ-साथ वहां जबरदस्ती और अनियमित कार्य भी बढ़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम तो ऐसी बात से अवगत नहीं हैं ।

श्री केशव पांडेय---लेखपालों का उनके हल्के पर निवास करने का सरकार ने किन कारणों से फैसला किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो उसमें नियम है, उसी कायदे के अनुसार किया जाता है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--परिषद् को जो आवश्यक आदेश भेजे गये हैं उनमें जिन लेखपालों को हल्के में सकुटुम्ब आबाद न होने के कारण यात्रिक भत्ता नहीं दिया गया है उसके दिये जाने के आदेश दिये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, उनको दिये जायेंगे जिनको अभी तक नहीं मिले हैं ।

फैमिली प्लानिंग कैम्प्स योजना

*३६--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने फैमिली प्लानिंग कैम्प्स की योजना बनायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, ऐसी योजना भारत सरकार से प्राप्त हुई है ।

*३७--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---योजना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

महमूदाबाद के किसानों की चकबन्दी के विरुद्ध शिकायत

*३८---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम महमूदाबाद, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के कतिपय किसानों ने अपने ग्राम को चकबन्दी के विरुद्ध चकबन्दी आयुक्त के नाम से २८ प्रार्थना-पत्र दिनांक २०-१-६० को उनके लखनऊ कार्यालय में आकर दिये थे ? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही हुई तथा उन किसानों को मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--२० जनवरी, १९६० को चकबन्दी आयुक्त क कार्यालय में उक्त ग्राम के निवासियों के १५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें मुख्यतया प्रदिष्ट चकों के सम्बन्ध में तथा कुछ चकबन्दी कर्मचारियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें थीं। जांच करने पर सभी आरोप निराधार पाये गये। अतएव किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या उन शिकायतों में यह भी शिकायत थी कि जमीन की मिल्कियत निर्धारित करने का तरीका आजकल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बहुत से किसानों की जमीनें बहुत कम हो गईं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---उन शिकायतों का विवरण तो इस समय सरकार के पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---यह जांच जो कराई गई वह किन अधिकारियों के द्वारा कराई गई ? क्या वही अधिकारी थे जिनके खिलाफ शिकायत थी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जिले के सैटिलमेन्ट आफिसर एस० ओ० सी० से।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या इन मामलों की जांच फिर से किसी दूसरे अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

पीलीभीत व नैनीताल के जिलों में विचाराधीन हवालाती

*३९---श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जेल पीलीभीत व नैनीताल में कितने Undertrial Cases पड़े हैं और उसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला जेल पीलीभीत व नैनीताल म बन्द क्रमशः १२ और ६६ हवालातियों के मुकदमे विचाराधीन हैं जिनके निम्नलिखित कारण हैं :

(१) संबंधित पत्रावली का उच्च न्यायालय में भेजा जाना।

(२) अभियुक्त और सामान की शनाख्त का बाकी होना।

(३) रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में विलम्ब होना।

(४) अभियुक्तों का देर से गिरफ्तार होना इत्यादि।

*४०---श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितने कैदी ऐसे हैं जिनके केसों का फैसला ५ साल से नहीं हुआ है और उसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई नहीं।

ला ग्रैजुएटों की शिक्षा के लिए कथित आदेश

*४१---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने अभी हाल ही में Law Graduate के संबंध में यह आदेश जारी किये हैं कि उनको सीनियर वकील द्वारा छः महीने तक शिक्षा प्राप्त करने तथा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी वकालत आरम्भ करने के पहले (Test) परीक्षा देना पड़ेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं।

*४२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि इस संबंध में जगह-जगह के बार एसोसियेशनों ने प्रस्तावों द्वारा उससे अनुरोध किया है कि वह इस विषय में पुनः विचार करने की कृपा करें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं।

फर्रुखाबाद जिले में चिकित्सालय के लिये दिये गये दान से सम्बन्धित श्रीमती राजरानी का दावा

*४३---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की श्रीमती राजरानी ने १०,००० रु० के करीब सरकार को सन् १९४५ में क्षय चिकित्सालय के लिये दान दिया था तथा और लोगों ने भी ४० हजार रुपया दान दिया था ? यदि हां तो सरकार ने चिकित्सालय का निर्माण आज तक क्यों नहीं कराया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। भवन के अब तक निर्माण न होने के कारण संक्षेप में यह हैं कि जितना दान का रुपया उपलब्ध था वह एक टी० बी० अस्पताल के भवन की लागत से बहुत कम था। इस बात के अतिरिक्त (recurring) खर्च का बन्दोबस्त सरकार को अपनी ओर से करना था। धनाभाव के कारण इस खर्च के शीघ्र उपलब्ध होने की आशा नहीं थी अतः १९५५ में स्थानीय टी० बी० एसोशियेशन को कहा गया कि वह एकत्रित धन में से ही एक ८ बेड का टी० बी० वार्ड निर्माण करे और इसे स्वयं चलाए। फिर यू० पी० टी० बी० एसोसियेशन ने यह प्रस्ताव सरकार के सामने रखा कि टी० बी० वार्ड के स्थान पर एक टी० बी० क्लीनिक कायम की जाय तो अच्छा होगा। यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया और अब शीघ्र ही भवन निर्माण करने का प्रयत्न किया जावेगा।

*४४—श्री ऊदल—क्या सरकार के ऊपर श्रीमती राजरानी ने सिविल जज, फर्रुखाबाद के यहां इसके संबंध में दावा किया था जिसमें मयसूद सन् ५८ में सरकार के ऊपर १० हजार की डिग्री हुई? यदि हां, तो क्या सरकार ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और वहां से भी सरकार के खिलाफ इसी फरवरी में १० हजार की डिग्री हुई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—श्रीमती राजरानी ने दावा किया था और उसको १९४८ में डिग्री मिली थी, इसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि भवन का निर्माण ३१ मार्च, १९६१ तक हो जायगा तो सरकार को रुपया वापिस नहीं करना पड़ेगा।

श्री ऊदल—यह जो दान में रुपया मिला था १० हजार के अलावा और कितना रुपया मिला था?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह कुल ५० हजार रुपया था।

श्री ऊदल—एक टी० बी० अस्पताल के लिये कितने रुपये की आवश्यकता होती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो उसके साइज पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा अस्पताल हो। लेकिन ५० हजार नाकाफी था।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब १९४५ में ही ५० हजार रुपया सरकार को प्राप्त हो चुका था तो सन् ५५ तक सरकार इस संबंध में चुप क्यों बैठी रही और श्रीमती राजरानी को इस संबन्ध में सरकार के विरुद्ध मुकदमा क्यों दाखिल करना पड़ा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९४७ में उन्होंने दावा दायर कर दिया लिहाजा पेन्डिंग रहा मामला।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि उनको सरकार के विरुद्ध क्यों यह मुकदमा दाखिल करना पड़ा और क्या सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद सन् ६१ के मार्च तक इमारत बनवा कर अस्पताल खोलने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्यों दायर किया गया, उनको उजलत थी कि फौरन बन जाय, फौरन बन नहीं सकता था, लिहाजा दावा दायर कर दिया गया केस पेंडिंग रहा और जाकर सन् १९६० में फैसला हुआ हाईकोर्ट से। तो इस वजह से देरी हुई।

श्री अध्यक्ष—एक प्रश्न और उन्होंने पूछा कि १९६१ तक बन जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हाईकोर्ट ने मियाद मुकर्रर की है, उसके अन्दर तैयार कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि जिन दानियों ने ५०,००० रुपया १९४५ में दिया था उनसे सरकार ने कोई शर्त की थी कि हम कितने समय के अन्दर टी० बी० का अस्पताल फर्रुखाबाद में बना देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक मुझे याद है ऐसी कोई शर्त नहीं थी ।

बड़पुरा तथा चकर नगर क्षेत्रों में रबी का लगान माफ करने की प्रार्थना

*४५--**श्री भजनलाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पार पट्टी के ब्लाक बडपुरा और चकर नगर, जिला इटावा के अन्तर्गत गत खरीफ और रबी की दोनों फसले बारिश न होने तथा पाला पड़ने के कारण बरबाद हो गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं । उक्त क्षेत्रों में फसलें बरबाद नहीं हुईं ।

*४६--**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उन इलाकों में लगान माफ करने जा रही है ? यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४७--**श्री भजनलाल**---क्या सरकार इन इलाकों के लिये तकावी देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो ब्लाक-वार कितनी-कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तकावी के वितरण का भी प्रश्न नहीं उठता । और इसकी मांग भी नहीं थी ।

*४८-४९--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) तथा **श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)--[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१-५२--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

मुकुन्दपुर कृषि फार्म के लिये ली गई तकावी का मामला

*५३--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--दिनांक ४-३-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है या नहीं कि प्रश्न के उत्तर में जिस रिट पेटीशन का उल्लेख है उसमें उक्त पत्र दिनांक १४-२-५९ अनेक्शयोर संख्या १६ हैं ?

*५४--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस रिट पेटीशन का उल्लेख ऊपर है उसमें दिनांक १४-१-६० को वही आदेश हुआ है जिसकी सिफारिश राजस्व परिषद् ने भी अपने पत्र दिनांक १४-२-५९ द्वारा की थी अर्थात् बकाये की वसूली उस कुल संपत्ति से की जाये जिसे कर्जदार ने जमानत में दी थी न कि उसके केवल एक अंश से ? यदि हां, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है ?

*५५--क्या यह सही है कि जमानत में दी गई संपत्ति का अवमूल्यन भी हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कितना ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---चूंकि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है और उक्त रिट पेटीशन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अतः इस संबंध में सदन में कुछ कहना उचित न होगा।

*५६---श्री बसन्तलाल (जिला लखनऊ)---[१३ मई, १९६० के लिये प्रश्न ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ललितपुर को जिला बनाने की प्रार्थना

*५७---श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ललितपुर को एक अलहदा जिला बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने झांसी जिला अधिकारियों से सन् १९५९ ई० में कोई रिपोर्ट मंगाई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ललितपुर सब-डवीजन को एक पृथक जिला बनाने के प्रस्ताव पर राजस्व परिषद् के द्वारा जिलाधीश झांसी से रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी तक नहीं आई है। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

*५८---श्री रमानाथ खैरा (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि क्षेत्रीय जनता, विधायकगण राजनीतिक पार्टियां तथा नगरपालिका आदि संस्थायें मौखिक तथा लिखित रूप से पिछले चार वर्ष से सरकार से प्रार्थना करते आये हैं कि ललितपुर सब-डिवीजन जैसा कि उन्नीसवीं सदी में वह एक जिला था, जिला बना दिया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, कुछ सज्जनों ने इस आशय की अभ्यर्थना की है।

*५९-६०---श्री छेदीलाल (जिला खीरी)---[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६३---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बिलारी में चकबन्दी का कथित प्रशिक्षण केन्द्र

*६४---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला मुरादाबाद के बिलारी स्थान में जनवरी, १९५९ से मई, १९५९ तक चकबन्दी अफसरों को जो ट्रेनिंग दी गई है, उसमें कुल कितने ट्रेनीज थे और उनमें से कितने हरिजन थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस अवधि में कोई चकबन्दी अफसर (Consolidation Officer) प्रशिक्षण के लिये चकबन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, बिलारी में नहीं भेजा गया।

*६५---श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोर्स समाप्त होने पर कितने ट्रेनीज परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह प्रश्न नहीं उठता।

करहल तहसील की ऊसर भूमि

*६६---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील-करहल में कितने बीघे ऊसर जमीन पड़ी है और क्या उसको खेती के उपयोग में लाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जिला मैनपुरी की तहसील करहल में ३६,२८४ बीघा १६ बिस्वे भूमि ऊसर पड़ी हैं। इसको खेती योग्य बनाने के लिए कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६७—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो क्या?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी—सरकार की सूचना से ज्ञात हुआ कि काफी जमीन पड़ी हुई है। इसको खेती योग्य बनाने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब ऊसर कल्टिवेबिल नहीं हो सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर—सरकार बतायेगी कि ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की तरफ सरकार का ध्यान भी गया है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैनपुरी की जमीन अजीबो-गरीब है, उधर हमारा ध्यान नहीं है।

देवबन्द तहसील में चकबन्दी

*६८—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी के उन ग्रामों में से जहां चकबन्दी प्रारम्भ है, ऊसर नवतोड़ जमीन चक से बाहर निकालने के प्रश्न पर वह शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ३ (२) के स्पष्टीकरण संख्या ५ के अन्तर्गत ऊसर भूमि को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक् किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान है। जहां तक नवतोड़ भूमि का सम्बन्ध है उस पर खातेदारों के अधिकार का फैसला तो कर दिया जाता है, किन्तु यदि ऐसी भूमि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आती है तो उसे चकबन्दी से अलग कर दिया जाता है अन्यथा उसको चकबन्दी के अन्तर्गत शामिल कर दिया जाता है।

*६९—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में देवबन्द तहसील में कितना चकबन्दी का कार्य दिसम्बर, सन् १९५९ तक खत्म हो चुका है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस अवधि में जिला सहारनसुर की तहसील देवबन्द के ३९३ गांवों में से २१२ ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पूर्णतया समाप्त हो चुकी थीं।

*७०—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर की तहसील देवबन्द में चकबन्दी खत्म होने पर किस तहसील में चकबन्दी प्रारम्भ होगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसील देवबन्द में चकबन्दी क्रियायें अधिकांश भाग में समाप्त होने के फलस्वरूप सहारनपुर जिले की दूसरी तहसील अर्थात् रुड़की में चकबन्दी योजना फरवरी, सन् १९५९ से लागू कर दी गई है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—चकबन्दी के दौरान में कितनी शिकायतें एस० ओ० सी० के पास आयीं, उनमें से कितनी सेटिल हो गईं और कितनी शेष हैं और कितनी दरख्वास्तें हरिजनों की थीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की जरूरत है, वह लिस्ट हमारे पास नहीं है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार बतायेगी कि इस चकबन्दी से कितने हरिजनों को लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत हरिजनों को कितनी-कितनी जमीन मिली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका जवाब यह हो सकता है कि जिन जिन के चक ठीक हो गये हैं उन सब पर लागू होगा।

*७१–७३—**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में कलेक्शन सेक्शन के कर्मचारी

*७४—**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर तथा देवरिया जिले के कलेक्शन सेक्शन में अलग-अलग पदों पर कितने कर्मचारी स्थायी तथा अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११२६ पर)

*७५–७६—**श्री उदयशंकर** (जिला बस्ती)—[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बोर्ड आफ रेवेन्यू के विचाराधीन अपीलें

*७७—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के समक्ष १५ मार्च, १९६० को कितनी अपीलें बाकी पड़ी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—बोर्ड आफ रेवेन्यू के समक्ष १५ मार्च, १९६० को ६,५६१ अपीलें विचारार्थ बाकी थीं। इनमें निरीक्षण (Revision) तथा पुनरावलोकन (Review) के लिये प्रार्थनापत्रों की संख्या भी सम्मिलित है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मार्च, सन् १९६० तक जो साढ़े ६ हजार अपीलें पड़ी हुई हैं, उनमें सब से पुरानी कितनी अपीलें हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सब से पुरानीं अपीलें केवल तीन हैं जो कि सन् ४७ और १९४८ की हैं और इसके अतिरिक्त तीन वर्ष की पुरानी अपीलें ७७ हैं जो सन् १९५४–५५ की थीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो सन् १९४७–४८ की अपीलें पड़ी हुई हैं, जिनको १२ वर्ष हो चुके हैं, उनका फैसला कब तक हो जाने की उम्मीद है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब हमने यह इन्तजाम किया है कि रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत जितनी अपीलें हैं और लार्ज होल्डिंग्स के अन्तर्गत जितने मुकदमे हैं, जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स लखनऊ में रहते हैं वे भी उन्हें करने लगेंगे तो वहां काम कम हो जायगा और इससे सहूलियत हो जायगी।

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करना

*७८—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेडिकल कालेज और सरकारी अस्पतालों में कहां-कहां डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने देना बन्द हो चुका है और कहां बन्द करने पर वह विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश के तीनों मेडिकल कालेजों में संलग्न सूची (क) में दिये पदों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है।

अन्य पदों के डाक्टर जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अभी आज्ञा है उसे बन्द करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी अस्पतालों में संलग्न सूची (ख) में दिये चार्जों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है। अन्य किसी चार्ज में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का विचार नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११२७-११२८ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा और कानपुर के कालेजों में जो बायो-केमिस्ट्री, पैथोलाजी और रेडियोलाजी के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी गयी है, तो इन्हीं विभागों के जो डाक्टर लखनऊ में हैं उनको क्यों प्राइवेट प्रैक्टिस एलाऊ की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ में इन्तजाम यूनिवर्सिटी का है और कानपुर में गवर्नमेंट के जरिये चलाये जाते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि मेडिसिन और सर्जरी के डाक्टरों की भी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सब सरकार के विचाराधीन है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से कुछ करेसपांडेंस हो रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार को पता है कि सिर्फ कानपुर व आगरा के सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने की मनाही की गयी है तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जितने अस्पतालों के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनको भी मनाही की जायगी क्योंकि वे प्राइवेट प्रैक्टिस में अस्पतालों की ही दवा इस्तेमाल करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सब विचाराधीन है।

कानपुर जिले में ग्राम समाजों की जांच-पड़ताल

*७९—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष शीतकालीन दौरों के समय कानपुर जिले में परगनाधीशों व अतिरिक्त जिलाधीश ने तहसील-वार कितनी ग्राम सभाओं की जांच पड़ताल की, कितनी ग्राम सभाओं में निम्न प्रकार की गलतियां पायीं और इन गलतियों पर क्या कार्यवाही की गई—

(अ) बैठकें कम बुलाना अथवा बिलकुल न बुलाना,

(ब) हिसाब ठीक-ठीक नहीं रखना,

(स) अन्य अनियमिततायें करना ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—२४८ ग्राम समाजों का निरीक्षण किया गया व क्रमशः ६५, १५ व १२१ गलतियां पाई गईं। इन्हें सुधारने का प्रयास किया गया। तहसीलवार विवरण संलग्न तालिका में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११२९ पर)

*८०—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसीलवार ग्राम समाजों की उक्त जांच कितने प्रतिशत ग्रामों में की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ग्राम समाजों की तहसीलवार उक्त जांच जितने प्रतिशत ग्रामों में की गई वह निम्न प्रकार है :--

तहसील का नाम				निरीक्षण किये गये ग्राम समाजों का प्रतिशत
(१) अकबरपुर	..	..	..	२३ प्रतिशत
(२) बिल्हौर	..	..	..	१५ ,,
(३) भोगिनीपुर	..	..	..	१६ ,,
(४) डेरापुर	..	..	..	१५ ,,
(५) घाटमपुर	..	..	..	१६ ,,
(६) कानपुर	..	..	..	२२ ,,

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार बतायेगी कि यह जो औसत २० प्रतिशत गांव समाजों की जांच हो सकी और इसमें गलतियां करीब २०० पाई गईं, ऐसी हालत में सरकार इन परगनाधीशों और अतिरिक्त जिलाधीशों को तम्बीह देगी कि वह अपने शीतकालीन दौरे में उनका निरीक्षण अधिक से अधिक किया करें जिससे उनकी दुरुस्ती की व्यवस्था की जा सके ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। ग्राम समाजों के निरीक्षण के लिये नियम हैं कि ३० ग्राम समाजों को देखें और प्रायः सभी परगनाधीशों ने, केवल दो को छोड़ कर ३० से ज्यादा किया है। दो ने केवल २७ किया है। उसका कारण यह था कि एक तहसील घाटमपुर में चकबन्दी का कार्य चल रहा था और दूसरे डेरापुर तहसील के अधिकारी की ड्यूटी माघ मेले में कर दी गई थी। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्य असन्तोषजनक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि भोगिनीपुर और कानपुर, में २० ग्राम समाज ऐसे थे जिनकी बैठक नहीं बुलाई गई, ऐसे उपाय करेगी कि ग्राम समाजों की बैठकें अधिक से अधिक बुलाई जा सकें और अगर वह न बुलायें तो उनको दण्ड दिया जा सके ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--यह तो जैसे-जैसे शिक्षित लोग ग्राम समाजों के पदाधिकारी होने लगेंगे सुधार होता जायगा। यह तो शिक्षा की कमी है।

*८१-८२--**श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)--[४ मई, १९६० के लिये प्रश्न ११५-११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पैरोल पर छोड़े गये बन्दी

*८३--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में १९५९ में कितने कैदी पैरोल पर छोड़े गये और कम से कम और अधिक से अधिक दिन पैरोल के क्या थे ?

संसदीय विषयक उप मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--सन् १९५९ ई० में ३१६ बन्दी पैरोल पर छोड़े गये। पैरोल की सब से कम अवधि ६ दिन तथा सब से अधिक अवधि १ वर्ष थी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि एक वर्ष की अवधि के लिये जो पैरोल पर छोड़े गये हैं उनकी संख्या क्या थी और किस प्रकार सजा पाये थे ?

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--श्रीमन्, इसमें कैदियों के पैरोल पर छोड़े जाने की अवधि एक साल है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी संख्या क्या थी और उनके छोड़े जाने का क्या आधार था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, प्रश्न का दूसरा भाग तो मेरी समझ में नहीं आया। पहले का उत्तर यह है कि मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि उनकी संख्या क्या है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कैदी एक साल की अवधि के लिये पैरोल पर छोड़े गये थे वह किन अभियोगों के कैदी थे और उनको किन दफाओं में सजा मिली थी ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा है कि ब्यौरा हमारे पास नहीं है।

देवरिया जिले में महिला मंगल केन्द्र

*८४--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि देवरिया जिले में महिला मंगल केन्द्रों की संख्या कितनी है और उसमें कितनी महिलाओं ने सन् १९५९ में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--देवरिया जिले में १० महिला मंगल केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में वित्तीय वर्ष १९५९-६० में ३,२८४ महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई तथा कटाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कृषि और गृह उद्योग का कार्य सिखाया गया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि इन १० केन्द्रों के नाम क्या हैं और इन पर सरकार का सालाना कितना व्यय होता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ब्योरे की सूचना मेरे पास नहीं है। केन्द्रों के नाम यह हैं :

१--बसन्तपुर,
२--बौलिया,
३--कोइन्दी,
४--बभनौली,
५--चकनारायनपुर,
६--मदरहा,
७--गरेर,
८--हतवा,
९--बैनी पिपरा,
१०--मकुनाही।

बरेली जिले में महिला मंगल केन्द्र

*८५--**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में महिला मंगल योजना का कार्य किस-किस जगह हो रहा है और वहां पर कितने-कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बरेली जिले में महिला मंगल योजना का कार्य निम्न-लिखित केन्द्रों में चल रहा है और प्रत्येक केन्द्र में एक महिला कर्मचारी काम कर रही है :

(१) रमपुरा,
(२) मुड़िया अहमदनगर,
(३) चम्पतपुर,
(४) मुगलपुर,
(५) खलीलपुर।

नोट--तारांकित प्रश्न ८४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

भेलूपुर अस्पताल, वाराणसी की व्यवस्था सुधारने के लिये प्रार्थना-पत्र

*८६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ मार्च सन् ६० को २,५०० व्यक्तियों के हस्ताक्षर से कोई प्रार्थना-पत्र न्याय मंत्री के पास आया है कि भेलूपुर अस्पताल, वाराणसी जो म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से चल रहा है उसको व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और उनकी मांगें क्या हैं तथा उपरोक्त अस्पताल को कितना रुपया सालाना दवाओं के लिये दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—४ मार्च, १९६० को तो नहीं, हां १ मार्च, १९६० को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें की गई मांगों पर सिविल सर्जन वाराणसी से आख्या मांगी गई थी। प्रार्थना-पत्र में मांग की गई है कि अस्पताल भवन मरम्मत किया जाय और जहां आवश्यकता हो नई इमारतें बनाई जायं, दवा दारू तथा अस्पताल के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध की जाय, डाक्टरों तथा कम्पाउन्डरों की संख्या बढ़ाई जाय और यदि आवश्यक समझा जाय तो अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया जाय। अस्पताल का प्रान्तीयकरण ३१ मार्च, १९६० को हो गया है और अब इस अस्पताल को दवाओं के लिए ४, ५०० रु० प्रतिवर्ष मिल रहा है।

निघासन तहसील में शारदा के कटाव से प्रभावित ग्राम वासियों का पुनर्वासन

*८७—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी में शारदा नदी के बहाव के कटाव से किन-किन गांवों की आबादी सन् ५८ एवं ५९ में कट गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं:—

जटपुरवा, मड़वा, मूड़ा ,लखपेड़ा ,खनवापुर कमना, ईसापुर और दुर्गापुर ।

*८८—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गांवों के निवासियों को बसाने तथा कृषि योग्य भूमि दिलाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम जटपुरवा, भड़वा, लखपेड़ा, खनवापुर, कमना के निवासियों को अपने ग्रामों में तथा ग्राम मूड़ा के निवासियों को ग्राम नौबस्ता व गुड़ियनपुरवा में, ईसापुर के निवासियों को ग्राम चंदी में और दुर्गापुर के निवासियों को राजा साहब, मल्लापुर के बाग में बसने की सुविधा दिलाई गई और इन लोगों को कृषि योग्य भूमि भी जहां जहां वह उपलब्ध हो सकी, दी गई ।

*८९—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किन-किन गांवों की कितनी कितनी कृषि योग्य भूमि कट गई है और इसका प्रभाव कितने किसानों पर पड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११३० पर)

*९०—श्री अमरनाथ—[हटा दिया गया ।]

देवरिया में जजी कायम करने का विचार

*९१—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में जिला जज की नियुक्ति कब से की जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय देवरिया गोरखपुर जजी में है। यहां पर एक अलग जजी कायम करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

मेडकिया ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना

*९२--श्री राजकिशोर राव (जिला बहराइच)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच के सिरसिया ब्लाक के अन्तर्गत मेडकिया गांव में गत मास के अन्तिम सप्ताह में भयंकर आग लग जाने के कारण कितने घर जल गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--९७ घर जले ।

*९३--श्री राजकिशोर राव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस गांव में आग लग जाने से कितना नुकसान हुआ और सरकार ने उस गांव की जनता को तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अनुमानित हानि २२, ३७३ रु० के लगभग है तथा ६ पशुओं की मृत्यु हुई, ५ व्यक्तियों में ९० रु० सहायतार्थ वितरण किया गया ।

*९४--श्री राजकिशोर राव--क्या सरकार बनाधीश, गोंडा से शीघ्र ही उन व्यक्तियों को जिनके घर जल गये हैं आवश्यकतानुसार लकड़ी तथा फूस सोलहवां जंगल से दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये जिलाधीश ने बनाधीश गोंडा से लिखा पढ़ी की है।

मोहम्मदपुर बसोखा के किसानों का चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*९५--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के किसानों ने कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को इस आशय का दिया है कि चकबन्दी अधिकारियों द्वारा उनके गांव का सैलाबी क्षेत्र चकबन्दी से छोड़ दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिलाधीश उन्नाव को इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम मुहम्मदपुर बसोखा के किसानों से नहीं प्राप्त हुआ है ।

डाक्टरों के बिना अस्पताल

*९६--श्री बालेश्वरीप्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--क्या सरकार राज्य में अस्पतालों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनमें १०-३-६० को गत एक साल से डाक्टर नहीं थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसे अस्पतालों की जिलेवार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११३१-११३२ पर)

बदायूं जेल में कैदियों के सोने का स्थान

*९७--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल बदायूं में इस समय कितने हवालाती और कैदी हैं और उनके सोने के लिये कितनी सीटें हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१ मार्च, १९६० को ४१६ हवालाती तथा २३२ और बन्दी थे। उनके सोने के लिये ३५१ सीटें हैं।

बेलघाट तप्पे में घाघरा के कटाव से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता

*९८—श्री गणेशप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील के बेलघाट तप्पे में सन् १९५८ और १९५९ में कौन-कौन से गांव कटकर घाघरा नदी की धार में चले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११३३ पर)

*९९—श्री गणेशप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गांवों के कितने-कितने घर कट गये हैं और हर गांव के कितने-कितने आदमी बेघर के हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११३३ पर)

*१००—श्री गणेशप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के लोगों को सरकार ने क्या-क्या सहायता अब तक दी है और भविष्य में क्या करना चाहती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पीड़ित व्यक्तियों को सस्ते गल्ले की दूकानों से नियमतः मिलने वाले गल्ले से दूना गल्ला दिया गया, १,२१० रुपये की तकावी बांटी गई।

आयुर्वेदिक कम्पाउण्डरों को स्थायी करने पर विचार

*१०१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों का सेवाकाल १० वर्ष से भी अधिक हो चुका है उन्हें वह स्थायी नहीं कर रही है ? यदि हां, तो स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन कम्पाउन्डरों का जिनका सेवा काल १० वर्ष या १० वर्ष से अधिक हो गया है स्थायी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस पर निर्णय जल्द हो जायगा ।

*१०२—श्री जंगबहादुर वर्मा—[हटा दिया गया।]

गैमक्सीन मिश्रित डी० डी० टी० के छिड़काव का सुझाव

*१०३—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार को ज्ञात है कि एन्टी मलेरिया योजना के अन्तर्गत डी० डी० टी० के छिड़काव से गत वर्षों में मलेरिया के मच्छड़ (एनोफिलिस) पर्याप्त मात्रा में मरे हैं परन्तु साधारण मच्छर क्यूलेक्स (Quilex) इस छिड़काव से न मर कर पुष्ट होते गये हैं और उन्होंने पूर्वी जिलों में फाइलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को ज्ञात है कि मलेरिया योजना के अन्तर्गत डी० डी० टी० के छिड़काव से मलेरिया के मच्छर (अनाफिलीज) गत वर्षों में पर्याप्त मात्रा में मरे हैं। सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस डी० डी० टी० के छिड़काव से क्यूलेक्स मच्छर नहीं मरते हैं । परन्तु यह बात सही नहीं है कि इस छिड़काव से क्यूलेक्स मच्छर पुष्ट हो गये हैं । वास्तव में क्यूलेक्स मच्छरों पर इस दवा का कोई प्रभाव नहीं होता है । पूर्वी जिलों में फाइलेरिया की बीमारी बहुत वर्षों से है । सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिससे यह कहा जाये कि पूर्वी जिलों में फाइजलेरिया का प्रकोप पहले से बढ़ गया है ।

*१०४—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—क्या यह सही है कि गैमक्सीन का कुछ मिश्रण डी० डी० टी० के साथ छिड़काव करके मलेरिया एवं फाइलेरिया दोनों प्रकार के मच्छर एनाफिलिस एवं क्विलेक्स मारने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है जिसमें कि डी० डी० टी० व गेमेक्सीन के मिश्रण का छिड़काव किया जाय ।

*१०५—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद जिले में जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के विचाराधीन मुकदमें

*१०६—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में जिला मुरादाबाद में प्रत्येक जुडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में कितने माल व फौजदारी के मुकदमें प्रतिमास पंजीकृत किये गये और कितनों पर निर्णय दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११३४ पर)

*१०७—श्री सुक्खनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में प्रत्येक जुडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में तहसीलवार कितने मुकदमे तीन वर्ष से अधिक से चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन— कोई नहीं ।

*१०८—श्री सुक्खनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मुकदमें माल के हैं जो तीन वर्ष से अधिक से पंजीकृत हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई नहीं ।

पिपराया गांव अग्निकाण्ड

*१०९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३ अप्रैल, १९५६ को ग्राम भक्तामल, जिला लखनऊ में जो भीषण अग्निकांड हुआ उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुये तथा कितने की क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला लखनऊ में 'भक्तामल' नाम का कोई ग्राम नहीं है, अतएव इससे संबंधित प्रश्न नहीं उठते ।

*११०—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी के कोतवाली थानान्तर्गत पिपराया गांव में २ अप्रैल, १९६० को जो भीषण अग्निकांड हुआ उसका कारण क्या था तथा उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुये और कितने की क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अग्निकांड आकस्मिक था तथा उसमें तीन औरतों और दो बच्चों की मृत्यु हुई। अनुमानतः १९,००० रु० की क्षति हुई।

क्षय रोगियों की शय्यायें बढ़ाने की योजना

*१११--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी शय्यायें टी० बी० के मरीजों की कहां-कहां मौजूद हैं और उनके बढ़ाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना तालिका 'क' व 'ख' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ११३५-११३६ पर)

डेरिया खाल अग्निकान्ड

*११२--श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, सन् १९५९ में स्थान डेरिया खाल, तहसील लैंसडाउन, जिला गढ़वाल में भयंकर आग से जो दुकानें जली थीं उसमें कितनी क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लगभग २४,००० रुपये की क्षति हुई ।

*११३--श्री रामप्रसाद नौटियाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आग से जिन लोगों को हानि हुई है उनको कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता व मांग नहीं हुई ।

*११४--श्री रामशरण यादव--[हटा दिया गया ।]

बदायूं जेल में चार्जशीट के बिना हवालाती

*११५--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं जेल में ऐसे हवालाती कितने हैं जिनको तीन महीने जेल में बन्द हुये हो गये हैं परन्तु उनके चार्जशीट अभी तक नहीं आये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जेल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार १-३-६० को ऐसे ५ हवालाती थे ।

गोरखपुर जिले में सूखा व बाढ़ पीड़तों को सहायता

*११६--श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के वे कौन से गांव हैं जिनमें मालगुजारी सन् १३६७ फ० खरीफ में छूट बवजह सूखा तथा बाढ़ के दी जा रही है और प्रत्येक गांव में दी गई छूट की रकम क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक सूचना संलग्न अनुसूची 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ११३७ पर)

*११७--श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसील के कितने गांव इस वित्तीय वर्ष में सूखा और बाढ़ से तबाह रहे और उनको क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--रबी १३६७ फसली के क्षति के ब्योरे अभी तैयार नहीं हुये हैं । खरीब १३६७ फसली में गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों के जितने गांवों में सूखा और बाढ़ से हानि हुई है तथा उनमें सहायता जो दी गई है उनका ब्योरा संलग्न अनुसूची 'ख' पर है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ११३८-११३९ पर)

तराई भावर की खाली भूमि वितरण सम्बन्धी नीति

*११८--श्री प्रतापसिंह--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल की तराई भावर में जो जमीन खाली है उसको एलाट करने की क्या नीति सरकार की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नैनीताल की तराई भावर क्षेत्र में खाली भूमि को वितरण करने के लिये सरकार की यह नीति है कि जो भूमि ५०० एकड़ व उससे अधिक के भूमिखंडों में है वह थारू और बोक्सा जाति के लोगों को सामूहिक रूप से दी जाय।

२०० एकड़ से बड़े भूमिखंडों की भूमि जिसकी थारू व बोक्सा के लिये जरूरत न हो, वह हस्तिनापुर, जिला मेरठ के बाढ़ पौड़ितों को दी जाय।

२५ एकड़ से अधिक किन्तु २०० एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भूमिखंड नानक सागर व सारदा सागर के विस्थापित लोगों में वितरित किए जायं। इसके अतिरिक्त जो भूमिखंड २५ एकड़ या इससे छोटे होते हैं उनको कुमायूं के भूमिहान शिल्पकार, प्रदेश के भूमिहीन काश्तकार तथा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमाणित सैनिकों को एलाट किया जाय।

*११९--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तराई भावर नैनीताल में निम्नांकित श्रेणियों के कितने काश्तकार हैं :

(१) जिनके नाम पट्टे हैं,
(२) जिनके नाम पट्टे नहीं हैं,
(३) जिनको सन् १९५५ के बाद जमीन दी गई है, और
(४) जिनके पास १०० एकड़ से अधिक जमीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तराई भावर में विभिन्न श्रेणियों के काश्तकार निम्न प्रकार हैं :

८८३८ काश्तकार पट्टेदार हैं।
१२,३७७ काश्तकार ऐसे हैं जिनके नाम पट्टे नहीं हैं।
२,६६७ काश्तकार सन' १९५५ के बाद के काश्तकार हैं।
११६ काश्तकार १०० एकड़ से अधिक भूमि वाले काश्तकार हैं।

अतौलिया ग्राम में बेदखलियां

*१२०--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री राजनारायण--क्या न्याय मंत्री प्रश्न संख्या ९६ दिनांक ४ मार्च, १९६० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेदखलशुदा काश्तकार जमींदारी विनाश के पहले से काबिज थे और आज तक काबिज हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ये काश्तकार उन्मूलन के पहले से काबिज नहीं थे। इन्होंने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् नौतोड़ करके अधिकार कर लिया और बेदखली की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् पुनः भूमि पर जबरदस्ती काबिज हो गये हैं।

*१२१--श्री गयाप्रसाद तथा श्री राजनारायण--क्या यह सही है कि कुछ अन्य लोगों ने दसगुना जमा करके तहसीलदार द्वारा सीरदार घोषित हो गये हैं और ४४ व्यक्तियों से दसगुना लगान मांगा गया था जिसके न देने पर वे बेदखल किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल २ किसानों को १० गुना जमा करने पर सीरदार घोषित किया गया। यह सही नहीं कि ४४ व्यक्तियों से १० गुना लगान जमा करने को कहा गया था और जिसके न देने पर वे बेदखल किय गये।

*१२२---श्री गयाप्रसाद तथा श्री राजनारायण---क्या परगनाधीश, कुन्डा को माह दिसम्बर, १९५९ में उपरोक्त लोगों ने सरदार बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मुंगेसर से जच्चा-बच्चा केन्द्र का स्थानान्तरण

*१२३---श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जच्चा-बच्चा केन्द्र, ग्राम मुंगेसर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ को वहां से किन आधारों पर हटाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम मुंगेसर जच्चा-बच्चा केन्द्र जिस मकान में स्थित था उसकी दशा खराब होने तथा केन्द्र के लिये उपर्युक्त न होने के कारण केन्द्र उसी तहसील के मझवारा स्थान में स्थानान्तरित किया गया है।

विधायकों को समस्त चिकित्सा पद्धतियों में सुविधा देने की प्रार्थना

*१२४---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों की चिकित्सा के हेतु एलोपैथिक पद्धति में, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ दारुलसफा अस्पताल तथा हर जनपद के सिविल अस्पताल में जैसा प्रबन्ध है उसी प्रकार आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक में प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस विषय में इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

छिबरामऊ में जनाना अस्पताल की जमीन तथा तालग्राम में अस्पताल की आवश्यकता

*१२५---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जनाना अस्पताल की इमारत बनाने के लिये जमीन न मिलने में कौन-कौन कठिनाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई नहीं।

*१२६---श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तालग्राम, जिला फर्रुखाबाद में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां कोई सरकारी अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। अभी यह ग्राम शैडो ब्लाक का केन्द्र है, जब यह ब्लाक प्रथम स्टेज में आ जायगा तब यहां एक अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

खीरी जिले में मिडवाइफ के बिना जच्चा-बच्चा केन्द्र

*१२७---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि धौरहरा कलां, जिला खीरी में कब से मिडवाइफ नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैटरनिटी सेन्टर में नवम्बर, १९५८ से मिडवाइफ नहीं है।

*१२८---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में किन-किन स्थानों में, जहां के लिये मिडवाइफें स्वीकृत हैं, वहां मिडवाइफें नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ११४० पर)

चकबन्दी सम्बन्धी कर्मचारियों के लिये इलेक्ट्रिक फैन, टाइपराइटर तथा बसें खरीदने की जानकारी

*१२९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारियों के कार्यालयों के लिये सन् १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में कितने विद्युत पंखों को और कितनी संख्या में हिन्दी टाइपराइटरों को क्रय किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---चकबन्दी अधिकारियों (Consolidation officers) के कार्यालय के लिये सन् १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में विद्युत पंखों के क्रय के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। इन कार्यालयों के लिये हिन्दी टाइपराइटरों के क्रय का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१३०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ ई० में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत भरती किये गये विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रीय कर्मचारियों को सर्वेक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराने हेतु कितनी मोटर बसों के खरीदने का निश्चय किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस सम्बन्ध में दो मोटर बसें खरीदने के आदेश चकबन्दी आयुक्त को जारी कर दिये गये हैं।

डलमऊ तहसील के चिकित्सालयों पर व्यय

*१३१---श्री भजनलाल---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली की तहसील डलमऊ में किस-किस स्थान पर चिकित्सालय हैं ?

*१३२---इन अस्पतालों में कुल कितने व्यक्ति किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं और उन पर एक साल के अन्दर कितना धन व्यय करना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कथित तहसील में ६ राजकीय चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों के स्थान, कर्मचारियों तथा उन पर होने वाले वार्षिक व्यय का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया है जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ११४१-११४२ पर)

अन्तू व सांगीपुर के निकट चिकित्सालय

*१३३---श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में अन्तू व सांगीपुर के मध्य चिकित्सा का सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कथित क्षेत्र के दोनों ओर अर्थात् अन्तू में दो चिकित्सालय एक एलोपैथिक और एक आयुर्वेदिक तथा सांगीपुर में एक एलोपैथिक चिकित्सालय जनता की चिकित्सा के हेतु उपलब्ध हैं।

मरदह खंड में अस्पताल की आवश्यकता

*१३४---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार गाजीपुर जिले के मरदह ब्लाक में एलोपैथिक हास्पिटल शीघ्र खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कथित प्रस्ताव पर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विचार किया जायगा।

जेलर, असिस्टेंट जेलर तथा जेल विभाग के क्लर्क

*१३५---**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश भर में जेलर, असिस्टेंट जेलर और जेल विभाग में कुल कितने क्लर्क इस समय काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जेलर---८१, असिस्टेंट जेलर---२५९, क्लर्क---९४।

*१३६---**श्री सोहनलाल धुसिया**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त नौकरियों में परिगणित जाति के लोगों की कितनी संख्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जेलर---०, असिस्टेंट जेलर---८, क्लर्क---०।

सिकन्दरपुर अस्पताल में पानी की दिक्कत की शिकायत

*१३७---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर अस्पताल में मरीजों के लिये कितनी चारपाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- ६ हैं।

*१३८---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि सिकन्दरपुर अस्पताल में मरीजों को पानी की बहुत दिक्कत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी कोई उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं। मरीजों के पानी पीने की उचित व्यवस्था है।

गढ़ियारगी में अस्पताल की आवश्यकता

*१३९---**श्री रूमसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायत गढ़ियारगी, परगना खेड़ा बम्हेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर की ग्राम सभाओं के प्रधानों ने गढ़ियारगी में अस्पताल खोलने के वास्ते सन् १९५८ में ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्ताव पास करके जिला नियोजन अधिकारी के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा कोई प्रस्ताव जिला नियोजन अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में ग्राम समाजों के सभापतियों की मुअत्तली

*१४०---**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में किन-किन ग्राम सभाओं में सभापति मुअत्तल हैं और कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ११४३ पर)

*१४१---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार उपरोक्त ग्राम-समाज के सभापतियों की मुअत्तली के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूचना प्रश्न १४० के उत्तर की तालिका के चौथे स्तम्भ (Column) में दिखा दी गई ह।

गोरधनपुर परगने में ऊसर तथा बन्जर भूमि

*१४२—**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर के परगना गोरधनपुर के ग्राम चमरावाला और ग्राम चन्द्रपुरी के बीच ऊसर और बन्जर भूमि कितने एकड़ है और किसके अधिकार में है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला मुजफ्फरनगर के परगना गोरधनपुर में ग्राम चमरावाला और ग्राम चन्द्रपुरी के बीच ग्राम उदयवाली की ५५ एकड़, ग्राम जोगीवाला की ६३४ एकड़ तथा ग्राम चन्द्रपुरी खादर की १५२ एकड़ (कुल ८४१ एकड़) ऊसर व बन्जर भूमि पड़ी हुई है जो ग्राम समाज के अधिकार में है।

*१४३—**श्री रामदास आर्य**—क्या इस भूमि को भूमहीनों को कृषि हेतु दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम समाज मैनुअल के नियम ७९ के अनुसार बन्जर भूमि कृषि हेतु देने का अधिकार ग्राम समाज को है।

*१४४—**श्री रामदास आर्य**—क्या यह सही है कि इस भूमि को कृषिहेतु प्राप्त करने के लिये बहुत से भूमि हीन लोगों के प्रार्थना-पत्र आये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के कर्मचारियों का भविष्य

*१४५—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता तथा पुनर्वासन विभाग कब तक समाप्त कर दिया जायगा? इसमें कितने कर्मचारी हैं और उनमें से ५ व १० वर्ष से अधिक वाले कितने हैं तथा इस विभाग के कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी में लिये जाने पर सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस विभाग का संचालन भारत सरकार द्वारा प्राप्त धन से होता है अतएव इसका बन्द करना उन पर निर्भर है। इस विभाग के अन्तर्गत कुल ९३८ कर्मचारी हैं जिनमें ५ वर्ष से अधिक काम करने वाले २०० और १० वर्ष से अधिक काम करने वाले ४३३ हैं। इन कर्मचारियों को योग्यतानुसार शासन की अन्य सेवाओं (Services) में खपाने के लिये सरकार विचार कर रही है। इनको वयस सम्बन्धी कठिनाइयों से बचाने के लिये अधिकतम वयस सीमा में छूट दिये जाने का सरकार ने विचार किया है। इसके अतिरिक्त नान-गजेटेड कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह भी निर्णय हुआ है कि उनके लिये खाद्य तथा रसद विभाग से छटनी किये गये कर्मचारियों के सदृश व्यवस्था की जाय।

मैनपुरी जिले की कलेक्टरी तथा मलेरिया विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*१४६—**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की कलेक्टरी में इस समय कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैनपुरी कलेक्टरी में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूचि संलग्न है?

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ११४४ पर)

*१४७—**श्री रामदीन**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी की कलेक्टरी में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों में कितने अनुसूचित जातियों के हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैनपुरी कलेक्टरी में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों में २५ कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं ।

*१४८---श्री रामदीन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया विभाग ने जनवरी १९६० में कुल कितने तथा किस-किस पद पर पदाधिकारी कार्य कर रहे थे और उनमें जितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जनवरी, सन १९६० में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्य कर रहे थे । उनमें से जितने अनुसूचित जातियों के कर्मचारी थे उनकी संख्या इस प्रकार है :

पदाधिकारी		कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१ अधिकारी	..	७९	..
२ लिपिक व आशु-लिपिक	..	२२८	१
३ मलेरिया इन्सपेक्टर	..	५५७	११
४ लबोरेटरी टेक्नीशियन	..	१३०	७
५ इन्सेक्ट कलेक्टर	..	६	..
६ मिकैनिक्स	..	६७	८
७ ड्राइवर	..	२९२	५४
८ क्लीनर	..	२२८	७१
९ चपरासी	..	२६३	८६
१० मेहतर	..	६७	६७
११ चौकीदार	..	६७	३०
१२ सुपीरियर फील्ड वर्कर	..	२६६	५२
१३ फील्ड वर्कर	..	६६०	२८२
योग	..	२,९१०	६६९

*१४९---१५०---श्री झारखण्डेराय---[१२ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

कृषि उन्नति के लिये ऋण तथा कच्ची फसल काटने को पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध करार देने की प्रार्थना

*१५१---श्री विश्रामराय---क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९५८-५९ और १९५९-६० में किन किन मदों में कृषि की तरक्की के लिये किसानों को ऋण दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ११४५ पर)

*१५२--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कच्ची फसल की कटाई चराई के मामलों को पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराध घोषित करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार इस प्रश्न पर विचार कर चुकी है, परन्तु कथित अपराध को हस्तक्षेप्य बनाना उचित नहीं समझा गया।

*१५३--श्री रामस्वरूप वर्मा--[१० मई, १९६० के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*१५४--श्री प्रतापसिंह--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कहां-कहां आग लगी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११४५ पर)

*१५५--श्री प्रतापसिंह--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अग्निकांडों में कितना नुकसान हुआ और उनको सरकार की ओर से क्या-क्या मदद दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपेक्षित सूचना उपरोक्त संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११४६-११४७ पर)

बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*१५६--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में अल्प-वृष्टि, अनावृष्टि अथवा अन्य कारणों से लगान में छूट अथवा स्थगन जिलेवार कितना दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना संलग्न अनुसूची 'क' के कालम ३ व ४ में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ११४८-११४९ पर)

*१५७--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अनावृष्टि के अथवा बाढ़ के कारण तकावी द्वारा सहायता जिलेवार कितनी दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर में दी गई अनुसूची 'क' के कालम ५ में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ११४८-११४९ पर)

खीरी जिले में सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत मालगुजारी में वृद्धि

*१५८--श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत जिला खीरी की प्रत्येक तहसील में कितना रुपया मालगुजारी के रूप में बढ़ा ?

*१५९--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मालगुजारी बढ़ाने की नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् कितनी-कितनी उज्रदारी प्रत्येक तहसील से हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना नत्थी 'अ' में दी है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ११५० पर)

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मझवारा

*१६०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा, जिला आजमगढ़ के आयुर्वेदिक औषधालय में कोई चिकित्सक नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस औषधालय में अब एक चिकित्सक कार्य कर रहा है।

बलिया जिले में लगान में छूट तथा सिकन्दरपुर जच्चा बच्चा केन्द्र में मिडवाइफ का न होना

*१६१---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर जच्चा-बच्चा केन्द्र पर मिडवाइफ कब से नहीं है और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सिकन्दरपुर जच्चा-बच्चा केन्द्र पर ३-७-५८ से मिडवाइफ नहीं है। जिसका कारण प्रशिक्षित मिडवाइफों की कमी है।

*१६२---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में गतवर्ष भीषण सूखे से क्षति के कारण खरीफ की फसल के लगान में छूट दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूखे से क्षति के कारण छूट का तहसीलवार ब्योरा निम्न प्रकार है :---

तहसील	छूट	
	मालगुजारी	लगान
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
बलिया	१,३०,७७५.३८	२०,०४२.७४
बांसडीह	१,४४,४७६.१४	१,७४२.०४
रसरा	२,७४,८२०.६७	९०७.०९

*१६३---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या यह सही है कि बलिया जिले के अन्तर्गत तहसील बांसडीह में खरीफ के लगान में बिना छूट दिये ही किसानों से पूरे लगान की वसूली की जा रही है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

नैनीताल जिले में भूमि वितरण सम्बन्धी आदेश

*१६४---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में नैनीताल जिले में कितने भूमिहीनों ने भूमि एलाट किये जाने की दरख्वास्त दी थी और उनमें से कितनों को भूमि एलाट की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पिछले तीन वर्षों में नैनीताल जिले में ४०५६ भूमिहीन व्यक्तियों ने भूमि प्राप्त किये जाने की दरख्वास्तें दीं। उनमें से १५१७ व्यक्तियों को भूमि दी गई।

*१६५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार ने नैनीताल जिले में भूमि एलाटमेन्ट हेतु कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं? यदि हां तो क्या सरकार सम्बन्धित आदेश सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। सम्बन्धित आदेश के सम्बद्ध अंश की प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ११५१ पर)

*१६६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कुमायूं तथा सीमावर्ती क्षेत्र के भूमिहीनों को भूमि दिये जाने हेतु कोई विशेष योजना बना रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तक कोई ऐसी विशेष योजना नहीं बनी है, किन्तु यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले के किसानों पर कथित मुकदमें

*१६७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कितने किसानों पर देवरिया जिले के अधिकारियों की ओर से भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७, ३७६, १४५ आदि के मुकद्दमें चलाये गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया जिले के अधिकारियों की ओर से आजमगढ़ जिले में किसी भी किसान पर भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७, ३७६, १४५ आदि का एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया।

अतारांकित प्रश्न

जिलाधीश, नैनीताल के पास भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र

१—**श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, नैनीताल के कार्यालय में १ जनवरी, १९५७ से लेकर १ फरवरी, १९६० तक कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र आये उनमें कितनों को जमीन मिली और उनमें से कितने हरिजन भोटिया थारू व बोक्सा हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश, नैनीताल के कार्यालय में १ जनवरी, १९५७ से लेकर १ फरवरी, १९६० तक ४०५६ भूमिहीन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। उनमें से १५१७ व्यक्तियों को भूमि मिली, जिनमें से ५४४ हरिजन, ६४ थारू और ८७ बोक्सा हैं, किन्तु भूमि पाने वालों में कोई भोटिया नहीं है।

२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनिहार, गोठ, टनकपुर, नैनीताल के कितने नागरिकों के भूमिहीन सर्टिफिकेट तहसीलदार व एस० डी० एम० तराई के कार्यालय में जमा हैं, उनमें कितनें को जमीन दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त नागरिकों के कोई भूमिहीन सर्टीफिकेट तहसीलदार व परगनाधीश तराई के कार्यालय में जमा नहीं हैं और न उनको भूमि ही दी गई है।

गोरखपुर जिले में सूखा व बाढ़ से फसलों को क्षति

३--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में वित्तीय वर्ष १९५९-६० ई० में सूखे और बाढ़ से किन-किन ग्रामों में फसलों को क्षति पहुंची है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्षतिग्रस्त ग्रामों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :--

नाम तहसील	ग्रामों की संख्या जिनमें फसल को क्षति पहुंची
महराजगंज	२१६
फरेन्दा	२१६
बांसगांव	१,८२८
सदर	१,३३४
.. .. योग.. ..	३,५९४

इन ३,५९४ ग्रामों के नाम सदन में बताने में जो श्रम व समय लगेगा वह इससे होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। जिन ग्रामों में ८ आने से अधिक क्षति हुई व मालगुजारी व लगान में छूट दी गई उनके नाम की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

राज्य में भूमि का हस्तान्तरण

४--श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ), श्री अमरनाथ तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, १९५९ से लेकर २० अगस्त, १९५९ तक प्रदेश में कितनी भूमि का हस्तान्तरण (Transfer) हुआ व कितनी भूमि के बटवारे के दावे अदालत में दायर हुए ? इसमें से कितनी भूमि ऐसे खातेदारी की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, मैं सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग का विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ३८-आर० जेड (१) क-१४७४ डी० १९५८, दिनांक ९ मार्च, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को सन १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामउद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सचिव, विधानसभा कुछ घोषणाएं करेंगे।

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अप्रैल, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १२ अप्रैल, १९६० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २२ अप्रैल, १९६० को प्राप्त हो गयी और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १ अप्रैल, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ अप्रैल, १९६० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २५ अप्रैल, १९६० को प्राप्त हो गयी और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये थे। मैंने सभी को अस्वीकार कर दिया है।

सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आगामी १ मई से किये जाने वाले सत्याग्रह के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत जितने मेरे पास आये हैं, १०--११ हैं, इनमें से मैंने माननीय सीताराम शुक्ल जो वाले की इजाजत दी है। मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह यह है---

"सादर निवेदन है कि आगामी पहली मई से सोशलिस्ट पार्टी सिविल नाफरमानी अर्थात सत्याग्रह करने जा रही है जिससे प्रान्त में शान्ति भंग हो सकती है। इसलिये उक्त विषय की तरफ दफा ५२ के अनुसार सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि उक्त दल की मांगें क्या-क्या हैं तथा राज्य में शान्ति कायम रखने के लिये वह क्या प्रबन्ध कर रही है।"

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---कल वक्तव्य दूंगा।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मांगों के बारे में भी है और सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है, यह भी जानना चाहते हैं। इसलिये कल वक्तव्य देंगे।

कतिपय समितियों, परिषद् तथा बोर्ड के निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष---मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं।

दिनांक १४ अप्रैल, १९६० को विधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था कि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति गठित की जाये जो "लाभ पद विषयक संयुक्त समिति" कहलाये और जिसमें पन्द्रह सदस्य, ५ विधान परिषद के

[श्री अध्यक्ष]

और १० विधान सभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित किये जायें। अतः उपर्युक्त विधान सभा के १० सदस्यों के निर्वाचन हेतु मैं निम्नलिखित कार्य-क्रम निर्धारित करता हूं --

(१) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ३-५-६० के सांयकाल ५ बजे तक ।

(२) नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ४-५-६० को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ९-५-६० के सांयकाल ५ बजे तक ।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान ११-५-६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

इस निर्वाचन से संबंधित नाम निर्देशित-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

दूसरी सूचना यह है :-

श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट ने कृषि-विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये जो निर्वाचन होगा उसका कार्यक्रम यह है:-

१--नाम निर्देशित-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ४-५-६० के सायंकाल ५ बजे तक ।

२--नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ६-५-६० के २ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में।)

३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १०-५-६० के सायंकाल ५ बजे तक ।

४--निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक १२ मई, १९६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा। और यह उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा । इस निर्वाचन से संबंधित नाम निर्देशन-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट ने वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय शिष्ट परिषद की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे दिया। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये जो निर्वाचन होगा उसके लिये भी यह कार्यक्रम रखा गया है कि:--

१--नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ४ मई, १९६० के सायंकाल ५ बजे तक ।

२--नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ६ मई, १९६० को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में।)

३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १० मई, १९६० को सायंकाल ५ बजे तक ।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक १२ मई, १९६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

स्थायी समितियों मे जिन लोगों ने त्याग-पत्र दे दिया है वह यह है कि विद्युत् स्थायी समिति में श्री टम्बरेश्वर प्रसाद का स्थान रिक्त होने के कारण चूंकि उनका निर्वाचन अवैध हो गया है, वह सदस्य नहीं रहे हैं इसलिये उनके स्थान पर निर्वाचन होना है। शिक्षा समिति से श्री बुलाकी राम ने त्याग-पत्र दे दिया है, इस कारण, राष्ट्रीय इम्प्लायमेन्ट समिति से श्री शिव प्रसाद नागर के त्याग-पत्र दे देने के कारण, उद्योग समिति में श्री गोपाली की सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण और नियोजन समिति से श्री चिरंजी लाल के त्याग-पत्र दे देने के कारण ये स्थान रिक्त हो गये हैं। इनके लिये भी निर्वाचन का यह कार्यक्रम रखा गया है:—

१—नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ४ मई, १९६० के सायंकाल ५ बजे तक।

३—नाम निर्देशन-पत्र की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ६ मई, १९६० को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में।)

३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १० मई, १९६० के सायंकाल ५ बजे तक।

४—निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक १२ मई, १९६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

आगामी कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—जो कार्यक्रम सदन में जिन तिथियों को लिया जाने वाला था उसमें सरकार थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहती है। उसको मैंने स्वीकार कर लिया है नियम के अनुसार। इसलिये मैं उसको सुना देता हूं।

पहले उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण विधेयक को लेने की मंजूरी दी गई थी और उसके बाद कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक रखा गया था। अब यह होगा कि कुमायूं जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पहले ले लिया जायगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक आयेगा। इतना अन्तर उन्होंने इसमें किया है जिससे यह क्रम इतना बदल जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, हम यह समझते हैं कि यदि कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक को आखिर में लिया जाय तो अच्छा है। पहले हम यह समझते थे कि इसको आखिर में लिया जायगा तो हमने पर्वतीय जिलों के बारे में एसोशियेशन को और वहां के खास-खास वकीलों को लिखकर उनकी राय मांगी है। इन सुदूर पर्वतीय इलाकों में चिट्ठी पहुंचने में भी एक सप्ताह लग जाता है और फिर वहां से आने में भी समय लगता है। हम नहीं समझते कि इतनी जल्दी वहां से उन लोगों की राय आ सकेगी। इसलिये आपसे हमारा निवेदन है कि इसको आखिर में रखा जाय क्योंकि वहां यातायात के साधन न होने से उसमें देर लग जाती है। ऐसी हालत में इस बिल को अध्ययन करने का मौका भी हम लोगों को मिल जायगा। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी हमको मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह विधेयक महीनों से, बल्कि सालों से सदन के सामने मौजूद है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इस बार हमने लिखा है, इसलिये वह विचार होना था....

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी अगर राजी हो जायं तो आप मुझे सूचना भिजवा दें, मैं ऐसा परिवर्तन मान लूंगा। लेकिन मैं अब कागजात इकट्ठा करने के लिये और समय बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब ३, ४ साल में आपके वकील लोग आपको कागजात न दे सके तो अब क्या दे पायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---सरकार भी कागजात नहीं दे सकी।

श्री अध्यक्ष---अब मैं इसमें परिवर्तन करूंगा नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे एक प्रार्थना करनी है। मेरी प्रार्थना यह है कि यह जगत विदित है कि एक मई से हमारा सत्याग्रह होगा और हो सकता है कि हम लोग उस समय जेल में रहें। इस हदबन्दी के विधेयक में आप श्रीमन्, देखें कि हम लोगों के ही संशोधन अधिक हैं। तो यह परिवर्तन सरकार इसलिये तो नहीं कर रही है कि हम लोग न रहें, उस समय इस पर विचार हो और हमारे संशोधनों पर इस तरह से अच्छी तरह से विचार न हो पाये। यह मैंने अपनी एक शंका रखी और मैं चाहूंगा कि इस कठिनाई को देखते हुए आप इसको पहले रखें ताकि हम लोग अच्छे प्रकार से अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री अध्यक्ष---एक साथ ही तो आप लोग जाने वाले हैं नहीं। मैं इसके अलावा आप लोगों को यह मौका दे दूंगा कि किसी का संशोधन कोई दूसरा पेश कर सके।

श्री राजनारायण---आपको मालूम नहीं कि सरकार ने क्या-क्या आदेश दे रखे हैं। हो सकता है कि हम लोग पहले ही ले लिये जांय।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष---अब स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७८ के अन्तर्गत वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरी वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री राजनारायण---प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ में जिस के अन्तर्गत माननीय मंत्री जो इसे वापिस लेने की अनुमति मांग रहे हैं, हमको एक ढंग बताया गया है कि किस प्रकार से हम इसको वापस ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि "विधेयक का भार साधक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि :

(क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारतः रूपान्तर हो जायेगा,"

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव में कोई कारण नहीं दिया है कि किन कारणों से वे इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं जब कि वापस लेने की अनुमति जिस नियम के मुताबिक दी जायगी उसमें स्पष्ट दिया हुआ है....

श्री अध्यक्ष---आपने उनको बोलने नहीं दिया . . .

श्री राजनारायण---वह तो प्रस्ताव में आना चाहिये और इसमें यह बिलकुल साफ है ।

श्री अध्यक्ष---वह उसके कारण तो अपने भाषण में देंगे ।

श्री राजनारायण---तो हम संशोधन किसमें देंगे । मान लीजिये कि हमको कुछ सुझाव देने हैं कि इस कारण से आप वापस ले सकते हैं और इन कारणों से नहीं. . . . .

श्री अध्यक्ष---कारण तो आप भी अपने भाषण में देंगे । अभी आप बैठें । इसमें यह दिया हुआ है कि वह एक मोशन ले आयेंगे कि हम इस विधेयक को वापस लेना चाहते हैं उसकी आप अनुमति दीजिये और उसके लिये वे कारण अपने भाषण में बतलायेंगे । अगर आप समझते हैं कि उसकी स्वीकृति आपको नहीं देनी है तो आप भी अपने कारण बताते हुए उसका विरोध करें, या अगर आप कोई संशोधन लाना चाहते हैं तो आप उसके कारण बताते हुए कोई संशोधन लायें । लेकिन कारण वह और आप अपने भाषण में बतलायेंगे, उसके लिये प्रस्ताव में रीजन देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि यह बिल इस सदन द्वारा दोनों सदनों की एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द है और वह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देने के लिये इस सदन से समय मांग चुकी है । अब ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी इस बिल के पजेशन में है । यह हाउस जब उसके पजेशन में है ही नहीं तो इस सदन के अन्दर उस बिल को वापस लेने का सवाल क्या उठ सकता है जब तक कि वह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से वापस न आ जाय ?

श्री अध्यक्ष---नियमों में यह दिया हुआ है---विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकता है--- इसमें यह लिखा है कि "किसी प्रक्रम पर" । तो यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने हो या कहीं भी हो, वापस लिया जा सकता है । इसका परिणाम यह होगा कि जब आप वापस लेने की अनुमति दे देंगे और यह वापस हो जायेगा तो वह ज्वाइन्ट सैलेक्ट कमेटी भी खत्म हो जायेगी । इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, उस कमेटी में केवल इसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उसमें तो अपर हाउस के भी सदस्य हैं । उस हाउस पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है । हम उनको कैसे कोई आर्डर दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---हमारे नियमों के अनुसार ही वह कमेटी बनी थी और यहीं उसका प्रस्ताव हुआ था । इसलिये इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह अपने विधेयक को अनुज्ञा देकर वापस करा ले । इसका परिणाम यह होगा कि परिषद् से भी वापस समझा जावेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैं भी निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, कुछ दिन पूर्व इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक एलान किया था कि प्रस्तुत जिला परिषद् विधेयक में सत्ता का विकेन्द्रीकरण जिला स्तर पर करने की बात सोची गयी है । दूसरे प्रान्तों में भी ज्यादातर खंड स्तर पर ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है और उसको एक वैधानिक रूप दिया गया है । हमारे विधेयक में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । केन्द्रीय सरकार ने हमारा ध्यान खास तौर से इस ओर दिलाया

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जनता का जितना सहयोग प्लानिंग के वास्ते हमें मिलना चाहिये वह उपलब्ध नहीं होगा । तो उस समय सरकार की ओर से यह ख्वाहिश जाहिर की गयी थी कि अगर यह विचार आमतौर से सदन को स्वीकार हो तो फिर इस पर विचार किया जाय और इस विधेयक को या तो वापस ले लिया जाय या इसमें कोई संशोधन सम्भव हो तो वह किया जाय और दूसरा विधेयक इस तरह का लाया जाय जिसमें यह प्राविधान हो कि जिला तथा खंड स्तर के ऊपर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । उसी निर्णय के मुताबिक सरकार ने विरोधी दलों के माननीय नेताओं से प्रार्थना की कि वे अपने परामर्श से सरकार को लाभान्वित करें और हमें प्रसन्नता है कि प्रायः सभी माननीय विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार के साथ इस बात में सहयोग दिया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--सोशलिस्ट पार्टी ने नहीं दिया ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उन्होंने हमें अपनी राय दी । केवल माननीय राजनारायण जी ही एक मित्र ऐसे विरोधी दल के नेता थे जिन्होंने सैद्धान्तिक रूप से इस चीज को गलत समझा कि वे अपना सहयोग सरकार को दें । लिहाजा उनकी काबिल राय से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ और मेरा खयाल है कि काफी विचार उस पर हो गया, यह नहीं कि कुछ विचार करने से रह गया हो ।

श्रीमान्, जनसंघ के नेता, दुबे जी दुर्भाग्यवश नहीं आ सके थे लेकिन गोविन्दसिंह जी एक मीटिंग में आये थे । दुर्भाग्यवश दूसरी मीटिंग में वे नहीं आये । मैं नहीं कह सकता कि उनकी राय अंतिम रूप में क्या रही हो, लेकिन जो माननीय सदस्य वहां पर थे उन्होंने आमतौर से इस का स्वागत किया कि यह ज्यादा उचित होगा कि अगर हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्षेत्र स्तर पर करें । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर पर भी जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण है वह किसी तरह से कम न हो और उसके साथ भी कुछ शर्तें थीं उन पर आम तौर से सरकार के और विरोधी दल के नेताओं में एक मत हुआ । बहुत ज्यादा तफसील में हम नहीं जा सके, अगर आवश्यक हुआ तो किसी दर्जे पर फिर उस पर विचार-विनिमय हो सकता है ।

इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न था । आमतौर से यह कहा जाता था कि सरकार की तरफ से जो देरी हो रही है वह इसलिये हो रही है कि जो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म किये गये थे उनके जो प्रेसीडेंट्स थे उन्हीं के हाथ में उपाध्यक्ष की हैसियत से शक्ति दे दी गयी इसी वजह से सरकार देरी करना चाहती है--तो यह शंका भी न हो इसके लिए सरकार ने यह प्रस्ताव किया था कि अगर इसमें देरी होती समझी जाय, इस प्रस्ताव को, बिल को लाने में, तो हो सकता है कि अंतरिम जिला परिषद् के ऐक्ट में थोड़ा-सा संशोधन किया जाय और चुनाव जल्दी से करा करके फिर इस पर इत्मीनान से विचार हो जाय । लेकिन राय यही रही कि कोशिश यह होनी चाहिए कि इसी विधेयक को जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से उपस्थित किया जाय और सामान्य प्रश्नों पर अगर एक मत हो जाय तो इस माननीय सदन के लिए यह असंभव नहीं होगा कि वह इसको शीघ्र पारित कर सके और दूसरे सदन से भी स्वीकृति ले ले, लेकिन किसी हालत में भी मार्च, १९६१ से आगे न जाय तो अच्छा है । सरकार इसकी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी यह चुनाव हो सकें और यह प्रश्न अब भी खुला रहेगा कि अगर किसी वजह से देरी होने की संभावना हो तो उसकी सूचना हम विरोधी दल के माननीय नेताओं को देते रहेंगे और अगर यह राय हुई कि अंतरिम जिला परिषद् के ऐक्ट में संशोधन करके चुनाव करा लिये जायं तो उसमें आपत्ति नहीं होगी ।

ऐसी हालत में, जबकि प्रायः सर्वसम्मति से ही, सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी की राय को छोड़ कर यह चीज हुई है और मेरा खयाल है कि जनसंघ के माननीय नेता जो वहां उपस्थित

थे उनकी साधारणतया तो सहमति ही मालूम हुई ---बाद में उन्होंने कोई राय बदली हो तो पता नहीं है, ऐसी हालत में मैं इस आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा दे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण के तौर पर . . . .

श्री अध्यक्ष---आप विरोध करेंगे ? इसमें दिया हुआ है कि संक्षेप में जो विरोध करने वाले हैं वह स्टेटमेन्ट देंगे ।

श्री राजनारायण---विरोध में ही कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---आप विरोध तो कर ही सकते हैं, उसी में परसनल एक्सप्लेनेशन के दीजिये । संक्षेप में हो ।

श्री राजनारायण---उसी संक्षेप को विस्तृत कर दूंगा।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी है सदन से, मैं उसका घोर विरोधी हूं। मेरे विरोध के कई कारण हैं। मुझे अफसोस है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने मेरे सम्बन्ध में इस सदन में कुछ भ्रम पैदा करने की कृपा की है। मैं यदि आप आज्ञा दें तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग से और मुझसे जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसको पढ़ दूं ताकि यह सदन उससे पूरी तरह से अवगत हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप संक्षेप में बता दीजिये, सब पत्रों को पढ़ कर सुनाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। सार बता दीजिये।

श्री राजनारायण---'सार-सार को गह रहे थोथा देय बहाय' मैं सार को ग्रहण कर रहा हूं । यह सही है कि माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो विरोधी दल है उनके नेताओं को एक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और यह सही है कि मैंने माननीय मंत्री जी को एक पत्र भेजा और उस बैठक में क्यों मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, इसका भी स्पष्टीकरण किया। जहां तक मेरा पत्र है लिखित और माननीय मंत्री जी से मेरी स्वतः जो बातचीत हुई है मैं यह बिल्कुल सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी स्तर पर हमने यह नहीं कहा कि अगर सरकार कोई साधु कदम उठाये जो लोक कल्याणकारी हो तो मैं उसमें सहायक नहीं हूंगा । मैं हर स्तर पर सहायक होना चाहता हूं और अगर सरकार की ओर से कोई लोक हितकारी कदम उठे तो उसमें मैं आगे बढ़ करके भी सहायता देना चाहता हूं। मगर अफसोस है श्रीमन्, कि आज तक इस विभाग के जरिये या इस कांग्रेस सरकार के जरिये लोकहितकारी कदम कोई उठा ही नहीं, इसलिये मेरी सहायता का भी कोई प्रश्न नहीं उठा। मैं अपने उस पत्र को आपकी आज्ञानुसार पूरा नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन जो उसकी मुख्य बातें हैं उसका सारांश बताना चाहता हूं कि मैंने क्या सुझाव रखे थे । मैंने पहला सुझाव उनको यह दिया था कि जिला परिषदें तत्काल बालिग मताधिकार के आधार पर गठित की जायं। . . . .

श्री अध्यक्ष---अब आप यह बताइये कि किन कारणों से आप इसका विरोध करते हैं।

श्री राजनारायण---दूसरे यह कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने हमको जो पत्र में लिखा था और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मेरी बातें हुईं तो उन्होंने कहा कि कुछ अन्य प्रदेशों में ब्लाक के स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात चल रही है, वह हमारे यहां भी हो जाय। उसके बारे में मैंने उनको पूरा ब्यौरा दिया और हमने उनको बताया कि आप ब्लाक लेविल पर क्यों जाना चाहते हैं, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल इकाई गांव पंचायत होनी चाहिये। और मैं आज कहना चाहता हूं कि सरकार ने ब्लाक को बीच में लाकर गांव पंचायतों की महिमा, उनकी गरिमा और उनकी कर्तव्यनिष्ठा को मारने

[श्री राजनारायण]

की चेष्टा की है और मैं उसका घोर विरोधी हूं । मैं चाहता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो मूल इकाई हो वह गांव पंचायत हो और उसके लिये श्रीमन्, इस पत्र में हमारे व्यापक सुझाव हैं । हमने सरकार को यह भी बताया कि इस बिल को वापिस लेने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है । इसी वर्तमान मौजूदा विधेयक में ऐसे संशोधन हो सकते हैं, ऐसी मान्यतायें दी जा सकती हैं जिससे शासन शक्ति विकेन्द्रित हो, गांव पंचायतों के स्तर पर उनका विकेन्द्रीकरण हो । कई सुझावों को देते हुये हमने बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट जिसकी कि यहां पर अक्सर चर्चा की जाती है और अन्य कई प्रकार की चर्चायें की जाती हैं, उनके बारे में भी चर्चा की थी । लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं सरकार के दिमाग को आपकी सेवा में रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमसे कहा कि अगर पुराने बोर्ड को पुनर्जीवित किया जाय तो इसमें आपको क्या आपत्ति है । हमने कहा कि उस बोर्ड के बारे में दो तीन साल पहले हम कह चुके हैं कि वह बिल्कुल सड़ गया है और उसकी लाश से दुर्गन्ध आ रही है । और उस समय जबकि अंतरिम जिला परिषदें बनीं तब हमने कहा कि बालिग मताधिकार के आधार पर इसका एलेक्शन कराया जाय और अब आप पुराने बोर्ड को लाना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि क्या हर्ज है, आवश्यकता पड़ने पर कई ऐसे काम हुये हैं । तो इस प्रकार के मस्तिष्क का आप अध्ययन करें सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव हुये और उसके बाद एक एक साल की अवधि बढ़ाते-बढ़ाते सन् १९५८ आ गया । फिर जिला परिषद् का विधेयक हमारे सामने रखा गया तब से लेकर कई बार इस सदन में चर्चा हुई कि इसी गर्मी में चुनाव करा सकते हैं लेकिन लगातार बहाने बनाकर उसको टाला जा रहा है । तो फिर मैं क्या करूं । मैं चाहता हूं कि जनता इस बात को समझे कि हमने उस वक्त भी विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूं । मुझे नहीं मालूम कि किन विरोधी दलों के नेताओं ने माननीय मंत्री जी को स्वीकृति प्रदान की, सहमति प्रदान की कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें । इसके बाद क्या मालूम कि यह जिला परिषद् रहे अन्तरिम रूप में या वही पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आये या फिर कोई दूसरा विधेयक आये, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई तथ्य नहीं दिये । आखिर क्या व्यवस्था होगी, क्या रूप-रेखा होगी, इसका कुछ पता नहीं है ।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि पार्लियामेन्ट में हमारी भर्त्सना हुई । अभी परसों पार्लियामेन्ट में विवाद हुआ है, आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश की भर्त्सना हुई । वहां सरकारी अधिकारियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, इसके बारे में वहां हमारी निंदा की गयी, भर्त्सना की गयी । तो इस प्रकार से हमारी बुद्धिहीनता के बारे में, कर्त्तव्यहीनता के बारे में, लोक सभा में चर्चा होने लगी है और यह इसी कारण से होता है कि हमारी बात सरकार मानती नहीं है क्योंकि उसका बहुमत है और उस बहुमत के बल पर वह ऐसा करती है ।

अब सरकार यह बात कहती है जब कि सरकार ने ८० हजार रुपया, संयुक्त प्रवर समिति की बैठकों पर खर्च कर दिया । सरकार बलवन्तराय मेहता कमेटी की राय के अनुसार अब काम करना चाहती है जबकि उसकी रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी और अन्य सूबों में ब्लाक स्तर पर विकेन्द्रीकरण से पहले आयी थीं । संयुक्त प्रवर समिति में जाने से पहले कुछ लोगों ने उसका जिक्र भी किया था । लेकिन बावजूद इसके इस सरकार ने इस गरीब प्रदेश की भूखी नंगी जनता का ८० हजार रुपया बेकार ही खर्च कर डाला । यह ब्लाक स्तर की बात माननीय विचित्र नारायण जी करते हैं जो बराबर गांधी जी की दुहाई देते हैं । गांधी जी बार-बार ग्राम राज्य की बात करते थे । तो क्या आप ग्राम राज्य की जगह ब्लाक राज्य कायम करना चाहते हैं ? मैं कहूंगा कि आप इस ब्लाक राज्य को न बनाइये । वैसे तो इस सरकार की ओर से बराबर ग्राम राज्य

की महिमा गायी जाती है और श्रीमन्, जब आपके भी भाषण में सर्वोदय के नेता के रूप में पढ़ता हूं तो उससे भी ग्राम राज की महिमा की झलक आती रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह ग्राम राज्य कहां चला गया? हमने तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये कहा कि अगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, तो उसका पहला खंभा गांव हो, दूसरा जिला हो, तीसरा सूबा हो और चौथा केन्द्र हो। इस प्रकार से चार पाये उस सत्ता के हों।

श्री अध्यक्ष—वे उसमें पांचवां भी लगाना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—पांच पाये ठीक नहीं होते, क्योंकि अगर बीच वाला पाया बड़ा हो जायगा तो चारों ही उठ जायेंगे।

श्रीमन्, मैं यह कहने जा रहा था कि सरकार इस प्रकार से सत्ता का विकेन्द्रीकरण ग्राम पंचायत ऐक्ट में संशोधन लाकर कर सकती है और मौजूदा जमाने में ग्राम पंचायतों का जो पंगु स्वरूप चलता आया है उसको दूर कर, उनको बलशाली बना कर सत्ता को विकेन्द्रित करे। अगर गांव पंचायतें अपने काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक समझें तो उनको हक दिया जाय कि वे अपने प्रतिनिधियों के जरिये से ब्लाक स्तर पर कमेटी बना कर अपना काम निकाल लें मगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण गांव स्तर पर होना चाहिये। वह मौजूदा हालत में भी हो सकता है। गांव पंचायत ऐक्ट को संशोधित करके हो सकता है, उसके लिये इसको वापस लेने की जरूरत नहीं है। इसको वापस लेने से जनता का अहित होगा, चुनाव को टाला जायगा और वर्तमान अजनतांत्रिक व्यवस्था को एक न एक रूप में कायम रखा जायगा। इसलिये संविधान के नाम पर, गांधी जी के नाम पर, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर, हर तरीके से मैं निवेदन करूंगा कि सदन सरकार को इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति न दे।

श्री अध्यक्ष—(श्री त्रिलोकी सिंह से) आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? इसके बारे में कोई बहस न होगी। नियमों के अनुसार विरोध करने का अधिकार मैंने श्री राजनारायण जी को दे दिया वही बोल सकते थे, और किसी को भाषण देने का अधिकार नहीं है। सिर्फ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिये मैंने माननीय नेता विरोधीदल को इजाजत दी है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा है कि आपने यह मौका मुझे दिया कि इस सिलसिले में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण सदन के सामने पेश करूं। यह माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो सभा बुलायी थी, उसमें इस तरफ बैठने वालों के जितने दल हैं उन सब के नेताओं को निमन्त्रण दिया था। मैं भी उसमें शरीक हुआ था। प्रश्न केवल यह था कि सरकार जो जिला परिषद् विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन करना चाहती है जो उसके कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार उसके मसविदे में नहीं किये जा सकते थे, यह उसकी दिक्कत थी।

मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि जिला परिषद् विधेयक जो केवल जिले के स्तर पर कायम होगा, सारा अधिकार जिला परिषद् को होगा। सरकार की अब कुछ ऐसी राय बनती मालूम होती है कि वह ब्लाक के स्तर पर और गांव के स्तर पर भी कुछ अधिकार दे, उनका विकेन्द्रीकरण करे और उन सभी का समावेश जिला परिषद् विधेयक में हो जाय।

प्रत्यक्ष है कि ऐसे विधेयक जब बनते हैं या किसी भी विधेयक का मसविदा बने तो उस पर अन्त में कानूनी सलाहकारों की राय मानना, यही नहीं कि जरूरी होता है बल्कि एक फर्ज-सा हो जाता है। यहां रोज अमेंडिंग विधेयक आया करते हैं। विधेयक को पास हुए ३ महीने भी नहीं होते हैं कि उसमें संशोधन आ जाते हैं और मुकदमेबाजी होती है। उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाय और इस उसूल का हामी होते हुए कि राज्य सत्ता का विकेन्द्री-

[श्री त्रिलोकीसिंह]

करण ब्लाक के स्तर पर और गांव के स्तर पर हो, पी० एस० पी० की ओर से मान्यवर, मैं वहां शरीक हुआ और मंत्री जी की कृपा से मेरी पार्टी के उपनेता जो नैनीताल जिले के सदस्य हैं, वे भी वहां शरीक थे। हम लोगों ने यह कहा कि यह काम अच्छा है, जिस तरह से हो सके जल्दी से जल्दी इसे किया जाय। उसी के सम्बन्ध में यह बात निकली कि जुलाई में नया विधेयक लाया जाय, उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और उसे जल्द पारित किया जाय। प्रयत्न यह होना चाहिये कि अगले फरवरी, मार्च में नयी जिला परिषदों का चुनाव जरूर हो जाय। मैं आपका विशेष अनुग्रहीत हूं कि इस स्पष्टीकरण करने का मौका आपने मुझे प्रदान किया।

श्री उग्रसेन---मैं सेलेक्ट कमेटी का मेम्बर हूं इसलिये मुझे भी थोड़ा मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को इसके लिये थोड़े इजाजत दी जायगी। आपको मौका नहीं मिलेगा।

सिर्फ जनसंघ के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ इशारा किया था तो जनसंघ के नेता अगर कोई वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि इस सम्बन्ध में आपने मुझे कुछ कहने का समय दिया। श्रीमन्, ऐसा हो गया कि आखिरी मीटिंग में चूंकि हमारे नेता जी पहली मीटिंग में नहीं गये थे तो मैं उनके स्थान पर चला गया था, लेकिन दोबारा मैंने सोचा कि जब सरकार ने उनको बुलाया है तो वे जायेंगे और उन्होंने सोचा कि शायद मैं जाऊंगा और इस तरह से कोई वहां नहीं जा पाया। तो मैं सरकार से इतना स्पष्टीकरण और चाहता हूं कि चाहे हम वहां उपस्थित रहे हों या न रहे हों, लेकिन क्या यह सही है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जो नया बिल आयेगा उसमें एक तिहाई लोग तो indirectly चुने जायेंगे गांव सभा के सदस्यों द्वारा और दो तिहाई direct मतदान द्वारा चुने जायेंगे और जितने जिले के आफिसर्स होंगे इस कमेटी में वे कमेटी के मातहत रहेंगे ? साथ ही सरकार यह भी आश्वासन दे दे कि अगर बिल जल्दी नहीं बन पाता, या जल्दी नहीं पास हो पाता तो सरकार अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव निश्चय ही मार्च, १९६१ से पहले करा देगी। अगर सरकार इतना आश्वासन दे दे तो बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---अब अगर माननीय मंत्री जी को कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना हो तो वे दे सकते हैं, फिर मैं राय ले लूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि जो माननीय विष्ट जी ने बातें कहीं, उनमें कोई मौलिक अन्तर नहीं है। सरकार की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी जुलाई के पहले इसको पास कर दिया जाय। उस समय जो बातें हुई थीं उनके दौरान में यही बातें कही गई थीं कि वह यहां आये और सेलेक्ट कमेटी में भी जल्द पास हो जाय।

श्री अध्यक्ष---वह किसी आश्वासन के बारे में कह रहे थे.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसके बारे में भी मैं अर्ज करूंगा। यह तो हुई बिल के पास कराने की बात कि अगस्त में इसके लिये जल्दी की जाय और सरकार का कोई इरादा देर करने का नहीं है और अगर कोई दिक्कत किसी वजह से बीच में होगी तो हम भी हैं और वह भी यहीं हैं हम उनके सामने उसको भी रख देंगे और उनकी राय जान लेंगे। लेकिन जहां तक खंड स्तर पर १ आदमी या २ आदमी के आने की बात है उसमें थोड़ा विरोध है या गलतफहमी है कि जिले के डायरेक्ट चुने हुये एक तिहाई होंगे और ब्लाक की तरफ से दो तिहाई होंगे। बाकी श्री राजनारायण जी ने कोई खास बात नहीं कही जिसके द्वारा मेरी बात का कोई खंडन हुआ हो....

श्री अध्यक्ष---आपको उनका जबाव नहीं देना है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---माननीय विष्ट जी ने अभी एक दूसरी बात पूछी कि जिला आफिसर भी मेम्बर होंगे या नहीं । उस समय तो बात ऐसी थी कि वह मेम्बर तो होंगे, लेकिन वह नानवोटिंग मेम्बर होंगे, यह प्रश्न दूसरा है कि उन्हें एलेक्ट्रेट के वोट मिलें या न मिलें.....

श्री अध्यक्ष---अब मैं राय लेता हूं, प्रश्न यह है कि.....

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---अब उस का वक्त नहीं है ।

श्री झारखंडेराय---श्रीमन्, केवल इतना कहने की इजाजत दें....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है क्या ?

श्री झारखंडेराय---जी हां, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने यह कहा है कि उस मीटिंग में ऐसी बात हुई थी कि एक तिहाई चुने हुये आयेंगे और दो तिहाई ब्लाक के होंगे, मेरा खयाल यह है कि बात इसको उल्टी हुई थी.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा---उन्होंने कहा कि इस पर मतभेद है, इस का मतलब यह है कि जब बिल आये तो आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि २/३ इधर हों या उधर हों, जो मत उस वक्त ठहरेगा वही माना जायगा । उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया कि २/३ ब्लाक के होंगे या १/३ अन्य होंगे ।

श्री झारखंडेराय---एक बात मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में साफ करना चाहता हूं कि मैं उन दोनों मीटिंगों में था और दूसरी मीटिंग में कुछ पाजिटिव फैसले और नतीजे भी निकले थे और हमारी तरफ से एक बात साफ तौर से कही गई थी कि जो नया कानून इस बिल की वापसी के बाद लाया जाने वाला है और जब सरकार के दिमाग में यह है कि खंड स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो जो नया बिल आयेगा, उसको लाने में, उसके दोनों सदनों से पास होने की कार्यवाही में देर लगने की सम्भावना है । इसमें कोई नीयत की बात नहीं है, लेकिन जिला बोर्डों के चुनाव १२ साल से नहीं हुये हैं । फिर भी ऐसे अनफोरसीन फैक्टर्स आ सकते हैं कि जिन को सरकार नहीं रोक सकती और इसीलिये हमारी तरफ से कहा गया था कि इस इन्टेरिम पीरियड के लिये कुछ स्थायी एवं प्रजातांत्रिक प्रबन्ध कर दिया जाय, क्योंकि हो सकता है कि यह एक लम्बी अवधि इन्टेरिम पीरियड की हो जाय और ६३-६४ तक भी शायद मूल चुनाव न हो सके । इसीलिये हमने कहा था कि पुराने जिला बोर्ड ऐक्ट के मुताबिक जो एक दो जरूरी संशोधन हों करके चुनाव करा दिये जायं और उस हालात में अन्दाजा है कि फरवरी के आखिर तक चुनाव हो सके । और इस इन्टेरिम पीरियड में सरकार भलीभांति सोच-विचार कर अच्छी तरह से अंतिम बिल बनाकर पास करा के सब बातें ठीक कर सकती है । लेकिन मंत्री जी की बात से मुझे कुछ दुविधा मालूम होती है, वहां की बात जो हुई उसके अनुसार मंत्री जी का वक्तव्य नहीं है । अगर सरकार का यह खयाल है कि सरकार नया बिल लाकर जल्द ही मूल चुनाव करा सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है । परन्तु मुझे इसमें विश्वास नहीं है कि मूल चुनाव १९६२ के आम-चुनाव के पहले हो सकता है । मुझे अब भी संदेह है कि ऐसी अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं कि वह चुनाव न हो....

श्री अध्यक्ष---आपने तो बहस करना शुरू कर दिया । अब मैं राय लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७८ के अन्तर्गत वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ: --

पक्ष में--११२,

विपक्ष में--२१ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्वशासन मंत्री के काल में ही एक विधेयक आया जो पारित होने के बाद एबियेन्स में रहा और प्रयोग में नहीं आया और दूसरा बिल आया जो वापिस लेना पड़ा। ऐसे स्वशासन मंत्री जो हों क्या उनको इस्तीफा देकर सदन को छोड़ देना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष--वह सदन का अख्तियार है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ में प्रस्तावित संशोधनों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३१० के अनुसार एक सूचना देना चाहता हूं कि नियमों को बदलने के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव उपस्थित होंगे:--

श्री बसन्त लाल तथा श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन का कहना है कि नियम ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"३४---प्रश्नों की संख्या की परिसीमा एक सदस्य एक सप्ताह में ४ तारांकित प्रश्न एवं २ अल्पसूचित प्रश्नों से अधिक की सूचना नहीं देगा। अध्यक्ष किसी ऐसे प्रश्न को अग्राह्य कर सकेंगे जिसमें एक से अधिक विषयों पर सूचना मांगी गई हो।"

श्री मोतीलाल अवस्थी जी का संशोधन इस प्रकार है--

"नियम ३२ की पंक्ति २ में शब्द "का पहला घंटा" के स्थान पर शब्द "के पहिले दो घंटे" रख दिये जायं ।"

यानी वह प्रश्नों के लिये २ घंटे चाहते हैं ।

मेरे पास माननीय देवनारायण भारतीय जी ने भी एक संशोधन भेजा है। वैसे तो नोटिस के लिये १५ दिन की आवश्यकता होती है लेकिन मैं समझता हूं कि जब यह सदन दो प्रस्तावों को समिति के पास भेज ही रहा है तो इसको भी भेजने की इजाजत मिल जानी चाहिए । यह इस प्रकार है--

"नियम १६ उपवेशन का समय--शीर्षक के अन्तर्गत उपनियम (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "पूर्वाह्न से" के पश्चात और "५ बजे अपराह्न" के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें:--"सवा बजे अपराह्न तक और फिर सवा दो बजे अपराह्न से।"

यानी वह चाहते हैं कि बीच में जो लंच टाइम नहीं दिया जाता है, इसका परिणाम यह होगा कि वह भी दिया जाना चाहिये। तो इन तीनों को मैं नियम ३११ के अनुसार सदन की अनुमति के लिए रखता हूं। यदि सदन की अनुमति मिलती है तो इनको नियम समिति के पास भेज दिया जायगा और उसकी रिपोर्ट आने पर बहस होगी ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जहां तक अवस्थी जी का संशोधन है मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---विरोध तो आप समिति में कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते । आप यहां यही कह सकते हैं कि अनुमति न दी जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---नियम ३११ के अनुसार मैं कह सकता हूं कि मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर मैं संशोधनों के प्रस्तावों को अलग-अलग लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव श्री बसन्त लाल तथा श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन ने दिया है उसको विचारार्थ नियम समिति को भेज दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब श्री मोतीलाल अवस्थी जी का प्रस्ताव है कि एक घंटे के बजाय २ घंटे दिये जायं । प्रश्न यह है कि इसको नियम समिति के पास विचारार्थ भेज दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष ने कुछ नेताओं की मीटिंग बुलायी थी उसमें इस प्रकार की सलाह हुई थी कि प्रश्नों का घंटा कुछ बढ़ाया जाय । अब अगर श्री मोतीलाल अवस्थी जी का प्रस्ताव नियम समिति को चला जाय तो अच्छा ही होगा । इसलिये मैं उप-नेता सदन से कहूंगा चूंकि इस प्रकार की बातचीत चल रही है इसलिये इसको भी समिति के सामने जाने दें ।

श्री अध्यक्ष---कोई ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है वहां पर इसके ऊपर विचार हो सकता है बनिस्बत इसके कि आज ही सदन अनुमति न दे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---राज्य सभा, लोक सभा, परिषद् में प्रश्नों का समय १ घंटा रहा करता है । यह एक नई बात है । मेरी समझ में १ घंटा काफी है । कुछ लोग अपने पर नियंत्रण करें, कम सवाल दें तो सब काम हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यही बहस कमेटी में जाकर ही हो सकती है । अनुज्ञा देने में उनका कहना यह है कि इसमें क्यों एतराज किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यहां पर लौट कर यही करना होगा, अपोज करना होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष के ६ बार कहने के बावजूद माननीय मंत्री न माने यह उचित नहीं प्रतीत होता । मान लें, यही पार्लियामेंटरी पद्धति है ।

श्री अध्यक्ष---आप वापस लेते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वापस नहीं लेता ।

श्री अध्यक्ष---इसमें लीव तब मिलेगी जब इसके पक्ष में ८६ सदस्य खड़े हों । रूल ३१२ में इस प्रकार है---"If objection is taken, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who objects, shall request those members who support

[श्री अध्यक्ष]
the motion to rise in their places and if not less than one-fifth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall intimate that the member has the leave of the House. If less than one-fifth of the members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

जो सदस्य इसके पक्ष में हों कि अनुमति दी जाय वे खड़े हो जायं।

(केवल ३९ सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष---३९ हैं। इसलिये सदन की अनुमति इसमें नहीं है।

प्रश्न यह है कि देवनारायण भारतीय जी का जो प्रस्ताव है कि बीच में लंच टाइम जो दिया जाता है वह फिर से दिया जाय, उसको विचारार्थ नियम समिति को भेज दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०†

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Muslim Waqfs Bill, 1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में मुझे दो चार बातें बतलानी हैं। यह मामले बहुत अर्से से गवर्नमेंट के तथा इस सदन के विचाराधीन रहा है और उसके बहुत से पहलुओं को देखने के बाद यह बिल पेश किया गया है। कौंसिल में जब यह पेश हुआ तो उसमें कुछ तरमीमें की गयीं और उनको सरकार ने मान लिया था और उसके बाद यह बिल वहां पास हो गया।

सूरत यह है कि सन् ३६ में मुस्लिम वक्फ ऐक्ट पास हुआ था और उस वक्त एक कमेटी बैठी थी उसने कई वर्ष तक सूबे का दौरा किया और लोगों की राय मालूम की और फिर अपनी रिपोर्ट दी। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर यह ऐक्ट पास हुआ। इस ऐक्ट के मातहत दो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड बने और उन्होंने इस सूबे के तमाम औकाफों का इन्तजाम अपने हाथ में लिया। इस दौरान में इंतजाम में बाज-बाज खराबियां मालूम हुईं और यह मालूम हुआ कि कुछ गल्तियां हैं और उसमें तरमीम की जरूरत है। इसलिये सब बातों का लिहाज करते हुए सन् ५५ में एक तरमीमी बिल लाया गया, लेकिन वह पास नहीं हो सका। उसके बाद सन् ५७ में वह बिल खत्म हो गया। फिर बाद को सोचा गया कि तरमीमी बिल लाना मुनासिब नहीं है, एक और बिल जिसमें पुराने बिल के भी प्रोविजन्स हों उनको शामिल करके इस हाउस से पास कराया जाय।

चुनांचे इस सिलसिले में मौजूदा बिल माननीय सदस्यों के सामने है।

जो खास-खास तरमीमें हम इस बिल में कर रहे हैं उनकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पुराने ऐक्ट में एक बड़ी खराबी यह थी कि जिस वक्त मुतवल्ली और बोर्ड में इख्तलाफ होता था तो गुंजायश थी कि मुतवल्ली मुकदमा दायर करे और उसको बराबर लड़ता रहे और इस दौरान में वक्फ की जायदाद पर उसका कब्जा भी रहे और उसके रुपये से वह मुकदमेबाजी भी करता रहे। नतीजा यह होता था कि कई-कई वर्ष इसमें लग जाते थे। इससे वक्फ का नुकसान होता था और उसका असली मंशा पूरा नहीं हो पाता था। इसलिये यह तरमीम की गई है कि एक ट्रिब्यूनल होगा जो हर जिले में गवर्नमेंट किसी जज को नामजद कर देगी उसके सामने मुकदमे जायंगे और उसका फैसला आखिरी होगा और उसकी अपील कहीं नहीं हो सकेगी। यह करीब-करीब ऐसा है जैसे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल होते हैं।

---

†१४ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

दूसरी बात यह की गई है कि पुराने ऐक्ट में था कि सेक्रेटरी गजटेड आफिसर हुआ करेगा। इसमें तब्दीली कर दी गई है क्लाज १७ में कोई शख्स जिसको बोर्ड पसन्द करे सेक्रेटरी मुकर्रर कर सकता है ।

तीसरी बात यह थी कि पुराने ऐक्ट में एक क्लाज २७ था और उसमें यह अधिकार था कि उसमें वक्फ कमेटी मुकर्रर हो सकती थीं ताकि हर जिले में एक कमेटी हो जो औकाफ का इंतजाम किया करे। यह १९३६ में ऐक्ट पास हुआ, लेकिन कोई कमेटी नहीं बनी और तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि इस कमेटी के बनाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हमने इसको हटा दिया है और इसके साथ-साथ यह भी इंतजाम कर दिया गया है कि अगर किसी खास जिले में सेंट्रल वक्फ बोर्ड चाहे तो ऐसी कमेटी बन सकती है। लेकिन कानून में जो दफा थी कि हर जिले में एक कमेटी होगी उसकी जरूरत नहीं समझी गई और वह निकाल दी गई।

कंट्रीब्यूशन बोर्ड जो है उसे औकाफ से कुछ पैसा मिलता है उसकी हद्द पुराने ऐक्ट में ५ थी। लेकिन अब जैसा कि जाहिर है कि इखराजात बढ़ गये हैं, तनख्वाह ज्यादा देना पड़ती है और टी० ए० में भी इखराजात बढ़ गये हैं। इसलिये ५ से बढ़ा कर इसको हद्द ६ कर दी जाय।

इसके बाद तरमीम यह की गई है कि वक्फ बोर्ड का जो इंतजाम है और जो कार्यवाही है उसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ अधिकार दिये गये हैं और यह भी अधिकार दिया गया कि गवर्नमेंट जनरल डायरेक्शन्स या स्पेशल डायरेक्शन्स् इश्यू करे और बोर्ड के पास भेजे। बोर्ड को उसकी पाबन्दी करनी होगी और उन पर अमल करना पड़ेगा और यहां तक अधिकार दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट देखे कि कोई वक्फ बोर्ड इंजताम ठीक नहीं कर रहा तो साल भर के लिये उसको ससपेंड कर सकती है। इसलिये यह अख्तियार लिया गया है कि गवर्नमेंट का यह खयाल हुआ और महसूस हुआ और लोगों की भी राय हुई कि बाज हालतों में बोर्ड गलत बात कर सकता है ।

इसके बाद एक दफा यह भी है कि बाज सूरतों में यह होता था कि अच्छा मुतवल्ली नहीं मिलता था तो बोर्ड क्या करे। क्योंकि किसी को मुतवल्ली मुअइयन करना पड़ता था ताकि वक्फ का इंतजाम अच्छी तरह से चल सके। तो बोर्ड को अख्तियार दे दिया गया है कि अगर मुतवल्ली न मिले तो उसको इस प्रकार का अधिकार होगा कि जब तक दूसरा मुतवल्ली मुअइयन न करे तब तक खुद अपने इन्तजाम में ले ले ।

इसके साथ-साथ बाज मुतवल्ली बोर्ड के अहकामात जारी होने के बावजूद, उस पर अमल नहीं करते थे। उसकी वजह से काफी बेचैनी रहती थी। नतीजा यह होता था कि बोर्ड के अहकामात का अमल-दरामद नहीं हो सकता था। इस खयाल से बोर्ड को कई अख्तियारात दिये गये हैं। बोर्ड को अख्तियार दिया गया है कि ५० रुपये से लेकर २५० रुपये तक वह इन मुतवल्लियों पर जुरमाना कर सकता है, अगर मुतवल्ली उसके हुक्म की तामील न करें।

उसी तरह से बोर्ड को दफा ५९ से ६३ तक सुपरवीजन के अधिकार दिये गये हैं जिससे वह जिनका इंतजाम ठीक नहीं है उनकी निगरानी कर सके। यह भी बोर्ड को अख्तियार दिया गया है कि जो बोर्ड का रुपया है, कंट्रीब्युशन या और अगर कोई रुपया हो जो वाजिबुल अदा है बोर्ड को, अगर वह अदा न हो तो जायदाद की बिक्री की कार्यवाही कर सकता है ।

एक काफी अहम तरमीम आयी है। हुसैनाबाद ट्रस्ट लखनऊ का बहुत बड़ा ट्रस्ट है वह पुराने ऐक्ट में मुस्तसना था। उसके मुताल्लिक कई शिकायत गवर्नमेंट के पास आयीं और यह मालूम हुआ कि उसका इंतजाम सही तरीके से नहीं हो रहा है। चुनांचे १९५५ में ही जब तजवीज आयी तो खयाल किया गया कि यह वक्फ मुस्लिम वक्फ ऐक्ट के मातहत कर दिया जाय। लेकिन उस वक्त एजीटेशन हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा कि इसकी तहकीकात हो जाय कि इसका इंतजाम ठीक है या नहीं। चुनांचे एक कमेटी

[श्री सैयद अली जहीर]

जिसके सदर सिद्दीक हुसन साहब, जो अब भी बोर्ड आफ रेवेन्यू के ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर हैं उनकी सदारत में मुकर्रर की गयी। उन्होंने कई महीने तहकीकात की और एक रिपोर्ट दी। माननीय सदस्यों को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने लिखा है कि इस किस्म की गवाहियां गुजरीं कि यह वक्फ है ही नहीं। उन्होंने इससे भी इनकार किया कि यह वक्फ है। ऐसी सूरत में सरकार के लिए लाजिमी हो गया कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जब कि डेढ़ सौ वर्ष गुजरने के बाद वक्फ होने पर इनकार कर रहे हैं, उसको वक्फ बोर्ड के मातहत किया जाय। चुनांचे इसकी भी तरमीम की गयी है। उसमें यह किया गया है कि बजाय इसके कि बिल्कुल वक्फ बोर्ड के मातहत कर दिया जाय यह अख्तियार गवर्नमेंट ने लिया है कि इसकी स्कीम गवर्नमेंट बनायेगी और गजट में शाया करेगी। उसके ऊपर अमलदरामद होगा।

जो तरमीमें काउंसिल में हुई, मुख्तसरन उनका भी जिक्र कर दूं। मसलन वक्फ की तारीफ है। जिस तरह से हमने शुरू में रखा था उस पर कुछ माननीय सदस्य हमसे मिले। उसमें हम लोगों की राय हुई कि अगर हम वक्फ की तारीफ को बदलते हैं तो जो १९३६ में तारीफ थी, और १९६० में दूसरी तारीफ आ जाय, इसकी वजह से यकीनन कन्फ्युजन होगा और परेशानी होगी। उसमें लिटिगेशन बढ़ेगा और इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं, जो कि करीब-करीब खत्म हो गये हैं। इसलिए समझा गया कि करीब-करीब वही डेफीनीशन, सिवा लफ्जी रद्दोबदल के, रखी जाय। चुनांचे एक तरमीम काउंसिल में आयी और उसको सरकार ने मंजूर किया। अब तरमीमशुदा शक्ल में यह बिल सामने है। मसलन वक्फ अल्लउल औलाद पहले मुस्तसना था। वह अब भी मुस्तसना है। इसी तरह से दफा ४३ के ऊपर बहुत से लोगों को एतराज था। पुराना जो कानून था, उसमें जिस शक्ल में दफा ४३ आयी थी, उसमें गवर्नमेंट को अधिकार था कि हर वक्फ के मुताल्लिक अहकामात जारी कर सकती थी और उसको अमलदरामद करना वक्फ बोर्ड का फर्ज हो जाता था।

उसमें अल्फाज यह थे कि :

"The State Government may for the better administration of the *waqfs* under the supervision of the Board, and after affording the Board a reasonable opportunity of being heard, issue directions consistent with the terms and conditions of such *waqfs* and the provisions of this Act, to the Board and such directions shall be carried out by the Board."

इसके माने यह हुये कि हर एक वक्फ के मुताल्लिक गवर्नमेंट को यह अधिकार था कि वह उसके इन्तजाम के मुताल्लिक बोर्ड को डाइरेक्शन्स दे कि वह ऐसा इन्तजाम करे। इसके ऊपर माननीय सदस्यों को एतराज था और कुछ वक्फ बोर्डों के पास से भी शिकायत आई तो हमने इसको फौरन तरमीम करके उसको इस शक्ल में कर दिया कि जिस शक्ल में आज यह दफा ४३ इस हाउस के सामने है। अब उसमें सिर्फ इतना है :—

"The State Government may, from time to time, give to the Board such general or special directions as the State Government thinks fit, and in the performance of its functions the Board shall comply with such directions."

यानी वक्फ बोर्ड के लिये गवर्नमेन्ट वही डाइरेक्शन जारी करेगी जो वहां के बोर्ड के फंकशन्स के मुताल्लिक हों। इसके ऊपर आपस में हम लोग मुत्तफिक हो गये और इसको इस तरह से मन्जूर कर लिया। बल्कि इसी किस्म की एक दफा, जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक मुसलिम वक्फ ऐक्ट सन् १९५४ में बनाया था, जो सारे सूबों में लागू हैं और सारे वक्फ ऐक्ट उसी के मुताबिक बने हुये हैं, दफा ६३ उसमें है। उसी से ही हमने यहां पर अल्फाज ले लिये हैं। अब मेरा खयाल है कि इसके बाद कोई एतराज की गुंजायश इसमें बाकी नहीं रह जाती है।

आखिर में एक चीज की तरफ तवज्जह और दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें एक अधिकार और दिया गया है। जहां पर यह था कि मुतवल्ली को सजा देने की जरूरत थी कि उसको सजा दी जाय तो उसके लिये कहा गया था कि उसको भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह आवाज उठा सके। तो उसकी निगरानी करने की पावर गवर्नमेन्ट को दी गई है कि अगर मुतवल्ली चाहे तो गवर्नमेन्ट निगरानी कर सकती है। इस शक्ल में यह पास होकर इस सदन में आ रहा है।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

मुझे इस बात की खुशी है कि इस सिलसिले में मुसलिम मेम्बरों से जो आपस में बातचीत करने का मौका मिला और अक्सर जो तजवीज मेम्बरों की तरफ से आई इस हाउस में वह कौंसिल में उन पर हम सब लोग मुत्तफिक हो गये। इस वजह से मैं यह समझता हूं कि इस इजाफे के बाद जब इत्तफाक राय से यह बिल यहां पर आया है और कौंसिल से भी पास हो चुका है तो इसको किसी तरह से सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या और किसी किस्म की तरमीम को मन्जूर किया जाय मुनासिब नहीं मालूम होता है। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को हाउस के सामने पेश करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यह बिल, जो कौंसिल से वापस आया है, आज ही हमको मिला है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस पर हम लोग भी बोलना चाहते हैं और इसको स्टडी करने का मौका नहीं मिला है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि अगर हमको मौका दिया जाय और इसको आज पोस्टपोन कर दिया जाय तो अच्छा है। हम लोग इसको स्टडी कर सकेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों की यह राय है। जब मंत्री जी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना नहीं चाहते हैं तो इस पर विचार करने का मौका तो अवश्य मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--यह बिल १४ अप्रैल को सदन की मेज पर रखा गया था। कोई भी कारण नहीं मालूम होता है कि यह आज विचार के लिये न आये।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)--अभी जैसा विष्ट साहब ने फरमाया तो उसके मुतल्लिक मैं भी यह अर्ज करूंगा कि अभी जब हम लोग हाउस में आ रहे थे तो यह बिल हमको मिला है.....

श्री अधिष्ठाता--आर्डर, आर्डर। आप कृपया बैठें। यह बिल १४ तारीख को यहां आ चुका था।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई--यह वह बिल नहीं है। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट होकर आये हैं यह हमको मालूम नहीं है। अगर यह अभी ले लिया जायगा तो यह हमारे साथ ज्यादती होगी।

श्री अधिष्ठाता--यहां पर जो बिल कौंसिल से आया है यह वही है और १४ तारीख को माननीय सदस्यों की मेज पर रख दिया था। तो माननीय सदस्य का एतराज ठीक नहीं है।

***श्री सैयद जरगाम हैदर** (जिला बहराइच)--श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६० को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

मान्यवर, यह एक ऐसा बिल है कि जिसमें की कुछ चीजें हमको मानना पड़ता है कि पुराने ऐक्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में हुकूमत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

की सतायश करने के बजाय हमको यह कहना पड़ता है कि जो हिस्सा इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी हम हिमायत नहीं कर सकते । माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में फरमाया कि ट्राइब्यूनल एप्वाइंट कर दिये जायेंगे, यकीनन यह बात पुराने बिल पर एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पुराना जो ऐक्ट था उसकी बिना पर हम को मालूम है कि कितनी ज्यादा मुकदमेबाजी होती रही और उसमें चाहे मुतवल्ली ने रुपया सर्फ किया हो या वक्फ बोर्ड ने, हर तरह से वक्फ का रुपया जाया होता रहा । इसलिये यह ट्राइब्यूनल की बात को मानना चाहिये । यह एक हेल्दी साइन है ।

जहां तक इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात है, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं । मैं मान्यवर को ध्यान दिलाऊंगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी औकाफ मिला कर तकरीबन ११,००० के हैं जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और उनको आमदनी कमोबेश १ करोड़ रुपये के करीब होगी जो इससे अफेक्टेड होंगे और यह भी मान्यवर को ध्यान होगा कि इकानामी से औकाफ का खास ताल्लुक रहता है । इस बिल में आज सरकार को यह जरूरत महसूस हुई कि बजाय इसके कि पुराने ऐक्ट में ही वह कोई तरमीम करती या उसे पूरे तौर से ओवरहाल करती, उसकी जगह पर वह एक नया बिल ला कर पेश कर रही है और इसमें हेस्टी लेजिस्लेशन हो और इस पर विचार करने का पूरा मौका न मिल पाये ऐसे बिल पर जिसका ताल्लुक ११ हजार औकाफ से हो और जो १ करोड़ रुपये कि आमदनी से वास्ता रखता हो और जिसका एक फिरके के ८० लाख लोगों से वास्ता हो, किसी तरह से, मैं समझता हूं, मुनासिब और जेबा न होगा ।

इस सिलसिले में अभी माननीय मंत्री जी ने खुद भी जिक्र किया कि सन् १९२६ में जब यह ऐक्ट बना था तो उसके लिये एक कमेटी बनी थी और उसके प्रेसीडेंट उस जमाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज, जो बाद में चीफ जस्टिस भी हो गये थे, सर इकबाल अहमद थे और उस में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से उत्तर प्रदेश की पब्लिक और पोलिटिकल लाइफ में नुमायां हिस्सा लिया था, सर सैयद साहब, हिदायत हुसैन साहब, वगैरह । उन्होंने एक सर्वे किया और उत्तर प्रदेश के हर जिले में काम करने वाले आदमियों के स्टेटमेंट ले कर उन्होंने अपनी एक राय कायम की । उसमें काम करने वालों में थे सर तेजबहादुर सप्रू, मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब, मुहम्मद सुलेमान साहब, चौधरी नियामतुल्ला साहब और इस तरह से उन लोगों ने एक बिल का ढांचा पेश किया और उसके बाद यह ऐक्ट पास हुआ । उस बिल को बनाने से पहले एक इस तरह का सर्वे किया गया था, इतने तमाम आदमियों के स्टेटमेंट लिये गये थे, लेकिन आज इतने दिनों बाद जब हम उसके रिपील कर के एक नया बिल लाने जा रहे हैं जो औकाफ की तहफ्फुज करेगा और इस के लिये वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा तो हम देखते हैं कि न कोई सर्वे कराया गया और न इसको सेलेक्ट कमेटी के ही सुपुर्द किया गया है ।

यकीनन औकाफ एक करोड़ रुपये के थे । इसी सिलसिले में जहां औकाफ का संबंध है, अगर आप इजाजत दें तो उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ देना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में औकाफ के बारे में लिखा है :—

"The question of control, management and reform of waqfs has engaged the attention of the Muslim community in India from a very early time. So long back as 1887, Sir Syed Ahmad Khan brought forward a resolution at the meeting of the All-India Mohammedan Educational Conference, urging reform in the administration of waqf properties."

इसके अलावा और तमाम बातें लिखी हैं । मेरा मतलब कहने का यह है कि वक्फ के मैनेजमेन्ट में एक रेवूलूशन की जरूरत है । इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं । इसी मकसद के लिये सन् १९३१ में एक कमेटी बनी थी । गवर्नमेन्ट ने भी इस बात को माना है कि वह इन जरूरियात को पूरा नहीं कर सकी । इसलिये गवर्नमेन्ट के लिये यह लाजमी बात

थी कि जिस तरीके से उस पुराने सन् १९२३ के वक्फ बिल को तब्दील करने के लिये एक दूसरा बिल सन् १९३६ में लाया गया उस समय इन बातों का सर्वे कराने के लिये एक कमेटी बनती । इस बिल में जो तरमीम की गई है और उसके लिये जो वजूहात बताई गई है वह मेरी समझ में नहीं आईं । यह जो बिल आया है इसमें न तो कहीं कोई एम्स हैं और न ही कोई आब्जेक्ट हैं। हमारे सामने मिनिस्टर साहब ने एक आम बात कह दी कि उसकी वर्किंग में कुछ परेशानियां थीं, लेकिन वे क्या परेशानियां थीं, इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया । उनके बारे में हम अभी तक अंधेरे में हैं । मिसाल के तौर पर हुसैनाबाद का उन्होंने जिक्र किया । यह भी जिक्र किया कि सिद्दीक हसन साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी । उसमें उसके वक्फ होने से इनकार किया गया । तो महज यह कह देने से कि वह उसको वक्फ मानते हैं या नहीं कुछ नहीं होता । कुछ जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट उसकी ताईद में मिल सकते हैं । अगर कोई आदमी किसी के वक्फ या ट्रस्ट होने से इनकार करे तो वह ट्रस्टी नहीं रह सकता । लेकिन उसके मैनेजमेंट में सिद्दीक साहब ने क्या-क्या खामियां बतायीं उसके बारे में हमें अंधेरे में रखा गया। उसके बारे में कुछ हमें नहीं बताया गया ।

अब इतना कहने के बाद इस बिल में क्या-क्या खामियां हैं उनकी ओर में आपका ध्यान दिलाऊंगा । सबसे पहले मान्यवर, इसमें, जो दो बोर्ड स का कम्पोजीशन है, जिस तरह से उसका चुनाव होता है, उसके संबंध में आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहूंगा । इसमें खंड ११ जो है, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के कान्सटीट्यूशन के बारे में, और जो खंड १२ है शिया सेन्ट्रल बोर्ड के बारे में, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं । इन दोनों खंड ११ और १२ को देखने से पता चलता है कि जहां सुन्नी बोर्ड में लाइयर्स का रिप्रेजेन्टेशन है वहां शिया बोर्ड में नहीं है । खंड ११ के उपखंड (२) में है :—

"(ii) two members to be elected from amongst themselves by Sunni members of the High Court Bar Association, Allahabad and Oudh Bar Association, Lucknow ;"

आगे लिखा है :—

(iii) One member to be elected from amongst themselves by Sunni, members of the Working Committee of the Provincial Jamiat-ul-Ulema U. P. ;

(iv) One member, who shall be a Sunni Muslim possessing special knowledge in Accountancy, to be co-opted by the members elected under clauses (i) to (iii) above ;"

तो इसमें जो कम्पोजीशन है, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के कम्पोजीशन में यह फर्क है कि लाइयर्स का रेप्रेजेंटेशन सुन्नी वक्फ बोर्ड में तो दिया हुआ है, लेकिन लाइयर्स का कोई रेप्रेजेंटेशन शिया वक्फ बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, यह एक बड़ी नाइंसाफी है और डिस्क्रिमिनेटरी चीज है कि एक ही असोसियेशन को एक ही आर्गेनाइजेशन के लिये मखसूस किया जा रहा है । अगर वह सुन्नी है तो वक्फ बोर्ड के मेम्बर हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका ऐक्ट दूसरा है तो उस क्लास के लोगों को डिप्राइव कर देते हैं कि वह उस असोसियेशन के मेम्बर नहीं हो सकते हैं ।

इस ऐक्ट की सारी स्कीम यह है कि मुतवल्लियों पर एक कंट्रोल रखा जाय और वक्फ बोर्ड उनकी निगरानी करे, उसको तमाम पावर्स दे दी जायं कि उनको वह रिमूव भी कर दे और कमेटी आफ मैनेजमेंट को डिजाल्व कर दे । वह उनको सजा दे सकता है और कमविक्ट करा सकता है जुर्माना कर सकता है, वह उनके अकाउंट्स को आडिट करेगा । लेकिन जब शिया वक्फ बोर्ड के कम्पोजीशन को देखते हैं उसमें मुतवल्लियों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है । आप मुतवल्लियों को कंट्रोल करेंगे, उनके खिलाफ जांच करेंगे और सारी प्रोसीडिंग्स करेंगे, उनकी ऐबसेंस में करेंगे, उनको नुमाइंदगी नहीं देना चाहते हैं । तो मेरी गुजारिश यह है कि यह जो डिस्क्रिमिनेटरी कम्पोजीशन है वक्फ बोर्ड का, इसका कोई हल निकलना चाहिये और इसको

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

रिमूव होना चाहिये और मुतवल्लियों का फेयर रिप्रेजेंटेशन जैसा कि एक बाडी में है वह दूसरी में भी देना चाहिये ।

शिया वक्फ बोर्ड के बारे में खंड १२ के उप खंड (१) में दिया हुआ है :—

"five members to be elected, not necessarily from amongst themselves, by the Shia members of the Legislature of the State ;

अब आप देखें कि शिया कम्युनिटी एक तरीके से उत्तर प्रदेश में माइक्रोस्कोपिक माइनारिटी में है और उसकी तादाद बहुत कम है और इस सदन की हिस्ट्री देखी जाय तो ४–५ से ज्यादा शिया मेम्बर्स नहीं आते रहे हैं । मिसाल के तौर पर मिनिस्टर साहब को मिलाकर कुल ४ शिया मेम्बर हैं और दो आदमी कौंसिल में है । अब ४ आदमी ४ आदमियों को ऐलेक्ट करेंगे : यह एलेक्शन का एक नया तरीका है कि एलेक्ट करने वालों की कुल तादाद उन आदमियों के बराबर है जिनको कि वह चुनकर भेजेंगे ।

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—अबकी उम्मीद है कि ज्यादा आजायेंगे ।

श्री सैयद जरगाम हैदर—तो वर्चुअली पोजीशन यह है कि जो शिया मेम्बर्स इस सदन के होते हैं वह सारे के सारे एक्स-आफिशियो मेम्बर्स हो जाते हैं । वही ऐलेक्ट करने वाले होते हैं और अपने को ही एलेक्ट करेंगे । कौंसिल में तो उससे भी दिलचस्प बात होती है कि पहले सिर्फ एक कौंसिल के मेम्बर थे । वह अपना ही नाम प्रोपोज करते थे, खुद ही मीटिंग बुलाते थे और खुद ही मेम्बर हो जाते थे । ऐसे भी आकेजंस हो सकते हैं जब कि वोटर्स की तादाद कम हो ऐलेक्ट करने वालों की और वोटर्स के नुमाइंदों की तादाद ज्यादा हो । इस वजह से पुराना ऐक्ट जो सन् ३६ का था उसमें भी बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था । उसके पहले यह पोजीशन थी कि जितने मेम्बर्स एलेक्ट होने हैं अगर वह सारे के सारे अमंग देमसेल्व्ज नहीं हो सकते हैं तो जो बचेगा वह बाद में किसी और पार्टी को, शिया औकाफ के, शिया कालिज को ट्रांसफर कर दिया जाय ।

इसलिये मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि इस बात पर आप विचार करें, इस वास्ते कि इस तरीके से जो बोर्ड का कांस्टीट्यूशन है, कम्पोजीशन जो होगा, वह बड़ा अनडेमाक्रेटिक लगता है कि एलेक्ट करने वाले और होने वाले वही और उनकी तादाद नुमाइंदों से ज्यादा, तो इसमें सीरियस तरीके से आपको गौर करना चाहिये ताकि वक्फ बोर्ड ऐसे बने जिन पर पब्लिक का पूरे तरीके से कानफिडेंस हो । वह लोग जो औकाफ में इंटेरेस्टेड हों वह उसके मेम्बर हों । इस सदन में तमाम मेम्बर्स हैं । कोई किसी चीज में इंटेरेस्टेड हैं, कोई किसी में इंटेरेस्टेड हैं । तो जो इस किस्म की एलेक्टेड बाडीज होती हैं उनका आबजेक्ट हमेशा यही रहता है कि ऐसे आदमियों को चुनकर भेजना जिनका एक पर्टिकुलर स्फीयर आफ ऐक्टिविटीज में कुछ इंटरेस्ट हो । इस वजह से मान्यवर के जरिये से माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि वह इस पर ध्यान दें क्योंकि जिस मकसद के लिये यह वक्फ बोर्ड है उस मकसद को और उन जरूरियात को यह बिल पूरा नहीं करता है ।

अब जहां तक हुसैनाबाद ट्रस्ट की बात है, सिद्दीक हसन साहब की रिपोर्ट हमारे सामने हो या न हो लेकिन इसमें कोई शुबहा नहीं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के सम्बन्ध में रेडिकल चेन्जेज की जरूरत है । क्योंकि जो तरीका वहां का है उसके बारे में मुख़तलिफ स्टोरीज मिसमैनेजमेंट की हैं और वह यकीनन ऐसी है जिनसे हर जिम्मेदार आदमी का फर्ज है कि वह उसकी तरफ तवज्जह दें । आप उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं । जहां तक देखने से पता चलता है हुसैनाबाद के लोगों ने उसको एक अर्से से जाती बना रखा है और यह कहा जाता है कि आया वह वक्फ है या नहीं । वह तो एक नामेनक्लेचर की बात है । जो ट्रस्ट बना था उसके दो आब्जेक्टस् थे । एक तो यह कि शाही खानदान के लोगों की पर्वरिश हो और दूसरे यह कि शाही वक्फ में जो मकान थे, जो बादशाह थे वह इत्तफाक से शिया थे, उन्होंने इमामबाड़ा, मस्जिदें और मजार बना दिये

उनकी ठीक तरीके से प्रोटेक्शन होती रहे । हमारे देश के पुराने रूलर्स जो कि किसी की गुलामी में नहीं थे उन्होंने हमेशा इस तौर पर गरीबों की परवरिश के लिये, उनकी तालीम के लिये रुपया फराहम किया । तो हुसैनाबाद ट्रस्ट इसी तरह का था, लेकिन जिस खूबी के साथ उसको काम करना चाहिये था वह नहीं हुआ इसलिये उसमें कोई न कोई चेन्ज, बल्कि मैं तो कहूंगा कि रेडिकल चेन्ज की जरूरत है ।

इस समय हमारे सामने गवर्नमेंट ने जो बिल पेश किया है उसमें गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर सारा मैनेजमेंट, सारा कन्ट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है । वक्फ बोर्ड के सुपरविजन में रखना महज एक जरिया उन्होंने अपने कन्ट्रोल का बनाया है । इसमें हुसैनाबाद के साथ डिस्क्रीमिनेटरी ट्रीटमेन्ट किया जा रहा है । इसमें जो वक्फ बोर्ड की पावर्स हैं उन पर आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि काफी वाइड पावर्स हैं ।

जहां तक वक्फ बोर्ड की वाइड पावर्स का ताल्लुक है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । कन्ट्रोलिंग अथारिटी अगर आप रखते हैं तो उसको पावर्स देनी चाहिये क्योंकि बगैर पावर के कन्ट्रोलिंग अथारिटी को रखना मुकदमेबाजी को पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं होगा । लेकिन मान्यवर, आप खंड १० मुलाहजा फर्मायें उसका प्राविजो यह है :—

"Provided that the control and superintendence of the Shia Board over the properties which were hitherto governed by the Husainabad Endowment Act, 1878 or which were administered by the Trustees appointed thereunder shall be subject to such directions as may be issued by the State Government from time to time."

श्री अधिष्ठाता—आपके पास क्या हिन्दी की कापी नहीं है ?

श्री सैयद जरगाम हैदर—हिन्दी की कापी तो है, लेकिन हिन्दी में पढ़ नहीं पाता हूं ।

तो इसका मतलब यह है कि शिया वक्फ बोर्ड का कन्ट्रोल हुसैनाबाद के ऊपर जो होगा वह गवर्नमेन्ट की डाइरेक्शन की बिना पर होगा । इस प्राविजो के मातहत गवर्नमेन्ट ने हुसैनाबाद ट्रस्ट के अख्तियारात एक तरह से अपने हाथ में ले लिये हैं और वक्फ बोर्ड को कोई पावर नहीं दी गई है । यह किसी तरह से सरकार के लिये जेबा नहीं है एक तरफ तो आप यह कहें कि हम वक्फ बोर्ड को पावर देना चाहते हैं और उस पर अमल किया जायगा, लेकिन फिर आप यह कहें कि जहां तक हुसैनाबाद का ताल्लुक है उसमें वक्फ बोर्ड के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें कान्फीडेंस नहीं है । मेरी गुजारिश है कि यह तरीका अच्छा नहीं है, बिलकुल गलत है । इस सिलसिले में मान्यवर मैं अर्ज करूंगा कि मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में फर्माया कि खंड ४३ के अनुसार सिर्फ पालिसी के मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेन्ट डाइरेक्शन देगी । तो और औकाफ के बारे में तो सिर्फ पालिसी के मैटर्स पर, लेकिन हुसैनाबाद के बारे में आपने सारा कन्ट्रोल अपने हाथ में रखा है, यह मुनासिब बात नहीं है ।

तीसरी चीज यह है कि हुसैनाबाद के बारे में सारी ताक़त गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। इसकी एक मिसाल इसमें एक जगह पर और मिलती है। इसमें वक़्फ़ बोर्ड की पावर्स में यह अख़त्यार भी है कि अगर वक़्फ़ बोर्ड चाहे तो स्कीम आफ मैनेजमेंट आफ कमेटीज़ (scheme of management of committees) बनाये और उसके अमल में लाने का इन्तजाम करे। जैसे कोई चैरिटेबिल ट्रस्ट है, यह उसके लिये वह करेगी। सेक्शन ९२, सी० पी० सी० में कमेटीज़ आफ़ मैनेजमेंट वग़ैरह की पावर्स १९३६ के ऐक्ट के बाद ही से वक़्फ़ बोर्ड को मिल गई थीं। अब इसमें दफा ४७ से पता चलता है कि यह अख़त्यार और औकाफ के बारे में उस वक्फ बोर्ड का होगा। लेकिन हुसैनाबाद ट्रस्ट के बारे में गवर्नमेंट ने यह लिखा है कि उन प्रापर्टीज़ के बारे में जो अभी तक हुसैनाबाद ट्रस्ट से इन्तजाम होती थीं स्टेट गवर्नमेंट उनकी स्कीम आफ़ एडमिनिस्ट्रेशन सैटिल करेगी। तो यह पावर स्टेट गवर्नमेंट ने ले ली है।

[श्री सयद जरगाम हैदर]

हुसैनाबाद के इन्तजाम के कंट्रोल के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं लेकिन कुछ और ट्रस्ट है और लोग उनके बारे में एजीटेशन करते चले आये हैं। उन्होंने लीफलेट्स और पेम्फ़लेट्स भी बांटे हैं जिनके बारे में यहां जिक्र करना मैं बिल्कुल बेकार समझता हूं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि सरकार का एटीटचूड जुडिशल होना चाहिये। जहां तक हुसैनाबाद की स्कीम के मैनेजमेंट का ताल्लुक़ है, उसके बारे में सी० पी० सी० में एडवोकेट-जनरल को अख्त्यार है कि वह डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में दफा ९२ का दावा करके एक स्कीम के बनाने का दावा कर सकता है। वक्फ़ बोर्ड को भी अख़त्यार है कि वह ऐसा कर सके या किसी आदमी को इजाजत दे दे कि वह ऐसा दावा दायर कर दे। मेरी राय में कंट्रोल तो सरकार का जरूर होना चाहिये, वक्फ़ बोर्ड के चार्ज में हुसैनाबाद रहना चाहिये, लेकिन उसकी मौजूदा स्कीम में तब्दीली होनी चाहिये। मसलन् उसमें लाइफ़ मेम्बरशिप है, टर्म होनी चाहिये, इलैक्टोरल क्लाज बढ़ने चाहिये, और गवर्नमेंट के नामीनेशन्स में भी तब्दीली होनी चाहिये। ज्यादा मुनासिब बात तो यह होगी कि दफा ९२ दावा एडवोकेट-जनरल से कराया जावे या, बतौर पालिसी के, सरकार वक्फ बोर्ड को कह दे कि वह दावा दायर कर दे। इन ट्रस्टों में लाखों रुपये का काम होता है। सेक्शन ९२ के जरिये एक स्कीम बना कर उनका इन्तजाम होना चाहिये। वे जुडिशियल बातें होंगी और जुडिशियल कार्यवाही होने पर लोगों में गलतफहमियां नहीं होंगी।

इस बिल में बहुत सी चीजें तो कमेंडेबिल हैं और कुछ ऐसी हैं जो कन्डेमेबिल हैं, मिन्जुमला उनके जो गवर्नमेंट ने वक्फ़ बोर्ड को सुपरसीड करने का अख़त्यार अपने हाथ में लिया है। यह गवर्नमेंट का डायरेक्ट मदाखलत का एक तरीका है। हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में यह भी है कि किसी के रिलीजन में मदाखलत नहीं की जायगी। मैं यह तो नहीं कहता कि स्टेट लेजिस्लेचर को वक्फ के इन्तजाम के बारे में कई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके काम में डायरेक्ट मदाखलत ऐसी बात है जो कंट्रोवर्शल है और जो किसी न किसी दिन गवर्नमेंट को न इसके कानून विभाग को हैडेक बन सकती है और हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बदकिस्मती से हमारे सदन की यह हिस्ट्री रही है कि दूसरों का जो राइट इसने अपने कानूनों से यूजर्प किया और जब जब वह हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ....

श्री अधिष्ठाता—यह हाउस माला फ़ाइडी कोई काम नहीं करता है। इस यूजर्प शब्द को आप वापिस लें।

श्री सैयद जरगाम हैदर—मेरा मंशा यह नहीं था कि हाउस माला फ़ाइडी काम करता है। अगर आपको एतराज है तो मैं वापस ले सकता हूं।

वक्फ़ बोर्ड सुपरसेशन की पहले कोई पावर्स नहीं थी। आखिर २४ साल काम करने के बाद कौन-सी अजीब बात पैदा हो गई जिसके कारण गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को सुपरसीड करने की पावर चाहती है? उस बाडी में औक़ाफ़ में दिलचस्पी रखने वाले और इस सदन के लोग होंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि यहां के चुने हुये लोग ही उसे कंट्रोल करते हैं। इसलिये यह एक ग़लतफ़हमी है कि वह ठीक से काम नहीं करेगी। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां-जहां सरकार को सुपरसेशन की पावर्स मिली है वहां सिर्फ पोलीटिकल वजूहात की बिना पर मदाख़लत होती रही है। हम समझते हैं कि यह इंटरफ़ीयरेंस की पावर मुनासिब नहीं होगी। मैं एक मिसाल अपने जिले बहराइच की देना चाहता हूं सैयद रसूल ग़ाजी के ट्रस्ट की ८०,००० या ८५,००० रुपये की आमदनी है। अर्से से वहां मुकदमेबाजी चली और एक बाडी उसे कंट्रोल करती थी। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसका फैसला वक्फ़ बोर्ड के फ़ेवर में हुआ। पब्लिक ने एक रिप्रेजेंटेशन किया और गवर्नमेंट से कहा कि वहां के ट्रस्टी हटा दिये जावें अगर माननीय मंत्री जी उस फाइल को देखेंगे तो उसमें यह भी लिखा है कि जिले के मुसलमानों का ऐतबार कांग्रेस से उठता जाता है और उसका सबब यह है कि दरगाह

कमेटी के लोग कांग्रेस के खिलाफ़ हैं, इसलिये अगर नयी कमेटी मुक़र्रर कर दी जाय तो खोये हुये ऐतबार को हासिल करने में हम लोग मदद करेंगे। जिन साहेब के उस पर दस्तखत हैं, वह एक बैरिस्टर हैं,. उन्होंने मुझे बताया कि उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन्स जारी हुये कि नयी कमेटी को तुरन्त पजेशन दिला दिया जाय। जब सरकार को वक़्फ़ बोर्ड को सुपरसीड करने की पावर्स नहीं थी, औकाफ़ के बारे में डायरेक्शन्स देने का अख्तियार नहीं था, जो कुछ भी मामला था वह सिर्फ मुतवल्ली और वक़्फ़ बोर्ड के दरमियान था, तब गवर्नमेंट इतने बड़े ट्रस्ट के आदमियों को हटाती और बैठालती है, तो आज आप अपने अख़्त्यार से कोई इस तरह का नाजायज़ फायदा न उठाइयेगा।

ट्रिब्यूनल्स इस ऐक्ट का सब से हैल्दी हिस्सा है। सन् ५५ से पहले जो अमेंडमेंट बिल आया था उसमें ऐसा प्रोपोज़ल था और इस प्रपोज़ल को एक बुनियाद है, जहां तक मेरी इत्तिला है, जो वक़्फ़ बोर्ड के साबिक प्रेसीडेंट थे---इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज और यहां के मोअज्जिज वकील---चौधरी नियामत उल्ला साहब का यह इरादा था कि इसके लिये ट्रिब्युनल मुकर्रर होना चाहिये जैसे कि इनकम टैक्स वगैरा के ट्रिब्युनल होते हैं। सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह वक़्फ़ के तहफ्फुज के लिये एक अच्छा कदम है।

जहां तक कन्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है उसके लिये मेक्सीमम ६ प्रतिशत रखा गया है। इसके साथ-साथ जहां तक गवर्नमेंट के कंट्रोल का ताल्लुक है, एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट शायद यह कहेगी कि लोकल बाडीज में तो वह इन्टरफियर करती हैं, लेकिन वहां आप एड भी तो देते हैं, उनके मुलाजिमीन को पैसा भी दे देते हैं। लेकिन वक्फ के बारे में तो सरकार की पूरी तरह से यह कोशिश रहती है कि उसका किसी मुकाम पर एक पैसा भी खर्च न हो। अगर कोई सर्वे कराया जायगा तो उस अधिकारी की तनख्वाह भी वक़्फ़ बोर्ड को देनी होगी। खर्च के मामले में तो ऐसी अलहैदगी कि उसके एस्टैब्लिशमेंट पर आप एक भी पैसा खर्च न करेंगे, एक पैसा भी कन्ट्रीब्यूट न करेंगे, अगर कोई अधिकारी आपका वहां डेप्यूटेशन पर जाता है तो उसकी तनख्वाह भी बोर्ड को ही देनी होगी, लेकिन जहां तक कंट्रोल का मामला है आप पूरा-पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। इस तरह से लोकल बाडीज वाली एनालाजी यहां पर अपील नहीं कर सकती।

जहां तक ६ परसेंट रुपया देने की बात है इसमें भी बहुत से ट्रस्ट्स को बड़ी परेशानी होती है। जिन लोगों ने वक़्फ़ क्रियेट किये हैं, उनका सारा का सारा बजट डिसलोकेट हो जाता है, वैसे ही जमींदारी खत्म होने के बाद आमदनी आधी रह गयी है। अगर गवर्नमेंट को औकाफ के साथ वाकई हमदर्दी है तो १० लाख रुपया जो उनके ऐस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, उस खर्चे को खुद उठा ले। तब वह यह भी कह सकती है कि हम मदद करते हैं इसलिये जवाब में हमें इस तरह से इन्टरफियर करने का अख्तियार भी है।

ये सब ऐसे मामलात हैं जिनसे १० हजार औकाफ के करीब मुतास्सिर होंगे और उसके ज़रिये इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी मुतास्सिर होगी। सन् १९२३ में इकबाल अहमद कमेटी मुकर्रर हुई थी, उस वक्त इनकी आमदनी ५० लाख रुपया के करीब थी और इस वक्त यू० पी० के औकाफों की आमदनी १ करोड़ रुपया सालाना के करीब है। यह बिल बहुत से मुतवल्लियों को इफेक्ट करेगा। तो जो ऐसा बिल है उसके बारे में कह दिया जाय कि मिनिस्टर साहब के बंगले पर चन्द आदमियों ने बैठ कर इसको बना दिया और इसलिये इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है, यह बात मुनासिब नहीं है। मंत्री जी बार-बार हाउस आफ कामन्स की बात किया करते हैं। वे जरा मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को उठा कर देखें तो उनको मालूम होगा कि वहां पर हर बिल, जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया जाता है, सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाता है। जो प्राइवेट मेम्बर्स के इम्पार्टेंट बिल्स होते हैं, वे भी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाते हैं। इन सब बातों की बिना पर, मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दीजिये, जब २४ साल से काम चलता रहा तो २-४ महीने में, सेलेक्ट कमेटी में जाने से, कोई गड़बड़ी

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

होने वाली नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पर संजीदगी के साथ गौर फरमायेंगे और इसको सेलेक्ट कमेटी को रिफर करेंगे।

श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी (जिला बस्ती)—जनाबवाला, मुझे इन्तहाई मुसर्रत है और इस बिल का जो मसविदा था उसके पढ़ने के बाद जो मैंने अपनी राय कायम की है वह ऐसी है कि इस पर मैं वजीर साहब को अपनी दिली मुबारकबादी पेश करूं और उसके साथ-साथ उन लोगों को जिन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया, उन्होंने बड़ी काबलियत के साथ ड्राफ्ट बनाया है और तमाम बातों पर गौर करके इसको फाइनल टच दिया और उसे माननीय मंत्री जी को दिया। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि बहैसियत एक मेम्बर सुन्नी वक्फ बोर्ड के कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कौंसिल और असेम्बली के जुमला मेम्बरान को दावत दी इस बिल के आने के पहले कि आप लोग गौर करके एक तारीख मुकर्रर कर दें ताकि जो इस बिल के अन्दर खामियां हैं उनको दूर करने के बारे में सलाह मशविरा दिया जा सके।

जनाबवाला, सन् १९१३ में पहले मुस्लिम वक्फ बिल बना था और उसके २३ वर्ष बाद सन् १९३६ में वह बना और उसके २३ वर्ष बाद सन् १९५९ में यह बना है। अगर आप मुलाहिजा करें तो पायेंगे कि शुरू में जो बिल बना था उसमें बहुत सी खामियां थीं। फिर सन् ३६ में जो बिल बना उसमें भी काफी खामियां थीं जो अब बिल्कुल दूर कर दी गयी हैं। वे खामियां इस तरह की थीं कि सेक्शन ९२ सी० आर० पी० सी० के मुताबिक मुकदमें दायर होते थे हाईकोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट तक चलाये जाते थे। इस तरह से तमाम रुपया मुतवल्लियों के जरिये बर्बाद हुआ करता था, वक्फ बोर्ड का भी बहुत सा रुपया खराब हो जाता था। अभी बहराइच दरगाह शरीफ का जो जिक्र किया गया, वहां पर भी मुकदमे लड़ गये जिसमें वक्फ बोर्ड का ३९, ४० हजार रुपया खर्च हुआ और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सूरत में मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल बहुत देर में आया है। "देर आयद दुरुस्त आयद" यह एक फारसी की कहावत है। यानी अगर कोई चीज देर में आये, लेकिन सही आये तो वह ठीक ही है।

हम लोगों ने जो मीटिंग वहां की उसमें कौंसिल और असेम्बली के लोग भी पहुंचे और उस पर काफी गौर किया गया। उसमें शिया वक्फ बोर्ड के लोग भी मौजूद थे और इस सिलसिले में वहां पर हम लोगों ने काफी बहस की और बहस करने के बाद मंत्री जी से गुजारिश की कि इसके मुताल्लिक कुछ बातें करने के लिये हममें से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग उनके पास गये और बड़ी फराखदिली से उन्होंने काफी अरसे तक अपना वक्त हमें दिया। हम लोगों ने जो वहां तय किया था उसे उनके सामने पेश किया कि इस तरह की बातें इसके अन्दर होनी चाहिये। हम लोगों को यह भी कहना था कि सेंट्रल बोर्ड की राय जो इस ऐक्ट के सिलसिले में ली गयी है उससे हम सैटिसफाइड नहीं हैं। हम लोग एक मर्तबा फिर उनसे मिले कि ऐसा नहीं होना चाहिये। लेकिन दरअस्ल जब मंत्री जी के साथ चन्द मेम्बरान की बहस हुई तो हमें मानना पड़ा कि जो बात उन्होंने बतलायी थी वह सही थी और इसका नतीजा जो होगा वह सही निकलेगा। तो इस खयाल से मैं तो समझता हूं कि इस वक्त जो इसका कांस्टीटयूशन है, इस वक्त जो बिल यहां आया है वह बहुत अच्छा है और काबिले पाबन्दी है। इससे ऐसा होगा कि मुतवल्ली जो बहुत से रुपये खराब कर देते थे, जो गबन कर जाते थे उन सबमें रोकथाम हो जायगी।

मेरे लायक दोस्त ने ट्रिब्यूनल की बात कही, तो यह उसमें एक अच्छा ऐडिशन है और यह बहुत कारामद साबित होगा। जो उसका आर्डर होगा वह फाइनल होगा अलबत्ता हाई कोर्ट किसी के दरख्वास्त देने पर देख सकता है, उसके रिकार्ड वगैरह को, लेकिन वह चीज जल्द खत्म हो जायगी। इस सम्बन्ध में शिया व सुन्नी दोनों के औकाफ के लिये जो किया गया है वह मेरे खयाल से बहुत अच्छा है। दूसरे यह बोर्ड जो बनेंगे वह प्योरली डेमोक्रेटिक होंगे और

जो दोनों शिया-सुन्नी बोर्डों के मेम्बर जाते हैं वह भी एलेक्शन से जाते हैं और जमैयत-उल-उलेमा व शिया कांफ्रेन्स से सेलेक्ट होकर जाते हैं। इस तरह से यह बिल्कुल डेमोक्रेटिक है और जो लोग एकाउन्ट्स वगैरह में काबिल होते हैं उनका कोआप्शन होता है, कुछ मुतवल्ली या एकाउन्ट्स वाले आदमी कोआप्ट हो सकते हैं । इससे साफ जाहिर है कि मौजूदा बिल हर तरह से उम्दा, बहुत ही कारामद और काबिल तारीफ है, मेरे खयाल से इसमें कोई खामी नहीं है। काफी वक्त इसमें लग चुका है, सन् ५५ में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस वक्त से अब तक कुछ नहीं हुआ, काफी ताखीर हो चुकी है और इन औकाफ का काम बहुत खराबी की तरफ जा रहा है इसलिये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की भी जरूरत नहीं मालूम होती।

इसका जो चेप्टर ६ है वह बहुत साफ है। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जज मुकर्रर होंगे। मैं अपने दोस्त को बता दूं कि जिन्होंने एतराज किया कि ट्रिब्युनल की तनख्वाह तो गवर्नमेंट देगी और वही सब काम करेगा दूसरे थोड़े से इखराजात की कोई बात नहीं है लेकिन जो ट्रिब्युनल है वह तो मुस्तकिल तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह पायेगा। हर शोबे में थोड़े से कंट्रोल की जरूरत तो होती ही है। अगर वह न रहे तो काम चलना मुश्किल हो जायगा और किसी भी बोर्ड का काम बिना किसी कंट्रोल के चलना ही मुश्किल हो जायगा। इन तमाम सूरतों पर अगर गौर किया जाय तो बड़ी आसानी से यह बिल हमारी तमाम जरूरियात को रफा कर सकता है और करेगा। इसलिये जितनी जल्द हो सके यह आज जिस हालत में पेश हुआ है उसको पास किया जाय और कोई ऐसे वजूहात नहीं हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वक्त जाया किया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसी वक्त इस बिल पर यहां गौर किया जाय और पास किया जाय इसके सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं ।

*श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---अध्यक्ष महोदय, मैं जनाब सैयद जरगाम हैदर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें शायद मंत्री जी भी एतराज न फरमायें कि इसका ताल्लुक मुसलमानों के एक अहम मसले से है। हम आज ऐसा महसूस करते हैं कि अगर जिन्दों से कुछ न मिल सके तो आदमी मुर्दों से ही लेने लगे, और उसका यही तरीका हो सकता है कि हम अब औकाफ की तरफ बढ़ें, सज्जादा बन जायं या पीरेमुगां का काम शुरू कर दें। अभी जनाब सुलेमान अधमी साहब ने फरमाया कि इस कानून की २३ साल के बाद यह तीसरी शक्ल रूनुमा हुई है, अगर इसी तरह से २३-२३ साल बाद शक्ल रूनुमा होती रही तो अगर कुछ थोड़ा सा और रुक जाय तो शायद ४६ बरस बाद कोई और शक्ल निकल आये। अलबत्ता यह देख कर मुझे अफसोस हुआ कि मुसलसल तजुर्बों के बाद और सन् १३ व सन् ३६ के ऐक्टों के देखने के बाद भी हमारे सामने यह इस कदर लूजली ड्रेफटेड बिल आया है कि जिस पर हर तरह से एजराजात हो सकते हैं। जैसा कि मैं आगे चल कर मैं अर्ज करूंगा।

यह बिल तो बहुत असरन्दाज है मुस्लिम पापुलेशन पर और उनके मामलात पर जिनका बहुत कुछ ताल्लुक अकाइत से है। इस मसले को अगर इस तरीके से नजरन्दाज कर दिया जाय कि चूंकि वक्फ बोर्ड ने किसी वक्त कुछ लोगों को इकट्ठा किया था एसेम्बली के या कौन्सिल के और वे मंत्री जी की खिदमत में हाजिर हुए थे, तो उस अमल ने सेलेक्ट कमेटी की जरूरत को पूरा कर दिया, यह मैं नहीं समझता कि कोई दलील हो सकती है। अगर इसी तरीके से एक सेलेक्ट कमेटी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा भी वह इसी तरह से कोई अमल अख्तियार कर लिया करें कि ४ मेम्बर किसी भी जगह इकट्ठे हों और मंत्री जी के पास चले जायं और गुजारिश कर लें और मंत्री जी उन तरमीमात को जो उनकी तरफ से होने वाली हों न सिर्फ मान ही लें बल्कि यह भी मुकर्रर कर दें कि फलां शख्स मूव कर दे और हम मान लेंगे। यह क्या सेलेक्ट कमेटी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हलीमुद्दीन] (राहत मौलाई)]

जरूरत को पूरा करना होगा? मैं गुजारिश करूंगा कि यह सेलेक्ट कमेटी की जरूरत को पूरा करना नहीं हो सकता.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, कृपया बैठें। सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम की घंटी बजायी गई।)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अब तो कल ही पूरा होता दीखता है।

(गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर चन्द मेम्बरान अज खुद इकट्ठा हो करके मंत्री जी की खिदमत में हाजिर हों कुछ गुजारिश ले करके और वह उन पर मुतहस्सिर हो कि मानें या न मानें, यह अमल सेलेक्ट कमेटी की कमी को या उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यह दलील नहीं बन सकता इस बात की कि चूंकि ऐसा कर लिया गया है और आपस में कोई तबादलये खयाल हो गया है लिहाजा सेलेक्ट कमेटी की कोई जरूरत नहीं रहती। जहां तक सेलेक्ट कमेटी के खुद अन्दर बैठ कर किसी भी बिल के डिस्कशन का ताल्लुक है मैं समझता हूं वह बहुत अहम चीज है, वहां तमाम पहलू पर विचार होता है और फिर एक सही शक्ल बनती है जो यकीनन हाउस के लिये और उन लोगों के लिये भी जो एतराज कर सकते हैं उनके लिये काबिले शिकायत नहीं रहती। इस हैसियत से अपनी जगह जो जरूरत सेलेक्ट कमेटी में जाने की है वह कायम रहती है और इधर उधर की दलीलों से पूरी नहीं हो जाती है। जहां तक खुद बिल की दफात का ताल्लुक है मुझे तो ऐसा आलूम होता है कि "सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है"। हमारी हुकूमत का यह उसूल होता जा रहा है मुसलसल कि जहां जहां भी मुमकिन हो सकता हो हम उन तमाम चीजों को अपने कंट्रोल में, निजाम में, अपने हाथ में, अपने अख्तियार में इस तरह से ले लें कि दूसरे को कोई गुंजायश न रहे।

इस सिलसिले में मंत्री जी ने जो मखसूस अख्तियारात इस बिल में सरकार को दिये जाने वाले हैं उनके मुताल्लिक कौन्सिल में जो रीज्वाइन्डर दिया उसमें यह फरमाया था कि हम इन अख्तियारात को सिर्फ या तो ऐक्ट की खूबसूरती कहिये या जो भी वजह समझते हो, बहरहाल उन्होंने कहा था कि हम इन अख्तियारात का कभी-कभी इस्तेमाल किया करेंगे, आम तरीके से नहीं। अगर ऐसे अख्तियारात किसी बिल में रहना जरूरी हों जिनको कभी-कभी इस्तेमाल करना उनके जेहन में हो और फिर भी वह बिल में रहें तो मैं नहीं समझता कि उनका बिल में रहना कहां तक मुनासिब है? और कहां तक यह कहा जा सकता है कि वाकई में इतने नेकनीयत हैं कि उन अख्तियारात को जिनको आप चाहते हैं बिल में रहें उनका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो यह नहीं पता कि किसी के कहने से करेंगे या अपने आप करेंगे।

जहां तक कांस्टीटचूशन की उस दफा का ताल्लुक है उसमें लिखा है: In the opinion of the Government तो इसके माने हैं कि अगर आज किसी वजह से, जैसा अभी-अभी जरगाम हैदर साहब ने बहराइच के किसी मजार शरीफ का हवाला दिया कि वहां की कमेटी कांग्रेस के खिलाफ है लिहाजा उस के मुकाबले में एक दूसरी कमेटी कायम कर के यह चाहा गया कि उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया जाय। तो अगर "In the opinion of the Government" इन्हीं लाइनों पर चलेंगे तो जाहिर है कि अख्तियारात खूबसूरत तरीके से ले कर कोशिश की जा रही है औकाफ को अपने कन्ट्रोल में, अपने हस्ब मन्शा जैसा उन की नजर में हो, कर लिया जाय। लेकिन उस रिज्वाइन्डर के खिलाफ मन्त्री जी ने यहां यह कहा कि कोई सेन्ट्रल वक्फ ऐक्ट है उस में ऐसा प्राविजन है उसी को हम वैसा ही ले रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई शायद मन्त्री जी ने सेंट्रल ऐक्ट की एक ही दफा का

मुलाहिजा फरमा लिया। लेकिन उससे पहले जो एक दफा और बनी हुई है उस सेन्ट्रल ऐक्ट में उस पर नजर नहीं डाली। जहां तक पावर्स का ताल्लुक है जिनका हवाला सेन्ट्रल ऐक्ट से दे कर अपने ऐक्ट में रखने को कहा गया, उनके मुताल्लिक में सेन्ट्रल ऐक्ट की दो दफात हैं ६२ और ६३ उन को पढ़ूंगा। दफा ६२ का हेडिंग है 'Directions by the Central Government' उसके अल्फाज इस प्रकार हैं :---

"(1) The Central Government may call for any report or information from the Government of any State with respect to the functioning of the Board in that State and after considering such report or information, the Central Government may issue such directions on a question of policy to be followed by the Board as it may think fit."

इसका सब-क्लाज (२) इस प्रकार है :--

"(2) in the performance of its functions under this Act, the Board shall be guided by the directions issued under Sub-section (1)."

इसके बाद ६३ दफा है जिस में लिखा हुआ है--
"Directions by the State Government—"

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जरा बैठें। कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---आप की इजाजत से जो कुछ गुजारिश कर रहा था उससे हट कर जरा अर्ज कर दूं कि यह हकीकत है कि यह बिल आज ही मिला है। मेज पर १४ को रखा गया, लेकिन १४ तक वह बिल छपा नहीं था। आप अपने सेक्रेटरी के मार्फत पूछ लें। मेज पर किसी बिल के आने के मानी यह नहीं हैं कि हम सब ने उसे पढ़ लिया, स्टडी कर लिया। इस हिसाब से मैंने गुजारिश की थी, चूंकि स्टडी नहीं की है इसलिए इतना मौका मिल जाय कि स्टडी कर लें।

मैं दफा ६२ पढ़ने के बाद दफा ६३ का हवाला दे रहा था---

"Directions by the State Government—Subject to any direction on questions of policy issued under Section 62, the State Government may, from time to time, give to the Board such general or special directions as the State Government thinks fit and in the performance of its functions, the Board shall comply with any such directions."

हमारे माननीय मन्त्री जी ने इस बिल के साथ ऊपर की दो लाइन्स जहां यह लिखा हुआ है--
"Subject to any directions on questions of policy issued under Section 62"
उनको उड़ा दिया और नीचे की सतरें ले लीं और कहा कि सेन्ट्रल ऐक्ट में जो लिखा हुआ है वह नये चैप्टर में ले लिया है। यह देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और अफसोस हुआ और इस के लिए कहा जाय कि हम गवर्नमेंट को मुबारकबाद दें तो यह कहां तक मुनासिब होगा। एक चीज को छिपा कर थोड़ी सी चीज रखी जाय तो इसके लिए गवर्नमेंट कैसे मुबारकबाद की मुस्तहक हो सकती है? ऐसे डायरेक्शन्स जो ६२ के मातहत जारी हो चुके हैं, उन को हज्म कर के आप ने आखिर के अल्फाज रखे हैं और इस तरह से जो पाबन्दियां हैं उनको हटा कर बाकी अख्तियारात को अपने हाथ में ले लेने से उनका मिसयूज होगा और अपनी अक्सरियत के बल बूते पर ऐसी चीज बना लेना किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा।

अब इसमें मैं तवज्जुह दिलाऊंगा उन अजीब किस्म की पावर्स के बारे में जिनके मुताल्लिक यह यकीन होता है कि किसी वक्त गवर्नमेंट औकाफ के उन मकासिदों को जिन के मातहत उसने अपनी जायदाद वक्फ की है, बिलकुल रोक सकती है। अगर मुतवल्ली और बोर्ड में कोई झगड़ा होगा तो उस के लिए ट्रिब्युनल में वह जायगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट

[श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)]

कुछ करेगी तो उसका जायजा कौन लेगा इसके लिए कोई चीज इसमें नहीं है। इसके माने हैं कि यह यकीन कर लिया जाय कि गवर्नमेंट जो करेगी उसी को हमें मान लेना चाहिए और वही सही बात हो सकती है और गलत नहीं हो सकती है। यह तो प्रिरोगेटिव चीज हुई कहां तक मन्त्री जी या उनके मातहत जो अफसरान होंगे जिन के हाथ में यह अख्तियारात होंगे उनका वह अपनी जगह पर सही इस्तेमाल करेंगे। जब जायजा लेने वाला कोई नहीं होगा तो किसी भी वक्त इनका मिसयूज किया जा सकता है। जिन चीजों के मुताल्लिक शुबहा है कि ऐसी चीजें की जा सकती हैं तो उनका रखना काबिले एतराज है और मैं नहीं समझता कि किस हद तक उनको जगह देनी चाहिए उस कानून में जो हम बनाने जा रहे हैं।

अब जहां तक बोर्ड के कांस्टीटयूशन का ताल्लुक है जो उसके मातहत बनेगा। उस से अन्दाजा होता है कि दरअसल में हमारी सरकार मखसूस नुक्ते नजर से इस को पेश कर रही है और वह उन चीजों को लाना चाहती है जो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं हैं। मैं खंड ११ के उपखंड (३) की तरफ तवज्जह दिलाऊंगा। मैं नहीं समझता कि मन्त्री जी ने या ड्राफ्ट करने वाले ने एक महज जमैयतुल-उल्मा को ही ऐसी जमाअत क्यों समझा कि जिसको अख्तियार दिया गया है कि वह अपना एक मेम्बर नामजद करके इस वक्फ बोर्ड में भेज दें? क्या चीज इस के पीछे है? सिवाय इसके कि वह उस जमाअत के, जिसकी हुकूमत है, पीछे लगने वाली चीज है और कोई खास उसकी खिदमात नहीं हैं जिनके मातहत कहा जाय कि उसका मेम्बर वक्फ बोर्ड में लिया जाय।

जमैयतुल-उल्मा के मुताल्लिक अर्ज कर दूं कि मैं नहीं समझता कि मन्त्री जी को इल्म नहीं होगा कि इस में एक मखसूस तबके के खयाल के लोग हैं। हमारे मुसलमानों में अलग-अलग तबके के खयाल के लोग हैं। वहाबी, सुन्नत जमाअती या देवबन्दी या बिद्दती हैं। देवबन्दी खयाल के लोग जमैयतुल-उल्मा में हैं और तबके सुन्नती जमाअत के लोग इसमें नहीं हैं। बिल में उनके हुकूकों को कोई हिफाजत नहीं की गयी है। अगर यह चीज पेशे नजर नहीं रखी गयी और देवबन्द वाले तबके को ही रिप्रेजेन्टेशन दे दिया जाता है तो यह काबिले एतराज बात है, जो कांस्टीटयूशनली भी जायज नहीं हो सकती है। बल्कि हम गुजारिश करेंगे कि एक ऐसा डिसक्रिमिनेशन सरकार ला रही है जिस से इन दोनों तबकों में टसिल हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। जमैयतुल उल्मा के लोग जो एक खास तबके के होते हैं वह दूसरे तबके को रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको मखसूस तौर पर इसमें लाना ठीक नहीं है।

इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा कि शायद उनको मालूम नहीं है कि इसके मेम्बरान एक मखसूस अकायद के लोग हैं और उनके यहां कब्रपरस्ती या ऐसी आमदनी जो कब्र से या ऐसी ग्याज नजर जो वक्फ से होती है, जो अललखैर नजर वगैरह से मुताल्लिक है वह कतई खिलाफ हैं और दूसरे तबके के नजदीक वह जरूरी है, जायज है, लेकिन जमायतुल-उल्मा के लोग किसी तरह से जायज नहीं समझते कि कहीं चहेल्लुम में या फातिया मुहर्रम में कोई नजर नियाज और सुन्नी जमायतुल उलेमा के यहां, उन के यहां यह सब चीजें जायज ही नहीं बल्कि जरूरी हैं। एक वक्फ है, फर्ज कीजिये उस वक्फ के मातहत ऐसी तमाम नियाज और नजर लिखे हुये हैं कि चहेल्लुम के दिन वह होगा, मोहर्रम के दिन यह होगा, ग्यारहवीं शरीफ के दिन यह होगा, फलां दिन फलां का फातिया होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि आया वह लोग जो कि जमायतुल उलेमा के रुक्न हैं, जो कि इस तमाम नजर नियाज के अमल को नाजायज समझते हैं, वह क्या वक्फ के मकासिद के बमूजिब उस पर अमलदरामद कर सकेंगे? अगर वक्फ बोर्ड में मखसूस खयालात के लोगों को बैक डोर से लाने की कोशिश की जाय तो वह मुनासिब नहीं होगा। मेरे खयाल से इस में जहां जमायतुल उलेमा का लफ्ज लिखा गया है वहां पर उस के बजाय सुन्नी जमायतुल उलेमा होता तो कुछ हद तक जायज होता। चूंकि वह इस नवइत से मुताल्लिक हैं, इस लिए वह

कुछ न कुछ कर सकेंगे, हालांकि मेरे ख्याल में, सुन्नी जमायतुल उलेमा भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिस के मातहत हम, इस कानूनसाज असेम्बली में, बैठ कर, उन को हुक्म दें, कि जहां पर हजारों, लाखों रुपये का सवाल है, उसका इन्तजाम करें, क्योंकि आप को ही जरूरत हुई कि आप वक्फ बोर्ड बिल लायें, उस में अमेंडमेंट करें। आप को ही जरूरत हुई कि तमाम गोलमाल होता है, लिहाजा यह अकदाम उठायें। जब वक्फ बोर्ड के लोगों के पास इतना असासा है, और वह गोलमाल कर देते हैं, तो यकीनन उस असासे की देखभाल करने के लिए ऐसे लोगों को उस में न बिठायें जो खुद ही अपने आप उसको हड़प लें, बल्कि जो उस के हकदार हैं, उन्हीं को उस में जाने दें।

जहां तक जमायतुल उलेमा की परवरिश की गयी है, इस सरकार की तरफ से---मैं तो उसको परवरिश ही कहूंगा---उस से हकीकतन अपनी जगह पर यह अहसास हो सकता है कि जमायतुल उलेमा के लोगों को भरने की कोशिश की जा रही है। मैं एक दो मिसालें दे दूं मन्त्री साहब को और वह साहब जिन्होंने अभी तकरीर फरमायी है और वक्फ बोर्ड के मेम्बर हैं उन को मालूम होगा कि फिरंगी महल के मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब का इन्तकाल होता है। उन की जगह पर किस खयाल के आदमी को लाया गया है, यह वह खुद जानते होंगे। बहर हाल उस फिरंगी महली जमात का या इदारे का, या सुन्नी जमात का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं रहा, जिसके मुताल्लिक कहा जा सके कि उन के हुकूक की सही हिफाजत और निगरानी हो रही है। ऐसी हालत में जब कि कोई कायदा नहीं है कि जमायतुल उलेमा का ही आदमी पहुंचे, और जब कि वहां जमायतुल उलेमा के आदमी छाये हुये हैं, जो चाहते हैं कर रहे हैं, जिस को चाहते हैं वक्फ बोर्ड में लाते हैं, जिस को चाहते हैं निकाल देते हैं, जिस को चाहते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं बनाते हैं, ऐसी सूरत में आप खुली छूट दे दें कि अब वह जमायतुल उलेमा के नाम से ही खुले तौर से आ जायं, तो यह बहुत गलत चीज होगी, और हरगिज इस काबिल नहीं होगा कि कानून में जगह दे कर उन को ऐसी इजाजत दें।

इसी तरह से शिया वक्फ है। मैं नहीं जानता कि उन की क्या खिदमात हैं, जिनके मातहत शिया वक्फ को रजिस्टर्ड का लफ्ज लिख कर वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय और यह तवक्को की जाय कि शिया वक्फ जिस की कोई खिदमात नहीं और जिस के खिलाय बहुत आवाज उठ सकती है, वह सही तरीके से रिप्रेजेन्टेशन कर सकेंगे और वक्फ बोर्ड के मकासिफ के मुताबिक सही तौर से उस को चला सकेंगे, जिस के चलाने के लिए बड़े स्ट्रांग और आनेस्ट आदमियों की जरूरत है, जो हर चीज को बिला तकल्लुफ उसी नवइयत से करते रहें, जिस नवइयत से वाकिफ ने वक्फ को कायम किया, या जिस नवइयत से उस की स्कीम बनायी गयी। जमायतुल उलेमा को यों घुसाया। शिया काम्फ्रेंस वाले यों आ गये। सिर्फ यही नहीं कि जो वक्फ बोर्ड के मातहत आ सकते हैं वही आयें, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट यहां पर है हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम से उस को भी इस में दे देंगे। हैरत है कि क्यों इस कदर गिरी हालत हो गयी है कि जहां भी कोई चीज मिल सकती है, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ मिल जाय, उसे उठाने की और उस पर कब्जा करने की कोशिश की जाय और वह भी इस तरीके से की जाय कि बिलकुल स्याह करें या सफेद करें। अगर ऐसी बात होती कि वाकई कोई खराबियां हैं तो उन जो हकीकत न दूर करने की कोशिश की जाती, उस के लिए कोई ऐसा अमल अख्तियार करते को डेमोक्रेटिक होता, जिस में कोई आर्बिट्ररी चीज न होती तो एक मुनासिब बात होती। लेकिन इस में तो है कि इन दी ओपिनियन आफ दि गवर्नमेंट (In the opinion of the Government) गवर्नमेंट की निगाह में उस को किसी हिदायत के मुताबिक अमल नहीं होता है तो उस को उस ने खत्म कर दिया। इस प्रकार के अख्तियारात आप हासिल करें और वह भी ऐसे कि जिन के ऊपर कहीं अपील न हो सके, तो यह बिलकुल काबिले एतराज बात है। इस से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अलबत्ता आप को जरूर कुछ फायदा हो जायगा चाहे दायें से हो जाय चाहे बायें से हो जाय, चाहे आगे से हो जाय चाहे पीछे से हो जाय लेकिन और किसी को कोई फायदा नहीं होगा।

[श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)]

अब हमारे एक लायक दोस्त ने मन्त्री जी को ही मुबारकबाद नहीं दिया बल्कि इस बिल के ड्राफ्ट करने वाले को भी उन्होंने मुबारकबाद दिया। मैं भी वकालत का पेशा करता हूं और बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि ड्राफ्ट करने वाले को मुबारकबाद देने की तो कोई बात है नहीं। उन्होंने शायद सही तौर से मुलाहिजा नहीं फरमाया। इस में ऐसी चीजें अब भी मौजूद हैं कि जहां पर हाई कोर्ट कल ही उंगली रख देगा और फिर उस का कोई जवाब नहीं होगा। अभी कल ही की बात है, सन् ५९ की जो आखिरी रूलिंग हुई है बदायूं के सुल्तान आरकीन साहब के केस में उसका खयाल नहीं रखा गया है। वहां कमेटी आफ मैनेजमेंट को बोर्ड ने अलग कर दिया और फौरन ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखकर मजार का चार्ज ले लिया। वहां उर्स होने वाला था। वह उर्स उन्होंने अपने सुपरविजन में कराया। उन लोगों ने जो कमेटी आफ मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दिया और हाई कोर्ट ने यह तय किया कि कमेटी आफ मैनेजमेंट को अलग करने का अख्तियार वक्फ बोर्ड को नहीं है, कमेटी आफ सुपरविजन को अलग करने का हो सकता है। लिहाजा वक्फ बोर्ड का अमल नाजायज है और उस बेसिस पर वक्फ बोर्ड १८, २० हजार रुपये के पेमेंट का लायेबिल है। तो उस रूलिंग को पेशेनजर नहीं रखा गया है जो कि अभी हाल ही में हुई है जिस ने वक्फ बोर्ड के सारे अख्तियारात बेकार कर दिये। ५६ में जो उन को दिये गये हैं उन को और दफा ५९(२) में जो उन को अख्तियारात दिये गये हैं उन अख्तियारात को मुअत्तल कर दिया। इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि इसको ड्राफ्ट करने वाले किस नवइयत से काबिले मुबारकबाद हैं। उन चीजों को पेशेनजर नहीं रखा गया है इस में जो जूडिशियल एनाउन्समेंट की शक्ल में हमारे सामने आ गयी हैं जिन के खिलाफ हम यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते। वह अपनी जगह पर रूलिंग्स हो गयी हैं।

इसी तरीके से दफा २७ है जिस में फिर मैं गुजारिश करूंगा कि उस चीज को कतई नजरअन्दाज कर दिया गया है। मैं आप की इजाजत से अंग्रेजी में ही उसे पढ़ देना चाहता हूं, हिन्दी का मैं सही पढ़ नहीं सकता—

"The Board may, whenever it considers necessary, establish in any local area a sub-committee for the supervision of any waqf, or waqfs generally, in that area.

(2) The constitution, functions and duties of the sub-committee shall be such as may be prescribed by the Board."

यहां पर भी कमेटी फार सुपरविजन ही लिखा गया है, कमेटी फार दि मैनेजमेंट नहीं रखा गया है। अगर उसका कोई प्राविजन नहीं है तो उस कमेटी आफ मैनेजमेंट को जिस को किसी वक्फ बोर्ड ने मुकर्रर कर दिया है उस के खिलाफ आप क्या कर सकेंगे? अगर यहां पर सुपरिन्टेन्डेन्ट्स इन औकाफ पर या वक्फ बोर्ड पर किया जाना ही इसका मकसद है तो यह बिल अपनी जगह पर इन्तहाई नामुकम्मिल रहेगा जो कि उस कमेटी आफ मैनेजमेंट के सिलसिले में होना चाहिए। कानून की रूह से जो उस के ऊपर नजर रहनी चाहिए और जिस नजीर का मैं ने अभी हवाला दिया उस को पेशेनजर रखा जाय तो यह एक सही कदम हो सकता है।

इस बिल के अन्दर आमदनी के मुताल्लिक एक चीज यह है कि जो आमदनी औकाफ के सिलसिले में हो सकती है या वक्फ बोर्ड को हो सकती है उस में जो प्राविजन किया गया है उसको बहुत महदूद कर दिया गया है। पायस चैरिटेबिल परपज का कोई मतलब नहीं है। जब आप यहां पर एक बिल बनाने बैठे हैं और जानते हैं कि इस चीज को बिलकुल साफ करना चाहिए। आप बजात खुद इस बात को जानते हैं कि किस किस तरीके से चैरिटेबिल परपज के लिए चीज हासिल की गयी हैं। उसी तरीके से यहां पर वह सब परपज साफ होना चाहिए। वह मुतवल्ली, जिस के खिलाफ आप यह दीवार खड़ी करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उसको दिमाग से बरखवास्त कर दें, वह तरह तरह की बारीकियां इन चैरिटेबिल परपज के मुताल्लिक

निकालेगा। तब यह बिल अपनी जगह पर वेग रहेगा। अगर आप उस की वजाहत इस ऐक्ट के अन्दर नहीं करते हैं तो इस से वह मकसद पूरा नहीं होगा जो आप चाहते हैं। चैरिटेबिल परपज का मकसद मेरा दूसरा हो सकता है और दूसरे का कुछ और मकसद हो सकता है और तीसरे का कुछ और मकसद हो सकता है। जैसा मैंने अर्ज किया मुसलमानों के तबकों में भी इस के मुताल्लिक अलग अलग खयाल हैं। एक ही चीज को कुछ लोग मुनासिब और सही समझते हैं तो दूसरे उस को हराम और नाजायज समझते हैं। तो जब तक इस की वजाहत न हो तब तक इस के कोई माने नहीं हैं। इस तरीके से भी हो सकता है कि कोई सोशल हो, एजूकेशनल हो या और किसी तरह की नवइयत की हों तो उन पर उस आमदनी को खर्च कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई खुलासा न हो तो यह अपनी जगह पर वेग टर्म रहेगा।

(इस समय २ बज कर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

इसी तरीके से जैसे वक्फ बोर्ड को सुपरसीड की पावर रखी गयी है और उस के लिए आप एक साल की मुद्दत रख देते हैं। उस के बाद इसमें यह कहा गया है कि हम दूसरा इन्तखाब जल्द से जल्द करायेंगे। जहां एक साल की मुद्दत आप रखते हैं अगर वहां पर यह भी रखें कि एक साल या इतनी मुद्दत के लिए जो वक्फ बोर्ड सुपरसीड करने के बाद दोबारा वक्फ बोर्ड बनने की मुद्दत, तो भी यह कुछ मुनासिब मालूम हो सकता था। जैसा कि एक वक्फ बोर्ड सुपरसीड होने के बाद ८ महीने में दूसरा बोर्ड बन गया तो वह ४ महीने जो बाकी रह जाते हैं उनको वह बोर्ड अवेल नहीं कर पायेगा। यहां पर यह मालूम होता है कि एक साल तक अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। अगर यह होता कि जितना वक्त रह गया नया बोर्ड बनने के बाद उस को वह बोर्ड अवेल करें तो यह कुछ मुनासिब था, लेकिन अगर उस के बाद भी आप वहां पर विराजमान रहते हैं और उस के बाद वक्फ बोर्ड बनता है तो वह मुद्दत बहुत ज्यादा हो जायगी और वह मुसीबत ८ महीने रहती तो और एक साल तक रहेगी। इस के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका इन्तजाम अगर आपने अपने हाथ में ले लिया है तो उसको आप दुरुस्त फरमा देंगे।

यहां पर मैं एक प्वाइन्ट भूल गया और वह यह था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यहां पर हवाला दिया गया। उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मातहत वक्फ कोई एलेक्टेड बाडी नहीं है बल्कि उसके मातहत एक अप्वाइंटिंग बाडी है। सेन्ट्रल ऐक्ट की सेक्शन ११ अगर माननीय मन्त्री जी देखेंगे..

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, कोरम नहीं है, और तीसरी बार नहीं है।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---यह चौथी बार है।

श्री उपाध्यक्ष---आप को भी तकरीर फरमाने में दिलचस्पी नहीं है, ऐसा मालूम होता है।

(हंसी)।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष---अब कोरम तो हो गया, लेकिन जैसा बतलाया गया कि यह चौथी बार है कोरम का अभाव होने पर घंटी बजानी पड़ी है। मैं सरकारी दल से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में सतर्कता बरतें। चूंकि यह सरकारी बिल है इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश कर रहा था कि जहां तक सेन्ट्रल ऐक्ट का हवाला देने का ताल्लुक है उसमें और स्टेट के ऐक्ट में बड़ा फर्क है। दोनों की पालिसीज अलग अलग हैं, दोनों का कांस्टीटयूशन अलग अलग है, दोनों का मकसद अलग अलग हैं, इस लिए मैं नहीं समझता कि किस तरह से हुकूमत की या मन्त्री जी की यह जुर्रत पड़ गयी कि वह यह कहने लगे कि सेन्ट्रल ऐक्ट में ऐसा प्राविजन किया गया है और हम ने उस

[श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)]

की नकल कर ली है। मैंने दफा ६२ और ६३ पढ़ कर सुना दी कि नकल नहीं की गयी है बल्कि एक तरह से गलत बयानी की गयी है। दफा ६२ के जो डाइरेक्शन्स हैं उन्हीं के लिए दफा ६३ है और दफा ६३ आपके बिल में कोई नहीं है।

जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के ऐक्ट के मुताबिक बोर्ड्स के बनाने का ताल्लुक है उनके लिए भी मैं गुजारिश करूं कि उनमें बड़ा इख्तिलाफ है। सेन्ट्रल वक्फ ऐक्ट के मातहत जो बोर्ड्स बनेंगे वह एलेक्टेड बाडीज नहीं हैं, वह एप्वाइन्टेड बाडीज हैं। हमारे यहां जो बोर्ड्स बनेंगे, वह एलेक्टेड बाडीज हैं, एप्वाइन्टेड नहीं। इसलिए दोनों का एक ही लेविल पर विचार करना और यह कहना कि एप्वाइंटेड बाडीज के लिए जो अख्तियारात हो सकते हैं गवर्नमेंट को, एलेक्टेड बाडीज के लिए भी वही अख्तियारात होने चाहिए, एक अजीब सी चीज होगी। जहां तक किसी भी एलेक्टेड बाडी का ताल्लुक है वह अपने एलेक्टोरेट के सामने जवाबदेह है। उसने अगर कोई गलत कदम उठाया है तो वह वहां जवाबदेह है, वह वहां बतलायेगा, उसमें गवर्नमेंट को दखलन्दाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जहां खुद कोई बोर्ड एप्वाइन्ट किये हैं वहां यह जरूरी हो जाता है कि उनके लिए गवर्नमेंट अपने हाथ में सत्ता रखे, पावर रखे कि वह जिसे चाहे उसको सुपरसीड कर सके और जिस को जैसे चाहे कान पकड़ कर उठाये बैठायें। लेकिन एलेक्टेड बाडीज में उसी उसूल को चलाना, मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक है।

दूसरी बात यह है कि सेन्ट्रल ऐक्ट के मातहत जो बोर्ड्स बनेंगे, उनमें मुझे तो बहरहाल यही मालूम है मन्त्री जी शायद कुछ ज्यादा वाकिफ हों कि सुन्नी और शिया के अलग अलग बोर्डस् नहीं हैं। एक ही बोर्ड है, शिया भी उसमें होंगे और सुन्नी भी उसमें होंगे। अलबत्ता उनके फंक्शन्स अलग-अलग जरूर हैं। जहांतक शिया फंक्शन्स का ताल्लुक है, शिया पर्सनल ला और शिया वक्फ के मातहत जो उसूल हैं उनके मातहत चीजें चलेंगी और इसी तरह से सुन्नी चीजें सुन्नी ला के मातहत चलेंगी। अगर वहां भी यहां की तरह के शिया और सुन्नी अलग-अलग बोर्ड बनाये जायं और यहाँ की तरह की वर्किंग वहां भी होने वाली हो तो हो सकता है कि आप उस उसूल को अपनायें, वह ठीक होगा। लेकिन जब बोर्ड का कान्सटीट्यूशन ही ऐसा हो जिसमें जनीन अलसबात का फर्क हो तो मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से काम चलेगा।

इसके अलावा आप देखें कि सेन्ट्रल वक्फ रेस्ट के एक जुज को ले लेना माननीय मंत्री जी बतलाते हैं जो कतई गलत है। फिर जहां तक सेन्ट्रल वक्फ रेस्ट का ताल्लुक है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी वक्फ का। दूसरे यह कि यह जो बोर्ड बनेगा सेन्ट्रल ऐक्ट के मातहत वह एप्वाइन्टेड मेम्बर्स का होगा, एलेक्टेड मेम्बर्स का नहीं होगा।

दूसरी बात यह कि ख्वाजा दरगाह अजमेर का जो ऐक्ट बना हुआ है वह ऐक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसे ऐक्ट का हवाला यहां पर देना और कोई प्रावीजन यहां पर ले आना मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक होगा। यह प्रावीजन जो आप बनाने जा रहे हैं, इस विधेयक में जो पावर्स आप देने जा रहे हैं, वह इनकान्सिस्टेन्ट हैं। यह उस ऐक्ट के कतई दूर हैं जिसका हवाला आपने दिया है।

मेरे लायक दोस्त, माननीय सुलेमान अथमी साहब ने एक कमेटी का हवाला दिया। एक सब-कमेटी के रूप में कुछ लोग माननीय मंत्री जी की खिदमत में हाजिर हुये थे। वह एक सब-कमेटी थी। उसको पूरी कमेटी की राय नहीं कहा जा सकता।

मेरे लायक दोस्त ने एक और अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि यह जो खर्चा होगा वह गवर्नमेंट उठायेगी। मेरा खयाल है मेरे लायक दोस्तों ने और इस तरह के एतराज करने वालों ने शायद इस प्रावीजन को, जो इसमें है, नहीं पढ़ा है जिसका कि उन्होंने हवाला दिया है। मैं नहीं समझता कि कौन सा ट्रिब्युनल बैठेगा जिसके खर्चे का भार सरकार पर पड़ेगा ? जो

ट्रिब्युनल होगा उसमें वही लोग तो होंगे जो सिविल जजी के पद पर कार्य कर रहे होंगे। वे सिविल जज होंगे। उनकी जो तनख्वाह है वह तो उनको मिलेगी ही। इसके अलावा और कौन सी तनख्वाह सरकार देने को सोच रही है? इसके अलावा वह कौन सा खर्च होगा जिसे सरकार उठायेगी? मेरे लायक दोस्त ने कहा कि जो सर्च होगा और उसके लिये जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रखे जायेंगे उस पर पया खर्च होगा। उस खर्च को सरकार ने अपने से अलग कर दिया है और वह खर्च औकाफ की आमदनी या बोर्ड के ऊपर डाल दिये हैं। यकीनन जो यह डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर होंगे वे गवर्नमेंट के मुलाजिम ही तो होंगे, वे कोई बाहर के आदमी तो नहीं होंगे? तो कौन सा खर्च सरकार के ऊपर पड़ेगा? इसलिये मैं तो कहूंगा कि जब सरकार इतनी मोहताज है कि ऐसे खर्चों को भी वह बरदाश्त नहीं कर सकती तो फिर इसके मैनेजमेंट में क्यों दखल देना चाहती है।

आप देखें कि जो दफा ४३ और ४४ हैं उनमें पावर्स सब गवर्नमेंट ने ले रखी हैं। तो मैं नहीं समझता कि कहां तक यह बात सही होगी कि हम खर्चा नहीं उठायेंगे। जब आप खर्चा नहीं उठायेंगे तो मैं यह पूछ सकता हूं कि जनाब को क्या हक है कि आप किसी भी बाडी के ऊपर इस तरीके से तहक्कुमाना तरीके से यह बोझ डालें कि हम जो डाइरेक्शंस देंगे वह तुम्हें कैरी आउट करने पड़ेंगे? अखराजात के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा उन लोकल बाडीज का हवाला दिया जा सकता है जिनको गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन ग्रांट्स की शक्ल में, लोन की शक्ल में तरह तरह से पया देती रहती है---जैसे कि म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। गवर्नमेंट को अपनी जगह पर कुल्ली अख्तियारात हैं कि जब चाहे उनको सुपरसीड कर दे और जब चाहे किसी आदमी को ऐडमिनिस्ट्रेटर के नाम से रख दे। यह चीज वह करती रहती है। तो वक्फ बोर्ड के लिए सिर्फ इसलिए कि आप कोई बिल पेश कर दें और उसमें बिलकुल आईन के खिलाफ कोई पावर्स अपनी जगह पर रख लें, वह शायद दुरुस्त नहीं होगा---दुरुस्त ही नहीं होगा बल्कि अन-कांस्टीट्यूशनल होगा जिसको कभी भी हाई कोर्ट या जुडीशियल ट्रिब्युनल जरा देर में उठा कर खत्म कर देगा।

आप अगर इस्लाह करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के सिलसिले में तो अगर उसके लिए किसी माली इमदाद की जरूरत पड़े तो वह खुल कर दें। अगर ऐसी चीज नहीं रखते हैं, सिर्फ पावर्स अपने पास रखते हैं तो यह पालिसी "गिव एंड टेक" के उसूल से बिलकुल इनकांसिस्टेंट होगी। मैंने तो जायदाद वक्फ की, और खास मकासिद मुकर्रर किये कि फलां फलां मकासिद के लिए सर्फ होगी, मगर आप कहते हैं कि हमसे पूछो, हम बातयेंगे कि कहां खर्च करेंगे और यह भी बतलायेंगे कि खर्च करने वाले के खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो वाकिफ था, जो मालिक था, जिसने लाखों रुपया वक्फ किया उसकी कोई पूछ-गछ नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। उसकी रूह का सबाव और अजाब सब सरकार की रूह के नाम आ गया। गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी खर्च न करे और चाहेगी तो बख्शीश शुरू कर देगी---कभी जमीयतुल-उलेमा पर; कभी शिया कान्फरेंसेज पर और ऐसे लोगों पर जो हर वक्त अपने किसी न किसी मकसद में काम आते रहते हैं---किसी एलेक्शन या दूसरे मौके या तीसरे मौके या चौथे मौके पर। तो जहां आपको अख्तियारात हों, लेकिन लायबिलिटीज न हों, सिर्फ राइट्स ही राइट्स हों, मैं नहीं समझता कि वह कानून किस हद तक कांस्टीट्यूशनल है और किस हद तक डेमोक्रेटिक है या किस हद तक अपनी जगह पर किसी भी उसूल के मुताबिक जस्टिफाइड है, यह गौर-तलब है। सिर्फ इसलिए कि हम हाकिम हैं, हमारी हुकूमत है, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम लाइ-बिलिटीज की तरफ से आंखें मींच लें और दूसरों को कुचलते चले जायं, अगर इसी नवइयत का यह बिल बनता है तो वह काबिले मुबारकबाद नहीं होगा बल्कि मंत्री जी के लिए काबिले मजम्मत बन जायगा और बाद में उन्हें अफसोस करना पड़ेगा कि ऐसी चीज क्यों रखी गयी।

मेरे लायक दोस्त ने कहा कि हर २३ वें बरस के बाद इस वक्फ की किस्मत घूमती है, बदलती है, तो वैसे तो उमूमन हर १२ साल के बाद किस्मत बदला करती है, लेकिन अगर इसको हमने पास कर लिया तो वह लानतें और मुसीबतें बदस्तूर २३ साल तक कायम रहें

[श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)]

यह कौन-सी अकलमन्दी है, कौन-सी जहनियत है, दानिशमंदी है ? सिर्फ इसलिए कि उनकी तरफ से कोई तजवीज आयी तो हम मुखालफत करने के लिए खड़े हो जायं, यह कहां तक मुनासिब है ? सेलेक्ट कमेटी में जाने से कौन-सा नुकसान हो जायगा ? अगर काबिले मुबारकबाद पीस आफ लेजिस्लेशन है तो वहां भी बदस्तूर रहेगा, सिलेक्ट कमेटी उसे बेहतर कर देगी, तो इसमें कोई एतराज की गुंजायश नहीं है । इन अल्फाज के साथ मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इस हैसियत से कम से कम अभी तक सही तौर से इसके तमाम प्राविजन्स को किसी भी मेम्बर साहब ने नहीं पढ़ा है । बिलखुसूस ऐसी हालत में जबकि काफी टेन्टेटिव अमेन्डमेन्ट्स हों---वह टेन्टेटिव हैं जैसा कि कहा जाता है---और तमाम छोटे-छोटे अमेन्डमेन्ट्स हमारे सामने लाये गये, मुत्तफिक तौर से हमने उनको कबूल कर लिया और विधान परिषद् में मूव होकर वह इनकार्पोरेट भी हो गये इस बिल में जो हमारे सामने है । वह अमेन्डमेन्ट्स क्या हैं, किस हद तक वह उस बिल में जो इससे पहले थे उसमें असर अन्दाज हैं या उस ऐक्ट पर जो अब भी नाफिज है असरअन्दाज हैं, यह अभी तक किसी ने नहीं देखा या देखने का मौका नहीं मिला । ऐसी हालत में यह बिल वाकई अगर पास होने से पहले सेलेक्ट कमेटी में चला जायगा तो वहां डिस्कशन होने के बाद, जो एतराजात बताये गये उनको दूर करने के बाद, सही शक्ल में हमारे सामने आयेगा और तब हमारे लिये आसानी होगी और हम पब्लिक का फायदा भी कर सकेंगे ।

इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी से मेरी थोड़ी-सी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने यह फर्माया था कि वाकई में अगर हमने इस किस्म के अमेन्डमेन्ट्स किये और कमेटी में भेजा तो मुमकिन है कि इसमें साल दो साल और लग जायं और वह जल्दी पास न हो सकें । मैं उनके इस जज्बे की कद्र करता हूं । वाकई अगर ऐसी बात हो जाय तो देर हो सकती है । लेकिन जैसा कि मेरे लायक दोस्तों ने फर्माया "देर आयद दुरुस्त आयद" के मायने वह नहीं हैं जैसा कि उन्होंने फर्माया । इसके मायने यह हैं कि जो चीज देर में हुआ करती है वह दुरुस्त हुआ करती है । उसमें हमको गौरो खोज करने का मौका मिलता है, आपस में अच्छी तरह से मशिवरा करते हैं जिससे वह चीज अच्छी तरह से बुन और छन जाती है, इसलिये यकीनन वह चीज बेहतर होगी । इस तरह से वह चीज देर में दुरुस्त होकर आती है, इसके अलावा और कोई सके मायने नहीं हैं । २३ वर्ष के बाद आज इस बिल के दिन जगे हैं । २३ वर्ष के बाद इस बद-नसीब बिल में खुशनसीबी के गुल खिलने वाले हैं, इसलिये इसमें वही गुल खिलने चाहिये जिनकी कि वाकई जरूरत है, ऐसा न हो कहीं कि वह गुल खिल जायं जिनके लिये हमें अन्देशा है । इसलिये मैं नहीं समझता कि इसमें उजलत क्यों की जाय । अगर इस बिल में साल, दो साल या तीन साल की देर लग भी जाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम यह कह सकते हैं कि २३ वर्ष के बजाय २६ वर्ष में यह बदला है, लेकिन उसको उस शकल में तो आना चाहिये जिसकी पब्लिक को जरूरत है ।

जहां तक पब्लिक की आवाज का ताल्लुक है, वह अपनी जगह पर महसूस कर रही है और वह मुतवल्ली से आजिज है । और वह बहुत से वाकयात जो कर रहे हैं वह भी सही हैं । मैं आपको मुरादाबाद की एक मिसाल दे सकता हूं । वहां पर एक बहुत पुरानी मजार है उसके लिये कमेटी और मुतवल्ली मुकर्रर कर दिये गये । मुतवल्ली का आलम यह है कि उन्होंने तावीज जारी करना शुरू कर दिया । उनके तावीज दो किस्म के होते हैं । उनका एक तावीज तो वह होता है जो कि वह अपनी मसनद पर, जहां पर कि वह तशरीफ रखते हैं, बैठे-बैठे लिखते हैं, उसकी कीमत ढाई रुपया होती है । दूसरे तावीज के लिये वह मजारे मुबारिक के पास जाते हैं---मैं आपको सही बात बतला रहा हूं कोई लगी बात नहीं है---और उसकी पैंती पर अपना कान रख देते हैं, वहां पर देखने वालों को महसूस होता है कि वाकई वह किसी से बातचीत कर रहे हैं "अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है, वगैरह वगैरह" और किसी खास किस्म के तावीज की वह इजाजत लेते हैं । उस तावीज की कीमत ५ रुपये से लेकर ५० रुपया और १०० रुपया तक

होती है। यह मैं उस जगह का वाकया बता रहा हूं जहां पढ़े-लिखे लोग जाते हैं, जहां थानेदारों को ट्रेनिंग होती है, वहां पर जाहिल किस्म के लोग ही नहीं जाते हैं बल्कि पढ़े-लिखे और अपने को काबिल समझने वाले लोग जाते हैं। गो मैं भी यह मानता हूं कि मुतवल्ली साहब अगर मजार शरीफ पर जाकर जो ताबीज, साहिबे मजार के मशविरे से देंगे, वह ज्यादा बाअसर होगा, बजाय उसके जो वे अपनी गद्दी पर बैठकर बनायेंगे, लेकिन मैं इस बात को ठीक नहीं मानता कि वे साहिबे मजार से वाकई बातचीत करते हैं। बारहा वक्फ बोर्ड से कहा गया, उसको अल्हदा करने के बारे में, लेकिन जमायतुल-उलमा के अराकीन की वजह से वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर रहा है। जो लोग उस मजार शरीफ में किन्हीं वजूहात से इन्टरेस्टेड हैं, उनकी वजह से कोई सुनवाई उसके खिलाफ नहीं होती है। उससे किस-किस को क्या-क्या फायदा होता है, अल्लाह जाने, लेकिन हम देखते यह जरूर हैं कि उस मुतवल्ली को अभी तक हटाया नहीं गया है और उससे न साहिबे मजार बातचीत करते, बल्कि वह पब्लिक को धोखा दे रहा है, वह अपनी जगह पेट पाल रहा है। पेट ही नहीं, बड़े ठाठ हैं उसके। वह वहां ऐश कर रहा है। लोगों की मांग है कि उसको हटाया जाय, लेकिन वक्फ बोर्ड उसको हटाता नहीं है। इसी किस्म की चीजें दूसरी जगहों पर भी हो सकती हैं, जिनको मैं यहां पेश करना नहीं चाहता।

वक्फ की शिकायत मंत्री जी तक की गयी लेकिन मंत्री जी ने कोई एक्शन उस बारे में नहीं लिया और जिसकी शिकायत की गयी थी वह चीज उसी के पास रिपोर्ट के लिये पहुंच गयी। बहरहाल उसकी तरफ से उन शिकायात को दूर करने की कोशिश नहीं की गयी। अगर सरकार ने इस तरह से अख्तियारात को ले लिया तो फिर इसका क्या एश्योरेंस है कि उनका इस्तेमाल सही होगा, इसके लिये इस बिल में कुछ नहीं रखा गया है। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और जिस तरह से वह छान कर, जवाहर बनाकर भेज दे तब उसे हमारे सामने हाउस में पेश किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसके बारे में ज्यादा तो जानता नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ी सी बातें मैंने इसमें एक अदना वकील की हैसियत से देखी हैं, वे मुझे बहुत भयंकर बातें मालूम पड़ती हैं। उन्हीं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ऐसे मजहबी मामले में, श्रीमन्, पब्लिक ओपीनियन ली जानी चाहिये और हम जानना चाहते हैं कि इसके बारे में शिया ओपीनियन क्या है? क्योंकि शियाओं से यह ताल्लुक रखता है और साथ ही साथ सुन्नियों की पब्लिक ओपीनियन क्या है। हमें अखबारों में पढ़ने को मिला कि बड़े-बड़े डेलिगेशन माननीय मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी से मिले। तो माननीय मंत्री जी ने उनकी बातों में से कितना लिया और कितना नहीं लिया और किस कारण से नहीं लिया, यह सब आदरणीय सदन के सामने रखा जाना चाहिये था। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इसका बड़ा विरोध हो रहा है। बातें तो बहुत हुई हैं लेकिन माननीय मंत्री जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुये ऐसा लगता है।

श्रीमन्, जैसा कि बहराइच के एक आदरणीय मित्र ने कहा कि जब पहले बिल बना था तो हाईकोर्ट के एक भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री इकबाल अहमद ने तमाम यू० पी० में घूम-घूम कर, जगह-जगह जाकर लोगों की राय चाही, उनसे मशविरा किया, उनकी गवाही ली और उसके बाद तब कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचे, इतना सब होने के बाद। यह जानी मानी बात है कि वे इस प्रदेश के सबसे काबिल वकीलों में गिने जाते हैं। श्री इकबाल अहमद की काबलियत में किसी को शुबहा नहीं है फिर भी उनके द्वारा पेश किये गये तथा पास कराये गये बिल में आज माननीय मंत्री जी को तथा बहुत से ड्राफ्ट करने वालों को नुक्स दिखने लगा। उन्होंने फरमाया कि पुराने कानून के कारण लिटिगेशन इतना लम्बा हो जाता है, इतना प्रोलांग हो जाता है कि वह चल नहीं सकता। माननीय सदस्य बस्ती ने अभी उधर फरमाया कि उसमें सेक्शन ९२ सी० पी० सी० के मुताबिक मुकदमे हो जाते हैं। मैं आपकी इजाजत से प्रस्तावित खंड ६४ को पढ़ देता हूं :

"(1) A suit to obtain any of the reliefs mentioned in section 14 of the Religious Endowments Act, 1863 and in section 92 of the Code of Civil

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

Procedure, 1908, relating to any waqf may, notwithstanding any thing to the contrary contain in these Acts, be instituted by the Board without obtaining the leave or consent referred to in these Acts.

(2) No suit to obtain any of the reliefs referred to in sub-section (1) relating to waqf shall be instituted by any person or authority other than the Board without the consent in writing of the Board."

तात्पर्य यह है कि मुकदमे अब भी हो सकते हैं। समय की बचत कैसे हुई ?

दूसरी बात, श्रीमन्, माननीय सदस्य बस्ती ने जो एक काबिल वकील भी हैं, पता नहीं यह कैसे कह दिया कि उनका सिविल रिमूवल भी नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस ऐक्ट के मुताबिक गबन की रोकथाम होगी। मैं उनसे बाअदब गुजारिश करूंगा कि ताजीरात हिन्द की दफा ४०९, ४०७, ४०५, ४१५, ४२० आदि के मुताबिक आज तक गबन के मुकदमे क्यों आयद नहीं हो सके ? क्या आज के मुताबिक मुकदमे नहीं होते ? इसका मतलब तो यह हुआ कि आज तक गबन होते थे और सरकार जानते हुये भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती थी। मैं समझता हूं कि यह एबेटमेंट की शकल में आता है और दूसरी बात यह है कि यह बाद में अल्टरावायरस आफ दि कांस्टीट्यूशन होगा। दफा ८५ में दिया हुआ है—

"(1) Nothing in any other enactment, which is inconsistent with the provisions of this Act, shall apply to any waqfs to which this Act applies.

(2) The U. P. Muslim Waqfs Act, 1936, as amended from time to time, and the Husainabad Endowment Act, 1878, are hereby repealed."

श्रीमन्, हुसेनाबाद ट्रस्ट ऐक्ट आपकी इजाजत से थोड़ा-सा मैं पढ़ दूं—मुहम्मद अलीशाह ने किसी रेलिजस काम वगैरह के लिये लाखों रुपया दिया है। यह ऐक्ट १८७८ में पास हुआ। गवर्नर जनरल ने इसके पास करने में अपनी सम्मति दी। सन् १९५० में यह केन्द्रीय सरकार ने adapt किया और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति दी।

"And whereas, on or about the twenty third day of November, 1839, the said Muhammad Ali Shah deposited the sum of twelve lakhs of Lucknow sicca rupees in the treasury of the late East India Company at the residency at Lucknow."

इस रुपये से जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें कई पेंशनों, मकबरों, मस्जिदों के रखरखाव आदि charitable कार्य किये जाने की व्यवस्था की गई है, उससे क्या होगा ? इसलिये यह बनाया गया लेकिन हम देखते हैं कि वह एक सेंट्रल ऐक्ट है, उसके लिये प्रेसीडेंट की इजाजत भी मिल चुकी और वह सन् ५० में एनेक्ट भी हो गया। मंत्री जी गौर फरमायें, यह मजाक की चीज नहीं है, मंत्री जी समझ रहे हैं कि हंस कर के यह मामला उड़ जायगा लेकिन वह गौर करें कि क्या सेंट्रल ऐक्ट एक स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा repeal किया जा सकता है ? मंत्री जी "हां" की सूरत में सिर हिला रहे हैं। उधर के बैठने वाले बड़े-बड़े काबिल वकीलों को भी मेरी तरह की दुविधा है। मेरी बातचीत लखनऊ के बड़े कांग्रेसी वकील श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव से भी हुई, उनको भी यही दुविधा है, उनकी राय भी मेरी राय से इत्तफाक करती है, उन्होंने खुद कहा कि सेंट्रल ऐक्ट प्राविन्शियल ऐक्ट से रिपील नहीं हो सकता। मेरा शुबहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की चौखट पर जाकर यह कानून *Ultra vires* न हो जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आखिर उन्हें इतनी जल्दी क्या है, जब वह इतना रुके हैं तो २ महीने और रुक जावें, वह नैनीताल जा ही रहे हैं वहां की ठंडी-ठंडी हवा में जो चीज वह यहां की गर्मी में नहीं सोच सकते हैं वह वहां सेलेक्ट कमेटी में ठंडे वातावरण में सोची

जा सकती है। अच्छा होता कि इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े उलमा और बड़े-बड़े वकीलों की राय इस पर ले ली जाती कि इसके प्राविजन्स को वह कैसा समझते हैं। मुझे तो केवल शक ही नहीं बल्कि यह उम्मीद ही होने लगी है कि यह बिल जरूर हाई कोर्ट में अल्ट्रावायरस करार दिया जायगा जिस तरह से कि सेल्स टैक्स वगैरा का कानून सरकार *Utra Vires* होने पर बार-बार संशोधित करती है कहीं वैसा ही इसका हाल न हो, लेकिन अफसोस है कि जब हम यहीं पर खामियों को दूर करने के लिये बात करते हैं तो मंत्री जी मजाक में उड़ा देते हैं।

दूसरी बात यह है कि आप इसका सेक्शन २ देखें, उसमें भी कुछ ऐसी बात आती है यानी एक जगह मंत्री जी यह फरमाते हैं कि यह अधिनियम उन सभी वक्फों पर प्रवृत्त होगा, जिनमें समाविष्ट सम्पत्ति का कोई भाग उत्तर प्रदेश में स्थित हो इत्यादि वहां दूसरी ओर उपखंड (२) में व्यवस्था है कि यह ऐक्ट हुसैनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित सम्पत्तियों पर तथा उस ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित सम्पत्तियों पर भी प्रवृत्त होगा। अब अगर यह क्लाज एग्जिस्ट करती है तो फिर सब क्लाज २, एन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ बाबत कोई माने नहीं रखती और दूसरे क्लाज को रखने व हुसैनाबाद को वक्फ मानने से स्पष्ट है कि (This Act does not apply to all waqfs) यानें यह अधिनियम सब वक्फों पर प्रवृत्त नहीं है। अगर हम उसे, हुसैनाबाद ट्रस्ट को, वक्फ मानते हैं तो दूसरे उपखंड रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं मानते तो उसके प्राविजन कैसे एड कर रहे हैं। इन दो चीजों से हाईकोर्ट में जाने पर इस प्राविधान के अस्तित्व को बहुत खतरा है।

इसके अलावा जहां तक बोर्ड के Constitution की बात है इसकी धारा ११–१२ ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में हमारे लायक दोस्त बहराइच ने बहुत कीमती बातें कही हैं। दो बोर्डों के संगठन में दो तरह का रवैया अख्तियार किया गया है। सुन्नी व शिया बोर्डों में ५–५ सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान मंडल के सुन्नी व शिया सदस्य करेंगे और यह जरूरी नहीं है कि वह ५ आदमी उन्हीं में से हों। लेकिन देखना यह है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि विधान मंडल में एक ही शिया सदस्य हो या एक ही सुन्नी सदस्य हो। इस तरह से वह वोटर तो एक ही होगा और छांटेगा अन्य ४ को व स्वयं अपने को, और जो छांटे जायेंगे वह तीन को और कोआप्ट करेंगे। इस तरह से (Actually) वह एक आदमी ८ को नामजद (नामिनेट) करेगा। यह कौन-सी जम्हूरियत है कि एक आदमी ८ को छांटेगा? किस तरह से यह शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड वालों का प्रतिनिधित्व होगा? जब वह भी नहीं छांट सकेगा तो सरकार वह तकलीफ खुद गवारा करेगी। दिखाने के लिये बोर्ड अलग चीज है और सरकार अलग चीज है पर वास्तविकता कुछ और है। कुछ समझ में नहीं आता। इतनी ताकत दे देना क्या कोई बुद्धिमानी की बात होगी? इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जरूरत है इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि सुझाव दो। सुझाव क्या आसमान से उड़ा कर ले आयेंगे या पके आम की तरह से वह टपक पड़ेंगे? उसके लिये हमें कानूनी किताबें देखनी पड़ेंगी, प्रिसीडेन्ट देखने पड़ेंगे, तब कहीं सुझाव दे सकेंगे। तो इतनी जल्दी माननीय मंत्री जी न करें।

शिया कालेज के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है कि पता नहीं क्या खासियत है उसमें? मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन सुनने को मिला है कि उसका इंतजाम करने वालों की मौजूदा कोई ऐसी रिप्रेजेन्टेटिव बाडी नहीं है, पता नहीं मंत्री जी की क्या खास मेहरबानी है, यह तो वही जानें। एक जांच की भी बात आई। मैं तो कहूंगा कि १९५४ में वह जांच तो हुई, पर रिपोर्ट कहीं शाया नहीं हुई। माननीय सदस्यों तक को नहीं दी गई और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसका तस्किरा उन्होंने कर दिया। पहले आदरणीय सदन को वे बतावें कि उसमें क्या बातें दर्ज हैं? हो सकता है कई चीजें ऐसी हों जिनमें इन बातों के खिलाफ कही गई बातें हों। क्या वह उनके दफ्तर में बन्द हैं और उनको सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिलता?

यू०पी० शिया कांफ्रेंस (रजिस्टर्ड) के बारे में मुझे जहां तक इल्म है—हो सकता है जल्दी में मुझे पूरा इल्म न हुआ हो, माननीय मंत्री जी खुद शिया हैं, वह ज्यादा रोशनी इस पर डालें—

[श्री गोविंदसिंह बिष्ट]

यह कांफ्रेंस आल इंडिया शिया कांफ्रेंस में एमलगमेट हो गई और एमलगमेट हो गई तो डिफंक्ट हो गई। अब इस डिफंक्ट बाडी को एक मेम्बर छांटने का अधिकार देना कहां तक ठीक होगा? मैंने मुसलमान भाइयों से जानने की कोशिश की और उन्होंने इसे बहुत काबिले एतराज बताया। मैंने खास कर शिया लोगों से जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर यह मेम्बर दिया जाय तो आल इंडिया शिया कांफ्रेंस की लखनऊ ब्रांच है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिये न कि उस डिफंक्ट बाडी का जो कि एमल्मगेट हो चुकी है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अखराजात काटने के बाद जो आमदनी होती है उसमें से अब ६ परसेन्ट लेते हैं। कोई आदमी दान करे मन्दिर या मस्जिद के लिये, सरकार नैतिकता के आधार पर उसमें से नहीं ले सकती। दूसरी ओर इस सेक्यूलर स्टेट में मन्दिर, मस्जिद और गिर्जे के लिये कुछ नहीं मिलता है। मुर्गी पालन के लिये सरकार देती है। सरकार मुर्गी वालों को बढ़ा रही है। आप मजहब को मानते नहीं फिर 'बासी माल में खुदा का साझा आप क्यों दखल देते हैं इस मामले में?

माननीय राहत मौजाई यहां मौजूद नहीं हैं। अभी तक हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के बारे में बिल आया तो उन्होंने उसका स्वागत किया था, जब कि मैंने कहा था कि यह गलत चीज है। उसमें तो सरकार ने काफी ताकत ले ली थी, कमिश्नर को इतने अधिकार थे, कि मन्दिर में किस समय जाना होगा, कैसे लोग जायंगे, यह सब उसके अधिकार में था। मैंने इसका विरोध किया था। लेकिन जब उनके अपने पैर में कांटा चुभा तो पता लगा कि यह क्या है, यद्यपि इसमें उससे हल्का प्रतिबन्ध है। तो सरकार के लिये मजहबी मामलात में दखल देना अच्छा नहीं है। एक तरफ तो सेक्युलर स्टेट का ढोल पीटा जाता है और दूसरी तरफ सरकार अधिकार लेना चाहती है दखल देने का। कोई काम हो या न हो लेकिन सरकार सबों का पैसा पहले ले लेगी। जिन लोगों को पैसा मिलने वाला है उनको मिले या न मिले, लेकिन सरकार ने पुराने रेट में इजाफा करके ६ परसेन्ट ले लिया लेकिन उनका खयाल नहीं किया जो वसीके दार हैं, जिनको आने पाई में ही वसीका मिलता है, उनको कोई मंहगाई नहीं दी जायगी। धार्मिक जगहों के अखराजात भी मंहगाई के साथ-साथ बढ़ गये हैं लेकिन उससे सरकार को कोई मतलब नहीं अगर सरकार अपने हाथ में ताकत लेना ही चाहती है तो उसे चाहिये कि ऐसे अखराजात को भी बरदाश्त खुद करे। लेकिन अच्छे कामों के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है।

मुतवल्लियों की बात कही गई। सरकार ने उसके ऊपर बड़ी-बड़ी अड़चनें लगा दी हैं। हो सकता है कि कुछ पाबन्दियां अच्छी हों लेकिन जहां उनके कर्तव्य हैं वहां हमें उन्हें अधिका भी देने चाहिये। लेकिन इस बिल में कहीं भी उनको रिप्रेजेन्टेशन का अधिकार नहीं है। शिया कान्फरेन्स को हो सकता है, जमीयते-उलमा हिन्द, जो कि कांग्रेस का माउथपीस है, उसको अधिकार हो सकता है। जिस समय मुस्लिम लीग वाले दूसरे फतवा लाते थे तो जमीयते-उलमा वाले कांग्रेस के पक्ष में फरमान लाते थे। तो जो लोग इस तरह भगवान को बदनाम करते हैं उनको तो अधिकार है लेकिन मुतवल्लियों को सरकार कोई अधिकार नहीं देना चाहती। दफा ४७ में है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के निस्बत स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन होगी जिसे सरकार बनायेगी, जम्हूरियत का गला घोंटा जायगा। हुसैनाबाद ऐक्ट को सरकार रिपील कर रही है, उसके एवज में सरकार इस सदन को भी अपने कांफीडेंस में नहीं लेगी। यानी लेजिस्लेचर को ठोकर मार दी जायगी और एक्जिक्यूटिव सब कुछ करेगी। उसकी शब्दावली इस प्रकार है —

"The State Government shall settle the scheme of administration regarding the properties which were hitherto governed by the Husainabad Endowment Act, 1878 or which were administered by the Trustee appointed thereunder."

यानी हुसैनाबाद ट्रस्ट की मार्फत जो ऐक्ट १८७८ का बना हुआ है उसकी जो प्रापर्टीज होंगी उनके बारे में किस तरह से व्यवस्था हो यह खुद एक्जिक्यूटिव सरकार यानी मन्त्री जी स्वयं फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये।

"The State Government may in consultation with the Shia Central Board amend or modify the scheme of administration settled under sub-section (1) and State Government may issue directions from time to time to remove any doubt or difficulty in the administration of these properties."

यानी जितने डाउट्स होंगे वे ट्रायबुनल के सामने नहीं जायंगे। सेन्ट्रल बोर्ड भी जो है उसकी राय भी नहीं मानी जायगी। तो इतनी बड़ी पावर्स सरकार अपने हाथ में ले रही है। प्रजातन्त्र का नाम लेते हुये वह नहीं थकती लेकिन यहां उसे ठोकर मारी जा रही है। यह सब १९६२ के अपने चुनाव की कांग्रेस द्वारा तैयारियां हो रही हैं। हिन्दुओं के मन्दिरों पर कब्जा करो, मुसलमानों के वक्फ तथा प्रापर्टीज पर कब्जा करो क्यों कि बड़े-बड़े सेठ लोग तो स्वतन्त्र पार्टी में चले गये। फिर पैसा कहां से आयेगा लिहाजा सब मन्दिर, मस्जिद तथा वक्फ अपने हाथ में ले लो ताकि वक्त पर दबाव या प्रलोभन से वोट आ जायं। सहकारिता के नाम पर किसान को कब्जे में किया जा रहा है। कांग्रेस दल को सन् ६२ में ताकत लाने के लिये यह सब चालबाजी की जा रही है।

जनहित की बातों का जिक्र करते हमारी सरकार थकती कभी नहीं। दफा ४४ में लिखा है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में बोर्ड सुपरसीड किया जायगा। यह पब्लिक इन्टरेस्ट किस मर्ज की दवा है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में गबन हुआ। ८५ रुपये मन रुई खरीदने का कोटेशन लिया गया और मंजूर किया गया लेकिन टेन्डर द्वारा १०० रुपये पर उसी फर्म को दिया गया। हजारों रुपये का गबन इस तरह से हुआ। हमने जांच के लिये कहा, लेकिन जांच नहीं हुई। जो चार्जेज लगाये गये थे मन्त्री जी से उनके बारे में पूछा गया तो मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि जनहित में बताया नहीं जा सकता। तो वह जनहित ऐक्ट में डिफाइन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अक्लमन्दों के लिये इशारा काफी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—गैंडे की खाल जो होती है उस पर गोली का असर नहीं होता है। वही हालत यहां हो गयी है। यह पब्लिक इन्टरेस्ट यहां डिफाइन नहीं है, वह डिफाइन होना चाहिये और सरकार को प्रजातन्त्र के उसूलों पर विश्वास है तो।

पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट जब आया तो हमने कहा कि मारेल टर्पिट्यूड के मातहत किसी मामले में अगर किसी को सजा हो जाय तो ऐसा आदमी कहीं न रखा जाय लेकिन वहां वह शब्द उड़ा दिया गया। उस पर यह कहा गया कि मारेल टर्पिट्यूड कोई चीज नहीं है। लेकिन वहां उसी मारेल टर्पिट्यूड को रखा गया है। इसलिये मैं उन्हीं की आर्ग्यूमेंट उनके पेशेनजर करते हुये कहूंगा कि उसे डिफाइन कर दिया जाय।

माननीय मन्त्री जी ने अपनी तकरीर में फरमाया कि पहले जिला कमेटियां बना करती थीं। लेकिन हमने देखा कि दो-तीन साल हुए जिला कमेटी आज तक कहीं नहीं बनीं। लिहाजा जो आज संशोधित बढ़िया बिल बना है उसमें से उसको उड़ा दिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि हमने यह अथारिटी बोर्ड को दे दी कि जिस जिले में चाहे वह जिला कमेटी बना ले। इसके माने यह हैं कि अगर विधान सभा में एक ही उस जमात का सदस्य छूट कर आये तो वह एक आदमी नामांकन करेगा और ८ आदमियों का बोर्ड बनेगा। यह जिस जिले में चाहेगा कमेटी बना लेगा और जिस जिले में नहीं चाहेगा वहां मामला बंटाधार कर देगा। यह क्या चीज है? यह आपका बिल है या भानमती का पिटारा है। मैं समझता हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिये ही नहीं बल्कि उसके अन्दर एक गुट विशेष को मजबूत बनाने के लिये सारे के सारे बिल आते हैं। रोजमर्रा सदन का समय लिया जाता है और इतना ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपया उनपर खर्च किया जाता है और ऐसे बिल बनाये जाते हैं जिससे

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

कांग्रेस पार्टी का एक विशेष दलमजबूत हो। यह शोभा की चीज नहीं है। इस तरह से जनजीवन से खिलवाड़ होगा तो चूंकि यह हमारे बड़े भाइयों की चीजें हैं, डर है हम लोग भी यही सीख लेंगे। गुलाब के नीचे की मिट्टी भी खुशबूदार हो जाती है तो आप की देखा-देखी हम भी वैसे ही करने लगेंगे तो देश कहां जायगा? निश्चय ही रसातल को। हमारे जो बड़े भाई हैं। मैं उनसे एक छोट भाई की तरह से अर्ज करूंगा कि ऐसी चीज आप न रखें जिसकी हम नकल करें और फिर हमारे हाथ में शक्ति आने पर देश को उसी ओर हम भी ले जाने लगें जिस ओर आप ले जा रहे हैं।

श्रीमन, इस बिल में बैठक के कोरम की बात आई है। पहली मीटिंग में कुछ सदस्यों के आधे का कोरम होगा "The quorum for a meeting of the Board shall be one-half of the total number of the Board." जब उस दिन मीटिंग नहीं हो सकेगी तो दूसरी मीटिंग में एक तिहाई कोरम होगा। इसके बाद कोरम की जरूरत नहीं है। अक्सर, श्रीमन, हम देखते हैं कि सूचना जाने में देर लगती है और इस सदन में ही ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आज का बिल है। यह हमें पहले नहीं मिला, आज ही मिला है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हमें समय पर नहीं मिला। यदि इस तरह से कोरम की कैद नहीं रखी गयी तो जैसा चाहेंगे वैसा लोग करा लेंगे, यह ठीक नहीं है और कोरम की कैद न लगाना गलत होगा। जिस आदमी का डिस्क्रीशन होगा वह जैसा चाहेगा करा लेगा।

श्रीमन्, खण्ड ६१ में कहा गया है कि--

"Whenever the deed of a waqf, or any decree or order of a Court or the scheme of management of the waqf provides that a Judge or any other authority may appoint or remove a Mutawalli or settle or modify the scheme of management or otherwise exercise superintendence over the waqf, the powers exercisable by the judge or such other authority shall, notwithstanding anything in the deed of waqfs, decree, order or scheme, be exercisable by the Board as far as may be in accordance with the directions contained in the deed of waqf, decree, order or scheme, as the case may be."

अब, श्रीमन्, आठ आदमियों के छांटने की बात थी। जब यह सारे को गवर्न करता है। यह तमाशा है, श्रीमन्, इस शिया बोर्ड को केवल एक सदस्य नामांकन कर सकता है। कौन जानता है कल को सुन्नी भी यहां Return होकर एक ही मेम्बार आये तो उन पर भी यह लागू हो सकता है। हम लोग आते हैं तो हमारा इस प्रकार लिमिटेड दायरा कर देना कितनी गलत चीज है। चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी हों या कोई भी हों, हम लोग अपनी जमात को या कौम को रिप्रेजेंट करने के लिये नहीं आते हैं। हम जिस कौम से आते हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं यह कहना धारा सभा की तौहीन है। हम तो सारी की सारी जनता के नुमायन्दे हैं। अब वह सारे के नुमायन्दे हैं। उनको एक जुज का नुमायन्दा बना कर, और उसके द्वारा पांच छांट लेना यह कहां की बुद्धिमानी है? एक तरफ तो हम यह कहें कि हम जाति-पांति नहीं मानते। शिया, सुन्नी, ठाकुर, ब्राह्मण, हरिजन सब को भुला दें, सब एक हो गये। एक तरफ कांग्रेस यह कहती है और दूसरी तरफ हिन्दुओं के लिए कानून अलग और मुसलमानों के लिए कानून अलग। जब सरकार कहती है कि हरिजनों को अलग करो तो इसीलिये देश की विघटनात्मक शक्तियां बढ़ रही हैं। वही चीज जिससे देश के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं, इस बिल के द्वारा लायी जा रही है। इसके बाद, नामांकित जो बोर्ड है, उसको चुना हुआ नहीं, मनोनीत ही समझिये। वह नामांकित बोर्ड सारे के सारे जज के Functions करेगा। अगर किसी पर डिग्री होती है और कोई उसके मेल का मेम्बर है तो वह कह देगा कि डिग्री की मंशा पूरी हो गयी, एग्जीक्यूशन हो गया। अब कभी वह नाखुश होगा तब चाहे जिस पर डिग्री हुई, शायद उसके खिलाफ तब कुछ हो। इस तरह से शुरू से आखिर तक चीजें गलत हुई हैं।

दफा ७ में यह कहा गया है :—

"(1) The total cost of making a survey under this Chapter, shall where the survey is State-wide be borne by all the mutawallis in proportion to the income of the property of the waqfs in the State, and where the survey is confined to a particular area, by the mutawallis of the waqfs situate in that area in proportion to the income of the property of the waqfs in that area.

(2) Notwithstanding anything contained in the deed or instrument creating any waqf, any mutawalli may pay from the income of the waqf property, any sum due from him under sub-section (1)."

यानी वक्फ की मंशा चाहें कुछ रही हो लेकिन इतने प्रकार के अखराजात जो कि उस वक्फ के आइटम नहीं हैं उससे वसूल कर लिये जायंगे। चाहे जिस खास परपज के लिए वक्फ कायम किया गया हो, मस्जिद के लिए, पढ़ाने के लिए, चिकित्सा के लिए, वह मकसद चाहे पूरे हों या न हों लेकिन बाकी के अखराजात उनसे काट लिये जायेंगे। वक्फ की जो मंशा है वह तो जाय जहन्नुम में लेकिन सरकारी अखराजात पहले देने होंगे। मैं जल्दी-जल्दी में ही इस बिल को पढ़ पाया, ज्यादा रोशनी नहीं डाल सका। अगर मंत्री महोदय कुछ और समय देते तो ज्यादा सेवा कर सकता।

मैं तो यहां तक मांग करता हूं कि पब्लिक ओपीनियन के लिए इसको जाने दें, नहीं तो कल को फिर Ultra-Vires of the Constitution हो जायगा, तो फिर नया बिल लाना पड़ेगा और आदरणीय सदन का खर्चा होगा। माननीय हैदर साहब की बात वह मान लें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से फिर अपील करूंगा कि वे इसे सिलेक्ट कमेटी में कम से कम जाने दें।

श्री अब्दुस्समी—जनाबवाला, यह जो बिल आपके सामने पेश है इसके पीछे कुछ बातें हैं। वह बातें जब तक न समझ ली जायं मेरा खयाल है कि इसके समझने में दिक्कत होगी।

कुछ जायदादें वक्फ कर दी गयीं। किसी ने दस हजार, किसी ने बीस हजार की जायदाद वक्फ कर दिया और वक्फ करने का अपना मंशा बता दिया कि यह पैसा इस काम में खर्च किया जाय। मिसाल के तौर पर वहां पर पानी पीने का इंतजाम किया जाय, जो यात्री लोग आएं उनको पानी पिलाया जाय, या गरीब लोगों को खाना खिलाया जाय, या यतीम बच्चों की परवरिश की जाय। इस तरह से एक खास मकसद के लिये उन्होंने जायदादें वक्फ कर दीं। लेकिन जो उसके मुतवल्ली हैं, और जो उसके ऊपर काबिज हैं, चाहे वह उस खान्दान के हों, या बाहर के हों, वह उस रुपये को अपनी जरूरत के लिये खर्च करते हैं। मैं अर्ज करूं कि बाज जगह लोग उन मुतवल्लियों की गलत हरकतों से नाला हैं। वह हर काम करते हैं, जो न होने चाहिये। वह नाच नचाते हैं, शराब पीते हैं, और वह हर बुरा फेल करते हैं, जो एक शरीफ इंसान नहीं कर सकता। जब वह पैसा जो अच्छे काम के लिये आता है, उस मकसद में सर्फ नहीं होता और उस पर कोई कार्यवाही करने की कोशिश की जाती थी तो वह रिट दाखिल कर देते थे और वक्फ पर काबिज रहते थे। वह उसी वक्फ की जायदाद से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते चले जा रहे हैं और इधर वक्फ बोर्ड के पास कोई रुपया नहीं। जो कुछ आमदनी आती है उसी से वह मुकदमा लड़ते हैं। तो बड़ी दिक्कत थी कि एक आदमी गलत काम भी करता है और अगर उसको उस गलत काम से रोकने के लिये कोई जरिया अख्तियार किया जाता है तो उसके हाथ में इतनी ताकत रहती है कि उससे वह फायदा उठाता रहता है।

[श्री अब्दुस्समी]

इसलिये यह जो बिल आपके सामने आया है उसका मतलब यह है कि गलत आदमी जो तौलियत के दर्जे पर काबिज है और जो कि उस पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं तो उनको इस काम से रोक दिया जाय और उस पैसे को सही काम के लिये सर्फ किया जाय। लेकिन बदकिस्मती यह जान पड़ती है कि अगर एक ही आदमी गलत हो तो उसको रोका जाय। उस गलती के पीछे हम जैसे बहुत सारे लोगों का भी काम चलता रहता है और यह महसूस होता है कि अगर यह गलत काम रोक दिया गया तो हमारी रोजी चली जायगी। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं और उनमें पढ़े व लिखे और समझदार लोग भी हैं जो हमेशा उनकी मदद किसी न किसी तरह से किया करते हैं।

सही है, उनकी बात भी अपनी जगह पर माकूलियत रखती है जिन्होंने तरमीम पेश की है, लेकिन बाज दोस्तों ने इस तरह से तकरीर की कि वह गालिबन हिन्दुस्तान में रहते ही नहीं या अगर रहते ही हैं तो गालिबन कोई उनको जानता ही नहीं या उनके कारनामों को नहीं जानता। यह जिस तरीके से व्याख्यान दिया है माननीय सदस्य ने ऐसा मालूम होता है कि कोई आसमान से ही वह उतर रहे हैं। वह खुद देखें और सोचें कि हम क्या कह रहे हैं और पब्लिक के सामने हमारा क्या नक्शा है।

मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग खामख्वाह के लिये जमैयतुल उलेमा के ऊपर गलत तनकीद करते है उसको सिर्फ एक नुमाइन्दगी ही मिली है, लेकिन उस पर भी एतराज करते हैं और उसके लिये क्या-क्या कहते हैं। उनसे पूछता हूं कि वह जरा अपने बारे में सोचें कि वह क्या हैं। जमैयतुलउलेमा का दायरा कोई तंग दायरा नहीं है। जमैयतुल-उलेमा को कितने लोग जानते हैं, वह कोई आज से नहीं है, बहुत अरसे से काम कर रही है। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब वह जमात खड़ी हुई और उसने उनकी मुखालिफत की। जो लोग तवारीख सन् २० से जानते हैं वह जमैयतुलउलेमा को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह उस जमाने को भूल गए कि कब वह अंग्रेजों की खुशामद किया करते थे (व्यवधान) अब आप काहे को घबरा रहे हैं, आप बोलते रहे तो मैं खामोशी से सुनता रहा। अब जरा ठहर जाइए।

लेकिन वह लोग जो अंग्रेजों के चापलूस, उनके खुशामदी थे, उनकी जूतियों को टो साफ किया करते थे, वह जमैयतुलउलेमा से अलग हो रहे। फिर आजादी का रिवोल्यूशन जब हुआ और भारत कोआपरेशन के जमाने में जिस तरीके से लाखों मुसलमानों के साथ जमैतुलउलेमा ने जेलों को भर दिया, वह भारत की आजादी की लड़ाई का एक बड़ा ही सुहावना बाँब है जिसको हर आदमी पढ़ सकता है। फिर आजादी का रिजोल्यूशन कांग्रेस ने तो सन् ३० में पास किया लेकिन जमैयतुलउलेमा ने उससे बहुत पहले ही वह रिजोल्यूशन पास किया था। साथ ही साथ उसका यह नजरिया भी जरूर था और उस जमाने में यह नजरिया था कि सारा हिन्दुस्तान एक साथ मिलकर ही आजादी हासिल कर सकता है। आज भी उसका यही नजरिया है। उसका क्या उसके अफराद का नजरिया है कि मिल-जुलकर ही हिन्दुस्तान तरक्की कर सकता है। तो यह जमैयतुलउलेमा के लोग इस तरह के हैं। वह आज भी यह समझते हैं कि जितनी जमातें हैं उनके लोग भी अच्छे हैं। अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। उनके लोग भी गलतियां करते हैं। लेकिन वह उनमें नहीं हैं जो कि अपनी हर छोटी-मोटी गलती को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जमैयतुलउलेमा उनका साथ देने वाली नहीं है।

आज जमैयतुलउलेमा जब यह समझती है और वह क्या समझती है उसके अफराद समझते है क्योंकि वह तो कोई सियासी पार्टी रही नहीं, उसके अफराद यह समझते हैं कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, मुल्क की तरक्की करना चाहती है, तो उनका फर्ज हो जाता है कि वह उसकी मदद करें। एलेक्शन में भी और एलेक्शन के बाहर भी वह उसकी इमदाद करने की

कोशिश करें, उनके इश्तहारों पर दस्तखत करें। उनका यह फर्ज हो जाता है कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या किसी भी और पार्टी के मेम्बरों का फर्ज होता है कि वह अपनी पार्टी के लिये हर तरह की कोशिश उसको इमदाद पहुंचाने की करें। यह इज्जत की बात है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन वह लोग जो रंग तब्दील किया करते हैं मुझे बेहद तकलीफ है उनके ऊपर, वे ऐसे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं जिनके पाक-दामन पर कोई धब्बा नहीं पड़ सकता है। मेरी गुजारिश का मतलब यह है कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो मुतवल्लियों से फायदा उठाते हैं। वह इस तरह की कोशिश करते हैं कि मुतवल्लियों से गलत काम करायें जायं और उससे उनको गलत फायदा हासिल होता रहे ताकि उनका भी काम चलता रहे। अभी जो तरमीम आई है वह इसी हैसियत से आई है। इस बिल का सिर्फ इतना मकसद है कि जो मुतवल्ली या जो उनकी कमेटी है वह गलत काम करे तो उसको मुअत्तल कर दिया जाय और २ महीने या ४ महीने के लिये एक मुकामी कमेटी वहां पर बना दी जाय। उनको अगर कोई एतराज हो तो वह अदालत में चाराजोई कर सकते हैं लेकिन वक्फ का पैसा उसमें बरबाद न हो। बस सिर्फ इतना-सा इसका मकसद है, लेकिन इतना लम्बा अफसाना बना दिया कि जिसका जवाब नहीं। यह एक छोटी-सी बात है और हमको और आपको चाहिये कि इसे मन्जूर कर लें। इसमें ज्यादा वक्त लगाने से कोई फायदा हासिल नहीं होता है।

जो आदमी यहां पर नहीं हैं उनके ऊपर कोई आवाज उठाना मुनासिब नहीं है। देवबन्द वाले न मुर्दा परस्त हैं और न मुर्दा फरोश हैं और न मुर्दे की तिजारत करते हैं। यह कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हर एक आदमी जो इस खयाल का होगा, इसका एलान करेगा। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। वह इन्सान को इन्सान समझते हैं और तमाम इन्सानों के लिये भलाई का काम करते हैं। वह हर गरीब की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। मेरा खयाल है कि देवबन्द वालों में से एक तिहाई या एक चौथाई भी इस बोर्ड में नहीं निकलेंगे और अगर सब इस देवबन्दी खयाल के निकल आये तो यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि जिन साहब ने यह तरमीम पेश की है वह इसको वापस ले लें। यह तो एक मामूली बात है।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, जो मुस्लिम वक्फ बिल यहां पर इस वक्त पेश है उस पर लगभग ३, ४ घंटे से बहस हो रही है। इस ३, ४ घंटे के दौरान में ४ दफा कोरम इन्कम्पलीट रहा है। इससे हाउस की इसमें दिलचस्पी जाहिर होती है। इसके लिये सैयद जरगाम हैदर साहब ने जो तजवीज रखी है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं उसकी ताईद करता हूं और इसकी कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं यह अर्ज करूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

यह बिल बहुत मुख्तसर बिल नहीं है जैसा कि यहां पर कहा गया है। इसमें ८५ दफात हैं। मेरी भी यह शिकायत रही है जब मैंने नोटिस आफिस से दरियाफ्त किया कि इंगलिश मसविदा की कापी हमको नहीं मिली .....

श्री उपाध्यक्ष---यह १४ तारीख को माननीय सदस्यों के पास भेज दिया गया था। आप लोग अपने घर भूल आयें तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री शिवराजबहादुर---बहरकैफ जिस सूरत में इस बिल को देखना चाहिये उस सूरत में इसको नहीं देखा गया। दो बोर्ड बनेंगे, एक शिया बोर्ड होगा और दूसरा सुन्नी बोर्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजबहादुर]

होगा। उनमें जमैयतुलउलेमा हों, अहरार पार्टी का कोई हो, सुन्नी बोर्ड में या शिया बोर्ड में कोई हो या न हो यह बात देखनी है कि किसी भी आदमी का, जो अपनी जायदाद को दान करता है, उसका एक नस्बुलऐन होता है और उसी दृष्टिकोण के मातहत वह अपनी जायदाद को चाहता है कि किसी रिलीजस मकसद में लगे। इस खयाल से जो बोर्ड बनेगा, वह आया सुन्नी बोर्ड हो या शिया बोर्ड हों, जो वक्फ करने वाले का मन्शा था, उसको पूरा करता है या नहीं। जो बोर्ड बने, चाहे वह शिया बोर्ड हो या सुन्नी बोर्ड हो, जिसने वक्फ किया है उसका नुमायन्दा होना उसमें बहुत जरूरी है ताकि वह उन मकसदे औकाफ का ताअय्युन कर सके और जिस मकसद के लिये उसने वक्फ किया है वह मकसद पूरा हो सके। इसलिये बोर्ड का जो तजकिरा इसमें आया है उससे पता नहीं चलता कि वह इसमें हो सकेगा या नहीं।

दूसरी चीज यह है कि खण्ड ४४ में जहां सुपरसेशन का ताल्लुक है, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेन्ट को उसे सुपरसीड करने का हक होगा। सरकार जो डेमोक्रेसी का तहफ्फुज करती है उसे देखना चाहिये कि किसी फर्द का या वाकिफ का कहीं मकसद जो है वह ही न खत्म हो जाय। सरकार ने इसका अख्तियार अपने हाथ में लिया है कि वह जिस समय चाहे कुछ कंडीशन्स के मातहत उस बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है और यह बात किसी भी सूरत में जायज नहीं है कि एक साल तक सरकारी नुमाइन्दा काम करता रहे और वे खामोश बैठे रहें और उसके बाद कोई बोर्ड मुनक्कद हो, यह ठीक नहीं है। सरकार समाजी और दूसरी चीजों के साथ अब धार्मिक चीजों में भी दखल देना चाहती है और इसलिये उसने बोर्ड को सुपरसीड करने का अख्तियार अपने हाथ में लिया है। इसको किसी तरह से बरदाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिये मंत्री जी से मेरा कहना है कि बोर्ड को किसी भी सूरत में सुपरसीड नहीं किया जाना चाहिये।

तीसरी चीज एक ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने के बारे में है। इसका मंशा है कि इंसाफ हो सके और वाकिफ का मंशा पूरा हो सके। यह भी एक बड़े ताज्जुब की बात है कि दफा ७० में जो ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गयी है उसमें केवल एक आदमी होगा। यह सही है कि वह सिविल जज से कम की हैसियत का न होगा और ऐसा आदमी कानून अच्छी तरह जानता है और वह ठीक फैसला दे सकेगा, लेकिन एक आदमी का ट्राइब्यूनल रहना ठीक न होगा। इसमें कम से कम तीन आदमी रहने चाहिये। इस के बाद जो उसका फैसला होगा वह कतई फैसला होगा। उस के बाद कोई और शख्स फैसला न दे सकेगा, अपील की गुंजायश नहीं है। मेरा खयाल है कि इसमें अपील की गुंजायश होनी चाहिये। आप देखें कि लाखों रुपये का मामला हो सकता है, १ करोड़ के करीब इसकी सालाना आमदनी है, तो इसके लिये एक ही आदमी का फैसला आखिरी नहीं होना चाहिये और इस की अपील हाईकोर्ट में या कहीं और होने की गुंजायश होनी चाहिये और यह बहुत जरूरी है, यह इस बिल के लिये बहुत खतरनाक बात है।

गालिबन खण्ड ६३ इसका है जिसमें यह है कि हर जिले में गवर्नमेंट सब-कमेटीज बना सकती है और उनको बोर्ड सुपरसीड कर सकता है, यह ठीक नहीं है। जो जिलेमें कमेटियां हैं उनको सस्पेंड करने की ताकतें बोर्ड को दे दी जायं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यह जरूरी है कि और ज्यादा गौरोखोज करने के लिये, चूंकि टाइम थोड़ा है इसलिये भी यह बिल एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय जो इसको अच्छी तरह से देख सके और इस पर हाउस में ज्यादा वक्त देने की जरूरत न हो। मैं सैयद जरगाम हैदर साहब की ताईद करता हूं और यह चाहता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ताकि ये छोटी-छोटी चीजें जो बाद में बड़ी भयानक साबित हो सकती हैं, बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं, वह देखी जा सकें और उनको ठीक किया सके और उनको और ज्यादा डेमोक्रेटिक किया जा सके।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (संसदीय विषयक उपमंत्री)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-----माननीय राजनारायण जी भाषण दे लें तब आपका यह प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-----श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है और उस पर जो संशोधन आया है इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये, मैं उस संशोधन का समर्थक हूं। मैं इस समर्थन में माननीय रामनारायण त्रिपाठी, फैजाबाद, को पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि इस समय माननीय मंत्री जी यहां से चले जा रहे हैं। सन् १९५२ में एक यू० पी० मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक आया था। उस समय भी हमारी जो शंकायें थीं वही शंकायें आज भी हमारी हैं। जिस रूप में यह सरकार सारी सत्ता अपने हाथ में करती जा रही है उसका थोड़ा सा चित्रण श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने, सन् १९५२ में जब वह विधेयक प्रस्तुत हुआ था, उस समय किया था। मैं चाहता हूं कि उसकी कुछ लाइनें पढ़ दूं। उस समय श्रीमन्, जिक्र यही था कि आल इंडिया शिया कांफ्रेंस थी, यू० पी० सन्नी कांफ्रेंस थी, और और उस समय का जो कानून था उसमें यह था कि जो शिया मेम्बर या सुन्नी मेम्बर हों सदन में, और अगर वे पूरे न हों तो जो कमी हो उस कमी को आल इंडिया शिया कांफ्रेंस पूरा कर दे या सुन्नी कांफ्रेंस कर दे। हमारे जिन मंत्री जी ने पहले वह विधेयक प्रस्तुत किया था उन्होंने ही आज इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो दो सदस्य थे उनको अपने में से नहीं बाहर से लाकर कर दिया था और आल इंडिया शिया कांफ्रेंस ने एक रिट मूव कर दिया था। हाई कोर्ट से रिट का फैसला नहीं हुआ था। सरकार इस बात से अवगत थी कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार के विरुद्ध जायेगा, इसलिये वह वह उसी के बीच में एक संशोधन विधेयक ले आई थी अपने गलत कामों की पुष्टि करने के लिये और उसी संशोधन विधेयक पर बोलते हुए श्री रामनारायण त्रिपाठी, फैजाबाद, ने कहा था "अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने इस बिल को पेश करते हुए बतलाया कि आम तौर पर इस बिल की जरूरत इसलिये पड़ी कि जमींदारी एबालीशन कानून के मुताबिक कुछ अंशदान वक्फों को भी करने की जरूरत थी जैसा कि बिल के उद्देश्य और कारणों से भी पता चलता है। यह बिल सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फस को ५ प्रतिशत अंशदान देने के संबंध में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिये यह तरमीमी बिल लाया गया है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक का भी एक राज और इतिहास है और उस राज और इतिहास को माननीय सदस्यों के सामने इसलिये रख देना चाहता हूं कि जब यह बिल पास हो जाय तो इसके बाद यह न समझा जाय कि हर माननीय सदस्य विधान सभा का इसमें पार्टी था। इस धोखे में हम न पड़े, इसलिये उसका बतलाना जरूरी है। आज तक और पिछले जमाने में भी ऐसे मौके आये कि जगह खाली हुई और उसको ऐक्ट के मुताबिक भर लिया गया। मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि पहला मौका आया था जब कि सैयद हसन अली खां, जानसठ, मुजफ्फरनगर की सीट खाली हुई, उसकी नजीर मौजूद है और दूसरा मौका महबूब हसन खां, फैजाबाद के इंतकाल के बाद आया। इन दोनों सूरतों में यहां पहले में जो पुराना ऐक्ट है उसकी धाराओं को इंटरप्रेट किया था और आल इंडिया शिया कानफ्रेंस से इस बात की दरख्वास्त की थी उन जगहों को पूरा करने के लिये कि वह अपने नुमाइंदों को भेज दें।"

मैंने इसको इसलिये पढ़ दिया कि यह झगड़े आज के ही नहीं हैं बल्कि सन् ५२ से ही सरकार ने शुरू कर दिये। पहले भी यह सरकार मुसलमानों को दो चिमटों से पकड़ना चाहती थी और आज भी। एक चिमटा का नाम है नफरत और एक का है मुहब्बत। कभी कभी तो यह नफरत पैदा करती है और खुद उकसाती है और खुद दंगे और झगड़े करवाती है और कभी मुहब्बत का इजहार करती है ताकि इधर उधर से फंस करके मुसलमान इसकी

[श्री राजनारायण]

हां में हां मिलाने के लिये मजबूर हों। यह पूरा का पूरा विधेयक उसी बात की ताईद करता है। उसी सिलसिले में जो पहला एतराज सोशलिस्ट पार्टी का था वह आज भी अपनी जगह पर बना हुआ है। उस समय हमने उसी को कहा था कि सरकार क्यों चाहती है कि बोर्ड के लोगों को भी चुनने का हक, अप्वाइंट करने का, नामिनेट करने का हक उन्हीं प्रतिनिधियों को हो जो इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य हों। क्या कोई जनतंत्र का विद्यार्थी, कोई डेमाक्रेसी का तालिब इल्म हमको यह बात बता सकता है कि क्यों एक श्री मौलवी अली जहीर साहब अगर एक अकेले शिया सदस्य विधान मंडल में हों तो ५ आदमियों को चुन दें। इसको एलेक्शन कैसे कहा जायगा, यह तो अप्वाइंटमेंट है। इसको जनतंत्र और डेमाक्रेसी कैसे कहा जायगा, यह बात समझने की है।

जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, इसकी सारी धाराओं को मैं पढ़ गया, उसमें यही पाता हूं कि एक तरफ सरकार नाम लेती है शक्ति के विकेंद्रीकरण करने का और दूसरी तरफ सरकार कानून बनाती है सारी ताकत को अपने हाथ में लेने का, चाहे वह मुस्लिम वक्फ ऐक्ट हो, चाहे वह चेरिटेबिल एंडाउमेंट ऐक्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट हो या जिला परिषद् ऐक्ट हो। हर मोड़ पर हर संशोधन के जरिये कानून जो पुराने बने हुए हैं उनमें तबदीली करा करा कर यह सरकार सारी ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है। आज सरकार की वह तानाशाही, अधिनायक शाही केंद्रीकरण की मनोवृत्ति इस विधेयक के एक-एक लफ्ज में, एक-एक क्लाज में प्रतिलक्षित हो रही है। इसलिये मैं चाहता हूं श्रीमन्, कि हमारे सदन के ये सम्मानित सदस्य जरा १९५२ से जो इस सरकार की शाजिस रही है, जो सरकार की तिकड़म रही है उसको परखें और परख कर सरकार को मजबूर करें, बाध्य करें कि आज वह प्रवर समिति में जाय और वहां जा करके जितने साधु संशोधन और साधु सम्मतियां आ सकती हों वह वहां पर रखी जाय और फिर से उसपर विचार करके कोई बढ़िया विधेयक लायें जिससे सारी दिक्कतें दूर हों, सारी ताकत सरकार के निरंकुश हाथों में न आ जाय, हमारा मकसद यही है।

अफसोस है कि इस सन् ५२ की कार्यवाही में राजनारायण भी बोले हैं और उस समय भी जो उनकी शंका थी वह इसमें विद्यमान है। पूरी की पूरी शंका मौजूद है। हमारा उत्तर दिया है श्री शिवनाथ काटजू ने। वह कहते हैं " Democracy is the Government of the people, by the people and for the people." और इस वाक्य पर बड़ा विवाद हुआ आपने भी काफी चर्चा की है कि सेकुलेरिटी का क्या मतलब है, सेकुलर स्टेट पर कहां आघात पड़ता है, कहां नहीं। मगर हम इस समय कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय को क्या शौक पड़ा हुआ है कि वह सारी ताकत अपने हाथ में लेकर सब बोर्ड का कांस्ट्रक्शन अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसकी कोई सफाई वह दे नहीं सकते हैं, चाहे वह धृष्टता करें उसकी सफाई देने की। आज इसकी सफाई नहीं हो सकती है। क्यों डिमाक्रेसी का नाम लिया जाता है, क्यों शब्दों के साथ बलात्कार किया जाता है? इस सदन के माननीय सदस्य श्री लालबहादुर सिंह जी भी कुछ बोलना चाहते थे पता नहीं वह क्या बोलते।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—आपके मारे बोलने पावें, तब न।

श्री राजनारायण—मगर हम चाहते हैं कि अगर वह ध्यान से सुनें तो शायद अगर वह जनतंत्रवादी हैं तो हमारी बात की ताईद कर देंगे। अब मैं जरा पुराने कानून और इस संशोधन विधेयक को पढ़ रहा हूं। इस संशोधन विधेयक में क्या किया जा रहा है? उदाहरण के लिये इस विधेयक के जो ११ और १२ खंड हैं उनको जरा इस सदन के सम्मानित सदस्य अवलोकन करें....

श्री सैयद अली जहीर—नया या पुराना?

श्री राजनारायण—जब मैं विधेयक कहता हूं तो उसका मतलब बिल से ही है, ऐक्ट को तो अधिनियम कहते हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—पुराना जो था वही नया है, इसमें कोई तरमीम नहीं है ।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई तरमीम नहीं है तब तो एक परेशानी आ गई । मैं ऐक्ट की धारा ८ पढ़ना चाहता हूं "कांस्टीट्यूशन आफ शिया सेन्ट्रल बोर्ड"....

श्री उपाध्यक्ष—क्या इस विधेयक में शिया सेन्ट्रल बोर्ड का जिक्र है ?

श्री राजनारायण—बिलकुल है, श्रीमन् । शिया सेन्ट्रल बोर्ड का संघटन खंड १२ में है । और ११ में सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड का संघटन है । अब आप देखेंगे कि कितनी बारीकी से बीच में शब्द घुसेड़ दिये गये हैं । मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूं कि अब कांग्रेस की सरकार कम्युनिस्टों के भी कान काट रही है । जिस तरह से अब मास्को में पुरानी पुस्तकों में एक-एक शब्द को बदल दिया जा रहा है उसी तरह से यह सरकार भी एक एक शब्द को बदल कर ऐसा बनाना चाहती है कि लोगों की समझ में कुछ न आये कि सरकार क्या कर रही है । आल इंडिया शिया कान्फ्रेंस की जगह पर इन्होंने रखा "यू० पी० शिया कांफ्रेंस रजिस्टर्ड ।" अब यू० पी० शिया कान्फ्रेंस क्या है ? उसके लिये मैं माननीय रामनारायण जी को पेश करूंगा । बहुत ही खूबी के साथ माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने सन् १९५२ में दो मामलों को साफ किया था । उस समय उन्होंने आपत्ति की थी । शिया कान्फ्रेंस के दो इजलास हुये, एक लखनऊ में हुआ और दूसरा फैजाबाद में हुआ । मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूं. . . "मैं यह कह सकता हूं कि लखनऊ में जो शिया का फ्रेंस हुई थी उसके साथ अक्सरियत नहीं है । हम कांग्रेस पर यह चार्ज लगाते हैं कि देश के मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिये कांग्रेस द्वारा अजीब तरीका अख्तियार किया गया । मुसलमानों से साफ कहा जाता है कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो देश के साथ गद्दारी करोगे ।"

लखीमपुर का भी मुझे एक किस्सा याद आता है । यहां पर माननीय रामनारायण जी ने उस समय बताया था कि लखनऊ में जो कान्फ्रेंस हुई वह सरकार की तरफ से नियुक्त की गई थी । उसमें उस समय के माननीय मुख्य मंत्री ने भाषण किया था । माननीय रामनारायण जी ने बहुत ही अदब के साथ सदन को बताया कि शिया काफ्रेंस में जब सरकार यह अधिकार ले लेगी कि यहां के जो मेम्बर हैं विधान सभा के वह बाहर के भी शिया लोगों को चुनेंगे तो ख्वाम ख्वाह बाहर के शिया लोग भयभीत होंगे और सरकार की चापलूसी करेंगे । सरकार के पास आकर कहेंगे, हुजूर, हमको भी ले लो, हमको भी ले लो ।" अगर यह अधिकार उनके पास नहीं रहेगा तो आल इंडिया शिया कान्फ्रेंस अपनी तरफ से भेजेगी । उस समय की घटनाओं का विश्लेषण करते हुये माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा था कि अकसरियत फैजाबाद की कान्फ्रेंस के साथ थी मगर सरकार को लखनऊ की कांफ्रेंस में शामिल होने वालों को ऊपर उठाना था, इसलिये उसने जाल-बट्टा रचा और शिया समुदाय को जाल में फंसाने की कोशिश की । उसका पर्दा या घूंघट सन् ५२ में अच्छी तरह से खुल गया था । अब उसे दूसरे रूप में लेकर यह सरकार यहां आई है । इसमें है कि सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड का संघटन कैसा होगा । सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड में निम्नलिखित सुन्नी मुसलमान होंगे जो नियत रीति से निर्वाचित किये जावेंगे या आगे दी गई रीति से आमेलित किये जावेंगे—"५ सदस्य, जिनका निर्वाचन राज्य विधान मंडल के सुन्नी सदस्य करेंगे, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने में से ही उन्हें निर्वाचित करें ।"

मान लीजिये यहां केवल २ ही सुन्नी आये, तो वे ५ को निर्वाचित करेंगे । अल्पमत निर्वाचित करेगा बहुमत को । तो आज इस सरकार की डेमोक्रेसी की खोपड़ी औंधी हो गई है, शीर्षासन कर रही है जैसे शतुर मुर्ग बालू में खोपड़ी गाड़कर नाचता है और समझता है कि उसको कोई देखता ही नहीं है, इसी तरह आज मंत्री जी वही नाच नाच रहे हैं । इसमें आगे है कि

[श्री राजनारायण]

२ सदस्य जिनका निर्वाचन हाई कोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद, तथा अवध बार एसोसियेशन लखनऊ, के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे । मगर वह स्वयं शिया हैं । माफ करेंगे क्योंकि अगर हम बातों को या भावनाओं को दबायेंगे तो अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं कर पायेंगे । शिया सेन्ट्रल बोर्ड के संगठन में हैं ५ सदस्य जिनका निर्वाचन राज्य विधान मंडल के शिया सदस्य करेंगे परन्तु यहआवश्यक नहीं है कि वे अपने में से ही निर्वाचित करें । श्रीमन्, मेरी जानकारी नहीं है, जरा आपका सचिवालय बतला दे कि कितने शिया सदस्य इस विधान सभा में हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—४ ।

श्री राजनारायण—और काउन्सिल में ?

श्री सैयद अली जहीर—२ ।

श्री राजनारायण—तो ये ६ सदस्य ५ को निर्वाचित करेंगे । यह निर्वाचन हुआ या अपने को प्रतिष्ठित करना ? सरकार का तर्क होगा कि देखो, हम अपने में से नहीं कर रहे हैं, हम तो बाहर से करेंगे । यही हमारा कहना है कि सरकार बाहर के भी सभी शियाओं को अपने हाथ में लेना चाहती है । सेन्ट्रल सुन्नी बोर्ड के लिये तो है कि दो सदस्य, जिनका निर्वाचन हाई कोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद, तथा अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ, के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे । तो शिया बोर्ड के लिये क्यों हाईकोर्ट के बार एसोसियेशन में जो शिया हों, वह निर्वाचन न करें ? क्यों बार एसोसियेशन शिया सदस्यों में से न करें ? सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के लिये जो व्यवस्था ११(२) में की गई है कि हाई कोर्ट काबार एसोसियेशन, इलाहाबाद का और अवध बार एसोसियेशन, दो सदस्यों का चुनाव करेगा, वह शर्त शियाओं के लिये क्यों नहीं रखी गई है ? क्योंकि मंत्री जी अपने को शियाओं का सर्वेसर्वा समझते हैं, जो कुछ वे अपने मुखारबिन्द से बोल दें वह सारे शिया समुदाय की बोली होगी । अब भी उनके कहने की हिम्मत तो देखिये । भूत तो वह जो सर पर चढ़ कर बोले ।

श्रीमन्, सन् ३६ के ऐक्ट की आठवीं धारा है उसमें ५ मेम्बरों के तो ऐलेक्ट होने की बात है, लेकिन एक मेम्बर के लिये यह लिखा हुआ है कि :—

"One member is to be elected by the Executive Committee of the All-India Shia Conference."

आप कहते हैं कि एक मेम्बर जो सेन्ट्रल शिया बोर्ड में होगा उसको आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स की कार्यकारिणी चुनेगी ।

अब इस विधेयक में देखा तो इसमें कहा गया है कि —"एक सदस्य, जिसका निर्वाचन यू० पी० शिया कान्फ्रेन्स रजिस्टर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायगा ।" जब कि ऐक्ट में "आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स है । इस पर भी माननीय मंत्री जी कहते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है । ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि यू० पी० शिया कान्फ्रेन्स रजिस्टर्ड और आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स, दोनों का विधान हमें दिलाया जाय, क्योंकि उन दोनों का जिक्र इसमें आया है । इसलिये भी कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहां हमारा माथा ठनका और सोचा कि क्या आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स, यू० पी० शिया कान्फ्रेन्स में परिणत हो गई है । हमारी राय में ऐसा नहीं है । माननीय रामनारायण जी ने जो संकेत किया था कि लखनऊ में जो शिया कान्फ्रेन्स हुई है उसको सरकार रजिस्टर करती है, मान्यता देती है और फैजाबाद में जो कान्फ्रेन्स हुई थी, उसको सरकार ने उड़ा दिया है । इस तरह से यू० पी० शिया कान्फ्रेन्स में मिनिस्टर अली जहीर साहब के जो जो हुजूर हैं, उन्हीं लोगों को चुनेंगे ।

अब जरा इस बात को देखा जाय कि किस प्रकार से वे माननीय सदस्यों के सामने चीजों को लपेट कर रखते हैं और कहते हैं आपके सम्मुख कि जो पहले था वह अब भी है । धन्य है ! खुदा ही बचा सकता है इनसे देश को ।

श्रीमन्, देखा जाय यहसरकार कितना बड़ा अपराध कर रही है । क्यों आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स को नहीं माना जा रहा है जो कि एक बड़ी बाड़ी है और यू० पी० की शिया कान्फ्रेन्स जो कि एक छोटी बाडी है उसको क्यों रजिस्टर्ड बाडी कहा जा रहा है और क्यों उसको माना जा रहा है ? यह बिलकुल उल्टा जाता है, जनतंत्र का यह बिलकुल थोथा स्वरूप है और सरकार की जो इच्छा है, जो उसकी दूषित मनोवृत्ति है, उसको वह इस सदन में पूर्णतः व्यक्त करता है।

इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने ऐक्ट को अगर पढ़ा जाय तो पुराने ऐक्ट में जितने अधिकार दिये गये थे बोर्ड को, वे सारे के सारे अधिकार अब सरकार के हाथ में आ रहेहैं, पूरी की पूरी ताकत सरकार अपने हाथ में ले रही है । पहले बोर्ड जिन कामों को करने में स्वतंत्र था वे सारे के सारे काम अब सरकार के इशारे पर होंगे और सरकार की इच्छा पर होंगे। श्रीमन्, मैं सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आपके द्वारा एक विशेष बात की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं अपने उन बुजुर्ग लायक विधान सभा के सम्मानित मुसलमान सदस्यों से कहूंगा कि सही माने में इतनी बात मैं मानने के लिये तैयार हूं कि इन तमाम बातों को ब्योरे में वे हमसे ज्यादा जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि जरा वे इसकी सफाई करें कि किस स्तर पर, किस समय, क्यों राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। सही है कि वक्फ के कामों में गड़बड़ी हो रही होगी, बोर्ड अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हो तो उसके लिये सुझाव दिये जायं, उसके लिये उनको सजेशन्स दिये जायं कि उनका काम कुछ ठीक हो जाय और जनतांत्रिक तरीके से बढ़ाने वाली, फैलाने वाली व्यवस्था की जाय। इस बात को तो मैं मान सकता हूं मगर इस बात को कौन सा जनतंत्र मान्यता प्रदान करेगा जिसमें तमाम हकूक छीन कर राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले ? इसकी सफाई, जो लोग भी बोले हैं इस विधेयक के पक्ष में, मेरे मुस्लिम भाई नहीं दे पाये हैं। श्रीमन्, मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं कि वे जरा इसकी सफाई तो दे दें।

अध्याय ५, खंड ४२, पेज १५ में लिखा हुआ है—राज्य सरकार द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण "राज्य सरकार (१) बोर्ड का सामान्य पर्यवेक्षण करेगी और उससे कोई लेख्य, अभिलेख या सूचना मांग सकती है, तथा (२) अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लेखा-परीक्षा द्वारा बोर्ड के लेखों की लेखा—परीक्षा की जाने की भी अपेक्षा कर सकती है। इस तरह से एक तो आम पावर, सामान्य अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि बोर्ड जो भी काम करे, जो भी लिखा-पढ़ी करे, या जो कोई भी सूचना सरकार चाहे वह हर मौके पर, हर समय बोर्ड से लेगी और बोर्ड के द्वारा अगर कोई आडिटर नियुक्त है, बावजूद इसके भी यह सरकार अपने द्वारा आडिटर नियुक्त कराकर उसके द्वारा बोर्ड के हिसाब किताब की देखभाल करा सकेगी।

श्रीमन्, एक निहायत छोटी सी मांग ८ वर्ष से हम इस सदन में कर रहे हैं कि ये जितने बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, उनकी फैक्टरीज में जो मजदूर हैं उनकी तरफ से एक मजदूर आडिटर भी उनके हिसाब किताब की जांच करने के लिये रख दिया जाय। लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। अभी मैं देवरिया, गोरखपुर के दौरे से आ रहा हूं। जब मैं स्टेशन पर आया तो मेरे पास ऐसी सूचनायें आने लगीं कि इस साल चीनी की १२, १३ परसेंट रिकवरी हुई है, लेकिन ११ साढ़े ११ परसेंट दिखलाया जा रहा है। इसलिये मेरी मांग है कि मजदूरों का आडिटर भी मिल मालिकों के आडिटर के साथ-साथ होना चाहिये ताकि वह उन सारी बातों की देख-भाल करे।

जो आज फैक्टरियों में भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगती लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मानती। हम यह जानना चाहते हैं कि जब यह बोर्ड बनेगा और यह बोर्ड शायद उसी रूप में बने जिस रूप में मंत्री जी चाह रहेहैं, तो यह इतनी पावर सरकार अपने हाथ में क्यों ले रही है ? उन को उनका विश्वास नहीं है कि अगर आडिटर जनरल या एकाउन्टेंट

[श्री राजरानारायण]

जनरल कहीं पर अनियमितताओं का विस्फोट करेगा तो उनकी आंखें लाल हो जायंगी कि उन्होंने कैसे यह रहस्योद्घाटन किया। सरकार की यह इच्छा क्यों है कि वह अपनी तरफ से आडिटर्स नियुक्त करेगी? अगर हमारा हिसाब किताब ठीक है और हम साफ हैं और हमारे खर्च में कोई अनियमितताएं नहीं हैं तो माननीय कमलापति जी या लाल बहादुर जी कोई भी किसी वक्त हिसाब-किताब की जांच कर सकते हैं, हम हमेशा हिसाब किताब अपना दिखाने को हर तरह तैयार हैं, सोशलिस्ट पार्टी में यह हिम्मत है कि वह किसी भी पार्टी के सदस्य को हर वक्त अपना हिसाब किताब दिखा सकती है ....

श्री उपाध्यक्ष---आप ज्यादा तफसील में न जायं।

श्री राजनारायण---इसमें है कि राज्य सरकार समय-समय पर बोर्ड को ऐसे सामान्य या बिशेष निदेश दे सकती है जो राज्य सरकार उचित समझे और बोर्ड अपने कृत्यों के सम्पादन में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा। यह सब क्या है? क्यों सरकार इस तरह का शिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड बनाती है और ऐसा कानून बनाती है, क्यों यह सब बहस और कानून यहां आया है? एक वाक्य से काम चल सकता है कि राज्य सरकार जिस तरह से चाहेगी ट्रस्ट का नियंत्रण करेगी इस से सारा मामला साफ हो जायगा। न हम आप परेशान होंगे, न सदन का समय नष्ट होगा और न इस तरह से जनता के धन का ही दुरुपयोग होगा। सारी शक्ति अध्याय ५ की दफा ४३ में राज्य सरकार ने ले ली है। राज्य सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य सरकार, समय-समय पर, बोर्ड को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकती है जो राज्य सरकार उचित समझे और बोर्ड अपने कृत्यों के सम्पादन में ऐसे निदेश का पालन करेगा। राज्य सरकार पर कोई बन्दिश नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जो राज्य सरकार उचित समझे वह वही निदेश दे सकती है और बोर्ड को उन का पालन करना ही होगा। उस में यह भी अधिकार नहीं है कि बोर्ड अगर उन निदेशों को उचित न समझे तो बोर्ड पुनः विचार के लिये निवेदन कर सके कि इस रूप में आप की आज्ञा शिरोधार्य नहीं है या आप की आज्ञा में यह अनियमितता है और उसके मानने में यह दिक्कत है, यह सब हक इसमें बोर्ड को नहीं है बल्कि इसके जरिये से पूरी ताकत लेने की कोशिश की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के कामों को अपने हाथ में लिये जाने के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि यह राज्य सरकार किसी भी समय किसी भी स्थिति में बोर्ड को भंग कर सकती है और बोर्ड के कृत्यों को अपने हाथ में जब चाहे ले सकती है। ऐसी पावर चाहे हिटलर हो, चाहे स्टेलिन हो या मात्सेतुंग हो, किसी ने भी अपने हाथ में कभी नहीं ली है। मैं अली जहीर साहब से कहूंगा कि आप जमाने के साथ खेल न कीजिये, मंत्री के नाम पर नहीं, जनतंत्र के नाम पर, समाज के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर मैं आप से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी ताकत जिस ने ली वह शैतान हो गया, आप शैतान बनने की कोशिश न करें।

फिर नये बोर्ड का निर्माण तथा उसे वक्फों के प्रशासन का हस्तांतरण। राज्य सरकार जब चाहेगी नये बोर्ड का निर्माण करेगी जब चाहेगी उस के हाथ में व्यवस्था दे देगी। इस तरह से पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का है। क्यों नहीं एक वाक्य में ही यह सरकार सारा मामला साफ कर लेती, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा बिल बनाने की क्या जरूरत थी, इसमें कितना पैसा लगा होगा। करीब ८५ धारायें हैं, ३० पेज हैं। एक धारा में ही सरकार कह सकती थी।

हुसैनाबाद के बारे में भी जिक्र किया गया। हम किसी एक इंडिवीजुअल केस में नहीं जाना चाहते। हो सकता है कि उसका मैनेजमेन्ट अच्छा हो, हो सकता है कि उसका मैनेजमेन्ट खराब हो, हो सकता है कि माननीय मंत्री जी के पास पूरी बात न आई हो। इसलिये मैं किसी एक केस को लेकर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहता हूं और अगर उन सिद्धांतों का अवलम्बन किया जाय तो मैं कहूंगा कि यह विधेयक

एक काला विधेयक माना जायगा। जिस तरह से १९३२ में अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत के जरिये स्पेशल पावर्स ऐक्ट आया था और महात्मा गांधी ने उसे ब्लैक ऐक्ट, मार्शल ला कहा था, उसी तरह से मैं कहूंगा कि आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स के लिये यह मार्शल ला बनेगा। उसके सारे हकूक को छीनेगा और जो सरकार के जी हजूर होंगे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बोर्ड का गठन कराके समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित साधन में सरकार करेगी।

इसमें कोई संशोधन भी नहीं आ पाया है। संशोधन भी अगर हो तो भी कोई ब्योरे की बात हो। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा माननीय मंत्री जी से जो कि इस विधेयक के रखने वाले हैं कि जरा वह साफ हों, मस्तिष्क में दुराव न हो। एक बहुत अच्छी बात हमारे एक प्राचीन मुनि ने कही है :—

शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः।
एकबुद्धि अहं भद्रे क्रीणामि विमले जले॥

देखो—शतबुद्धि शिर पर लादे हुए है हजार बुद्धि वाले को लटकाये जा रहा है। भद्रे। मैं एक बुद्धिवाला हूं कि इस विमल जल में विहार कर रहा हूं।

अगर बुद्धि एक हो तब तो काम चल पाता और अगर उस बुद्धि को कई खानों में बांट दें, उसके हजारों शिर हो जायं, हजारों तरीकों से बात करें और हजारों तरीके से बात करके अपना मतलब साधने की चेष्टा करे तो निश्चित रूप से समाज का अनर्थ होता है लोक कल्याण नहीं होता है, लोक का अहित होता है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रस्तुत विधेयक के जरिये यह सरकार आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स के और सुन्नियों के हक को न छीने। जो सरकार की इच्छा हो उसी के सामने उन्हें झुकाने की नापाक कोशिश न करे। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जरूर प्रवर समिति में जाय ताकि इसमें वांछित संशोधन हो सके और उससे समाज का कल्याण हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं क्लोजर के प्रश्न को ले रहा हूं....

श्री उग्रसेन—(जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे भी....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने देखा कि काफी वाद-विवाद हुआ और माननीय सदस्य एक ही बात कह रहे हैं। कुछ नई बातें जो रह गई थीं राजनारायण जी के पास उनके लिये मैंने उन्हें मौका दिया।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष—विभाजन के बीच में कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक ऐसे विधेयक पर विचार हो रहा है जिसका सम्बन्ध लोगों के मजहबी ख्यालात से है और सरकार उनमें दखल दे रही है और लोगों को बोलने भी नहीं दे रही है....

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७६,

विपक्ष में—२६।)

श्री राजनारायण—श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था....

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, हम इस बात पर वाक आउट करते हैं कि सरकार जबरदस्ती कर रही है।

(जनसंघ के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत है उसमें आल इंडिया शिया कांफेंस और सूबा शिया कांफेंस रजिस्टर्ड की चर्चा आयी है हमारे पास इससे सम्बन्धित कोई कागजात नहीं हैं। अगर हमारे पास उनका कांस्टीट्यूशन और दूसरे कागजात आ जाते तो हमको आसानी होती। मैं चाहता हूं कि जब तक वे कागजात न आ जायं और हम अध्ययन न कर लें तब तक इसे जरूर स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---हमारी नियमावली के अनुसार जिन आधारों पर नये विधेयक लाये जाते हैं यदि पब्लिक की मांग हो तो वे कागजात प्रस्तुत किये जाते हैं। लेकिन जो पब्लिक डाक्युमेंटस हैं और जिनका इत्तफाक से प्रकरण में जिक्र आ गया उनके लिये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। १४ तारीख को यह भेज दिया गया था। अब तक आप चाहते तो लायब्रेरी से कागजात मिल जाते। तो यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण---जब कागजात ही नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में सदन में बैठना व्यर्थ है और यह सरकार की हठवादिता है।

(श्री राजनारायण तथा उनकी पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री सैयदअली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि एक ऐसा बिल जिसमें कोई चीज काबिल एतराज नहीं है, जिस पर मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जमातों ने गौर किया है उस पर ऐसी बहस हुई जिससे मुझे या मेरे साथियों को कम से कम किसी किस्म का फायदा हासिल नहीं हुआ। इसी वजह से मेरी यह राय और ज्यादा तकवियत पाती है कि इस बिल को अगर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।

इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है उसकी पहली वजह यह है कि सन् ५५ से यह बिल की शक्ल में इस हाउस के सामने मौजूद है और जिन माननीय सदस्यों को इसमें दिलचस्पी रही है उन्होंने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया है और अपनी तजवीजें भी पेश कीं और उसमें मुख्तलिफ छोटी मोटी तरमीमें होती रहीं। उसके बाद कौंसिल में यह बिल पेश हुआ। वहां पर हर तरह के माननीय सदस्य थे। हर मजहब के माननीय सदस्य थे जिनको इससे दिलचस्पी थी, उन्होंने इस पर गौर किया और उसके बाद १२ तरमीमें आई जिनको गवर्नमेंट ने मंजूर किया। वे तरमीमें वहां रजामन्दी से पेश हुईं। मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोई कमी थी तो तरमीम की शक्ल में उन कमियों को आना चाहिये था। मैं समझता हूं कि यह डायलेटरी टेक्टिक्स है कि किसी तरह से इसे पास होने से रोका जाय। महज इस गरज से तकरीरें हुईं और जैसा शुरू में कहा उनका कोई खास मकसद नहीं था, जैसे प्लेटफार्म पर तकरीरें की जाती हैं ऐसी तकरीरें की गयीं।

यह कहा गया कि शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड जो बने हुए हैं उनमें कुछ एख्तिलाफ है। यह बिल दोनों वक्फ बोर्डस को भेज दिया गया था और दोनों ने जैसा मुनासिब समझा अपनी-अपनी राय दी। शिया बोर्ड ने जिसके सदस्य जरगाम हैदर साहब हैं कोई तरमीम पेश नहीं की और न यह कहा कि क्या होना चाहिये और क्या न होना चाहिये। लिहाजा मैं यह समझने के लिये मजबूर हूं कि बोर्ड को किसी किस्म की शिकायत उस पर नहीं थी।

माननीय राजनारायण जी ने लम्बी चौड़ी तकरीर उस पर की और कहा कि गवर्नमेंट बोर्डों को सुपरसीड करने के सब अख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहती है। गालिबन माननीय राजनारायण जी यह नहीं जानते कि आज भी म्युनिसिपल बोर्डस और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस

के मामले में इससे ज्यादा अधिकार गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट बोर्ड को सुपरसीड करने के लिये ज्यादा पावर्स ले रही है तो उसे ज्यादा पावरफुल बनाने की भी कोशिश कर रही है। इसलिये साथ ही चेक भी रख रही है कि बोर्ड उन पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसलिये जरूरत हुई कि सरकार ये पावर्स अपने हाथ में ले।

गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो ऐक्ट इस सिलसिले में पास हुआ है उसको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि कितने अधिकार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिये हैं। मसलन खंड ६४ है उसमें यह है चाहे जितनी मुद्दत के लिये गवर्नमेंट चाहे अगर बोर्ड ठीक तरह से अपने फरायज का अन्जाम नहीं दे रहा है तो उसे सुपरसीड कर सकती है। और उसको सुपरसीड करने का अख्तियार है। हमने लिमिटेशन कर दिया है कि साल भर तक के लिये ही सुपरसीड कर सकती है।

इसी तरह से खंड ६३ है। हमने इसमें वर्ड फार वर्ड गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट का रखा है। डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि वह इंतजाम कर सकें। शुरू में मैंने कहा था कि इसमें गवर्नमेंट को पावर थी कि हर वक्त के लिये वह डायरेक्शन अलग-अलग दे सकती थी। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बोर्ड के भी मेम्बर हैं और जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है, उन्होंने कहा कि यह गलत चीज है और वक्फ के मामले में इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिये तो जो प्राविजन गवर्नमेंट आफ इंडिया का था उसी को हमने अपने यहां शामिल कर दिया।

इसके बाद आल इंडिया शिया कांफ्रेंस का भी जिक्र किया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वक्फ के मामले में किया है उसी को हमने भी साफ-तौर पर कहा है कि स्टेट शिया कांफ्रेंस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जहां तक आल इंडिया शिया कांफ्रेंस का ताल्लुक है और वह आल इंडिया बाडी है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि स्टेट बाडी में उसका नुमाइंदा हो। लेकिन अगर कोई स्टेट बाडी है तो लाजमी बात है कि जो स्टेट बाडी है वही उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से कर सकेगी। लिहाजा जैसा कि खंड ११ में जिक्र है वही आदमी होगा जिसको जमैयतुलउलमा रखेगी।

दूसरा सवाल यह पड़ता है कि फर्ज कीजिये कि स्टेट में दो बाडीज हैं। एक शिया कांफ्रेंस जो रजिस्टर्ड है और दूसरा शिया कांफ्रेंस जो अनरजिस्टर्ड है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट किसको रिकगनाइज करे। इसमें गवर्नमेंट मजबूर है और जो बाडी रजिस्टर्ड है उसी को गवर्नमेंट रिकगनाइज करेगी क्योंकि रजिस्टर्ड बाडी की सैंकटिटी होती है और उसके रिकार्ड वगैरह से हम उसके मेम्बरान के बारे में मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड बाडी है वह तो चार दिन पहले अपने यहां के लोगों को बदल सकती है और उसमें आये दिन लड़ाई हो सकती है और हमें यकीन नहीं हो सकता है कि कौन असली बाडी है।

श्रीमन्, राजनारायण जी ने किस्से कहे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड स्टेट कांफ्रेंस के मेरा खयाल यह है कि उनको लोगों ने गलत खबर दी है। मेरे पास कांस्टीट्यूशन मौजूद है और वह हजरत मेरे पास आये थे और जो बात फैजाबाद कांफ्रेंस कहती है, वह उसके कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने खुद अपनी बाडी को उत्तर प्रदेश स्टेट शिया कांफ्रेंस कहना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके बीच का कांफ्लिक्ट खत्म हो गया और दोनों बाडीज आपस में मिल गई हैं और अब एक ही बाडी हो गई है। उन्होंने एक बाडी कहना शुरू भी कर दिया है। सारे किस्से गलत खबरों की बिना पर यहां बयान कर दिये गये हैं। लेकिन असलियत यह है कि सारे किस्से खत्म हो गये हैं। शब्बीर साहब और शब्बार साहब जो गाजीपुर के हैं उनकी एक ही बाडी रह गई है। यह जाहिर बात है कि जो बाडी रजिस्टर्ड होगी उसको हम मानने के लिये तैयार हैं यह सूरते हाल है। बिला वजह नीयत के ऊपर कहा जाय कि हम धांधली कर रहे हैं और डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इस तरह की तकरीरें हो सकती हैं, लेकिन हमारी समझ में यह आती नहीं है।

[श्री सैयद अली जहीर]

जहां तक पावर्स का ताल्लुक है तो मैंने अर्ज किया कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के मुताबिक हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों बोर्डों का हमने पूरे तौर से मश्विरा लिया और अगर किसी को शिकायत करने का हक था तो बोर्ड के जो नुमाइन्दे हैं उनको था कि यह सब अश्तियारात गवर्नमेंट में क्यों लिये लेते हैं? लेकिन हमारे दो माननीय सदस्य बोले जो बोर्ड के मेम्बर हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के। उन दोनों ने कहा, वह हमसे मिलने आये, उन्होंने यह कहा कि यह अश्तियारात होने जरूरी हैं। इसी तरह से शिया वक्फ बोर्ड ने भी कहा। वैसे राहत मौलाई साहब को शिकायत है। चूंकि वह बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, लिहाजा हर चीज उनको गलत नजर आती है। शायद अंगूर खट्टे हैं।

इस तरह कोई सीरियस आब्जेक्शन इस बिल पर नहीं किया जा सकता। अगर इसमें कोई कमी हो, या यह समझा जाय कि इस किस्म की खराबी रह गयी है, तो वह वक्तन बवक्तन ठीक हो सकती है। लेकिन कोई बेसिक खराबी इसमें नहीं है जिसके मुताल्लिक कहा जाय कि बिल को नामंजूर कर दिया जाय। न इसमें कोई तरमीमें आयी हैं जिन पर जा कर हम राय कायम कर सकें कि इसको सेलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है। अगर यह सेलेक्ट कमेटी में जाय और वहां कोई तरमीम न हो तो यह इसी सूरत में फिर सदन के सामने आयेगा और पास होगा। अगर उसमें वहां कोई चेंज होता है जिसको गवर्नमेंट मंजूर करती है, और हाउस पास करता है तो फिर काउन्सिल में जाना पड़ेगा। फिर वहां पास हो या न हो। काउन्सिल माने या न माने। फिर ज्वाइंट सेशन हो या क्या हो। अगर कोई बात सीरियसली कही गयी होती जिसको हम वर्थ-व्हाइल समझते तो हम उस पर गौर करते। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं पेश हुई, जिसकी वजह से सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत हो, लिहाजा मैं इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने फिर सेंट्रल ऐक्ट का हवाला दिया। मैंने गुजारिश किया था कि वह मिसलीड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह तरीका नहीं है। अब तो खत्म हो गया। बाद में प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजियेगा और समझ लीजियेगा।

प्रश्न यह है कि सदन का यह निश्चित मत है कि उपरोक्त विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २---८५

अधिनियम की प्रवृत्ति।

२---(१) इस अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुये, यह अधिनियम उन सभी वक्फों पर प्रवृत्त होगा, जिनमें समाविष्ट सम्पत्ति का कोई भाग उत्तर प्रदेश में स्थित हो, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले बने हों या पीछे और उन सभी वक्फों पर भी प्रवृत्त होगा जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के समय यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ के अधीन संघटित सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या शिया सेंट्रल बोर्ड के अधीक्षण में थे।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या १३, १९३६।

(२) यह अधिनियम हुसैनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित सम्पत्तियों पर तथा उस ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित सम्पत्तियों पर भी प्रवृत्त होगा। ऐक्ट संख्या १५, १८७८,

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार को उक्त संपत्तियों पर इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे अनुकूलन (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों या परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में) करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे, और जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के मूलतत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

(३) यह अधिनियम निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगा :

(१) किसी ऐसे विलेख द्वारा (यदि कोई हो) बनाया गया वक्फ, जिसकी शर्तों के अधीन वक्फ विलेख (यदि कोई हो) के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की, राज्य सरकार को देय मालगुजारी, लगान तथा उपकरों की कटौती करने के पश्चात् शेष कुल आय का कम से कम ७५ प्रतिशत वाकिफ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य के लाभ के लिये तत्समय देय हो ;

(२) केवल निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिये बनाया गया वक्फ :

(क) वाकिफ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति का भरण-पोषण तथा निर्वाह,

(ख) वाकिफ, उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके किसी पूर्वज के सालाना उर्स से सम्बद्ध धार्मिक कृत्यों का किया जाना, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रयोजन के लिये वार्षिक व्यय २,५०० रु० से अधिक न हो,

(ग) निजी (१) मकबरों और (२) कब्रिस्तान का अनुरक्षण, या

(घ) यदि वाकिफ हनफी मुसलमान हो तो उसका भरण-पोषण तथा निर्वाह अथवा उसका ऋण चुकाना :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे वक्फ का मुतवल्ली जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त न होता हो, सम्पूर्ण वक्फ सम्पत्ति या उसका कोई भाग अनुचित रूप से बेचे या बन्धक रखे या अपने विरुद्ध किसी डिक्री के निष्पादन में उसे बिक जाने दे या अन्यथा उसे नष्ट करे तो सेंट्रल बोर्ड इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को उक्त वक्फ पर ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्त कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—वक्फ, जो मूलतः इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त हो, किसी भी कारण से बाद में उसके परिवर्तन के अधीन आ सकता है, उदाहरणार्थ, इस कारण कि उसकी आय का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत, विलेख की शर्तों के अधीन सार्वजनिक धर्मशील प्रयोजनों के लिये उपलभ्य हो जाय ।

३—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषाएं

(१) "हितग्राही" का तात्पर्य उस व्यक्ति या उद्देश्य से है जिसके हित वक्फ बनाया जाय और इसके अन्तर्गत धार्मिक, धर्मशील या पूर्त उद्देश्य तथा मुस्लिम सम्प्रदाय या उसके किसी फिरके के हित के लिये स्थापित लोकोपयोगिता का कोई अन्य उद्देश्य भी है ;

(२) "बोर्ड" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या शिया सेंट्रल बोर्ड से है ;

(३) "आयुक्त" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वक्फ आयुक्त से है ;

(४) "परिवार" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं —

(१) माता–पिता, दादी–बाबा तथा नानी–नाना ;

(२) पत्नी या पति ; और

(३) किसी पुरुष या स्त्री पूर्वज द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति ;

(५) "मुत्तवल्ली" का तात्पर्य किसी वक्फ या निबन्ध (endowment) के प्रबंधक से है और इसके अन्तर्गत अमीन, सज्जादा–नशीन, खादिम, नायब मुत्तवल्ली तथा प्रबंध समिति भी है और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय ऐसे किसी निबन्ध का प्रभारी हो या जो उसका प्रशासन कर रहा हो ;

(६) "शुद्ध आय" का तात्पर्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर, कर या अधिभार (surcharge) घटाने के बाद शेष कुल आय से है ;

(७) "सम्पत्ति" के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां तथा बंधपत्र, फर्मों और कम्पनियों के अंश, स्कन्ध (स्टाक), ऋणपत्र (debentures) तथा अन्य प्रतिभूतियां और करण तथा नकदी और अन्य पदार्थ भी है,

(८) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप–विधियों या नियमों द्वारा नियत से है ;

(९) "उप–समिति" का तात्पर्य धारा २७ के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये नियुक्त उप-समिति से है ;

(१०) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा ७० के अधीन संघटित अधि–करण से है ;

(११) "वक्फ" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति का किसी ऐसे प्रयोजन के लिये स्थायी समर्पण या अनुदान से है जो मुस्लिम विधि या प्रथा के अनुसार धार्मिक, धर्मशील या पूर्त के रूप में स्वीकृत हो और इसके अन्तर्गत वक्फ अलल–औलाद तथा उपयोगवश वक्फ (waqf by user) भी है, और "वाकिफ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसा समर्पण या अनुदान करे ;

(१२) "वक्फ सम्पत्ति" के अन्तर्गत धर्मस्थान, मकबरे या इमामबाड़े पर चढ़ाई गई वस्तुयें भी हैं, और

(१३) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

वक्फ आयुक्त तथा अपर या सहायक वक्फ आयुक्तों की नियुक्ति

४—राज्य में या उसके निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित समस्त वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिये चाहे वह वक्फ इस अधिनियम के अधीन हों या न हों राज्य सरकार, समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, एक वक्फ आयुक्त तथा उतने अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त, जितने आवश्यक हों, नियुक्त कर सकती है ।

५—अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को प्रदान किये गये हैं या जिनके लिये उसे आदेश दिया गया हो ।

वक्फों का सर्वेक्षण

६—(१) आयुक्त, वक्फों के सर्वेक्षण—कार्य को अपने तथा अपर और सहायक आयुक्तों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा जो वह उचित समझे, तथा सामान्यतया उनके कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा ।

(२) वक्फ आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित बातें सुनिश्चित तथा अवधारित करेगा :—

(क) शिया वक्फों तथा सुन्नी वक्फों को अलग-अलग दिखाते हुये , क्षेत्र के समस्त वक्फों की संख्या ;

(ख) प्रत्येक वक्फ का प्रकार तथा उद्देश्य;

(ग) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट सम्पत्ति की सकल आय ;

(घ) प्रत्येक वक्फ—सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर, कर और अधिभार की धनराशि;

(ङ) आय की वसूली में होने वाले व्यय तथा प्रत्येक वक्फ के मुत्तवली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक ;

(च) क्या वक्फ उन वक्फों में से है जो धारा २ के अधीन इस अधिनियम की प्रवृत्ति से मुक्त हैं; तथा

(छ) प्रत्येक वक्फ के सम्बन्ध में ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस विषय में विवाद हो कि कोई वक्फ—विशेष किया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है और वक्फ—विलेख के कथनों से यह स्पष्टरूप से लक्षित हो कि वह किस संप्रदाय का है तो उस विवाद का निर्णय उक्त कथनों के आधार पर किया जायेगा ।

ऐक्ट संख्या ५,१९०८

(३) आयुक्त को जांच करते समय वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) निहित होते हैं—

(क) किसी साक्षी को बुलाना तथा उसका बयान लेना ;

(ख) किसी लेख्य को प्रकट करने तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना ;

(घ) लेखों तथा साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अनुसंधान करना ; तथा

(च) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय ।

(४) आयुक्त, अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त जांच के प्रतिवेदन को जिसमें उपधारा (२) में उल्लिखित विवरण होंगे प्रत्येक बोर्ड को तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र सरकारी गजट में विशेष फिरके से सम्बद्ध ऐसे वक्फों को विज्ञापित करेगी जिन-पर उक्त प्रतिवेदन के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हों ।

सर्वेक्षण व्यय की वसूली।

७—(१) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण करने का संपूर्ण व्यय, यदि सर्वेक्षण पूरे राज्य में हो तो, राज्य में स्थित वक्फ—सम्पत्ति की आय के अनुपात में सभी मुत्तवल्लियों द्वारा वहन किया जायेगा और यदि सर्वेक्षण किसी क्षेत्र—विशेष तक ही सीमित हो तो उस क्षेत्र में स्थित वक्फ सम्पत्ति की आय के अनुपात में उस क्षेत्र में स्थित वक्फों को मुत्तवल्लियों द्वारा वहन किया जायेगा ।

(२) वक्फ स्थापित करने वाले के किसी विलेख या करण में किसी बात के होते हुये भी, कोई मुत्तवल्ली उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा देय किसी धनराशि को वक्फ सम्पत्ति की आय में से दे सकता है ।

(३) उपधारा (१) के अधीन मुत्तवल्ली द्वारा देय कोई धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है।

८---(१) यदि यह विवाद उठे कि कोई सम्पत्ति-विशेष वक्फ-सम्पत्ति है या नहीं अथवा वक्फ शिया वक्फ है या या सुन्नी वक्फ तो सम्बद्ध बोर्ड या वक्फ का मुत्तवल्ली अथवा उसमें स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति उक्त विवाद को निर्णय के लिये अधिकरण को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदिष्ट कर सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन वक्फों की सूची प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिकरण द्वारा कोई ऐसा विवाद ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(२) आयुक्त, अपर वक्फ आयुक्त तथा सहायक वक्फ आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन किसी कार्यवाही में पक्ष के रूप नहीं रक्खा जायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९३६

९---(१) इस अध्याय के उपबन्ध इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व शुरू किये गये वक्फ-सम्पत्तियों के किसी सर्वेक्षण की कार्यवाही पर प्रवत्त न होंगे और ऐसा सर्वेक्षण यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के उपबन्धों के अनुसार पूरा किया जायेगा ।

(२) इस अध्याय की किसी बात का उन विषयों में मुख्य राज्य वक्फ आयुक्त (Chief State Commissioner of Waqfs) या किसी राज्य वक्फ आयुक्त अथवा वक्फ आयुक्त के निर्णयों की अन्तिमता पर प्रभाव न पड़ेगा, जिनमें इस अधिनियम के प्रभाव होने के पूर्व ऐसे आयुक्त का प्रतिवेदन अंतिम हो गया हो।

सेन्ट्रल बोर्डों की स्थापना ।

१०---(१) उत्तर प्रदेश में दो पृथक् बोर्ड स्थापित किये जायेंगे जो वक्फों के "सुन्नी सेंट्रल बोर्ड" तथा "शिक्षा सेंट्रल बोर्ड" कहलायेंगे । प्रत्येक बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा तथा उसको एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत करेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा :

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९३६

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड, जो यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन संघटित किये गये थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय कार्य कर रहे थे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संघटित किये गये समझे जायेंगे तथा यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन अपने कार्यकाल की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे।

(२) कोई बात जिसका इस अधिनियम के अधीन, बोर्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात हो, सुन्नी वक्फों के विषय में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड द्वारा और शिया वक्फों के विषय में शिया सेंट्रल बोर्ड द्वारा की जायेगी :

ऐक्ट संख्या १५, १८७८

प्रतिबन्ध यह है कि शिया सेंट्रल बोर्ड का उन सम्पत्तियों पर नियंत्रण तथा अधीक्षण, जो अब तक हुसेनाबाद-इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ के अधीन शासित होती थी या तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होती थी, ऐसे निदेशों के अधीन रहेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किय जायं।

सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड का संघटन ।

११—सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में निम्नलिखित सुन्नी मुसलमान होंगे जो नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे या आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे :—

(१) पांच सदस्य, जिनका निर्वाचन राज्य विधान-मंडल के सुन्नी सदस्य करेंगे, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने में से ही उन्हें निर्वाचित करें ;

(२) दो सदस्य, जिनका निर्वाचन हाईकोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद तथा अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे ।

(३) एक सदस्य जिसका निर्वाचन प्राविन्शियल जमायत-उल-उल्मा उत्तर प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य अपने में से करेंगे ।

(४) एक सदस्य, जो लेखाशास्त्र (Accountancy) में विशेष ज्ञान रखने वाला सुन्नी मुसलमान होगा और खंड (१) से (३) तक के अधीन निर्वाचित सदस्यों द्वारा आमेलित किया जायेगा :

(५) तीन सदस्य, जो उपर्युक्त नौ सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से आमेलित किये जायेंगे जिन्हें वे उलेमा मानते हों और दो सदस्य जो उनके द्वारा उन वक्फों के मुत्तवल्लियों में से आमेलित किये जायेंगे जिन पर अधिनियम प्रवृत्त होता है; तथा

(६) अध्यक्ष, यदि वह उपर्युक्त चौदह सदस्यों में से न हो ।

शिया सेन्ट्रल बोर्ड का संघटन ।

१२—शिया सेंट्रल बोर्ड में निम्नलिखित शिया मुसलमान होंगे जो नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे या आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे :—

(१) पांच सदस्य जिनका निर्वाचन राज्य विधान मंडल के शिया सदस्य करेंगे, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने में से ही उन्हें निर्वाचित करें ;

(२) एक सदस्य, जिसका निर्वाचन यू० पी० शिया-कांफ्रेंस (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा ;

(३) एक सदस्य, जिसका निर्वाचन शिया कालेज, लखनऊ के बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा ;

(४) तीन सदस्य, जो उपर्युक्त सात सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से आमेलित किये जायंगे जिन्हें वे उलेमा मानते हों ; तथा

(५) अध्यक्ष, यदि वह उपर्युक्त दस सदस्यों में से न हो ।

१३—(१) यदि धारा ११ और १२ के खण्ड (१) द्वारा यथाव्यवस्थित बोर्ड के सदस्यों का अपेक्षित संख्या में निर्वाचन राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा न किया जाय तो इस कमी की पूर्ति, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की दशा में, प्राविंशियल-मुस्लिम एजूकेशन कान्फ्रेंस द्वारा और शिया सेंट्रल बोर्ड की दशा में यू० पी० शिया कान्फ्रेंस (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करके की जायेगी और ऐसा न किये जाने पर राज्य सरकार नाम-निर्देशन द्वारा कमी की पूर्ति करेगी ।

(२) यदि धारा ११ के खण्ड (२) और (३) तथा १२ के खण्ड (२) और (३) में उल्लिखित निकाय ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, सदस्यों का अपेक्षित संख्या में निर्वाचन न कर पायें, तो राज्य सरकार नाम-निर्देशन द्वारा इस कमी की पूर्ति करेगी ।

बोर्ड का कार्य-काल।

१४—धारा २३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उस दिन के, जब पूर्व बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाय, ठीक बाद के दिन से पांच वर्ष का होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त अवधि को एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिये बढ़ा सकती है।

अध्यक्ष का निर्वाचन, आदि।

१५—(१) बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो, के तुरन्त पश्चात् और बाद में जब कभी विद्यमान या प्रत्याशित रिक्ति के कारण, या अन्यथा, अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक हो जाय, तो बोर्ड का सचिव, अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा। सदस्य या तो अपने में से किसी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्वाचित कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वक्फ का मुत्तवल्ली जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो अथवा सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेन्ट ट्रेजरर) अथवा सरकार का या किसी वक्फ-प्रशासन का कोई पूर्णकालिक सेवक अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष अवैतनिक होगा और वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक उपधारा (१) के अपेक्षानुसार बोर्ड द्वारा नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर लिया जाय।

कार्य का संचालन

१६—(१) बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में होगा और बोर्ड की बैठक कार्य के संपादन के लिये ऐसे समयों और स्थान पर होगी जो नियत किये जायं।

(२) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की जाय तो ऐसे स्थगन के पश्चात् प्रथम बैठक के लिये अपेक्षित गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से होगी और यदि बैठक गणपूर्ति न होने के कारण पुनः स्थगित की जाय तो द्वितीय या अनुवर्ती स्थानोपरान्त बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

(३) बोर्ड निर्णय अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से करेगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

सचिव की नियुक्ति आदि।

१७—बोर्ड अपने पूर्णकालिक सचिव के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसकी अर्हतायें, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी जो नियत की जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि सचिव सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की दशा में सुन्नी सम्प्रदाय का और शिया सेंट्रल बोर्ड की दशा में शिया सम्प्रदाय का मुसलमान होगा।

सेन्ट्रल बोर्ड के कर्मचारिवर्ग

१८—बोर्ड ऐसे कर्मचारि वर्ग और अधिकारियों को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, ऐसे वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों पर, नियुक्त कर सकता है जो नियत की जायं।

बोर्ड के कृत्य।

१९—(१) ऐसे जिन वक्फों पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, उन सबका सामान्य अधीक्षण बोर्ड में निहित होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसके अधीक्षण के अधीन वक्फों या निबन्धों का अनुरक्षण, नियंत्रण तथा प्रबन्ध उचित रूप से होता है और उसकी आय उन प्रयोजनों के लिये, जिनके निमित्त वे स्थापित किये गये थे या जिनके निमित्त वे विद्यमान है विधिवत लगाई जाती है, सभी उचित या आवश्यक कार्य करेगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे :—

(क) पूर्ण तथा प्रामाणिक अभिलेख रखना जिसमें प्रत्येक जिले के प्रत्येक वक्फ की उत्पत्ति आय, उद्देश्यों और हितग्राहियों के विषय में सूचना हो ;

(ख) अपना बजट तैयार और निश्चित करना ;

(ग) मुत्तवल्लियों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किये गये बजटों को निश्चित तथा पारित करना;

(घ) उप-समितियों के वार्षिक बजट निश्चित तथा पारित करना ;

(ङ) किसी वक्फ की गत (lost) सम्पत्तियों की पुनः प्राप्ति के लिये कार्यवाही करना ;

(च) अब तक हुसैनाबाद इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित वक्फों और उक्त ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित संपत्तियों से भिन्न वक्फों और वक्फ संपत्तियों की प्रबंध–योजनाओं को निश्चित या परिष्कृत करना ; ऐक्ट संख्या १५, १८७८

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बोर्ड ने इस खण्ड के अधीन कोई प्रशासन योजना निश्चित कर दी हो तो वक्फ में स्वत्व रखने वाला और उक्त निश्चय से प्रभावित कोई व्यक्ति उक्त निश्चय की आज्ञा के दिनांक से ९० दिन के भीतर उस मामले को अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा ;

(छ) वक्फ सम्पत्तियों, उनसे सम्बद्ध लेखों, अभिलेखों, बिलेखों और लेखों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना;

(ज) वक्फों और वक्फ सम्पत्तियों के प्रकार तथा मात्रा का अनुसंधान करना और मुतवल्लियों से समय–समय पर लेखे तथा अन्य विवरणियां और सूचना मांगना तथा वक्फों के समुचित प्रशासन के लिये निदेश देना;

(झ) मुतवल्लियों द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित लेखों की लेखा-परीक्षा का प्रबंध करना ;

(ञ) मुतवल्ली के पास रखे हुये अतिरिक्त धन का किसी अनुमोदित बैंक में जमा किये जाने का निदेश देना और उसका उपयोग वक्फ के उद्देश्यों के लिये करना ;

(ट) वक्फ निधि का प्रशासन करना ;

(ठ) प्राप्तियों तथा वितरणों के नियमित लेखे रखना और उन्हें नियत रीति से राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(ड) आवश्यकता होने पर वक्फ के प्रशासन के संबंध में जांच कराना ;

(ढ) मुतवल्ली के या वक्फ में स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर अथवा स्वतः वक्फ की सम्पत्ति के पट्टे, बंधक अथवा अन्य हस्तांतरण या उसे दूसरी सम्पत्ति में परिवर्तित करने की स्वीकृत देना :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन की तब तक स्वीकृति नहीं दी जायेगी जब तक कि बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई द्वारा यह प्रस्थापना अनमोदित न की जाय;

प्रतिबन्ध यह भी है कि वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन के विरुद्ध, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, की गई किसी आपत्ति पर विचार किया जायगा और उसका निर्णय उक्त पट्टे बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन पूरा किये जाने के पूर्व किया जायगा।

(ण) मुतवल्ली को हटाना या मुतवल्ली को नियुक्त करना और इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वक्फ सम्पत्ति का कब्जा दिलाना :

प्रतिबन्ध यह है कि मुतवल्लियों को नियुक्त करने या वक्फ सम्पत्ति का कोई अन्य प्रबन्ध करने में बोर्ड, यथासंभव वाकिफ के निदेशों के अनुसार, यदि कोई हों, कार्य करेगा;

(त) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति अथवा पर्यवेक्षण समिति को निदेश देना; और

(थ) विधि-न्यायालय में वक्फों से सम्बद्ध वादों तथा कार्यवाहियां संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना।

अधिकारों का प्रतिनिधान।

२०—ऐसे प्रतिबन्धों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए जो निर्दिष्ट की जायं, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे अधिकार और कर्त्तव्य, जो वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष या सचिव अथवा बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी या किसी सदस्य को प्रतिनिहित कर सकता है, और उसी प्रकार ऐसे किसी प्रतिनिधान को वापस ले सकता है।

अनर्हतायें तथा सदस्यों का हटाया जाना।

२१—(१) कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) गैर-मुसलमान हो,

(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो;

(ग) विकृत चित्त का व्यक्ति हो ;

(घ) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ङ) नैतिक पतन वाले अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो,

अथवा

(च) कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार के कारण पहले कभी सदस्य के पद से हटाया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा द्वारा उक्त कारणों से किसी विश्वास के पद से हटाया गया हो।

(२) बोर्ड अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह—

(क) उपधारा (१) में उल्लिखित किन्हीं अनर्हताओं से ग्रस्त हो या हो जाय ; या

(ख) कार्य करने से इंकार करे या कार्य करने में असमर्थ हो अथवा ऐसी रीति से कार्य करे जिसे बोर्ड, कोई ऐसा स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् जो वह दे, वक्फों के हित के प्रतिकूल समझे; या

(ग) बोर्ड की अनुज्ञा के बिना अथवा पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड की पांच लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहे।

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी सदस्य का हटाया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्याग-पत्र

२२—बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य बोर्ड को पत्र लिख कर अपने पद का त्याग कर सकता है और बोर्ड द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

रिक्ति की पूर्ति

२३—किसी सदस्य के हटाये जाने, पद त्याग करने, मृत्यु हो जाने या अन्य कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाने पर इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति से उसके स्थान पर एक नया सदस्य निर्वाचित या आमेलित, जैसी भी दशा हो, किया जायेगा और ऐसा सदस्य तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान की वह पूर्ति करता हो, ऐसी रिक्ति न होने की दशा में पदासीन रहने का हकदार होता।

सदस्य पदों की रिक्तियों या संघटन में त्रुटि, बोर्ड के कार्यों या कार्यवाहियों को अवैध न करेगी।

२४—बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल उसके सदस्य पदों की किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं समझी जायगी।

बोर्ड की राय

२५—किसी वक्फ का मुतवल्ली, बोर्ड को याचिका देकर उससे ऐसे वक्फ की सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर अपनी राय, मंत्रणा या निदेश देने के लिये प्रार्थना कर सकता है और बोर्ड को उस पर अपनी राय, मंत्रणा या निर्देश देना आवश्यक होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड किसी ऐसे प्रश्न पर उक्त राय, मंत्रणा या निदेश देने के लिये बाध्य न होगा जो उसकी राय में संक्षेपतः निस्तारण के लिये उपयुक्त प्रश्न न हो या जब बोर्ड, किसी अन्य कारण से, जो अभिलिखित किया जायेगा, ऐसा करना अनुपयुक्त समझे।

अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतिलिपियों का जारी किया जाना ऐक्ट संख्या १, १८७२

२६—बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों का, जो उसकी अभिरक्षा में हों, निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतिलिपियां जारी करने की अनुमति ऐसे शुल्क दिये जाने पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए दे सकता है, जो नियत किये जायं। इस धारा के अधीन जारी की गई समस्त प्रतिलिपियां बोर्ड के सचिव द्वारा इंडियन इविडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ७६ में व्यवस्थित रीति से प्रमाणित की जायंगी।

उप-समितियां

२७—(१) बोर्ड, जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी स्थानीय क्षेत्र में उस क्षेत्र के किसी वक्फ या सब वक्फों के पर्यवेक्षण के लिये उप-समिति की स्थापना कर सकती है।

(२) उक्त उप-समिति का संघटन, कृत्य और कर्त्तव्य वे होंगे जो बोर्ड द्वारा नियत किये जायं।

व्यावृत्ति यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९३६।

२८—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व यू०पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई वक्फ, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जायगी।

रजिस्ट्री

२९—(१) प्रत्येक अन्य वक्फ की, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन हो या न हो और चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात्, उस फिरके के जिसका वह वक्फ हो, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्ट्री की जायेगी।

(२) वक्फ सम्पत्ति पर कब्जा पाने के तीन मास के भीतर मुतवल्ली रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र वाकिफ या उसके वंशजों अथवा वक्फ के किसी हितग्राही या उस फिरके के, जिसका वह वक्फ हो, किसी मुसलमान द्वारा दिया जा सकता है ।

(३) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर दिया जायगा, जो बोर्ड नियत करे, और उसमें यथासंभव निम्नलिखित ब्योरे होंगे—

(क) वक्फ सम्पत्तियों का विवरण जो उन संपत्तियों की पहचान के लिये पर्याप्त हो;

(ख) ऐसी सम्पत्तियों से होने वाली सकल वार्षिक आय;

(ग) वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में प्रतिवर्ष देय मालगुजारी, उपकर और स्थानीय-कर तथा कर की धनराशि ;

(घ) वक्फ सम्पत्तियों की आय वसूल करने में प्रतिवर्ष होने वाले व्ययों का तखमीना;

(ङ) वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिये अलग रखी गयी धनराशि—

(१) मुतवल्ली का वेतन और व्यक्तियों के भत्ते;

(२) पूर्णतया धार्मिक प्रयोजन;

(३) पूर्त प्रयोजन; और

(४) कोई अन्य प्रयोजन; और

(च) बोर्ड द्वारा नियत कोई अन्य विवरण ।

(४) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ वक्फ विलेख की एक प्रतिलिपि होगी अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित न किया गया हो या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त न की जा सकती हो तो उस प्रार्थना-पत्र में वक्फ की उत्पत्ति, प्रकार और उद्देश्यों के पूर्ण विवरण, जहां तक वे प्रार्थी को ज्ञात हों, दिये होंगे ।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८ ।

(५) उपधारा (२) के अधीन दिया गया प्रत्येक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अभिवचनों (pleadings) के हस्तांकन और सत्यापन के लिये व्यवस्थित रीति से हस्तांकित और सत्यापित किया जायगा ।

(६) बोर्ड प्रार्थी से ऐसे अन्य ब्योरे या सूचना, जो वह आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकता है ।

(७) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री करने के पहले, प्रार्थना-पत्र की वास्तविकता तथा बैधता और उसमें दिये गये किसी ब्योरे की शुद्धता के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है, जो वह उचित समझे और यदि प्रार्थना-पत्र, वक्फ की सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाय तो बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री करने के पहले प्रार्थना-पत्र का नोटिस वक्फ सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी आज्ञा पारित करेगा, जो वह उचित समझे ।

(८) उपधारा (७) के अधीन बोर्ड की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से ९० दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर वह विवाद अधिकरण अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा ।

वक्फ की रजिस्ट्री।

३०—बोर्ड एक वक्फ रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ से सम्बद्ध वक्फ-विलेखों की प्रतिलिपियां, यदि वे उपलब्ध हों, और निम्नलिखित ब्योरे होंगे, अर्थात्:

(क) वक्फ का वर्ग;

(ख) मुतवल्ली का नाम;

(ग) वक्फ विलेख के अधीन अथवा रूढ़ि या प्रथा द्वारा मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार का नियम;

(घ) समस्त वक्फ सम्पत्तियों और उनसे सम्बद्ध समस्त स्वत्व विलेखों तथा लेखों के ब्योरे;

(ङ) रजिस्ट्री के समय प्रशासन की योजना और व्यय की योजना के ब्योरे, तथा

(च) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

वक्फ की रजिस्ट्री कराने तथा रजिस्टर का संशोधन करने का अधिकार।

३१—बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री कराने के निमित्त प्रार्थना-पत्र देने या वक्फ के संबंध में कोई सूचना देने के लिये मुतवल्ली को निदेश दे सकता है अथवा स्वयं सूचना एकत्र कर सकता है और वक्फ की रजिस्ट्री करा सकता है या किसी भी समय वक्फों के रजिस्टर को संशोधित कर सकता है।

रजिस्ट्रीकृत वक्फों में परिवर्तन की विज्ञप्ति।

३२—(१) यदि मुतवल्ली की मृत्यु के अथवा उसके सेवानिवृत्त होने या हटाये जाने के कारण रजिस्ट्रीकृत वक्फ के प्रबन्धकों में कोई परिवर्तन हो जाये तो उस परिवर्तन की सूचना बोर्ड को नया, आने वाला मुतवल्ली तुरन्त देगा और कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसी सूचना दे सकता है।

(२) यदि धारा २९ में उल्लिखित ब्योरों में से किसी में कोई अन्य परिवर्तन हो जाये तो मुतवल्ली वह परिवर्तन होने के दिनांक से तीन मास के भीतर उसकी सूचना बोर्ड को देगा।

इस बात का निर्णय कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

३३—(१) बोर्ड किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में सूचना एकत्र कर सकता है या करवा सकता है जिसके विषय में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह वक्फ सम्पत्ति है और यदि किसी सम्पत्ति-विशेष के संबंध में यह प्रश्न उठे कि वह सम्पत्ति है या नहीं, तो वह (बोर्ड) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उस प्रश्न का निर्णय कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस निर्णय के दिनांक से ९० दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर वह विवाद अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा।

वक्फों द्वारा वार्षिक अंशदान।

३४—(१) ऐसे प्रत्येक वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, मुतवल्ली प्रतिवर्ष बोर्ड को ऐसा अंशदान देगा, जो उसकी उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति की शुद्ध वार्षिक आय के छः प्रतिशत से अनधिक हो और जो बोर्ड राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए समय-समय पर अवधारित करे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वक्फ के विषय में, जिसकी आय का कोई भाग वाकिफ या उसके वंशजों या परिवार के हित के लिये या किसी अन्य निजी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता हो, उपर्युक्त अंशदान आय के उस भाग पर नहीं लिया जायगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९३६ ।

(२) इस धारा के अधीन अंशदान इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से देय होगा, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिये किसी वक्फ से प्राप्य अंशदान इस अधिनियम के अधीन आरोपित अंशदान समझा जायेगा और इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमावली में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(३) बोर्ड, वक्फों के किसी वर्ग के विषय में समय-समय पर ऐसे अंशदान को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये कम कर सकता है या उसकी छूट दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन या यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन कम किये गये या छूट दिये गये अंशदान को पुनः आरोपित करना बोर्ड के अधिकार में होगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन देय अंशदान, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को किन्हीं देय धनराशियों के अथवा वक्फ सम्पत्ति या उसकी आय पर किसी अन्य परिनियत भार (statutary charge) के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुए वक्फ की आय पर प्रथम भार होगा और सम्बद्ध वक्फ के मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(५) यदि कोई मुतवल्ली वक्फ की आय वसूल करे और ऐसे अंशदान का भुगतान करने से इन्कार करे या उसमें उपेक्षा करे तो वह स्वयं भी ऐसे अंशदान का देनदार होगा और वह (अंशदान) उससे या उसकी सम्पत्ति से उपधारा (४) में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(६) किसी वक्फ का मुतवल्ली अपने द्वारा उपधारा (१) के अधीन देय अंशदानों को, उन व्यक्तियों से वसूल कर सकता है जो वक्फ से कोई आर्थिक या अन्य प्रार्थिव लाभ प्राप्त करने के हकदार हों, किन्तु ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक से वसूलने योग्य धनराशि का कुल अंशदान से वही अनुपात होगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्य लाभों के मूल्य का वक्फ की सम्पूर्ण शुद्ध वार्षिक आय से हो।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ ।

३५—(१) यदि कोई वक्फ, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ९९ के अधीन पुनर्वासन अनुदान के मध्ये कोई वार्षिक-वृत्ति पाने का हकदार हों, तो ऐसे वक्फ द्वारा धारा ३४ के अधीन देय किसी अंशदान का भुगतान राज्य सरकार बोर्ड के सचिव द्वारा नियत प्रपत्र में और उसके (सचिव के) द्वारा हस्तांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, ऐसी वार्षिक-वृत्ति से कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान की गई धनराशि वार्षिक वृत्ति के छः प्रतिशत से अधिक न होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन तथा उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया किसी धनराशि का भुगतान, उसे उसके दायित्व से इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि की मात्रा तक पूर्णतया विमुक्त करेगा।

३६—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी धनराशियां और ऐसी शर्तों पर उधार ले सकती है जो राज्य सरकार अवधारित करे।

३७—(१) धारा ३४ के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन से तथा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा वसूल किये गये सभी अन्य धन से एक निधि बनेगी जो यथास्थिति "उत्तर प्रदेश शिया वक्फ निधि" या "उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ निधि" कहलायेगी।

(२) वक्फ-निधि, बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुये निम्नलिखित के लिये उपयोग में लाई जायगी—

(क) धारा ३६ के अधीन लिये गये किसी ऋण का प्रतिदान और उस पर ब्याज का भुगतान;

(ख) वक्फ निधि की लेखा-परीक्षा के व्यय का भुगतान ;

(ग) बोर्ड के सचिव और कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्तों का, और यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय तो उप-समिति के कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्तों का भुगतान;

(घ) बोर्ड के तथा यदि कोई उप-समिति हो तो उसके, अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारिवर्ग को यात्रा-भत्ते का भुगतान, और

(ङ) इस अधिनियम के अधीन या द्वारा आरोपित कर्त्तव्यों के पालन तथा प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा, तथा यदि कोई उप समिति हो तो उसके द्वारा, किये गये सभी व्ययों का भुगतान।

(३) यदि उपधारा (२) में निर्दिष्ट व्यय पूरा करने के पश्चात् बोर्ड की आय में से कोई अतिरिक्त या संचित धनराशि शेष रह जाय तो बोर्ड, उसका अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग वक्फ-सम्पत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिये या ऐसे धार्मिक, धर्मशील अथवा पूर्ति प्रयोजनों के लिये, जो बोर्ड उपयुक्त समझे, कर सकता है।

बोर्ड का बजट

३८—बोर्ड, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय, जो नियत किया जाय, अगले वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दिखाये जायेंगे और वह उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगा।

बोर्ड के लेखे

३९—(१) बोर्ड ऐसी लेखा-पुस्तकें ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा, जो नियत की जायं।

(२) बोर्ड के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा तथा जांच बोर्ड द्वारा नियुक्त राज्य-सनद-प्राप्त लेखाकारों (Chartered Accountants) द्वारा की जायगी।

(३) लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ–साथ अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा धनराशियों या अन्य सम्पत्ति की वसूली में की जाने वाली चूक के अथवा हानि के सभी मामलों का उल्लेख होगा, और प्रतिवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा, जो लेखा-परीक्षकों की राय में, अपनी उपेक्षा या अवचार के कारण उस व्यय, चक अथवा हानि के लिये उत्तरदायी हो।

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार आज्ञा देगी।

४०—धारा ३९ के अधीन नियुक्त लेखा-परीक्षक अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और वह (राज्य सरकार) उस प्रतिवेदन की जांच करेगी और उसमें उल्लिखित किसी विषय के संबंध में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकती है और प्रतिवेदन पर ऐसी आज्ञा देगी जो वह उपयुक्त समझे।

प्राप्य धनराशियों की वसूली ।

४१--प्रत्येक धनराशि का, जो लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रमाणित की गई हो, जब तक कि वह प्रमाण-पत्र धारा ४० के अधीन दी गई राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा परिष्कृत या रद्द न कर दिया जाय, और प्रत्येक ऐसी धनराशि का जो ऐसे परिष्कृत प्रमाण-पत्र के अनुसार प्राप्य हो, भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा उचित समय के भीतर जो बोर्ड निश्चय करेगा, किया जायगा, और यदि भुगतान उस समय के भीतर न किया जाय तो देय धनराशि, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण ।

४२--राज्य सरकार--

(१) बोर्ड का सामान्य पर्यवेक्षण करेगी और उससे कोई लेख्य, अभिलेख या सूचना मांग सकती है, तथा

(२) अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लेखा परीक्षक द्वारा बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा की जाने की भी अपेक्षा कर सकती है।

४३--राज्य सरकार, समय समय पर, बोर्ड को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकती है जो राज्य सरकार उचित समझे और बोर्ड अपने कृत्यों के सम्पादन में ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

बोर्ड का अवक्रमण ।

४४--बोर्ड के घोर कुप्रबन्ध और उसकी निरन्तर कर्त्तव्य-विमुखता की दशा में अथवा जब राज्य सरकार की राय में बोर्ड ने विधि द्वारा अपने में निहित अधिकारों का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो या उसने ऐसा अनधिकृत कार्य किया हो कि उसके (बोर्ड) के बने रहने से उसके सार्वजनिक हित के लिये हानिकारक सिद्ध होने की संभावना हो, तो राज्य सरकार, बोर्ड को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात् और उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उसे अवक्रांत कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के कृत्यों को अपने हाथ में लिया जाना ।

४५--(१) यदि बोर्ड का धारा ४४ के उपबन्धों के अधीन अवक्रांत कर दिया गया हो, तो राज्य सरकार बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये एक प्रशासक नियुक्त करेगी जो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की दशा में सुन्नी और शिया सेंट्रल बोर्ड की दशा में शिया होगा।

(२) धारा ४४ के अधीन बोर्ड के अवक्रमण की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर :

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, अवक्रमण के दिनांक से, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे; • और

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोक्तव्य या सम्पादनीय समस्त अधिकार और कर्त्तव्य, अवक्रमण की अवधि में प्रशासक द्वारा प्रयुक्त और सम्पादित किये जायेंगे और वह प्रशासक सभी प्रयोजनों के लिये बोर्ड समझा जायगा।

नये बोर्ड का निर्माण तथा उसे वक्फों के प्रशासन का हस्तांतरण ।

४६--(१) यदि धारा ४४ के उपबन्धों के अधीन बोर्ड का अवक्रमण कर दिया गया हो, तो अवक्रमण के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक नया बोर्ड संघटित किया जायगा।

(२) ज्योंही उपधारा (१) के अधीन नया बोर्ड संघटित हो जाय, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, वक्फों का प्रशासन उस बोर्ड को हस्तांतरित कर देगी और तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से बोर्ड क कृत्यों का संपादन बन्द कर देगा।

हुसैनाबाद तथा संबद्ध वक्फों की सम्पत्तियों का प्रशासन।

४७--(१) राज्य सरकार उन सम्पत्तियों से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी जो अब तक हुसैनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित होती थी या जिनका प्रशासन तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा होता था।

(२) राज्य सरकार, शिया सेंट्रल बोर्ड से परामर्श करके, उपधारा (१) के अधीन निश्चित प्रशासन की योजना में संशोधन या परिष्कार कर सकती है और राज्य सरकार उन सम्पत्तियों के प्रशासन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी सन्देह या कठिनाई को दूर करने के लिये समय-समय पर निदेश जारी कर सकती है।

ऐक्ट संख्या १५, १८७८।

मुतवल्लियों की नियुक्ति।

४८--धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ण) द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड उस दशा में जब किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो और वक्फ के विलेख के निबंधनों के अधीन नियुक्ति-योग्य व्यक्ति न हो, या जब मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति का अधिकार विवादग्रस्त हो, किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के निमित्त नियुक्त कर सकता है या बोर्ड, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबन्ध तीन वर्ष से अनधिक की किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपने हाथ में ले सकता है।

मुतवल्लियों के कर्त्तव्य।

४९--प्रत्येक मुतवल्ली का यह कर्त्तव्य होगा कि वह--

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत ऐसे समस्त निदेशों का पालन करे जो बोर्ड द्वारा या बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से धारा २७ के अधीन संघटित उप-समिति द्वारा उसे दिये गये हों;

(ख) ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करे तथा ऐसी सूचना या ब्योरे दे जो समय-समय पर बोर्ड या उप-समिति द्वारा अपेक्षित हों;

(ग) वक्फ की सम्पत्ति, लेखों या अभिलेखों का या उनसे संबद्ध विलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करने दे;

(घ) सभी सार्वजनिक देय धनराशियों को चुकता करे; तथा

(ङ) कोई ऐसा अन्य कार्य करे जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन करना उसके लिये वैधतः अपेक्षित हो।

मुतवल्लियों द्वारा वक्फों का बजट तथा लेखे प्रस्तुत किया जाना।

५०--विशेषतः और धारा ४९ में नियत कर्त्तव्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली--

(क) प्रत्येक वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष के लिये एक बजट तैयार करेगा जिसमें ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दिखाये जायेंगे और उसे अनुमोदनार्थ उस वर्ष के ३१ मार्च के पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत करेगा,

(ख) प्रत्येक वर्ष पहली मई के पूर्व बोर्ड को, विवरण प्रस्तुत करने के ठीक पहले के ३१ मार्च को समाप्त होने वाले बारह मासों की अवधि में या उक्त अवधि के उस भाग में जिसमें इस अधिनियम के उपबन्ध वक्फ पर प्रवृत्त रहे हों, वक्फों की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखों का एक पूर्ण और सही विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों के साथ प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जायें और जो उसी रीति से सत्यापित किया गया हो जो अभिकथनों के सत्यापन के लिये कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ द्वारा नियत की गई है :

ऐक्ट संख्या ५, १९०८।

प्रतिबन्ध यह है कि वक्फ-अलल-औलाद के संबंध में मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित लेखों का विवरण आय के केवल ऐसे भाग के विषय

में होगा जो धार्मिक या पूर्त्त प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट किया गया हो या अलग रखा गया हो।

वक्फों के लेखों की लेखा-परीक्षा।

५१--(१) धारा ५० के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किये गये वक्फों के लेखों की लेखा परीक्षा तथा जांच प्रति वर्ष या अन्य ऐसे समयान्तरों पर, जो बोर्ड अवधारित करे, धारा १८ के अधीन नियुक्त लेखा-परीक्षक द्वारा की जायगी।

(२) लेखा-परीक्षक अपना प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा धनराशि या अन्य सम्पत्ति की वसूली में चूक अथवा मुतवल्ली की उपेक्षा या अवचार के कारण हुई धन की हानि या उसके अपव्यय के सभी मामलों का और किसी ऐसे अन्य मामले का उल्लेख होगा, जिसे लेखा-परीक्षक सूचित करना आवश्यक समझे। उक्त प्रतिवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा जो लेखा-परीक्षक की राय में उस व्यय अथवा चूक के लिये उत्तरदायी हो और लेखा-परीक्षक प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यय अथवा हानि की धनराशि को प्रमाणित करेगा।

(३) वक्फ के लेखों की लेखा-परीक्षा के व्यय का भुगतान वक्फ निधि से किया जायगा।

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर बोर्ड आज्ञा देगा।

५२--बोर्ड लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और उसमें उल्लिखित किसी मामले के संबंध में किसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण मांग सकता है और प्रतिवेदन पर ऐसी आज्ञा देगा, जो वह उपयुक्त समझे।

देय धनराशियों की वसूली।

५३--(१) प्रत्येक धनराशि का, जो धारा ५१ के अधीन लेखा-परीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति से प्राप्य प्रमाणित की गई हो, जब तक कि ऐसा प्रमाण-पत्र धारा ५२ के अधीन बोर्ड की आज्ञा द्वारा परिष्कृत या रद्द न कर दिया जाय और प्रत्येक धनराशि का, जो परिष्कृत प्रमाण-पत्र के अनुसार प्राप्य हो, भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके लिये बोर्ड द्वारा जारी किये गये मांग के नोटिस की तामील के पश्चात् साठ दिन के भीतर किया जायगा।

(२) यदि ऐसा भुगतान ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर न किया जाय तो देय धनराशि, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है।

शास्तियां

५४--(१)--यदि मुतवल्ली बिना उचित कारण या हेतु के, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा--

(क) वक्फ की रजिस्ट्री के लिये, धारा २९ के व्यवस्थानुसार, प्रार्थना-पत्र न दे; या

(ख) इस अधिनियम के अपेक्षानुसार व्योरों अथवा लेखों के विवरण तथा विवरणियां प्रस्तुत न करे और लेखों की लेखा-परीक्षा न कराये; या

(ग) बोर्ड या किसी उप-समिति द्वारा अपेक्षित सूचना या व्योरे न दे; या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वक्फ सम्पत्तियों तथा उनसे सम्बद्ध विलखों और लेख्यों का निरीक्षण न करन दे; या

(ङ) जांचों तथा अनुसंधानों में उस समय सहायता न दे जब बोर्ड द्वारा, या किसी उप-समिति द्वारा, बोर्ड की आज्ञा के अधीन कार्य करने वाले अधीक्षक, निरीक्षक, लेखा परीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे ऐसा करने के लिये कहा जाय; या

(च) वक्फ की किसी सम्पत्ति का कब्जा न दें, जब बोर्ड द्वारा उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जाय, या

(२) राज्य सरकार स्वत: या क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी मामले के अभिलेख को, उस आदेश की, जिसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन अर्थ दंड आरोपित किया गया हो, शुद्धता वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिये मंगा सकती है और ऐसे आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

(छ) अपनी हस्तस्थ अतिरिक्त धनराशि को किसी मान्यता प्राप्त बैंक में जमा न करे, जब बोर्ड द्वारा उसे ऐसा करने का निदेश दिया जाय; या

(ज) बोर्ड या किसी उप-समिति द्वारा दिये गये इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत निदेशों का पालन न करे; या

(झ) कोई ऐसा अन्य कार्य न करे जिसके करने की उससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षा की जाय,

तो वह प्रथम उल्लंघन के लिये पचास रुपये से और प्रत्येक अनुवर्ती उल्लंघन के लिये दो सौ पचास रुपये से अनधिक ऐसे अर्थदण्ड का भागी होगा जो बोर्ड अवधारित करे।

मुतवल्लियों का हटाया जाना।

५५--(१) बोर्ड प्रबन्ध समिति से भिन्न मुतवल्ली को, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसके पद से हटा सकता है, यदि--

(१) उसे धारा ५४ के अधीन एक से अधिक अवसरों पर अर्थ-दण्ड दिया गया हो; या

(२) उसे वक्फ की सम्पत्ति या धनराशि से सम्बद्ध ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसके कारण वह, बोर्ड की राय में, मुतवल्ली के रूप में बने रहने के अयोग्य हो गया हो; या

(३) उसे नैतिक पतन वाले अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया गया हो या उससे कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १०९ या धारा ११० के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई हो; या

ऐक्ट संख्या ५, १८९८।

(४) वह वक्फ की किसी सम्पत्ति को अनुचित रूप से नष्ट या हस्तांतरित करे; या

(५) वह दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या

(६) वह, बोर्ड की राय में, किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता या नैतिक अपचार के कारण मुतवल्ली के कर्त्तव्यों का पालन करने में अयोग्य हो; या

(७) वह वक्फ सम्पत्ति के दुर्विनियोग या घोर कुप्रबन्ध का दोषी हो या उसने वक्फ के उचित प्रबन्ध के लिये बोर्ड द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करन में निरन्तर उपेक्षा की हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन हटाये जाने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति हटाये जाने की आज्ञा की सूचना मिलने के दिनांक से ९० दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर मामले को अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है ।

जांच के लिये प्रार्थना-पत्र ।

५६--हितग्राही या वक्फ में स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति, वक्फ के प्रशासन के संबंध में जांच करवाने के लिये या उसके लेखों के परीक्षण या उनकी लेखा-परीक्षा के लिये बोर्ड को शपथ-पत्र से समर्थित प्रार्थना-पत्र दे सकता है और बोर्ड ऐसी जांच, परीक्षण या लेखा-परीक्षा कर सकता है या अपने अधिकारी अथवा धारा २७ के अधीन संघटित उप समिति के माध्यम से ऐसी जांच, परीक्षण या लेखा परीक्षा करवा सकता है, जो वह उपयुक्त समझे ।

बोर्ड द्वारा जांच

५७--यदि, धारा ५६ के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्र पर या स्वतः बोर्ड द्वारा की गई जांच के पश्चात्, बोर्ड की यह राय हो कि मुतवल्ली या प्रबंध समिति ने वक्फ के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण से अन्यथा कार्य किया है तो वह (बोर्ड) मुतवल्ली या प्रबंध समिति को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, जो वह (बोर्ड) इष्टकर समझे ।

जांच करने वाले प्राधिकारी के अधिकार । ऐक्ट संख्या ५, १९०८ ।

५८--इस अध्याय के अधीन जांच के प्रयोजनार्थ, जांच करने वाले अधिकारी या समिति को, साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो व्यवहार न्यायालय को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन प्राप्त हैं ।

ऐसे वक्फ का उद्देश्य अवधारित करना जिसका उद्देश्य विद्यमान न रहे, आदि ऐक्ट संख्या ५, १९०८ ।

५९--(१) यदि किसी वक्फ का उद्देश्य विद्यमान न रह गया हो या पूरा न किया जा सकता हो, तो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ९२ या तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, बोर्ड स्वतः या उस फिरके के जिसका कि वक्फ हो किसी सदस्य द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, वह उद्देश्य अवधारित कर सकता है जिसके लिये वक्फ की निधियां, सम्पत्ति या आय अथवा उनका कोई भाग उपयोग में लाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उद्देश्य के इस प्रकार अवधारण के पूर्व बोर्ड वक्फ के मुतवल्ली को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो बोर्ड को उसमें स्वत्व रखने वाले प्रतीत हों, नोटिस देगा और ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि बोर्ड द्वारा इस प्रकार अवधारित उद्देश्य, उस उद्देश्य के, जिसके लिये वक्फ बनाया गया था, सदृश्य या यथासाध्य सदृश्य होगा ।

(२) मुतवल्ली या वक्फ में स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से ९० दिन के भीतर उस मामले को अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है ।

वक्फ का उद्देश्य स्पष्ट न होने पर निदेश ।

६०--(१) यदि किसी दशा में वक्फ का उद्देश्य स्पष्टतः पारिभाषित न हो, तो बोर्ड उस रीति का निदेश करेगा जिससे वक्फ की निधि, सम्पति या आय अथवा उसका अतिरिक्त अंश उपयोग में लाया जायगा :

प्रतिबंध यह है कि प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा निदेश न दिया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से ९० दिन के भीतर उस मामले को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, किन्तु उस अभिदेश पर अधिकरण द्वारा निर्णय दिय जाने तक, बोर्ड के निदेश का पालन किया जायगा।

विलेख आदि में न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी को दिये गये कतिपय अधिकारों का प्रयोग

६१—जब कभी किसी वक्फ के विलेख, या न्यायालय की किसी डिक्री या आज्ञा अथवा वक्फ की प्रबन्ध योजना में यह व्यवस्था हो कि न्यायाधीश (जज) या कोई अन्य प्राधिकारी मुतवल्ली को नियुक्त कर सकता है या हटा सकता है अथवा वह प्रबन्ध-योजना को निश्चित या परिष्कृत कर सकता है अथवा अन्य रूप से वक्फ के अधीक्षण के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तो उस न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार, वक्फ के विलेख, डिक्री, आज्ञा या योजना में कोई अन्य बात होने पर भी, बोर्ड द्वारा यथासाध्य वक्फ के विलेख, डिक्री, आज्ञा या योजना, जैसी भी दशा हो, में दिये हुये निदेशों के अनुसार प्रयोक्तव्य होंगे ।

आभार का निर्वहन सुनिश्चित कराने के अधिकार

६२—(१) यदि मुतवल्ली पर यह आभार हो कि वह कोई ऐसा कार्य करे जो मुस्लिम विधि द्वारा धर्मशील, धार्मिक या पूर्त स्वीकृत हो और मुतवल्ली वह कार्य न करे, तो बोर्ड मुतवल्ली को निदेश दे सकता है कि वह बोर्ड को या बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त कार्य करने के लिये आवश्यक धनराशि दे और बोर्ड या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उक्त कार्य का संपादन करेगा ।

(२) यदि मुतवल्ली, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय करों या करों का भुगतान करने से इन्कार करे या भुगतान न करे तो बोर्ड देय धनराशियों का भुगतान वक्फ निधि से कर सकता है और इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को वक्फ सम्पत्ति से वसूल कर सकता है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन प्राप्य कोई धनराशि, सम्बद्ध मुतवल्ली को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है ।

पर्यवेक्षण समितियां और उन का अवक्रमण करने का बोर्ड का अधिकार ।

६३—(१) जब कभी किसी वक्फ का पर्यवेक्षण या प्रबन्ध, वाकिफ या किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति में निहित हो, तो ऐसी समिति, अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि वह उसका उपधारा (२) के अधीन बोर्ड द्वारा अवक्रमण न कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति बोर्ड के नियंत्रण में रहेगी और बोर्ड के ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो उस समिति को नियुक्त करने वाले वाकिफ या न्यायालय अथवा प्राधिकारी के किन्हीं निदेशों से असंगत न हों ।

(२) अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बोर्ड पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी किसी समिति का अवक्रमण कर सकता है यदि वह, उसकी राय में, जो अभिलिखित की जायगी, समुचित तथा संतोषजनक रूप से कार्य न कर रही हो और ऐसा अवक्रमण किये जाने पर न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की कोई ऐसी डिक्री या आज्ञा, जिसके अधीन उक्त समिति संघटित की गई हो, उस सीमा तक निष्प्रभाव हो जायगी, जहां तक कि उसका संबंध उक्त समिति के संघटन से हो ।

(३) उपधारा (२) के अधीन बोर्ड द्वारा दी गयी कोई आज्ञा अंतिम होगी और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के अधीन किसी आज्ञा से क्षुब्ध कोई पक्ष, उस आज्ञा के दिनांक से ९० दिन के भीतर, मामले को न्याय-निर्णय के लिये अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है ।

(४) यदि बोर्ड उपधारा (२) के अधीन किसी आज्ञा द्वारा समिति का अवक्रमण करे तो वह या तो एक नयी पर्यवेक्षण अथवा प्रबन्ध समिति नियुक्त कर सकता है या वक्फ का प्रबन्ध सीधे अपने हाथ में ले सकता है ।

(५) उस दशा में जब बोर्ड ने वक्फ का प्रबन्ध सीधे अपने हाथ में ले लिया हो या मुतवल्ली अथवा प्रबन्ध समिति नियुक्त की हो और बोर्ड या स प्रकार नियुक्त मुतवल्ली अथवा समिति को वक्फ सम्पत्ति या उससे सम्बद्ध स्वत्व–विलेखों (title deeds) अथवा अन्य विलेखों या अन्य लेखों को कब्जे में लेने से रोका जाय, तो बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली अथवा समिति के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण वक्फ सम्पत्ति और उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों या अन्य लेखों का कब्जा देने का पंच निर्णय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दे सकता है, जिनके कब्जे में वह सम्पत्ति, स्वत्व–विलेख या अन्य लेख हों ।

(६) बोर्ड उपधारा (२) के अधीन किसी समिति का अपक्रमण करने के बजाय उसके किसी सदस्य को हटा सकता है यदि बोर्ड का समाधान हो जाय कि उस सदस्य ने उस हैसियत से अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है या जान-बूझ कर ऐसी रीति से कार्य किया है जो वक्फ के हित के प्रतिकूल है । हटाये जाने की आज्ञा संबद्ध सदस्य पर विधिवत तामील की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य को हटाये जाने की कोई आज्ञा तब तक न की जायगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि हटाये जाने की आज्ञा की तामील के दिनांक से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील की जा सकेगी और अपील पर राज्य सरकार की आज्ञा अंतिम होगी और उस पर किसी विधि–न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

रिलीजस इण्डाउमेंटस ऐक्ट, १८६३, की धारा १४ तथा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८, की धारा ९२ के अधीन वाद संस्थित करना
ऐक्ट संख्या २०, १८६३
ऐक्ट संख्या ५, १९०८

६४---(१) रिलीजस इन्डाउमेण्ट्स ऐक्ट, १८६३ की धारा १४ तथा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ९२ में उल्लिखित किसी भी अनुतोष को पाने के लिये वक्फ से सम्बद्ध कोई वाद, उन ऐक्टों में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, उन ऐक्टों में निर्दिष्ट अनुमति या सम्मति प्राप्त किये बिना, बोर्ड द्वारा संस्थित किया जा सकता है ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अनुतोष को पाने के लिए वक्फ से संबद्ध कोई वाद, बोर्ड की लिखित सम्मति के बिना बोर्ड से भिन्न किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा संस्थित नहीं किया जायगा ।

बोर्ड के विरुद्ध पक्षों द्वारा वाद का नोटिस

६५---बोर्ड द्वारा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण में किये गये प्रकट होने वाले किसी कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा, जब तक कि एक लिखित नोटिस, जिसमें वाद-कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास-स्थान और अनुतोष जिसका वह दावा करता हो, दिया हो, बोर्ड को दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो गये हों और वाद-पत्र में इस आशय का एक कथन होगा कि उक्त नोटिस इस प्रकार दे दिया या छोड़ दिया गया है ।

न्यायालय द्वारा वादों, आदि का नोटिस

६६---(१) वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व से या मुतवल्ली के अधिकार से सम्बद्ध प्रत्येक वाद या कार्यवाही में न्यायालय, ऐसा वाद अथवा कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्ष के व्यय से बोर्ड को नोटिस जारी करेगा ।

(२) जब कभी कोई वक्फ सम्पत्ति व्यवहार न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय किसी राजस्व, उपकर, स्थानीय-कर या कर की वसूली के निमित्त विक्री के लिये विज्ञापित की जाय तो न्यायालय, कलेक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा जिसकी आज्ञा के अधीन विक्री विज्ञापित की गई हो, बोर्ड को नोटिस दिया जायगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन नोटिस न दिये जाने की दशा में यदि बोर्ड ऐसे वाद या कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर न्यायालय को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो उस वाद या कार्यवाही में दी गई कोई डिक्री अथवा आज्ञा शून्य घोषित कर दी जायगी ।

(४) उपधारा (२) के अधीन नोटिस न दिये जाने की दशा में, यदि बोर्ड ऐसी बिक्री की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर न्यायालय या अन्य प्राधिकरी को, जिसकी आज्ञा के अधीन बिक्री हुई हो, तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो वह विक्री शून्य घोषित कर दी जायगी ।

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कार्यवाहियों के दौरान में, पंचनिर्णय (Award) दिये जाने के पूर्व कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित की जा रही है, वक्फ सम्पत्ति है तो कलेक्टर द्वारा ऐसे अर्जन का एक नोटिस बोर्ड पर तामील किया जायगा और आगे की कार्यवाही रोक दी जायगी जिससे कि बोर्ड, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर किसी भी समय कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सके और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके ।

६७—(१) यदि लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कार्यवाहियों के दौरान में, पंचनिर्णय (Award) दिये जाने के पूर्व कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित की जा रही है, वक्फ सम्पत्ति है तो कलेक्टर द्वारा ऐसे अर्जन का एक नोटिस बोर्ड पर तामील किया जायगा और आगे की कार्यवाही रोक दी जायगी जिससे कि बोर्ड, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर किसी भी समय कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सके और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके ।

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कार्यवाहियों
ऐक्ट संख्या १, १८९४

(२) यदि बोर्ड को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित की जा रही है वक्फ सम्पत्ति है तो वह पंच-निर्णय दिये जाने के पूर्व, किसी भी समय, कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) यदि बोर्ड उपधारा (१) या उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित हो, तो उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, की धारा ३१ या धारा ३२ के अधीन कोई आज्ञा नहीं दी जायगी ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(४) यदि बोर्ड ऐसी आज्ञा की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर उस प्राधिकारी को, जिसने आज्ञा दी हो, तदर्थ प्रार्थनापत्र-दे दे तो बोर्ड को सुनवाई का अवसर दिये बिना, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, की धारा ३१ या धारा ३२ के अधीन दी गई आज्ञा शून्य घोषित कर दी जायगी ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

६८—वक्फ के या किसी वक्फ सम्पत्ति के संबंध में वक्फ से अपरिचित या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में बोर्ड, उस बाद या कार्यवाही के एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

बोर्ड द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर वक्फ से संबद्ध बाद या कार्यवाही में उसे एक पक्ष बनाया जायगा

६९—वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुद्ध वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व से या मुतवल्ली के अधिकारों से सम्बद्ध तथा किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही में बोर्ड की स्वीकृति के बिना समझौता नहीं किया जायगा ।

मुतवल्लियों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों में समझौते पर रोक

अधिकरणों का संघटन

७०—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उतने अधिकरण संघटित कर सकती है जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों । प्रत्येक अधिकरण का राज्य में ऐसे क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा जो निर्दिष्ट किये जायं ।

(२) अधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार का एक ऐसा न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) होगा जो सिविल जज से न्यून पद का न हो और जो अधिकरण के रूप में या तो नाम से या सरकारी पदनाम से नियुक्त किया जा सकता है ।

अधिकरणों को विवाद आदि का अभिदेश

७१—कोई विवाद, प्रश्न या विषय, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को अभिदिष्ट किया जा सकता हो, उस अधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो, जिसमें ऐसे विवाद, प्रश्न या विषय से सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो या यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित हो तो उनमें से किसी एक को अभिदिष्ट किया जायगा और सक्षम युक्त अधिकरण उस विवाद, प्रश्न या विषय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्णय देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वक्फ के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई भी कार्यवाही, केवल इस कारण नहीं रोकी जायगी, न निलम्बित की जायगी कि अधिकरण के समक्ष कोई ऐसा विवाद, प्रश्न या विषय विचाराधीन है ।

अधिकरणों के समक्ष प्रक्रिया ऐक्ट संख्या ५, १९०८ ऐक्ट, संख्या १, १८७२

७२—(१) इस अधिनियम तथा किन्हीं नियमों के, जो तदर्थ बनाये जायं उपबंधों के अधीन रहते हुये अधिकरण उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में वादों के संबंध में व्यवस्थित है ।

(२) इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, १८७२ के उपबन्ध, अधिकरण द्वारा विवादों के निर्णय पर सभी विषयों में प्रवृत्त समझे जायंगे ।

अधिकरणों द्वारा पंच-निर्णय

७३—(१) जब कोई विवाद अधिकरण को निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, तो वह अपनी कार्यवाहियां शीघ्रता से करेगा और उनके समाप्त होने पर, जितना शीघ्र व्यवहार्य हो, अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपना पंच-निर्णय देगा ।

(२) अधिकरण या तो स्वतः अथवा विवाद के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, पंच-निर्णय में किसी लिपिक या गणित-संबंधी अशुद्धि अथवा किसी आकस्मिक चक या लोप से उत्पन्न भूल को शुद्ध कर सकता है ।

(३) पंच-निर्णय की एक प्रतिलिपि और जब कभी पंच-निर्णय में पूर्वोक्त रीति से शुद्धि की जाय तो उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि, विवाद के प्रत्येक पक्ष को दी जायगी या यदि कोई पक्ष पंच-निर्णय या आज्ञा, जैसी भी दशा हो, के समय अधिकरण के समक्ष उपस्थित न हो तो उसकी एक प्रतिलिपि उस पक्ष के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जायगी ।

अधिकरणों के अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८

७४—अधिकरण, व्यवहार-न्यायालय समझा जायगा और उसके वही अधिकार होंगे जो ऐसे न्यायालय में कोड-आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन, वाद पर विचार करते समय या डिक्री अथवा आज्ञा निष्पादन करते समय निहित होते हैं ।

अधिकरण द्वारा निर्णीत किये जाने वाले मामलों में वाद प्रस्तुत करने पर रोक पंच-निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी

७५—कोई व्यक्ति किसी व्यवहार-न्यायालय में किसी ऐसे विवाद या प्रश्न या मामले के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्पित नहीं करेगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन निर्णय के लिये किसी अधिकरण को अभिदिष्ट किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात हो ।

७६—अधिकरण का पंच-निर्णय अंतिम और निश्चायक तथा संबद्ध पक्षों पर बन्धनकारी होगा और वह डिक्री के समान प्रभावी होगा तथा उसके विरुद्ध किसी विधि-न्यायालय में न तो आपत्ति की जायगी और न अपील की जायगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय, स्वमति से किसी समय स्वतः या बोर्ड अथवा किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी वाद के अभिलेख को, इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी पंच-निर्णय की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और ऐसी आज्ञाएं दे सकता है जो वह उचित समझे ।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

७७—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा ७० से ७६ तक के उपबन्धों के कार्यान्वय से सम्बद्ध किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा, निदेश दे सकती है कि ये उपबंध उस अवधि में, जो निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकलनों (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों अथवा परिवर्द्धन या लोप के रूप में) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो वह इष्टकर या आवश्यक समझे :—

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चौबीस मास के बाद ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा पर किसी विधि-न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जायगी कि उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रकार की कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसका दूर करना अपेक्षित न था ।

नियम बनाने का अधिकार

७८—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) रीति, जिसके अनुसार मामला अधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा ; और

(ख) अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा समय क्रम ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कि बाद का कोई दिनांक निश्चित न किया जाय, उस प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे ।

(४) सभी नियमों को, उनके बनने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखा जायगा और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायं ।

बोर्ड को उप-विधियां बनाने का अधिकार

७९—(१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुये, अपने कृत्यों के संपादन के तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वय के लिये इस अधिनियम से सुसंगत उपविधियां बना सकता है ।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन उपविधियों में निम्नलिखित सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो, की रीति ;

(ख) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान,उनकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन ;

(ग) बोर्ड के सचिव तथा कर्मचारिवर्ग की अर्हतायें, उपलब्धियों, और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) निरीक्षण की अनुमति और बोर्ड को कार्यवाहियों या अभिलेखों की प्रतिलिपियां दिये जाने के लिये शुल्क और शर्तें ;

(ङ) उप-समिति का संघटन, कृत्य, प्रक्रिया और कार्य-संचालन ;

(च) वक्फों की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देने का प्रपत्र तथा रीति ;

(छ) वक्फ रजिस्टर में दिये जाने वाले ब्योरे और उसका प्रपत्र ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अंशदान के आरोपण के प्रयोजन के लिये वक्फों की आय का हिसाब लगाने की रीति ;

(झ) बोर्ड और प्रत्येक वक्फ के वार्षिक बजट और लेखे तैयार करने के लिये प्रपत्र तथा रीतियां ;

(ञ) किसी या प्रत्येक वक्फों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपेक्षित विभिन्न विवरणियों के प्रपत्र तथा उन्हें प्रस्तुत करने की रीति ;

(ट) वक्फ निधि की अभिरक्षा तथा विनियोजन (Investment) ;

(ठ) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के लिये यात्रिक-भत्ता स्वीकृत करना ;

(ड) बोर्ड के तथा यदि कोई उप-समिति हो तो उसके कार्यालय में रखी जाने वाली पुस्तक तथा लेखे ;

(ढ) वक्फों के लेखे रखने, उनका लेखा-परीक्षण करने तथा उन्हें प्रकाशित करने की रीति, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का प्रपत्र और विषय-वस्तु और लेखा-परीक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक की दर ;

(ण) बोर्ड या उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(त) वे व्यक्ति जिनके द्वारा बोर्ड की कोई आज्ञा या निर्णय प्रमाणीकृत किया जा सके ; और

(थ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किये जान क लिए अपेक्षित या अनुमत हो ।

नियम, उपविधियां और सदस्यों तथा अध्यक्षों के नाम विज्ञापित किये जायंगे

८०—(१) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम और उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी और तत्पश्चात् वे विधि के समान प्रभावी होंगी ।

(२) बोर्डों के सदस्यों तथा अध्यक्षों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

८१—(१) राज्य सरकार, बोर्ड या आयुक्त के अथवा इस अधिनियम के अधीन यथा विधि नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

(२) आयुक्त, अतिरिक्त वक्फ-आयुक्त, सहायक वक्फ-आयुक्त, प्रत्येक लेखा-परीक्षक, बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाये गये नियमों अथवा दी गई आज्ञाओं द्वारा उस पर आरोपित किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये यथाविधि नियुक्त हो, इंडियन पीनल कोड १८६० की धारा २१ के अर्थ में लोकसेवक (public servant) समझा जायगा । ऐक्ट ४५, १८६०

अतिरिक्त और संचित धन-राशि

८२—वक्फों की आय में से उपलब्ध समस्त अतिरिक्त या संचित धनराशि मुस्लिम विधि द्वारा पूर्ति और धार्मिक उद्देश्यों के रूप में स्वीकृत उद्देश्यों में से ऐसे उद्देश्यों पर व्यय की जायंगी जो बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायं । ऐसी धनराशि बोर्ड के अनुमोदन से, एक वक्फ द्वारा दूसरे वक्फ को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऋण के रूप में दी जा सकती है जो नियत की जायं ।

कुर्की द्वारा देय धनराशियों की वसूली

८३—धारा ३४ के अधीन देय अंशदान और इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य प्रत्येक धनराशि, बोर्ड द्वारा देनदार व्यक्ति की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा तथ्य तदर्थ राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वक्फ सम्पत्ति का प्रापक (receiver) नियुक्त करके वसूल की जा सकती है ।

राज्य सरकार पर दायित्व न होगा

८४—इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में किये गये किसी व्यय का दायित्व राज्य सरकार पर न होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति

८५—(१) किसी अन्य अधिनियमित की कोई ऐसी बात जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, ऐसे वक्फों पर प्रवृत्त न होगी जिन पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या १३, १९३६ ऐक्ट—संख्या १५, १८७८

(२) समय-समय पर यथा संशोधित यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ और हुसैनाबाद इण्डाउमेंट ऐक्ट, १८७८ निरस्त किये जाते हैं ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस निरसन से किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में दिये जाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में उन ऐक्टों के प्रवर्तन पर प्रभाव न पड़ेगा और इसके अधीन रहते हुये उन, ऐक्टों द्वारा या उनके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जब तक कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रचलित था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाही की गई थी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड २ से ८५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०

उत्तर प्रदेश में कतिपय वर्गों के वक्फों के अच्छे शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था के लिये — प्रस्तावना

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में कुछ वर्गों के वक्फों के अच्छे शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आज अब कोई और कार्यवाही न हो। कल के लिये रखा जाय।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२८ अप्रैल, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१३ पर)

भू-राजस्व मांग शुद्धिकरण योजना के फलस्वरूप १५ फरवरी, १९६० तक राज्य की मालगुजारी की मांग में जिलेवार आवर्तक तथा अनावर्तक वृद्धि का विवरण

	जिले का नाम	आवर्तक	अनावर्तक
		रु०	रु०
१	देहरादून	११,१६२	५६,३०५
२	सहारनपुर	५२,८१७	३,७८,७५६
३	मुजफ्फरनगर	५४,५९५	४,१९,३१२
४	मेरठ	१,०८,५६१	७,३३,६८५
५	बुलन्दशहर	५८,५४०	३,५३,४१७
६	अलीगढ़	९९,७७५	६,४५,७७९
७	मथुरा	६९,६३६	३,६०,७२२
८	आगरा	९६,८०१	६,०५,५५८
९	मैनपुरी	१,४२,१३०	६,८९,६८७
१०	एटा	५७,८००	३,२१,००४
११	बरेली	६८,२३४	४,९२,६४०
१२	बिजनौर	७०,८७०	४,०६,२३३
१३	बदायूं	४३,०९४	३,३७,०४१
१४	मुरादाबाद	१,४५,८९७	७,७१,५८८
१५	शाहजहांपुर	१,८३,३३३	८,९०,६७५
१६	पीलीभीत	७५,६२१	४,२४,४४३
१७	रामपुर	५६,९२७	१,५३,९३६
१८	फर्रुखाबाद	६९,५७३	४,१३,९९४
१९	इटावा	४७,४१५	२,६३,९४९
२०	कानपुर	९८,५७८	४,७६,६४६
२१	फतेहपुर	६९,८८९	३,९६,१०३
२२	इलाहाबाद	२,११,१३३	१२,७८,२७८
२३	झांसी	६७,१३१	४,६६,७३६
२४	जालौन	२६,४७४	१,०८,५८७
२५	हमीरपुर	५१,४७१	२,५८,३१५
२६	बांदा	८०,६४६	४,०२,०५७
२७	वाराणसी	२,८३,६९१	१४,०२,१८२
२८	मिर्जापुर	२,१७,७९१	११,०६,२७६
२९	जौनपुर	८४,५१९	४,१५,१४६
३०	गाजीपुर	१,१०,११५	५,६१,२९८
३१	बलिया	३६,५९८	२,१४,३८२
३२	गोरखपुर	५४,९९९	३,२५,४६४
३३	बस्ती	९३,४५०	४,७७,३०७

	जिले का नाम			आवर्तक	अनावर्तक
				रु०	रु०
३४	आजमगढ़ ..	..	..	१,००,१४९	५,७७,८६४
३५	देवरिया ..	..	..	९५,३१९	४,७३,६३५
३६	नैनीताल ..	..	..	५,६९७	३४,१३०
३७	लखनऊ ..	..	..	७१,०९७	३,२१,४८०
३८	उन्नाव ..	..	..	१,३०,३१०	६,५७,८३०
३९	राय बरेली ..	..	..	१,०३,४१७	४,८६,८३६
४०	सीतापुर ..	..	..	१,६६,८७१	७,८८,७४६
४१	हरदोई ..	..	..	१,२१,२६९	९,३०,९६३
४२	खीरी ..	..	..	१,३४,१९३	६,६९,९२१
४३	फैजाबाद ..	..	..	८६,६७४	४,८५,१७१
४४	गोंडा ..	..	..	१,४९,५५७	७,७७,६७८
४५	बहराइच ..	..	..	४१,८७६	२,३८,५४१
४६	सुल्तानपुर	..	..	१,५३,१६७	९,४६,०४९
४७	प्रतापगढ़ ..	..	..	१,२१,३००	६,३९,५३८
४८	बाराबंकी ..	..	..	१,३८,३८२	६,६५,९७८
	योग	..		४६,१८,५४४	२,५३,०१,८६१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१३ पर।)

भू-राजस्व मांग शुद्धिकरण योजना के फलस्वरूप १५ फरवरी, १९६० तक बागों पर निर्धारित लगान के फलस्वरूप राज्य की मालगुजारी की मांग में जिलेवार आवर्तक तथा अनावर्तक वृद्धि का विवरण

	जिले का नाम	आवर्तक	अनावर्तक
		रु०	रु०
१	देहरादून	१२	८७
२	सहारनपुर	२१	१६३
३	मुजफ्फरनगर	३	१६
४	मेरठ	९	६३
५	बुलन्दशहर	१२६	८१५
६	अलीगढ़	८०९	४,९४३
७	मथुरा	७२०	४,२५९
८	आगरा	१,३३५	६,६९१
९	मैनपुरी	१४,८६६	९८,७७०
१०	एटा	३,७५७	२१,३११
११	बरेली	२,३३९	१३,२१९
१२	बिजनौर	८६	५२३
१३	बदायूं	१,५१२	८,७५४
१४	मुरादाबाद	६४५	२,८०८
१५	शाहजहांपुर	११,७७६	७०,४१२
१६	पीलीभीत	११,७९०	७३,३८२
१७	रामपुर	२०१	६०८
१८	फर्रुखाबाद	३१,४२९	२,३६,७४२
१९	इटावा	१४,९९७	१,०१,९९७
२०	कानपुर	३७,८०४	१,९७,१९८
२१	फतेहपुर	८,११७	३८,७७६
२२	इलाहाबाद	९९,४२८	६,०२,१३९
२३	झांसी	४९३	५,१९१
२४	जालौन	२,९१६	१४,६५२
२५	हमीरपुर	१,०४७	४,५१९
२६	बांदा	२,६८९	१५,०५८
२७	वाराणसी	२,०६,२८८	१,११,४८५
२८	मिर्जापुर	१४,१३९	८७,९१०
२९	जौनपुर	२३,६४२	९३,५७१
३०	गाजीपुर	९६८	४,९३४
३१	बलिया	५७७	३,२१५
३२	गोरखपुर	३,६१५	२१,३९०
३३	बस्ती	४,४९९	१९,७७७

जिले का नाम				आवर्तक	अनावर्तक
				रु०	रु०
३४	आजमगढ़	..	..	२,८८४	१३,०१९
३५	देवरिया ..	..	..	१,६६३	५,०९२
३६	नैनीताल ..	..	..	७२	५५५
३७	लखनऊ ..	..	..	२,९७२	१५,७५९
३८	उन्नाव ..	..	..	२३,५०६	१,१४,८०५
३९	रायबरेली ..	..	..	३०,५५०	१,२३,५२८
४०	सीतापुर ..	..	..	१७,००१	७१,५२९
४१	हरदोई ..	..	..	९,५००	४५,८९१
४२	खीरी ..	..	..	२३,९९१	१,१३,१८१
४३	फैजाबाद ..	..	..	५,३५८	८९,६१६
४४	गोंडा ..	..	..	१६,१५७	८३,५७६
४५	बहराइच ..	..	..	११,६८३	७१,८२३
४६	सुल्तानपुर	..	..	१७,०१९	७८,८१६
४७	प्रतापगढ़ ..	..	..	४१,९५८	२,३७,२६९
४८	बाराबंकी ..	..	..	२६,४४१	१,५१,६७७
		योग	..	५,५३,४१०	३०,८१,५०६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१४ पर)

विवरण पत्र

जिले का नाम	तहसील	वित्तीय वर्ष (१९५९–६०) में वितरित तकावी		
		बीज के लिये	खाद के लिये	बैल के लिये
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
गोरखपुर ..	सदर	१९,२६०	५४,०२३	९,४६५
	बांसगांव ..	४८,०००	३३,२७२	२,८००
	महाराजगंज ..	२७,७६५	५१,४८०	३,०८०
	फरेंदा	१७,०७५	३८,८७४	८,८२५
	योग ..	१,१२,१००	१,७७,६४९	२४,१७०
देवरिया ..	हाटा	१८,०१०	२६,२१३	१४,८४५
	पडरौना	२०,०००	१६,९३३	३०,१८५
	देवरिया	१४,२९५	३८,१८०	१,०९,०४५
	सलेमपुर	४३,३९५	३५,२७१	५६,०६५
	योग ..	९५,७००	१,१६,५९७	२,१०,१४०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२२ पर)

गोरखपुर तथा देवरिया जिले के कलेक्शन विभाग में अलग-अलग पदों पर कार्य करने वाले स्थायी (Permanent) तथा अस्थायी (All the year round तथा seasonal) कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	पद का नाम	कर्मचारी जो स्थायी (Permanent) किये गये	कर्मचारी जो अस्थायी (All the year round) रूप से कार्य कर रहे हैं	कर्मचारी जो अस्थायी (seasonal) रूप से कार्य कर रहे हैं
	जिला गोरखपुर			
१	कलेक्शन नायब तहसीलदार ..	—	९	१२
२	असिस्टेंट वासिल बाकी नवीस ..	—	१९	३३
३	तहवीलदार	—	४	—
४	असिस्टेंट चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेंट ..	—	२	—
५	अमीन	—	१०६	१२५
६	चपरासी	—	१०६	१२५
	जिला देवरिया			
१	कलेक्शन नायब तहसीलदार ..	—	११	—
२	असिस्टेंट वासिल बाकी नवीस ..	—	१९	—
३	असिस्टेंट चोफ रेवेन्यू एकाउन्टेंट ..	—	३	—
४	असिस्टेंट स्याहानवीस	—	४	—
५	अमीन	४३	७९	—
६	चपरासी	—	१२२	१२२

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२३ पर)

सूची (क)

मेडिकल कालेज का नाम	पद जिन पर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है
एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा तथा जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।	निम्न विभागों के प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरर के पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है : १---एनाटामी (Anatomy)। २---फिजियो-लाजी (Physiology)। ३---बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry)। ४---फार्माकालोजी (Pharmacology)। ५---पैथालाजी (Pathology)। ६---रेडियोलाजी (Radiology)।
के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	निम्न विभागों में प्रोफेसर के पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस करना बन्द है : १---एनाटामी (Anatomy)। २---फिजियोलाजी (Physiology)। ३---फार्माकालोजी (Pharmacology)। ४---सोशल ऐण्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन (Social and Preventive Medicine)। निम्न विभाग में रीडर के पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस करना बन्द है : फार्माकालोजी विभाग के रीडर के एक पद पर (Pharmacology Department)।

सूची (ख)

१---मेन्टल अस्पताल (Mental Hospitals)।

२---ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी (E. S. I. Dispensaries)।

३---सेन्ट्रल प्रिजन्स, माडेल जेल, तथा प्रिजन्स तथा जुवेनाइल जेल (Central Prisons, Model Jails and Prisons and Juvenile Jails)।

४---लेप्रोसी सेन्टर (Leprosy Centres)।

५---इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल (Infectious Diseases Hospital)।

६---ब्लड बैंक, लखनऊ (Blood Bank, Lucknow)।

७---पुलिस अस्पताल (Police Hospitals)।

८---सीमेंट फैक्टरी चुर्क डिस्पेंसरी, मिर्जापुर (Cement Factory, Churk Dispensary, Mirzapur)।

९---रिहन्द डैम डिस्पेंसरी, मिर्जापुर (Rihand Dam Dispensary, Mirzapur)।

१०---सम्पूर्णानन्द कैम्प डिस्पेंसरी, नानक सागर, नैनीताल (Sampurnanand Camp Dispensary, Nankasagar, Naini Tal)।

११---पी० ए० सी० बटैलियन अस्पताल (P.A.C. Battalian. Hospitals)।

१२---कैनाल ऐण्ड फारेस्ट डिस्पेंसरी (Canal and Forest Dispensaries)।

१३---कोलोनाइजेशन स्कीम डिस्पेंसरी (Colonization Scheme Dispensaries)।

१४---गवर्नर्स हाउस होल्ड-डिस्पेंसरी, लखनऊ (Governor's House-Hold Dispensary, Lucknow)।

१५---ट्यूनी डिस्पेंसरी, जिला देहरादून (Tuni Dispensary, District Dehra Dun)।

१६---रिफार्मेटरी स्कूल, डिस्पेंसरी, लखनऊ। (Reformatory School Dispensary, Lucknow)।

१७---प्राइमरी हेल्थ सेन्टर (Primary Health Centres)।

१८---सेन्ट्रल इर्रीगेशन वर्कशाप डिस्पेंसरी, बरेली (Central Irrigation Workshop Dispensary, Bareilly)।

१९---मेडिकल आफिसर सम्पूर्णानन्द प्रिजन कैम्प, मिर्जापुर (Medical Officer, Sampurnanand Prison Camp, Mirzapur)।

२०---मेडिकल आफिसर मेला ड्यूटी (Medical Officers to Mela Duty)।

२१---मेडिकल अफिसर एक्सरे ट्रेनिंग, मेडिकल कालेज, आगरा (Medical Officer X-ray training, Medical College, Agra)।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२३ पर)

प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर में संलग्न तालिका

तहसील का नाम	ग्राम समाजों की संख्या जिनकी जांच की गई		जांच के समय कितनी गलतियां पाई गईं		
	अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा	परगना-धीश द्वारा	(अ) बैठकें कम बुलाना अथवा बिलकुल न बुलाना	(ब) हिसाब ठीक-ठीक न रखना	(स) अन्य अनिय-मितताएं
१	२	३	४	५	६
१—अकबरपुर	५	४८	६	२	१८
२—बिल्हौर	६	३४	७	४	१५
३—भोगनीपुर	५	३५	२०	३	१२
४—डेरापुर	५	२७	५	३	१६
५—घाटमपुर	५	२७	४	५	१७
६—कानपुर	६	४५	२०	२	४०
योग ..	३२	२१६	६५	१६	१२१

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२६ पर)

नाम ग्राम				क्षेत्रफल जो कट गया है (एकड़ में)	ताबाद किसान जिस पर प्रभाव पड़ा
१—जटपुरवा	..	..	..	४५०	८०
२—मड़वा	..	..	..	७०	२५
३—मूड़ा	..	..	..	६०	२५
४—लखपेड़ा	..	..	..	४०	२१
५—खनवापुर	..	..	..	९७	४२
६—कमना	..	..	..	५०	१५
७—ईसापुर	..	..	..	६००	२००
८—दुर्गापुर	..	..	..	३००	१००
	योग	..	..	१,६६७	५०८

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२७ पर)

१० मार्च, १९६० को गत एक साल अथवा तत् अधिक काल से जो डिस्पेन्सरियां बिना डाक्टर के चल रही हैं उनकी सूची

आगरा—(१) सरैंधी ।

अलीगढ़—(२) धानीपुर ।

इलाहाबाद—(३) होलागढ़, (४) वारोखर, (५) चैलखाश,

अल्मोड़ा—(६) मसियाचना, (७) सियालदा, (८) धरचूला, (९) डिघतर, (१०) सोसा, (११) तारीखेत ।

आजमगढ़—(१२) कोपागंज ।

बहराइच—(१३) तेजवापुर, (१४) भंगगहा, (१५) शिवपुर ।

बस्ती—(१६) कथेला, (१७) पारसरामपुर, (१८) मानवापुर, (१९) बांसी महिला चिकित्सालय ।

वाराणसी—(२०) नवगढ़, (२१) गंगापुर, (२२) बरागांव ।

बांदा—(२३) शिवरामपुर, (२४) मारकुण्डी, (२५) विसेन्धा, (२६) महुआ ।

बाराबंकी—(२७) मिटौली, (२८) निनडूरा ।

बरेली—(२९) दलेलनगर, (३०) भजगवां ।

बदायूं—(३१) रूदेन, (३२) मझारा, (३३) गुलरिया, (३४) इस्लामनगर महिला चिकित्सालय ।

बुलन्दशहर—(३५) ऊंचागांव ।

बिजनौर—(३६) कालागढ़, (३७) ताजपुर ।

देहरादून—(३८) साहसपुर ।

देवरिया—(३९) बेतालपुर ।

एटा—(४०) आमनपुर ।

इटावा—(४१) राजपुर, (४२) बसरेहर ।

फतेहगढ़—(४३) नवाबगंज ।

फतेहपुर—(४४) गाजीपुर, (४५) चांदपुर, (४६) तलियानी ।

गाजीपुर—(४७) गाजीपुर टी०ई०पी० ।

गोरखपुर—(४८) कैम्पियरगंज ।

गोंडा—(४९) गंगौली, (५०) पिपरा, (५१) हथियागढ़ ।

गढ़वाल—(५२) श्रीनगर महिला चिकित्सालय, (५३) बदयार गांव (५४) योखरी नागनाथ, (५५) गमसाली ।

हमीरपुर---(५६) सुमेरपुर, (५७) छानी, (५८) बेरी, (५९) इमलिया, (६०) कौरारा।

हरदोई---(६१) हरपालपुर, (६२) गोपामऊ, (६३) आनन्दपुर।

जालौन---(६४) माधोगढ़, (६५) मेंड़, (६६) कुदारी, (६७) डाकोर, (६८) रामपुरा (६९) कुथंड।

झांसी---(७०) समथर महिला चिकित्सालय।

जौनपुर---(७१) महाराजगंज।

कानपुर---(७२) गजनेर, (७३) कथारा, (७४) काकवां, (७५) डुडवा जमोली, (७६) चौबेपुर।

खीरी---(७७) पसगावन, (७८) वेहजम, (७९) निधासन महिला चिकित्सालय।

मैनपुरी---(८०) खैरागढ़, (८१) इक्का।

मिर्जापुर---(८२) सलखान, (८३) हलिया, (८४) बेनथामगंज, (८५) मियूरपुर। (८६) कोन, (८७) पिन्डारी।

मुरादाबाद---(८८) सुल्तानपुर, (८९) धनौरा।

मुजफ्फरनगर---(९०) शाहपुर, (९१) उन।

मेरठ---(९२) किरथल, (९३) सरूरपुर, (९४) दौला, (९५) अलीपुर। (९६) लतीफपुर, (९७) एरीगेशन वर्कशाप, (९८) खरखोडा, (९९) सिम्मौली।

मथुरा---(१००) राया महिला चिकित्सालय, (१०१) नन्दगांव, (१०२) कोसी कलां महिला चिकित्सालय, (१०३) प्रतापगढ़ गौरा।

पीलीभीत---(१०४) ट्रांसशारदा एरिया, (१०५) ललौरी खेरा।

रामपुर---(१०६) चमरवा, (१०७) सैदनगर।

सहारनपुर---(१०८) नरसेन।

शाहजहांपुर---(१०९) निगौरी।

सीतापुर---(११०) सेवता।

सुल्तानपुर---(१११) जामोन, (११२) मादर।

टेहरी-गढ़वाल---(११३) जखोली, (११४) कोदीपन्तवारी, (११५) पुरोला।

उन्नाव---(११६) अवरास।

नैनीताल---(११७) रामनगर महिला चिकित्सालय।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८–९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२८ पर)

संख्या, ९८–घाघरा नदी की धार से कटे हुये ग्रामों के नाम

सन् १९५८ में	सन् १९५९ में
१—कटया एहतमाली	१—गाय घाट
२—बेलीखुर्द समहतापुर एहतमाली	२—भूलनचक
३—राईपुर एहतमाली	३—मजदीप
४—नरायनपुर एहतमाली	४—मौजा कम्हरिया जदीद
	५—रसूलपुर मिश्र
	६—पथरहा मिश्र
	७—नकौड़ी एहतमाली
	८—खैरोटी
	९—नरगढ़ा शिवदत्त सिंह
	१०—भरौली
	११—बसही एहतमाली

संख्या ९९–कटे हुये घरों तथा बेघर हुये व्यक्तियों का विवरण

नाम ग्राम	कटे हुये घरों की संख्या	बेघर हुये व्यक्तियों की संख्या
१—कटया एहतमाली	१०	४५
२—बेली खुर्द एहतयाली	२५	१२५
३—रामहुतापुर एहतमाली	५	२६
४—राईपुर	४३	२०५
५—नरायनपुर	७	५६
६—रसूलपुर मिश्र	७	३०
७—पथरहा मिश्र	२८	२५३
८—मजदीप	१२	४०
९—माझा कम्हरिया	६	१५
१०—गाय घाट	१५०	३७०
११—भूलनचक	८	५४
योग ..	३०१	१,२१९

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२९ पर ।)

महीना व साल	जे०ओ०बिलारी व मुरादाबाद		जे०ओ० सम्भल		जे० ओ० अमरोहा		जे० ओ० हसनपुर व ठाकुरद्वारा	
	दायर	फैसला	दायर	फैसला	दायर	फैसला	दायर	फैसला
	मुकदमात फौजदारी							
अप्रैल, १९५८	९५	२५	२५	३३	५८	३४	३७	१७
मई, १९५८	१३०	६१	१८	१८	३६	२६	२७	३४
जून, १९५८	३७	४०	४७	५	५५	३१	३२	३१
जुलाई, १९५८	६४	७१	३६	२०	४४	४३	२३	४१
अगस्त, १९५८	३५	४९	४९	२८	६२	४३	२६	३४
सितम्बर, १९५८	७७	४६	४१	३१	७१	४८	२७	३३
अक्तूबर, १९५८	६१	३९	५८	३३	४४	२६	३०	२४
नवम्बर, १९५८	५१	३७	४३	२७	४८	३०	४१	३२
दिसम्बर, १९५८	६७	७३	३५	३०	४८	३७	३०	५५
जनवरी, १९५९	८१	४८	३६	२०	५१	३६	३६	३०
फरवरी, १९५९	४६	५८	३४	३९	५१	३२	३७	२२
मार्च, १९५९	५५	४०	४६	३४	५८	२८	२४	३५
	मुकदमात माल							
अप्रैल, १९५८	१०४	६६	४९	५०	५४	४६	३८	८
मई, १९५८	९५	१००	४१	५६	७५	४७	५०	५०
जून, १९५८	१७०	५८	४०	२४	७९	५८	६०	७९
जुलाई, १९५८	९७	१०९	३२	४२	३६	६९	५१	६२
अगस्त, १९५८	९२	१०७	३५	४९	२५	५१	३२	२९
सितम्बर, १९५८	९८	१०३	४४	५०	४५	५८	४९	५७
अक्तूबर, १९५८	७०	७२	२६	२९	४२	३०	२६	५५
नवम्बर, १९५८	५७	४९	३५	३४	१४	३१	२३	२६
दिसम्बर, १९५८	९९	८८	५२	५५	३०	३४	३८	४९
जनवरी, १९५९	७३	६०	२७	४२	४४	२४	७०	२६
फरवरी, १९५९	१०२	८९	१७	२३	४३	२८	३४	५०
मार्च, १९५९	१०३	१०२	१४३	३६	८२	५१	३४	३५

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३० पर।)

तालिका (क—१)

टी० बी० अस्पतालों इत्यादि में शैय्याओं की संख्या

सरकारी टी०बी० अस्पतालों के नाम		कुल शैय्यायें
१—भुवाली सैनेटोरियम, जिला नैनीताल	..	३२६
२—गेठिया सैनेटोरियम, जिला नैनीताल	..	७०
३—टी०बी० अस्पताल, इटावा	..	२८
४—फिरोजाबाद टी०बी० सैनेटोरियम	..	२६
५—टी०बी० अस्पताल जिला जेल, सुल्तानपुर	..	११८
६—टी०बी० अस्पताल, हाथरस	..	२५
७—टी०बी० अस्पताल, इलाहाबाद	..	४५
गैर-सरकारी टी०बी० अस्पतालों के नाम		
१—श्री बृज सेवा समिति टी०बी० सैनेटोरियम, वृन्दावन	..	१५०
२—कस्तूरबा टी०बी० क्लीनिक, और अस्पताल, लखनऊ	..	८०
३—टी०बी० अस्पताल, बस्ती	..	३०

तालिका (क—२)

गैर-सरकारी टी०बी० क्लीनिकों के नाम		कुल शैय्यायें
१—टी०बी० क्लीनिक, मेरठ	..	६
२—टी०बी० क्लीनिक, मुरादाबाद	..	४
३—टी०बी० क्लीनिक, मुजफ्फरनगर	..	१
४—टी०बी० क्लीनिक, गोरखपुर	..	४
५—टी० बी० क्लीनिक, सहारनपुर	..	४
६—टी०बी० क्लीनिक, कानपुर	..	१२
७—टी०बी० क्लीनिक, रामपुर	..	६

तालिका (क--३)

सरकारी टी०बी० वार्ड के नाम		कुल शैय्यायें
१--जिला अस्पताल, मैनपुरी	..	३
२--जिला अस्पताल, सीतापुर	..	४
३--जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर	..	८
४--जिला अस्पताल, बस्ती	..	६
५--जिला अस्पताल, बदायूं	..	१४
६--जिला अस्पताल, अलीगढ़	..	१२
७--जिला अस्पताल, बरेली	..	६
८--जिला अस्पताल, झांसी,	..	३
९--लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर	..	२२
१०--एस०एन० हास्पिटल, आगरा	..	२०
११--लेवेट हास्पिटल रामनगर, वाराणसी	..	२६
१२--आई०डी० हास्पिटल, हरद्वार	..	५०
१३--पी० एल० शर्मा हास्पिटल, मेरठ	..	२०
१४--आई०डी० अस्पताल, कानपुर	..	५०
गैर-सरकारी टी०बी० वार्ड के नाम		
१--मिशन हास्पिटल, फतेहगढ़	..	२८

तालिका (ख)

टी० बी० शैय्याओं के बढ़ाने की योजनाएं

	कुल शैय्यायें
१--सहारनपुर टी०बी० सैनेटोरियम	१००
२--वाराणसी टी०बी० सैनेटोरियम	१००
३--फिरोजाबाद टी०बी० अस्पताल	६४
४--कस्तूरबा टी०बी० अस्पताल, गैर-सरकारी लखनऊ	१०
५--टी० बी० के लाइलाज मरीजों को एकान्त में रखने की योजना (Isolation of Advanced Cases of T. B.) ..	५०

नोट--यदि किसी और गैर-सरकारी टी०बी० अस्पताल में शैय्यायें बढ़ाने की योजना है तो इसकी सरकार के पास सूचना नहीं है ।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३० पर)

अनुसूची 'क'

खरीफ १३६७ फसली में सूखा तथा बाढ़ के कारण गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के जिन जिन गांवों में मालगुजारी में छूट दी गई है उसकी अनुसूची

गांव का नाम	छूट की धनराशि	गांव का नाम	छूट की धनराशि
१	२	१	२
	रु० न०पैसे		रु० न०पै०
१—धरमपुर	७८.७१	२२—कमासिन खुर्द	१७३.१५
२—धरमोली	८०.५६	२३—पिपराबवस	३२.३९
३—नाथनगर	८६.७१	२४—धनखरी	७६.६१
४—बरगदहीबासन्तनाथ	१४४.१७	२५—गोहुजनी	९७.२६
५—बरबाराजा	१८७.६७	२६—सोहाल	२५५.५८
६—कुम्हरिया कला	१२०.८३	२७—मड़रा	२९.५९
७—जंगल जरलहा उर्फ तन्दुबहिया	३३१.४१	२८—जंगल बांकी टुकड़ा नं० १४	१२९.४४
८—जंगल जरलहा उर्फ जादी	३८१.३६	२९—रानपुर	५४.०३
९—जंगल जरलहा उर्फ सुचितपुर	३३१.४१	३०—जंगलबांकी नं० ८	३४.९१
१०—जंगल जरलहा उर्फ बड़हरा	१०३.३२	३१—मडिया	१४२.९०
११—हरखपुरा	२३३.५५	३२—भटवा	४०४.७४
१२—नरकटहा	१२२.७०	३३—गोधवली	११३.२०
१३—रामपुर	२६०.७७	३४—सुमेरगढ़	२४२.४६
१४—मंसरगंज	३५२.३७	३५—कलरारी	६२.१८
१५—भवानीपुर	१८५.८९	३६—वेलराई	१९१.९३
१६—बहरामपुर	२३८.०४	३७—पियरा	९९.००
१७—रजौड़ा कलां	९२.९२	३८—मोहनापुर	२५५.३४
१८—रजौड़ा खुर्द	२३२.१९	३९—अंटीखास	१४६.०६
१९—रजौड़ा पर्दचुम	२४८.९३	४०—परसिया इंदरपुर	१३८.७०
२०—डोमरी	१५२.२७	४१—मदरापुर मलुही	११८.७५
२१—कमासिन वु०	१२३.००	४२—पिपरपाती	१५४.६५
		४३—महम्मदा	३६९.५५
		४४—पिपरिया	१४४.०५
	योग		७,८२२.३७

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर नीचे पृष्ठ १०३० पर)

अनुसूची 'ख'

खरीफ १३६७ फसली में सूखा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामों तथा दी गई सहायता का तहसीलवार विवरण

क्रम संख्या	तहसील	क्षतिग्रस्त ग्रामों की कुल संख्या	मालगुजारी व लगान में छूट दिये गये ग्रामों का विवरण				तकावी का वितरण	टेस्ट वर्क पर खर्च
			ग्राम संख्या	मालगुजारी में छूट	लगान में छूट			
				रु०	रु०	न०पै०	रु०	रु० न०पै०
१	महराजगंज	२१६	१४४	७,८२२.३७	—		३०,७४५	२०२४.७८
२	फरेंदा	२१६	९१	२०,०६०.५७	—		२५,१५०	२९,३३९.८१
३	बांसगांव	१,८२८	१,८५२	२,२६,८९६.७६	५११.६९		५२,०००	४४,६४५.२६
४	सदर	१,३३४	८८४	१,४३,७६२.७२	१,५८६.४३		२९,७२५	१,२१,०५५.५९
	योग	३५९४	२८७१	३,९८,५४२–४२	२,०९८.१२		१,३७,७२०	१,९७,०६५.४४

नोट—छूट केवल उन्हीं ग्रामों में दी गई है जिन्हें क्षति रूपये में ८ आना या इससे अधिक थी।

अन्य सहायता का विवरण

१—सरकार ने मालगुजारी, तकावी, नहर, प्लानिंग, डेवलप्मेन्ट लोन तथा कृषि विभाग के बकाया की वसूली ३०, नवम्बर, १९५९ तक स्थगित कर दी थी ।

२—अभावग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी में छूट पूर्वतः दी गई जैसा कि विवरण नीचे दिया हुआ है :—

(अ) ऐसे खातों में, जिनमें १ रुपये में ८ आने अथवा अधिक की क्षति हुई है बकाये की समस्त धनराशि रबी की फसल के पश्चात् और अधिक समय के लिये स्थगित कर दी गई ।

(ब) ऐसे खातों में जिन में हानि एक रुपये में ६ आने से लेकर ८ आने तक हुई है, इस फसल में बकाये का केवल ५० प्रतिशत वसूल किया जायगा ।

३—स्थानीय वन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के आस-पास के सुरक्षित वन भी मवेशियों के लिये निःशुल्क खोल दिये गये । जिन स्थानों में वन दूर थे वहां पर सरकारी वनों की सूखी घास का प्रबंध किया गया । जहां पर भूसे की आवश्यकता थी वहां पर सस्ते भाव पर भूसा देने की विशेष व्यवस्था की गई ।

४—देहाती क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें ऐसी जगहों पर खोली गईं कि किसी व्यक्ति को ३ मील से अधिक न जाना पड़े । अक्तूबर, १९५९ में इनकी संख्या २०० थी ।

५—सरकार द्वारा सिंचाई कर कम कर दिया गया तथा सिंचाई का कार्य-क्रम पूरे समय के लिये कर दिया गया । जिससे सिंचाई अधिक से अधिक की जा सके ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३३ पर)

जिला खीरी में निम्नलिखित स्वीकृत स्थानों में मिडवाइफें नहीं हैं

(१) बारबर, (२) अएिल, (३) बांके गंज, (४) छतीपुर, (५) पसगवर, (६) बांके गांव, (७) औरंगाबाद (८) कुकेरा (९) धहरौराहारा ।

नार्मलाइज खंडों (ब्लाक)—(१०) निघासन, (११) तिकुनिया, (१२) सिंघाई, (१३) बहेजाम खंड का एक केन्द्र ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र—(१४) मोहमदी, (१५) ईसानगर, (१६) मिग्रौली, (१७) धौराहारा ।

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१–१३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३३ पर)

चिकित्सालय का नाम	कार्यकर्त्ता	वार्षिक व्यय
		रु०
१––एलोपैथिक चिकित्सालय बेहटा कलां (पुरुष)	एक मेडिकल आफिसर	२,९४०
	एक कम्पाउन्डर	८९४
	एक नर्सिंग आर्डली	७६२
	एक वार्ड व्वाय	६१८
	दो मेहतर	१,२७८
योग ..	६ कर्मचारी	६,४९२
२––एलोपैथिक चिकित्सालय बेहटा कलां (महिला)	एक मेडिकल आफिसर	२,८२०
	एक कम्पाउन्डर	१,१२२
	एक वार्ड व्याय	६१८
	एक चौकीदार	६१८
	एक भंडारी	६१८
	एक मेहतर	६१८
योग ..	६ कर्मचारी	६,४१४
३––एलोपैथिक चिकित्सालय खैरों (पुरुष)	एक मेडिकल आफिसर	३,१८०
	एक कम्पाउन्डर	१,२१२
	एक वार्ड व्वाय	६०६
	एक चौकीदार	६०६
	एक भंडारी	५९४
	एक मेहतर	६०६
योग ..	६ कर्मचारी	६,८०४
४––एलोपैथिक चिकित्सालय ऐहार (पुरुष) ..	एक मेडिकल आफिसर	३,४२०
	एक कम्पाउन्डर	१,१७०
	एक वार्ड व्वाय	६०६
	एक मेहतर	६०६
योग ..	४ कर्मचारी	५,८०२

चिकित्सालय का नाम	कार्य-कर्ता	वार्षिक व्यय
		रु०
५—एलोपैथिक चिकित्सालय लालगंज (पुरुष) ..	एक मेडिकल आफिसर	२,४००
	एक कम्पाउन्डर	६५४
	एक वार्ड ब्वाय	६१२
	एक मेहतर	६५४
योग ..	४ कर्मचारी	४,६२०
६—आयुर्वेदिक औषधालय घुरवारा (पुरुष)	एक वैद्य	१,९८०
	एक कम्पाउन्डर	१,१४६
	एक नौकर ..	६३६
	एक मेहतर	१२०
योग ..	४ कर्मचारी	३,८८२
कुल योग ..	३० कर्मचारी	३४,०१४

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३४ पर)

सूची

ग्राम समाज	तहसील	प्रधान के मुअत्तिल किये जाने का तिथि	मुअत्तिली के कारण
१	२	३	४
(१) झोआ	कायमगंज	२२ अक्तूबर, १९५९	ग्राम समाज के धन के गबन व उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के कारण।
(२) सुल्तानगंज खरेटा	कायमगंज	१५ फरवरी, १९६०	ग्राम समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने व रिश्वत की शिकायत पर।
(३) बनगवां	छिबरामऊ	१ मार्च, १९६०	ग्राम समाज की भूमि को अनियमित ढंग से पट्टे पर देने के कारण।
(४) नगला मल्लू	सदर	२१ मार्च, १९६०	कर्त्तव्यहीनता व रिस्तेदारों को अनियमित कब्जा देने के कारण।

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३५ पर)

मैनपुरी कलेक्टरी के विभिन्न पदों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची

१—आफिस सुपरिंटेंडेंट	..	१	२४—असिस्टेंट रिकार्ड कीपर	..	१
२—रेवेन्यू असिस्टेंट	..	१	२५—अरेंजर	..	२
३—जुडीशियल असिस्टेंट	..	१	२६—वीडर	..	६
४—नाजिर	..	१	२७—कापिस्ट सदर	..	६
५—रेवेन्यू रिकर्ड कीपर	..	१	२८—टाउन एरिया क्लर्क	..	१
६—चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेंट	..	१	२९—स्टैनोग्राफर	..	१
७—इंग्लिश रिकार्ड कीपर	..	१	३०—वासिल बाकी नवीस	..	५
८—क्रिमिनल रिकार्ड कीपर	..	१	३१—रेवेन्यू क्लर्क्स	..	५
९—असिस्टेंट रेवेन्यू असिस्टेंट	..	१	३२—जुडीयिल मुहर्रिर	..	७
१०—बिल क्लर्क	..	१	३३—नायब नाजिर तहसील		५
११—एक्साइज क्लर्क	..	१	३४—काविस्ट तहसील	..	४
१२—आर्म्स क्लर्क	..	१	३५—कुर्क अमीन	..	८
१३—नायब नाजिर सदर	..	१	३६—कैनाल क्लर्क	..	१
१४—जनरल क्लर्क	..	१	३७—सियाह नवीस	..	५
१५—लैन्ड एक्वीजिशन क्लर्क	..	१	३८—स्टैनोकम अहलमद	..	१
१६—लोकल बाडीज क्लर्क	..	१	३९—पेड एपरेंटिस	..	७
१७—इंग्लिश टाईपिस्ट	..	१	४०—दफ्तरी	..	२
१८—हिन्दी टाईपिस्ट	..	१	४१—जमादार	..	६
१९—असिस्टेंट इंग्लिश रिकार्ड कीपर		१	४२—रेवेन्यू पियून्स		११२
२०—फार्म कीपर	..	१	४३—प्रोसेस सर्वर्स	..	२९
२१—ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स क्लर्क	..	१	४४—कुर्क फंड पियन्स	..	८
२२—रीडर्स	..	१०	४५—मिनियल्स	..	६
२३—अहलमद	..	१३	४६—बन्डल लिफ्टर्स	..	२
			४७—आनरेरी कोर्ट्स के पियन्स		१२
			योग ..		२८६

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३६ पर)

सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में कृषि की तरक्की के लिये किसानों को जिन जिन मदों में तकावी बांटने के लिये ऋण दिया गया वे इस प्रकार हैं---

सन् १९५८-५९ तथा १९५९-६० में--

(१) उर्वरक (Fertilizers)
(२) ट्रैक्टर
(३) पक्के कुयें (Masonary wells)
(४) रहट (Persian wheels)
(५) गहरे बेधन द्वारा कुओं में सुधार (Improvement of wells by deep-boring)
(६) निजी नल कूप,
(७) पानी खींचने वाली संयंत्र,
(८) पुरानी बंधियों की मरम्मत,
(९) बंधियों के निर्माण,
(१०) कृषि योग्य भूमि का संरक्षण,
(११) साधारण तकावी ऐक्ट, १९ के अन्तर्गत।

२---इसके अतिरिक्त सन् १९५८-५९ अथवा १९५९-६० में निम्नलिखित मदों में भी तकावी दी गई:---

१९५८-५९

(१) कांस क्षेत्रों में कांस साफ करने के बाद की क्रियायें,
(२) तराई और भावर अस्थानों में तार का घेरा लगाना,

१९५९-६०

(१) गूल निर्माण (Construction of Guls)

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५४–१५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३७ पर)

जनवरी १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक जिला अल्मोड़ा और नैनीताल में निम्नलिखित स्थानों में आग लगी—

संख्या १५४— जिला अल्मोड़ा १—ग्राम रमडी पट्टी , बिचला दानपुर तहसील, अल्मोड़ा
२—ग्राम कलपड काफडी ,, ,, ,, ,,
३—सदर बाजार पट्टी बल्ला अठागुली, तहसील रानीखेत
४—ग्राम भिकियासेन ,, बल्ला नया ,,
५—सिमलगैरबाजार ,, महर पिठौरागढ़
६—ग्राम बंडडी ,, सौन ,,
७—जमतडी ,, पुगंराऊ ,,
८—खतगड ,, ,, ,,
९—भुरौला ,, ,, ,,
१०—सिरौली ,, बाराविसया ,,

जिला नैनीताल तहसील बाजपुर ग्राम—नरखैरा, राजपुरा नं० १, जैनगर, चौतरा, कुल्लहा, कोपा, गिरधरनगर, चन्दापन, चकरपुर, महेशपारा, भलकधपुर, हरलालपुर, अलखदेई, रोशनपुर, महोलीचन, भोसियां, गोवरा, केलाखेरा, मुदियाकला, बिजैनगर, मोनेइसलस-नगर, बरखेरा, बिहनपुर, खमिरिया, हरीपुरा, हुसेनगंज, वदेवरी, विरवादौलत, रेन्ता, सुलतानपुर, चन्दौन, चमन-गंज, मुदईयावकसो, लम्बा-खेरा, मशौन, केशवाला, गुलगारपुर।

तहसील काशीपुर ग्राम—जुग्खा, शोराजपुर, प्रतापपुर, खरमासा, बघेलवाला, पतरामपुर, धनौरी, राजपुर, जासपुर, खास, काशीपुर मोहल्ला, कतरामलियान मिसखाला, धरमपुर, बरखेरा पांडेय, बैलजोरी, नरायनपुर, शिवलालपुर डल्लू, कलियावाला, गिरधै मुन्शी, मानपुर हरियावाला, अमियावाला, बंसखेरा कलां, गारीगंज।

तहसील किच्छा ग्राम—साहदोरा मजरा, अलीनगर, राहपुरा, भमरोला, खमरया, वारा, बगवाला, नजीमाबाद, साहादोरा, लालपुर, बदियां देवरिया, किच्छा, मजरा, सोनोरी, फुलसुगा, रामपुरा, सिरोली, अन्दपुर, दानपुर घतरपुर, किशनपुर, कोलरईया।

तहसील हल्द्वानी ग्राम—दुम्मका बंगर उमापटी, मानपुर पूर्व, चरायल नायक, हरीपुर नायक, लमधौर, गंगा-रामपुर, तेजपुरनेगी, चौसाला बदो वस्ती, बच्छीनगर।

जिला नैनीताल

	तहसील सितारगंज	ग्राम--रामपुरा, नानकमता, पदारी, देवीपुरा भानकत, सरकरा, नकाहर, सितारगंज, लौंका, ताकतपुरा, कुवरपुर, मर्थीहा, लालरखास।
,,	तहसील खटीमा	ग्राम--नगला तराई, सुनपहर, गुसूकुनवा, रतनपुर, जरासू प्रतापपुर, खटीमा, रदौलिया, जनकपुर, उपीमहावत, गयान खेरा, चन्दली, खिलेरिया, जमौर, सुजिया, बिलहारी, फुलाया, जनकत, नदन्ना, नौसर, पधपेरा।
,,	तहसील रामनगर	ग्राम--गुजानी, गंगापुर, रामनगर, लक्ष्मीपुर मलधनपोरी, शिवलालपुर, पांडेय, पीर, मदरा, हिमतपुर ब्लाक, भवानीपुर, तुलसीपुरदनी, नगर, टांडामल्लू, नयाग्राम वेलीपुरा।
,,	तहसील कलधुंगी	ग्राम--कलधुंगी खाम, पटलिया. चांदपुर, हिमतपुर मबुआ, नाथुजला, बिजेपुर, धमौला।

संख्या १५५--जिला अल्मोड़ा में अनुमानतः ३२,६८,४४६ रु० का तथा जिला नैनीताल में ६,२२,२८१ रु० का नुकसान हुआ। पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है--

जिला अल्मोड़ा में

२,४३५ रु० अहेतुक सहायता।

२,५०० रु० मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा।

२,००० रु० गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा।

२,५०० रु० प्रधान मंत्री द्वारा।

जिला नैनीताल में

(१) अनुमानतः २१६ रु० २७ नये पैसे की घास, लकड़ी व छप्पर इत्यादि बनाने के लिये दिया गया।

(२) डिस्ट्रेस तकावी के रूप में ४८,३०० रु० की सहायता।

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५६–१५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३७ पर)

अनुसूची 'क'

क्र० संख्या	जिले का नाम	मालगुजारी व लगान की छूट में दी गई सहायता या प्रस्तावित सहायता का धन	स्थगित किया धन	तकावी
१	२	३	४	५
१	देहरादून ..	१५,४२९.४९	६,२८७.५५	६०,०००.००
२	सहारनपुर	१,३१,०३१.७२	—	३,०५,०००.००
३	मुजफ्फरनगर	८,५७२.००	८,५७२.००	१,६५,०००.००
४	मेरठ ..	—	—	१,२०,०००.००
५	बुलन्दशहर .	४,०४६.७९	२४,०००.२९	२,१०,०००.००
६	अलीगढ़ ..	—	४८७.०३	—
७	मथुरा ..	—	४,३३,६२८.९५	—
८	आगरा ..	५५,९६२.६७	५५,९६२.६७	१,२५,०००.००
९	मैनपुरी ..	—	३,७०,००५.२३	—
१०	एटा	२,४४,०२०.६२	२,८१,९९६.४५	१,२०,०००.००
११	बरेली ..	—	२४,५२२.००	५,०००.००
१२	बिजनौर ..	७९,०७३.०३	३,३६,७४९.२८	—
१३	बदायूं ..	—	—	—
१४	मुरादाबाद	११,२८६.५२	१०,६२९.७२	१,४४,५००.००
१५	शाहजहांपुर ..	२७,६६६.००	७,७६,०९२.००	८९,६२८.००
१६	पीलीभीत ..	—	१३,३०५.३५	३२,०००.००
१७	रामपुर ..	६१६.८२	६१६.८२	—
१८	फर्रुखाबाद ..	—	६४,६६५.००	—
१९	इटावा ..	—	१२,४६६.८१	६०,०००.००
२०	कानपुर ..	११,५३६.९४	२६,६०३.७०	—
२१	फतेहपुर ..	—	३,१४,१०८.००	—
२२	इलाहाबाद ..	७,३८,७०१.००	७,३८,७०१.००	१,६८,२४५.००
२३	बांदा ..	१,७१५.३९	७७,४६१.९०	—
२४	हमीरपुर ..	—	८९,७८६.००	—
२५	झांसी ..	३,६३९.००	३,६३९.००	—
२६	जालौन ..	५६.४२	५६.४२	—
२७	वाराणसी ..	२,४०,२४७.००	६,१५,३६२.८४	४०,०००.००
२८	मिर्जापुर ..	१,८७०.३४	८,४५,०५१.२५	१,५०,०००.००
२९	जौनपुर ..	३०,०१४.९३	७,३९,२४३.३८	५७,४००.००
३०	गाजीपुर ..	१,८७,९४९.००	५,३७,३२१.००	२,८५,०००.००
३१	बलिया ..	५,५०,०७२.१९	१३,६७,१५९.७३	४,२५,०००.००

क्रम-संख्या	जिले का नाम	मालगुजारी व लगान की छूट में दी गई सहायता या प्रास्तावित सहायता का धन	स्थगित किया गया धन	तकाबी
१	२	३	४	५
		रु०	न०	पै०
३२	गोरखपुर ..	३,६८,५४२.४२	८,०१,२४८.०२	१,८६,८१५.००
३३	बस्ती ..	११,७५,४७२.६८	१८,३६,४४४.२६	६३,४२५.००
३४	आजमगढ़ ..	—	१५,०२,६८६.५५	१३,६७,५००.००
३५	देवरिया ..	६,०३,८६४.००	३,६३,७३५.००	४,६०,०००.००
३६	नैनीताल ..	८,४८०.५०	६४२.७५	१,२३,४६७.६७
३७	अल्मोड़ा ..	—	—	२५०.००
३८	गढ़वाल ..	१,०७८.५२	१,०७८.५२	१०,०००.००
३६	टेहरी-गढ़वाल ..	—	—	३,०००.००
४०	लखनऊ ..	४८,६४८.५३	२,८२,५४६.०६	—
४१	उन्नाव ..	५३,५२१.५१	८,६२,६३३.००	२०,८००.००
४२	रायबरेली ..	४७४.६४	२,२७,४५६.६४	—
४३	सीतापुर ..	५,७६,५६५.३५	१,३३,६४४.४२	४६,७५५.००
४४	हरदोई ..	५,७६,४२६.८६	४,०००.००	४५,०००.००
४५	खीरी ..	८६,३१५.००	२,८१,३७१.००	८५,४६५.००
४६	फैजाबाद ..	२,६६५.५३	१,७२,३६४.५३	४,६३,५५७.५०
४७	गोंडा ..	२,७६,६६०.२५	३,०४,८४२.१३	१,१३,३५८.००
४८	बहराइच ..	३,८८,३६७.७७	३,८८,३६७.७७	१,२६,८४३.००
४६	सुल्तानपुर ..	६,१४,८४५.१८	६,१४,८४५.१८	१,६५,१५२.००
५०	प्रतापगढ़ ..	८,६१,६११.६२	८,६१,६११.६२	१,३०,३०४.००
५१	बाराबंकी ..	४,८३,२७६.१३	४,५१,१८८.३१	१,२७,२७१.००
	योग ..	८८,३५,०१७.६६	१,७१,०८,११४.५६	६१,६६,७३५.५०

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५८–१५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३८ पर)

नत्थी 'अ'

तहसील	मालगुजारी की मांग में शुद्ध वार्षिक वृद्धि	वसूल करने योग्य मालगुजरी की बकाया
	रु०	रु०
१—लखीमपुर ..	.. ४४,९९९	२,६९,१११
२—मोहम्मदी ..	.. ३०,५९२	१,४७,४४२
३—निघासन ..	.. ६८,७२९	३,७३,८६०

नत्थी 'ब'

तहसील	उज्रदारियों की संख्या
१—लखीमपुर ..	.. .. ३९२
२—मोहम्मदी ..	.. .. १२१
३—निघासन ..	.. .. १९३

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३६ पर)

Extract of G. O. no. 408/I-C-Colon., dated April 7, 1958, from the Sachiv, U. P. Sarkar, Rajaswa (Ga) Vibhag, to the Secretary, Board of Revenue, (Land Reforms), U. P., Lucknow, regardnig resettlement of various class of persons on land available for new settlements in the Tarai and Bhabar area district Naini Tal.

.. ..

5. The Governor has been further pleased to order that in respect of future vacancies available either by resumption, ejectment or surrenders, the policy for allotment will be as follows :

(i) First 500 acres or more which may be available to Government should be utilised for settling Buxas and Tharoos. The land selected for them should be so situated as to be suitable for these shy people who cannot live comfortably with other people.

Amended, *vide* G. O. 1226l I-C-12—24-Cl-56, dated December 16, 1958 issued under signature of Up Sachiv (IV).

(ii) Small vits of land of less than 25 acres should be allotted to the landless shilpkars of Kumaun who are mostly readily available and also to be deserving political sufferers, who have not been allotted any land elsewhere.

(iii) Blocks bigger than 25 acres in area, but smaller than 200 acres should be reserved for the displaced persons from Nanak Sagar etc. and should be allotted in terms of the conditions laid down in G. O. no. 7811/I-C—67C-56, dated December 22, 1956.

(iv) Blocks of more than 200 acres in area and not required for Buxas and Tharoos should be settled with Hastinapur people.

(v) Small Blocks of 25 acres or less may be given to the landless persons of Uttar Pradesh excluding landless shilpkars of Kumaun.

Amended, *vide* Up Sachiv (I) d. o. no. 632 (i) Col/I-C, dated October 3, 1958.

The limits mentioned above are approximate and may be varied in the discreation of the Deputy Commissioner Nani Tal, without consulting the Government.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४४ एल० ए०—१९६०—८४५ ।